VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

मई 2025

मासिक समसामयिकी

8468022022 | 9019066066 www.visionias.in

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी
हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

OUR ACHIEVEMENTS

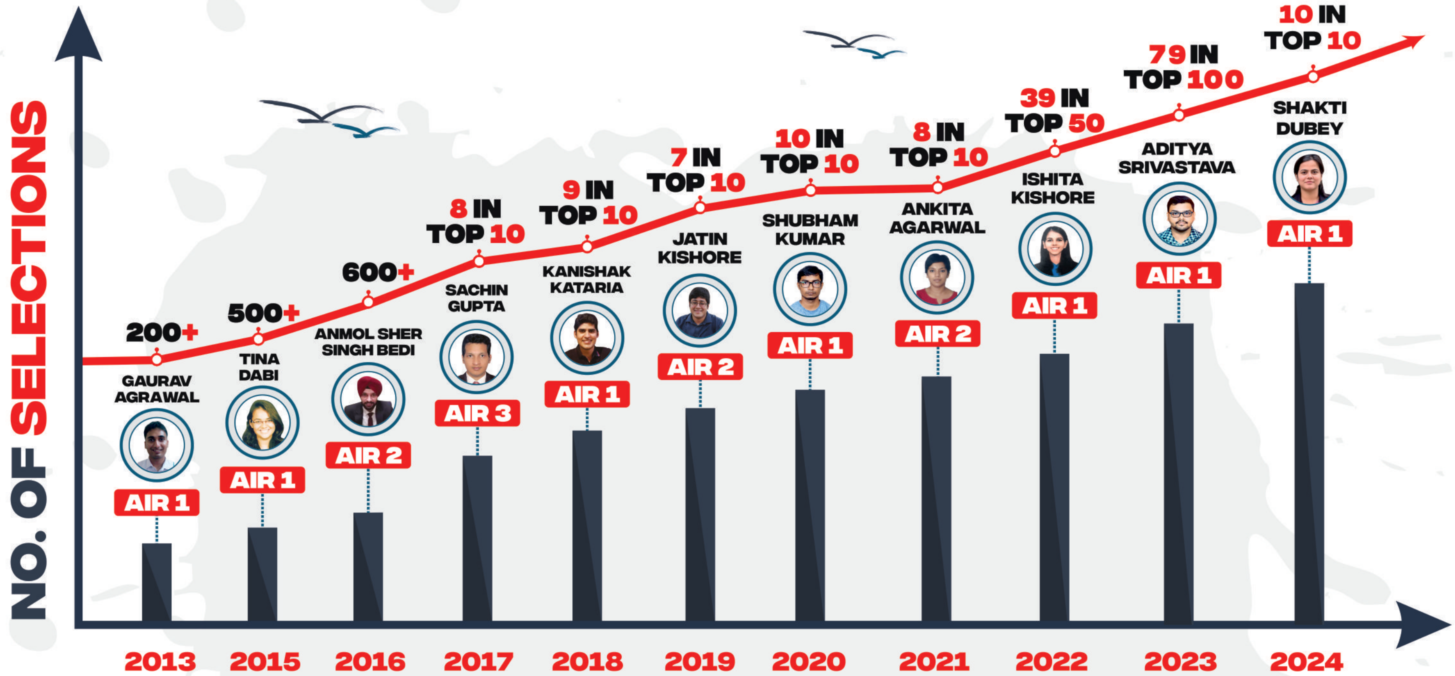

LIVE/ONLINE Classes Available

www.visionias.in

Foundation Course
GENERAL STUDIES
PRELIMS cum MAINS 2026, 2027 & 2028

DELHI : 29 MAY, 8 AM | 6 JUNE, 11 AM | 12 JUNE, 8 AM | 17 JUNE, 5 PM
20 JUNE, 11 AM | 23 JUNE, 2 PM | 30 JUNE, 8 AM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 27 MAY, 6 PM
14 JUNE, 8 AM | 23 JUNE, 5 PM

AHMEDABAD: 7 JUNE | BENGALURU: 20 JUNE | BHOPAL: 27 JUNE | CHANDIARH: 18 JUNE

HYDERABAD: 25 JUNE | JAIPUR: 24 JUNE | JODHPUR: 2 JULY | LUCKNOW: 24 JUNE | PUNE: 16 JUNE

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2026

▸ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI : 27 मई, 11 AM | 17 जून, 2 PM | JAIPUR : 24 जून | JODHPUR : 2 जुलाई | प्रवेश प्रारम्भ BHOPAL | LUCKNOW

Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

/visionias.upsc | /c/VisionIASdelhi | /c/VisionIASdelhi | /t.me/s/VisionIAS_UPSC

DELHI: GMMR 33, Pusa Road, Near Karol Bagh Metro Station, Opposite Pillar No. 113, Delhi - 110005 **CONTACT:** 8468022022, 9019066066

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

विषय-सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance) ______ 4

1.1. जातिगत जनगणना ______ 4

1.2. गैर-सरकारी विधेयक ______ 6

1.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ______ 8

1.3.1. समावेशी डिजिटल पहुंच संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है: सुप्रीम कोर्ट ______ 8

1.3.2. माध्यस्थम् के निर्णयों में संशोधन करने की न्यायालय की शक्तियां ______ 9

1.3.3. रोहिंग्या तथा शरणार्थियों व निर्वासन से संबंधित प्रावधान ______ 10

1.3.4. पैदल यात्रियों के अधिकार ______ 10

1.3.5. सिक्किम को राज्य का दर्जा मिलने की 50वीं वर्षगांठ 10

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) ______ 12

2.1. भारत-यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौता ______ 12

2.2. चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा ______ 14

2.3. भारत–तुर्किये संबंध ______ 16

2.4. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा ऋण ______ 18

2.5. संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना ______ 20

2.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ______ 22

2.6.1. न्यू डेवलपमेंट बैंक ______ 22

2.6.2. अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ______ 22

2.6.3. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की 1267 प्रतिबंध समिति ______ 24

2.6.4. एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गनाइजेशन ______ 24

3. अर्थव्यवस्था (Economy) ______ 25

3.1. 'संवृद्धि के अग्रदूत' के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र ______ 25

3.2. संशोधित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण ______ 28

3.3. विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह ______ 31

3.4. राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड ______ 33

3.5. जिला खनिज फाउंडेशन ______ 36

3.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ______ 39

3.6.1. भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया ______ 39

3.6.2. संयुक्त राज्य अमेरिका के हाउस ऑफ़ रीप्रेज़ेंटेटिव ने विप्रेषण के बहिर्गमन पर 3.5% कर की मंजूरी दी ______ 40

3.6.3. वैकल्पिक निवेश कोष ______ 40

3.6.4. प्रीडेटरी प्राइसिंग ______ 42

3.6.5. भुगतान विनियामक बोर्ड ______ 42

3.6.6. RBI (डिजिटल ऋण) दिशा-निर्देश, 2025 ______ 43

3.6.7. ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ______ 43

3.6.8. भारत ने अब तक का सर्वाधिक निर्यात हासिल किया ______ 44

3.6.9. विश्व बैंक भूमि सम्मेलन ______ 45

3.6.10. रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स ______ 45

3.6.11. वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट (वेव्स/ WAVES), 2025 ______ 46

3.6.12. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी ______ 47

4. सुरक्षा (Security) ______ 49

4.1. भारत का नया सुरक्षा सिद्धांत ______ 49

4.2. रक्षा प्रौद्योगिकी और ऑपरेशन सिंदूर ______ 51

4.3. सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर्स का राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव ______ 56

4.4. राज्य प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत के कूटनीतिक प्रयास ______ 58

4.5. ब्रह्मोस एयरोस्पेस परीक्षण सुविधा का शुभारंभ ______ 60

4.6. गोल्डन डोम ______ 61

4.7. नक्सलवाद ______ 62

4.8. क्रिप्टोकरेंसी और हवाला गठजोड़ ______ 65

4.9. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ______ 66

4.9.1. वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक ______ 66

4.9.2. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड ______ 67

4.9.3. आतंकवाद पीड़ित संघों का नेटवर्क ______ 67

4.9.4. भार्गवास्त्र ______ 69

4.9.5. मल्टी-इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन ______ 69

4.9.6. हॉकआई 360 प्रौद्योगिकी ______ 70

4.9.7. इग्ला-एस ______ 70

4.9.8. ऑपरेशन हॉक ______ 70

4.9.9. सुर्ख़ियों में रहे युद्धाभ्यास ______ 70

5. पर्यावरण (Environment) ______ 72

5.1. बेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन के पक्षकारों का सम्मेलन 2025 ______ 72

5.2. जैव-विविधता (पहुंच और लाभ साझाकरण) विनियमन 2025 ______ 75

5.3. हिमालय पर्वतमाला की पारिस्थितिकी ______ 77

5.4. शहरी बाढ़ _______________ 80
5.5. FAO की "वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियों (GIAHS)" में छह नवीन साइटें शामिल की गई _______________ 83
5.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां _______________ 84
5.6.1. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होने वाली पर्यावरणीय मंज़ूरी को रद्द कर दिया _______________ 84
5.6.2. CAQM ने धान की पराली जलाने की रोकथाम हेतु निर्देश जारी किए _______________ 85
5.6.3. राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र (NCPOR) की स्थापना के 25 वर्ष पूरे हुए _______________ 85
5.6.4. ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 _______________ 86
5.6.5. गुजरात में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ी _______________ 87
5.6.7. लद्दाख में हिम तेंदुओं की आबादी _______________ 88
5.6.8. ऑपरेशन ओलिविया _______________ 88
5.6.9. त्सराप चू कंजर्वेशन रिजर्व _______________ 89
5.6.10. याला ग्लेशियर विलुप्त हुआ _______________ 89
5.6.11. सौर पैनल दक्षता मानदंड _______________ 90
5.6.12. दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई-मेथनॉल संयंत्र डेनमार्क में शुरू हुआ _______________ 91
5.6.13. क्षेत्रीय एकीकृत बहु-आपदा पूर्व-चेतावनी प्रणाली 92
5.6.14. मूसा इंडेंडैमेनेंसिस केला _______________ 92
5.6.15. एटमोस्फियरिक मेमोरी _______________ 92

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) _______________ 94
6.1. मानव विकास रिपोर्ट 2025: बढ़ती असमानता _______________ 94
6.2. सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) रिपोर्ट 2021 _______________ 97
6.3. शहरी गरीबी _______________ 100
6.4. मिजोरम ने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर हासिल की _______________ 102
6.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां _______________ 104
6.5.1. केयर इकोनॉमी एंड डिजिटलाइजेशन _______________ 104
6.5.2. मातृ मृत्यु अनुपात _______________ 105
6.5.3. गरिमा के साथ आयुर्वृद्धि के लिए पहलें _______________ 105
6.5.4. ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज-फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज _______________ 106
6.5.5. आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट (GRID) 2025 _______________ 106

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology) _______________ 107
7.1. सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं _______________ 107
7.2. डीपफेक _______________ 109
7.3. जीन एडिटिंग _______________ 112
7.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां _______________ 114
7.4.1. PSLV रॉकेट में तकनीकी खराबी के कारण इसरो का 101वां मिशन विफल हुआ _______________ 114
7.4.2. विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA) ने औपचारिक रूप से दुनिया का पहला 'महामारी समझौता' अपनाया _______________ 115
7.4.3. विश्व की पहली 'पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट' जारी की गई _______________ 116
7.4.4. ट्रेकोमा _______________ 116
7.4.5. तरल कार्बन _______________ 117

8. संस्कृति (Culture) _______________ 118
8.1. सुश्रुत और चरक _______________ 118
8.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां _______________ 119
8.2.1. करणी माता मंदिर _______________ 119
8.2.2. वीरता पुरस्कार _______________ 120
8.2.3. मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार _______________ 121
8.2.4. पुलित्जर पुरस्कार _______________ 122
8.2.5. मीटर कन्वेंशन _______________ 123

9. नीतिशास्त्र (Ethics) _______________ 124
9.1. गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार _______________ 124
9.2. व्यावसायिक छंटनी की नैतिकता _______________ 127

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) _______________ 130
10.1. अटल पेंशन योजना _______________ 130
10.2. प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना _______________ 131
10.3. प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना _______________ 132
10.4. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) के उन्नयन के लिए राष्ट्रीय योजना _______________ 133
10.5. स्टार्ट-अप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (CGSS) _______________ 134
10.6. शक्ति/ SHAKTI (भारत में पारदर्शी तरीके से कोयला दोहन व आवंटन करने की योजना) नीति {SHAKTI _______________ 135

11. सुर्ख़ियों में रहे स्थल (Places in News) _______________ 137

12. सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व (Personalities in News) _______________ 138

नोट:

प्रिय अभ्यर्थियों,

करेंट अफेयर्स को पढ़ने के पश्चात् दी गयी जानकारी या सूचना को याद करना और लंबे समय तक स्मरण में रखना आर्टिकल्स को समझने जितना ही महत्वपूर्ण है। मासिक समसामयिकी मैगज़ीन से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, हमने निम्नलिखित नई विशेषताओं को इसमें शामिल किया है:

	विभिन्न अवधारणाओं और विषयों की आसानी से पहचान तथा उन्हें स्मरण में बनाए रखने के लिए मैगज़ीन में बॉक्स, तालिकाओं आदि में विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया है।
	पढ़ी गई जानकारी का मूल्यांकन करने और उसे याद रखने के लिए प्रश्नों का अभ्यास बहुत जरूरी है। इसके लिए हम मैगज़ीन में प्रत्येक खंड के अंत में स्मार्ट क्विज़ को शामिल करते हैं।
	विषय को आसानी से समझने और सूचनाओं को याद रखने के लिए विभिन्न प्रकार के इंफोग्राफिक्स को भी जोड़ा गया है। इससे उत्तर लेखन में भी सूचना के प्रभावी प्रस्तुतीकरण में मदद मिलेगी।
	सुर्ख़ियों में रहे स्थानों और व्यक्तियों को मानचित्र, तालिकाओं और चित्रों के माध्यम से वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इससे तथ्यात्मक जानकारी को आसानी से स्मरण रखने में मदद मिलेगी।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

1.1. जातिगत जनगणना (Caste Census)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में यह उल्लेख किया गया है कि **लद्दाख** जैसे हिमाच्छादित क्षेत्रों में जनगणना की शुरुआत **1 अक्टूबर, 2026** से होगी, जबकि **देश के अन्य भागों में** जनगणना की शुरुआत **1 मार्च, 2027** से होगी। गौरतलब है कि इस बार की जनगणना में **जातिगत जनगणना** को भी शामिल किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **स्वतंत्रता के बाद पहली जातिगत-जनगणना:** स्वतंत्रता के बाद यह पहली बार होगा जब जातिगत डेटा **(अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा)** को आधिकारिक तौर पर **दशकीय जनगणना के तहत** एकत्र किया जाएगा।
- **राज्य-स्तरीय जातिगत सर्वेक्षणों में विसंगतियां मिलना:** हाल के वर्षों में **बिहार, कर्नाटक जैसे कई राज्यों ने अपने स्तर पर जातिगत सर्वेक्षण** कराए हैं। हालांकि, इन सर्वेक्षणों पर अक्सर **एकरूपता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता की कमी** जैसे आरोप लगते रहे हैं। जाहिर है इससे इन सर्वेक्षणों की विश्वसनीयता और जनगणना से तुलना पर संदेह पैदा होता है।
  - गौरतलब है कि **जातिगत सर्वेक्षण,** जातिगत जनगणना से अलग होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि **जनगणना के लिए भारत के संविधान में प्रावधान** किए गए हैं, जबकि **सर्वेक्षण के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।**
- **डिजिटल माध्यम से जनगणना:** 16वीं जनगणना में डेटा को **पेन और पेपर पर रिकॉर्ड करने के साथ-साथ डिजिटल प्रारूप में भी रिकॉर्ड** किया जाएगा। इसके लिए एक **मोबाइल एप्लिकेशन** का उपयोग किया जाएगा।

भारत में जनगणना

- **परिचय:** भारत में **जनगणना एक दशक के अंतराल पर आयोजित** किया जाता है। जनगणना से एक विशेष अवधि में देश के सभी व्यक्तियों से संबंधित व्यापक **जनसांख्यिकीय (डेमोग्राफिक), सामाजिक और आर्थिक डेटा** प्राप्त होता है।
  - भारत में जनगणना की शुरुआत **1881** में हुई थी और इसके बाद से **प्रत्येक दस वर्ष पर नियमित रूप से जनगणना** कराई जाती रही है। हालांकि, **2021 में निर्धारित जनगणना को कोविड-19 महामारी के कारण** अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था।
- **संवैधानिक और कानूनी प्रावधान:**
  - **संवैधानिक प्रावधान: संविधान के अनुच्छेद 246** के तहत जनगणना **संघ सूची का विषय** है। यह **सातवीं अनुसूची के तहत संघ सूची की प्रविष्टि 69** में शामिल है।
  - **कानूनी प्रावधान: जनगणना अधिनियम, 1948** और **जनगणना नियमावली, 1990** में **जनगणना के आयोजन के लिए कानूनी प्रावधान** के साथ-साथ **जनगणना अधिकारियों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का भी उल्लेख** किया गया है।
    - भारत के **महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त (RG&CC)**[1] को जनगणना प्रपत्र (Census proforma) डिजाइन करने का अधिकार है। इसमें **जाति-संबंधी प्रश्नों** को भी शामिल करने का अधिकार शामिल है। इसके लिए **जनगणना अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं** पड़ती है।

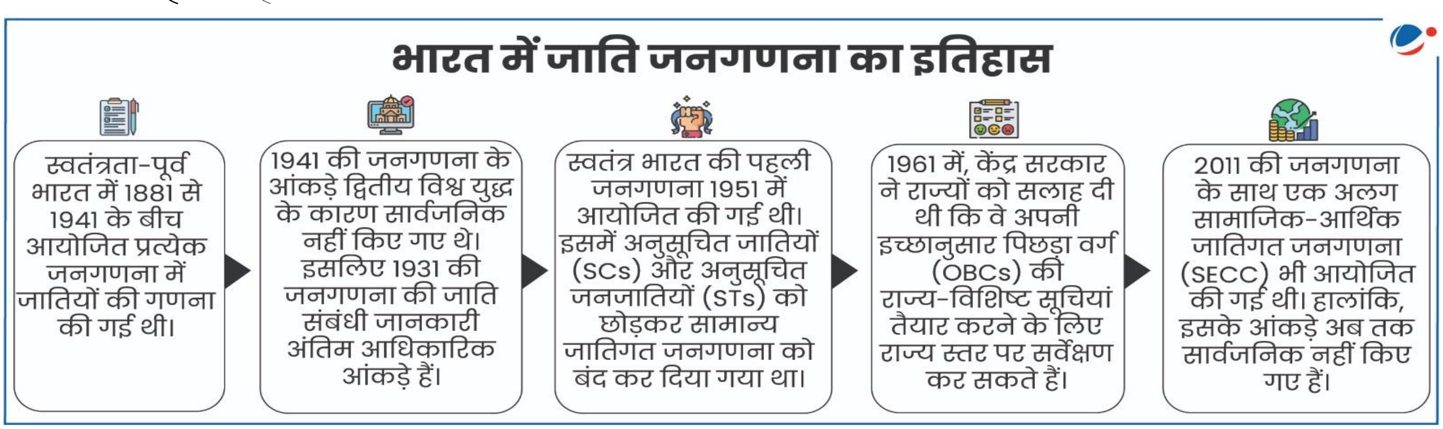

[1] Registrar General and Census Commissioner

 ©Vision IAS

जातिगत जनगणना की आवश्यकता क्यों?

- **संवैधानिक प्रावधान का पालन करने के लिए: अनुच्छेद 340 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच** के लिए **राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग गठित करने का प्रावधान** किया गया है।
- **नीति निर्माण के लिए:** सटीक जातिगत डेटा वास्तव में **साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण, कल्याणकारी योजनाओं का लक्षित समूहों तक लाभ पहुंचाने और संसाधनों का न्यायसंगत तरीके से आवंटन** करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।
    - **अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)[2] समूहों का तर्क** है कि उनकी जनसंख्या और पिछड़ेपन पर **अपडेटेड डेटा नहीं** होने की वजह से राष्ट्रीय संसाधनों पर उनके दावों की अक्सर उपेक्षा की जाती है।
- **सकारात्मक उपाय (Affirmative Action):** ये डेटा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और लोक नियोजन (सरकारी नौकरी) में आरक्षण देने के लिए **वंचित समूहों की बेहतर तरीके से पहचान करने में सहायक** सिद्ध हो सकते हैं। साथ ही, इस डेटा की मदद से सरकार की नीतियां बेहतर तरीके से लागू की जा सकती हैं और आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर इनमें बदलाव भी किए जा सकते हैं।
    - सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग-अलग निर्णयों में पिछड़े वर्ग को परिभाषित करने के लिए **जाति** को एक **'प्रासंगिक मानदंड', 'एकमात्र मानदंड' या 'प्रमुख मानदंड'** माना है, और आरक्षण नीतियों को जारी रखने के लिए जाति-वार विस्तृत डेटा की मांग की है।
    - भारत के अलग-अलग समुदायों, जैसे- महाराष्ट्र के मराठा, हरियाणा के जाट आदि द्वारा OBC आरक्षण की मांगों को गहराई से और तथ्यों के आधार पर समझने की आवश्यकता है।
- **उप-वर्गीकरण:** जातिगत जनगणना से प्राप्त डेटा के आधार पर **OBC और अन्य समूहों के उप-वर्गीकरण में मदद मिल सकती है।** इससे **लाभों के न्यायसंगत वितरण** को सुनिश्चित करने तथा OBC समूह की विभिन्न जातियों के बीच व्याप्त **असमानताओं को दूर करने** में सहायता मिल सकती है।
    - **OBC के उप-वर्गीकरण** पर **2017** में गठित **न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग** ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, लेकिन इसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है।
- **व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना:** पिछले कुछ वर्षों या महीनों में कई राज्यों ने जातिगत सर्वेक्षण से जुड़े आंकड़े जारी किए हैं, जिनमें अनेक विसंगतियां देखने को मिली हैं। ऐसी स्थिति में, **डेटा-आधारित सुशासन** को सुनिश्चित करने के लिए सभी जातियों की **पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ गणना पर आधारित एक केंद्रीकृत/ राष्ट्रीय डेटाबेस** का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक है।

जातिगत जनगणना से जुड़ी चिंताएं

- **सटीक डेटा और रिपोर्टिंग की समस्या:** जनगणना के दौरान प्रत्येक व्यक्ति अपनी जाति की जानकारी स्वयं सरकारी अधिकारियों को देगा। ऐसी स्थिति में, यदि अधिकारियों को इस प्रकार के डेटा संग्रहण का पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिला हो, तो त्रुटियों अथवा जानबूझकर गलत जानकारी दर्ज किए जाने की आशंका बनी रहेगी।
    - **उदाहरण के लिए:** 2011 की सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना (SECC)[3] में **दोहरी प्रविष्टियां/ दोहराव** और **वर्तनी की अशुद्धियों** के कारण जातियों की संख्या बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाई गई, जिससे डेटा का कुछ अंश अनुपयोगी हो गया।
- **वर्गीकरण से जुड़ी समस्या:** केंद्र और राज्यों द्वारा जारी **जाति सूचियों में अंतर** होने के कारण अक्सर विसंगतियां उत्पन्न होती हैं। **उदाहरण के लिए:** हरियाणा में जाटों को OBC में शामिल नहीं किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश में जाट OBC सूची में शामिल हैं।
- **राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामला:** जातिगत जनगणना से कुछ जातियों को विशेष पहचान मिल सकती है, जिससे वे अपनी जाति को आरक्षित श्रेणी (और यदि वे पहले से ही किसी आरक्षण श्रेणी में हैं तो उससे भिन्न अन्य आरक्षित श्रेणी) में शामिल करने की मांग कर सकते हैं। इससे राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है और अशांति फैल सकती है।
    - **उदाहरण के लिए:** राजस्थान में **गुर्जर आंदोलन** के दौरान सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर गुर्जर समुदाय ने खुद को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग की थी।
- **आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यानी पहचान की राजनीति को बढ़ावा:** जातिगत डेटा जाति आधारित राजनीतिक लामबंदी को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे सामाजिक विभाजन और अधिक गहरा हो सकता है।
- **निजता से जुड़ी चिंताएं:** डिजिटल माध्यम से जातिगत जानकारी एकत्र करना वस्तुतः डेटा सुरक्षा और निजता से जुड़ी गंभीर चिंताओं को जन्म देता है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ डिजिटल साक्षरता कम है।

---

[2] Other Backward Classes

[3] Socio-Economic and Caste Census

आगे की राह

- **परामर्श प्रक्रिया:** भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के कार्यालय को शिक्षा जगत के विशेषज्ञों, जातीय समूहों, राजनीतिक संगठनों और आम जनता से परामर्श करना चाहिए ताकि जातिगत गणना कराने के सही तरीकों को तैयार किया जा सके।
- **जाति निर्देशिका:** आगामी जनगणना में एक **विस्तृत राष्ट्रीय जाति निर्देशिका**[4] बनाई जानी चाहिए, जो अलग-अलग राज्यों में जातीय समूहों के वर्गीकरण और उनके नाम के लिए मानक निर्धारित करे।
  - सरकार को प्रत्येक राज्य के लिए **विशिष्ट जातियों की एक ड्राफ्ट सूची** तैयार करने हेतु समाजशास्त्रीय/ मानवशास्त्रीय विशेषज्ञों का एक पैनल तैयार करना चाहिए। इस ड्राफ्ट सूची को ऑनलाइन प्रकाशित करके जनता से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित करनी चाहिए। इस सूची को अंतिम रूप देने के बाद केवल गणना में शामिल लोगों को ही वह सूची दी जानी चाहिए।

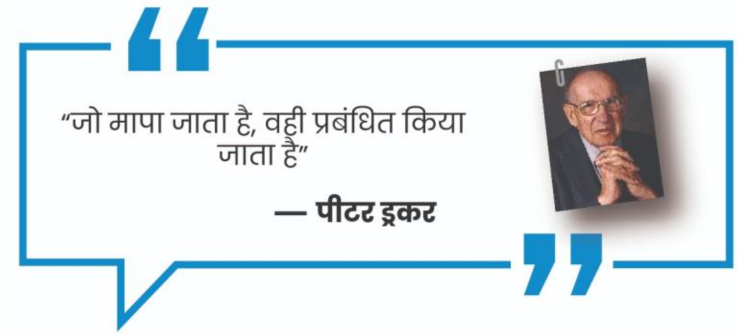

- **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:** जातिगत डेटा एकत्र करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि **जातिगत गणना में दोहराव और वर्तनी संबंधी त्रुटियों से बचा जा सके।**
  - त्रुटियों को कम करने के लिए **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और बिग डेटा एनालिटिक्स** जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है।

1.2. गैर-सरकारी विधेयक (Private Member Bill)

सुर्ख़ियों में क्यों?

PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, हाल के वर्षों में संसद के दोनों सदनों में गैर-सरकारी विधेयकों को मिलने वाले समय में कमी आई है।

गैर-सरकारी विधेयक क्या होता है?

- **परिचय: संसद के जो सदस्य (निर्वाचित या मनोनीत) मंत्री नहीं** होते, उन्हें **गैर-सरकारी या प्राइवेट मेंबर** कहा जाता है। इन सदस्यों द्वारा **प्रस्तुत विधेयक को गैर-सरकारी विधेयक (PMB)**[5] कहा जाता है।
  - ऐसे विधेयक का **मसौदा तैयार करना उस सदस्य की जिम्मेदारी** होती है जो इसे संसद में प्रस्तुत करता है।
- **प्रक्रिया:** गैर-सरकारी विधेयक प्रस्तुत करने से **एक महीने पहले उसकी सूचना देनी होती** है। गैर-सरकारी विधेयक **लोक सभा अध्यक्ष या राज्य सभा के सभापति की अनुमति से प्रस्तुत** किया जाता है। यदि विधेयक प्रस्तुत करने की मंजूरी मिल जाती है, तो:
  - लोक सभा में **प्रत्येक शुक्रवार को कार्यवाही के अंतिम ढाई घंटे** गैर-सरकारी विधेयक पर विचार और चर्चा के लिए निर्धारित होते हैं।
  - राज्य सभा में ऐसे विधेयक पर विचार और चर्चा के लिए **प्रत्येक वैकल्पिक शुक्रवार (एक शुक्रवार के अंतराल पर) को दोपहर 2.30 बजे से 5.00 बजे तक ढाई घंटे का समय निर्धारित** है।
  - भारत में पारित किया गया **पहला गैर-सरकारी विधेयक "मुस्लिम वक्फ विधेयक, 1952"** था। इस विधेयक को **सैयद मोहम्मद अहमद कासमी** ने संसद में प्रस्तुत किया था।

गैर-सरकारी विधेयकों का क्या महत्व है?

- **नीतिगत नवाचार:** ये विधेयक सांसदों को ऐसी नई नीतिगत पहल रखने या उन विषयों को उठाने का अवसर प्रदान करते हैं, जिन्हें सरकार ने अब तक नजरअंदाज किया हो या प्राथमिकता न दी हो।
  - **उदाहरण के लिए: "राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक, 2019"** एक गैर-सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक में कर्मचारियों को उनके नियत कार्य घंटे के बाद ऑफिस कार्य के लिए संपर्क नहीं किए जाने का कानूनी अधिकार देने का प्रावधान शामिल था।
- **सुधार की संभावना:** गैर-सरकारी विधेयक पुराने कानूनों में सुधार या नए मुद्दों पर नई बहस को प्रेरित कर सकते हैं।

---

[4] National directory of castes

[5] Private Member's Bill

- ○ **उदाहरण के लिए: "ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का अधिकार विधेयक, 2014"** एक गैर-सरकारी सदस्य द्वारा पहली बार प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद सरकार ने **'ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019'** पेश किया।
- **पार्टी लाइन से स्वतंत्र अभिव्यक्ति:** ये विधेयक सांसदों को **10वीं अनुसूची** के प्रावधानों से परे जाकर तथा **पार्टी अनुशासन से स्वतंत्र होकर** अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे लोकतांत्रिक भागीदारी और विमर्श को बढ़ावा मिलता है।
- **निगरानी और संतुलन:** ये विधेयक सरकार की नीतियों का विकल्प प्रस्तुत कर सांसदों को सरकार की जवाबदेही तय करने का एक प्रभावी माध्यम प्रदान करते हैं।

गैर-सरकारी विधेयकों की संख्या कम क्यों होती जा रही है?

- **व्यवधान:** संसद की **बैठक बार-बार स्थगित होने** और **सामान्यतः सत्रों में हंगामा होने की वजह** से इन विधेयकों पर चर्चा का समय नहीं मिल पाता है।
  - ○ **उदाहरण के लिए:** 17वीं लोक सभा के कार्यकाल (2019-24) के दौरान **लोक सभा में 729 और राज्य सभा में 705 गैर-सरकारी विधेयक प्रस्तुत** किए गए, लेकिन इनमें से केवल 2 विधेयक लोक सभा में और 14 विधेयक राज्य सभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत किए गए।
- **प्रक्रिया संबंधी समस्याएं:** गैर-सरकारी विधेयकों के लिए आवंटित समय कम होने **(सप्ताह में केवल 2–3 घंटे)** के कारण इन पर चर्चा शुरू होने में वर्षों लग जाते हैं।
  - ○ **लोक सभा के अध्यक्ष/ राज्य सभा के सभापति** द्वारा विधेयकों को प्रस्तुत करने की अनुमति देने या अस्वीकार करने का **विवेकाधिकार राजनीतिक विचारों से प्रभावित** हो सकता है।
- **संसाधनों की कमी:** गैर-सरकारी सदस्यों के पास अनुसंधान सहायता, विधेयक का प्रारूप तैयार करने की विशेषज्ञता या संस्थाओं से समर्थन का अभाव होता है। जबकि इस तरह की सुविधाएं सरकारी विधेयकों को प्राप्त होती हैं।
- **'पारित होने की कम संभावना' से जुड़ी धारणा:** अब तक बहुत कम गैर-सरकारी विधेयक ही पारित होकर कानून का रूप ले सके हैं। इसलिए संसद सदस्य ऐसे विधेयकों के प्रस्तुत करने पर मेहनत करने से बचते हैं।
  - ○ **उदाहरण के लिए:** अब तक **केवल 14 गैर-सरकारी विधेयक ही कानून** बन सके हैं और अंतिम बार ऐसा विधेयक **1970 में पारित** हुआ था।
- **राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी:** कई गैर-सरकारी सांसदों ने बताया है कि सरकारें अपने विधायी एजेंडे को प्राथमिकता देती हैं और गैर-सरकारी विधेयकों की उपेक्षा करती हैं।

आगे की राह

- **प्रक्रियाओं को सरल बनाना:** गैर-सरकारी विधेयकों पर चर्चा के लिए निश्चित और व्यवधान रहित समय निर्धारित किया जाए। ऐसे विधेयकों पर **संसदीय कार्यवाही को डिजिटल रूप से ट्रैक** किया जाना चाहिए, आदि।
  - ○ **प्रक्रिया नियमों में संशोधन करके** यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि गैर-सरकारी विधेयक के लिए निर्धारित समय के दौरान किसी अन्य विषय पर चर्चा न की जाए।
- **अनुसंधान सहायता:** सांसदों को प्रभावी तरीके से गैर-सरकारी विधेयक तैयार करने में सहायता देने के लिए एक अलग अनुसंधान संस्था (जैसे कि यूनाइटेड किंगडम की पब्लिक बिल कमेटी) स्थापित की जा सकती है।
- **संस्थागत सहायता:** संसद एक ऐसी समीक्षा समिति का गठन कर सकती है जो गैर-सरकारी विधेयकों की गुणवत्ता, प्रासंगिकता और संवैधानिकता का परीक्षण करके उन पर चर्चा को प्राथमिकता दे।
  - ○ **यूनाइटेड किंगडम के "10 मिनट रूल मॉडल"** को भी अपनाया जा सकता है, जिसमें सांसद एक संक्षिप्त भाषण के साथ लघु विधेयक प्रस्तुत करते हैं जो नए विधेयक के लिए मार्ग प्रशस्त करता है।

1.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

1.3.1. समावेशी डिजिटल पहुंच संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है: सुप्रीम कोर्ट (Inclusive Digital Access Part of Article 21: Supreme Court)

हाल ही में, **अमर जैन बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले** में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ई-गवर्नेंस और कल्याणकारी वितरण प्रणालियों तक समावेशी एवं सार्थक डिजिटल पहुंच, **जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21) का एक हिस्सा है।**

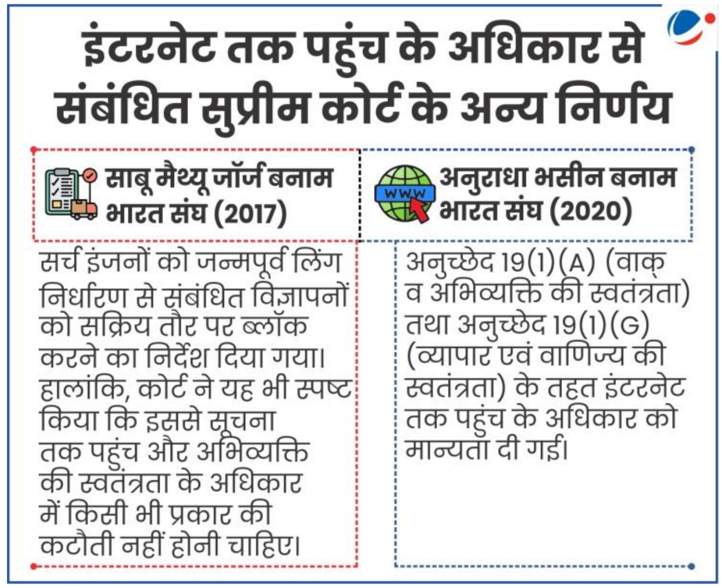

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से जुड़े हुए मुख्य बिंदु

- **डिजिटल नो-योर-कस्टमर (KYC) मानदंडों को संशोधित करने का निर्देश दिया गया:** यह सुनिश्चित करना होगा कि एसिड अटैक के कारण चेहरे की विकृति वाले व्यक्ति और दृष्टिहीन बैंकिंग एवं ई-गवर्नेंस सेवाओं के लाभ से वंचित न हों।
  - **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016** के अंतर्गत न्यायालय ने eKYC प्रक्रिया को दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाने हेतु **20 निर्देशों का एक सेट** जारी किया है।
- **'मौलिक समानता के सिद्धांत' को लागू करना:** डिजिटल परिवर्तन समावेशी और न्यायसंगत दोनों होना चाहिए।
- **अनुच्छेद 21 का हिस्सा:** डिजिटल पहुंच का अधिकार **जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा** है।
- **राज्य का दायित्व:** संविधान के **अनुच्छेद 21, 14, 15 और 38** के तहत, राज्य सभी कमजोर एवं हाशिए पर रहने वाली आबादी के लिए डिजिटल अवसंरचना सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है।
  - **अनुच्छेद 21:** सम्मानजनक जीवन का अधिकार; **अनुच्छेद 14:** समानता का अधिकार; **अनुच्छेद 15:** भेदभाव के खिलाफ अधिकार; तथा **अनुच्छेद 38:** राज्य को सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का निर्देश।

समावेशी डिजिटल पहुंच का महत्त्व: आवश्यक सरकारी योजनाओं तक पहुंच; ग्रामीण-शहरी विभाजन में कमी; ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म्स और वित्तीय प्रौद्योगिकियों तक पहुंच; विकास प्रक्रिया में हाशिए पर रहे लोगों का शामिल होना आदि।

भारत में डिजिटल समावेशन के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए। **वीकली फोकस #113**– भारत में डिजिटल समावेशनः एक कनेक्टेड और सशक्त राष्ट्र का निर्माण	

1.3.2. माध्यस्थम् के निर्णयों में संशोधन करने की न्यायालय की शक्तियां (Power of Courts to Modify Arbitral Awards)

सुप्रीम कोर्ट ने **गायत्री बालाराम बनाम आईएसजी नोवासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड** मामले में निर्णय दिया कि न्यायालय के पास आर्बिट्रेशन या माध्यस्थम् के निर्णयों में संशोधन करने की सीमित शक्तियां हैं।

शीर्ष न्यायालय के अनुसार माध्यस्थम् द्वारा दिए गए निर्णयों को **माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम[6], 1996** की **धारा 34 या 37** के तहत संशोधित किया जा सकता है। हालांकि, ये संशोधन **निम्नलिखित परिस्थितियों में ही किए जा सकते हैं:**

- जब निर्णयों के **वैध हिस्सों में से अवैध हिस्सों को हटा करके लागू किया जाता** है।
  - सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ***ओम्ने माजूस कॉन्टिनेत इन से माइनस*** सिद्धांत का उल्लेख किया। इसका अर्थ है **'बड़ी शक्ति में कम शक्ति निहित होती है'।** न्यायिक शब्दावली में इसका आशय है कि किसी **आर्बिट्रेशन या माध्यस्थम् के निर्णय को रद्द करने की शक्ति में आंशिक रूप से रद्द करने की शक्ति भी निहित** है।
- कोई **लिपिकीय, गणना संबंधी या टंकण संबंधी त्रुटि को सही** करने के लिए।
- कुछ मामलों में **निर्णय के पश्चात देय ब्याज में संशोधन** करने के लिए।
- सुप्रीम कोर्ट संविधान के **अनुच्छेद 142** के तहत शक्तियों का प्रयोग करके भी निर्णयों को संशोधित कर सकता है। हालांकि, ये संशोधन **माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996** के मूल सिद्धांतों के अनुरूप होने चाहिए।
  - **संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय** करने के लिए कोई भी आदेश पारित करने की शक्ति दी गई है।

भारत में माध्यस्थम् व्यवस्था (Arbitration in India):

- **आशय:** यह विवादों के समाधान का एक वैकल्पिक उपाय है। इसमें शामिल अन्य दो उपाय **सुलह (Conciliation)** और **मध्यस्थता (Mediation)** हैं।
  - इस व्यवस्था में अदालतों के बाहर विवाद के पक्षकार सहमति के आधार पर विवाद सुलझाने की निजी प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं।
- **महत्त्व:**
  - इसमें निर्णय कम प्रतिकूल होते हैं,
  - यह विवाद समाधान की लचीली और त्वरित प्रक्रिया है।
- **कानूनी फ्रेमवर्क:** भारत में **माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996** के तहत इस तरह से विवाद सुलझाए जाते हैं। इस अधिनियम को **संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग (UNCITRAL) के मॉडल लॉ ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, 1985** के अनुसार बनाया गया है।
  - **अधिनियम की धारा 34(1)** के अनुसार, माध्यस्थम् के निर्णय को रद्द करने के लिए केवल अदालत का ही सहारा लिया जा सकता है।
  - **अधिनियम की धारा 37** में यह कहा गया है कि किन आदेशों के खिलाफ अदालत में अपील की जा सकती है।

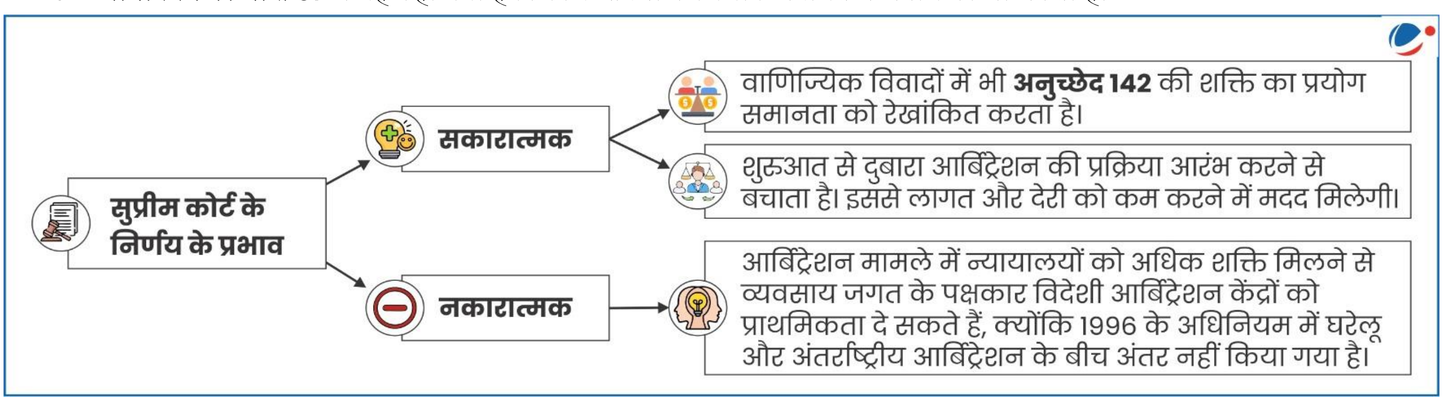

6 Arbitration and Conciliation Act

1.3.3. रोहिंग्या तथा शरणार्थियों व निर्वासन से संबंधित प्रावधान (Rohingyas and Provisions Related To Refugees and Deportation)

सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या शरणार्थियों के निर्वासन और जीवन-यापन स्थितियों से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि वे **संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR)-कार्ड** के आधार पर राहत का दावा नहीं कर सकते।

- UNHCR **शरणार्थियों, जबरन विस्थापित समुदायों और राज्य-विहीन लोगों की रक्षा करने वाला एक वैश्विक संगठन** है।
  - गौरतलब है कि भारत ने **"शरणार्थी कन्वेंशन 1951"** और इसके **'प्रोटोकॉल 1967'** पर हस्ताक्षर **नहीं** किए हैं।

शरणार्थियों और निर्वासन से संबंधित भारत के वैधानिक प्रावधान

- भारत में **'शरणार्थियों' से संबंधित मुद्दे से निपटने के लिए कोई अलग कानून नहीं** है। इसलिए **शरणार्थी के 'दर्जे'** से जुड़े पहलुओं को अलग-अलग मामलों के आधार पर निपटा जाता है। इसमें **द्विपक्षीय नीति को ध्यान** में रखा जाता है।
  - भारत में शरणार्थी **'विदेशी' (Alien) और 'विदेशी नागरिक' (Foreigners)** की परिभाषा में आते हैं।
- **विदेशी विषयक अधिनियम, 1946:** इस अधिनियम की **धारा 3 केंद्र सरकार को देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को हिरासत में लेने और निर्वासित करने की शक्ति** प्रदान करती है।
- **पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920:** केंद्र सरकार किसी भी ऐसे **विदेशी नागरिक को भारत से बाहर निकाल सकती है, जो बिना पासपोर्ट और वीजा के भारत में प्रवेश** करता है।
  - संविधान के **अनुच्छेद 258(1) और 239(1)** के अनुसार, **राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को भी उपर्युक्त अधिकार** सौंपे गए हैं।

1.3.4. पैदल यात्रियों के अधिकार (Rights of Pedestrians)

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में **पैदल यात्रियों के संवैधानिक अधिकारों को मान्यता** दी।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश:

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि **"बिना किसी अवरोध और दिव्यांगजन-अनुकूल फुटपाथ के अधिकार" को अनुच्छेद 21 के तहत** गारंटी प्रदान की गई है।
  - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 **'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण'** प्रदान करता है। इसका आशय है कि **किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन या स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं।**
- **सुप्रीम कोर्ट के निर्देश:**
  - सभी **सार्वजनिक सड़कों पर फुटपाथ** होने चाहिए, और वे **दिव्यांगजनों के लिए सुलभ एवं उपयोग योग्य** होने चाहिए।
  - **फुटपाथ से अतिक्रमण हटाना अनिवार्य** किया गया।
  - सभी राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश **ऐसी नीतियां तैयार करें, जो फुटपाथों की उपलब्धता और रखरखाव सुनिश्चित** करें।

1.3.5. सिक्किम को राज्य का दर्जा मिलने की 50वीं वर्षगांठ (50th Anniversary of Sikkim's Statehood)

हाल ही में, **सिक्किम ने राज्य का दर्जा मिलने की 50वीं वर्षगांठ** मनाई।

सिक्किम राज्य की स्थापना के बारे में:

- सिक्किम को **36वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1975** के तहत **भारत संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा** दिया गया था।

- इससे पहले, **35वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1974** द्वारा सिक्किम को संविधान के **अनुच्छेद 2A** के अंतर्गत भारत के **"संबद्ध राज्य" (Associate State) का दर्जा** दिया गया था।
    - बाद में 36वें संविधान संशोधन द्वारा **अनुच्छेद 2A को निरस्त** कर दिया गया था।
- सिक्किम **भारत का 22वां राज्य** बना।
- **अनुच्छेद 371F को संविधान में शामिल** किया गया। इस अनुच्छेद में **सिक्किम के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान** किए गए हैं।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **राजव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

 ©Vision IAS

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. भारत-यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौता {India-UK Free Trade Agreement (FTA)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत और यूनाइटेड किंगडम (UK) ने तीन वर्षों की औपचारिक वार्ता के बाद **मुक्त व्यापार समझौते (FTA)** पर हस्ताक्षर की घोषणा की।

अन्य संबंधित तथ्य

- कानूनी दस्तावेज को अंतिम रूप दिए जाने के बाद भारत-यू.के. FTA को लागू किया जाएगा।
  - इसमें **डिजिटल व्यापार, पर्यावरण** जैसे 27 **अध्याय** शामिल होंगे।
- दोनों देशों ने पारस्परिक **डबल कंट्रिब्यूशंस कन्वेंशन (DCC)** पर वार्ता करने के लिए भी सहमति व्यक्त की है।
  - DCC एक प्रकार का **सामाजिक सुरक्षा समझौता** है।
    - DCC यह सुनिश्चित करेगा कि दोनों देशों में आवागमन करने वाले कर्मचारी और उनके नियोक्ताओं को, एक समय में केवल एक देश में ही सामाजिक सुरक्षा अंशदान में योगदान या भुगतान करना पड़े। इससे **दोहरी देनदारी से बचाव** होगा और व्यापारिक गतिविधियां सरल एवं सुविधाजनक बनेंगी।
      - जो कर्मचारी एक देश से दूसरे देश में अपनी कंपनी के लिए **अस्थायी रूप से (अर्थात् तीन साल तक)** काम करने जाते हैं, वे भी इस समझौते (DCC) के तहत शामिल होंगे। ऐसे कर्मचारी और उनके नियोक्ता केवल अपने मूल देश में ही सामाजिक सुरक्षा टैक्स देंगे, उन्हें दूसरे देश में अलग से सामाजिक सुरक्षा टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
    - यह व्यवस्था किसी कर्मचारी के उस देश से लाभ पाने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी, जहां वह सामाजिक सुरक्षा टैक्स का भुगतान करता है। साथ ही, **यू.के. इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज (IHS)** का भुगतान करना अभी भी अनिवार्य रहेगा।

भारत-यू.के. FTA की मुख्य विशेषताएं

- **शून्य-शुल्क बाजार पहुंच:** लगभग **99% भारतीय निर्यात पर यू.के. के बाजार में कोई शुल्क (ड्यूटी) नहीं** लगेगा, जो व्यापार मूल्य का लगभग 100% कवर करेगा।
  - दूसरी ओर, भारत **देश में बेचे जाने वाले 90% ब्रिटिश उत्पादों पर शुल्क में कटौती** करेगा।
  - एक दशक के भीतर, **भारत में बेचे जाने वाले 85% ब्रिटिश उत्पाद टैरिफ-मुक्त** हो जाएंगे।
- **भारतीय पेशेवरों के लिए आवागमन को आसान बनाता है:** इसमें कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले सेवा प्रदाता; व्यवसाय के काम से आने जाने वाले लोग; निवेशक; राइट टू वर्क के तहत कंपनियों के भीतर स्थानांतरित कर्मचारी, उनके जीवनसाथी और आश्रित बच्चे; स्वतंत्र पेशेवर जैसे कि योग प्रशिक्षक आदि शामिल हैं।
- **सेवाओं के क्षेत्र में यू.के. की महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धता:** इस समझौते के तहत यू.के. ने भारतीय सेवा प्रदाताओं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और IT-सक्षम सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, पेशेवर सेवाएं, अन्य व्यावसायिक सेवाएं और शैक्षिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में व्यापक और ऐतिहासिक बाज़ार पहुँच प्रदान की है।
- **यू.के. की कंपनियों को खरीद प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति:** अब UK की कंपनियां भारत में केंद्र सरकार और सरकारी कंपनियों को जरूरी वस्तुओं, सेवाएं एवं निर्माण कार्यों के लिए आपूर्ति से जुड़ी खरीद के लिए बोली लगा सकेंगी।

मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के बारे में

- FTAs ऐसे समझौते होते हैं, जो **दो या दो से अधिक देशों या व्यापारिक समूहों** के बीच किए जाते हैं। इनमें यह तय किया जाता है कि वे आपसी व्यापार पर लगने वाले **सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) एवं अन्य गैर-प्रशुल्क व्यापारिक बाधाओं को कम या खत्म करेंगे**, ताकि बड़े पैमाने पर आसानी से व्यापार किया जा सके।
- यह समझौता **वस्तुओं** (जैसे- कृषि एवं उद्योग से जुड़े उत्पाद) और **सेवाओं** (जैसे- बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेडिंग आदि) के व्यापार को आसान बनाता है। इसके अलावा, **बौद्धिक संपदा (IPR) जैसे मुद्दों** को भी इसमें शामिल किया जाता है।
    - **अर्ली हार्वेस्ट स्कीम** FTAs और अन्य व्यापार समझौतों की पूर्ववर्ती योजना होती है। अर्ली हार्वेस्ट स्कीम वस्तुतः व्यापार करने वाले दो भागीदार देशों के मध्य **FTA से पूर्व किए जाने वाला एक अनुबंध** है।
- FTAs **विश्व व्यापार संगठन (WTO) के मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) सिद्धांत के अपवाद** के रूप में कार्य करते हैं।
- **स्थिति: SBI की एक रिपोर्ट के अनुसार,** भारत ने अपने निर्यातोन्मुखी **घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा** देने के लिए **मॉरीशस, UAE, ऑस्ट्रेलिया** जैसे अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ पिछले **पांच वर्षों में 13 FTAs पर हस्ताक्षर** किए हैं।

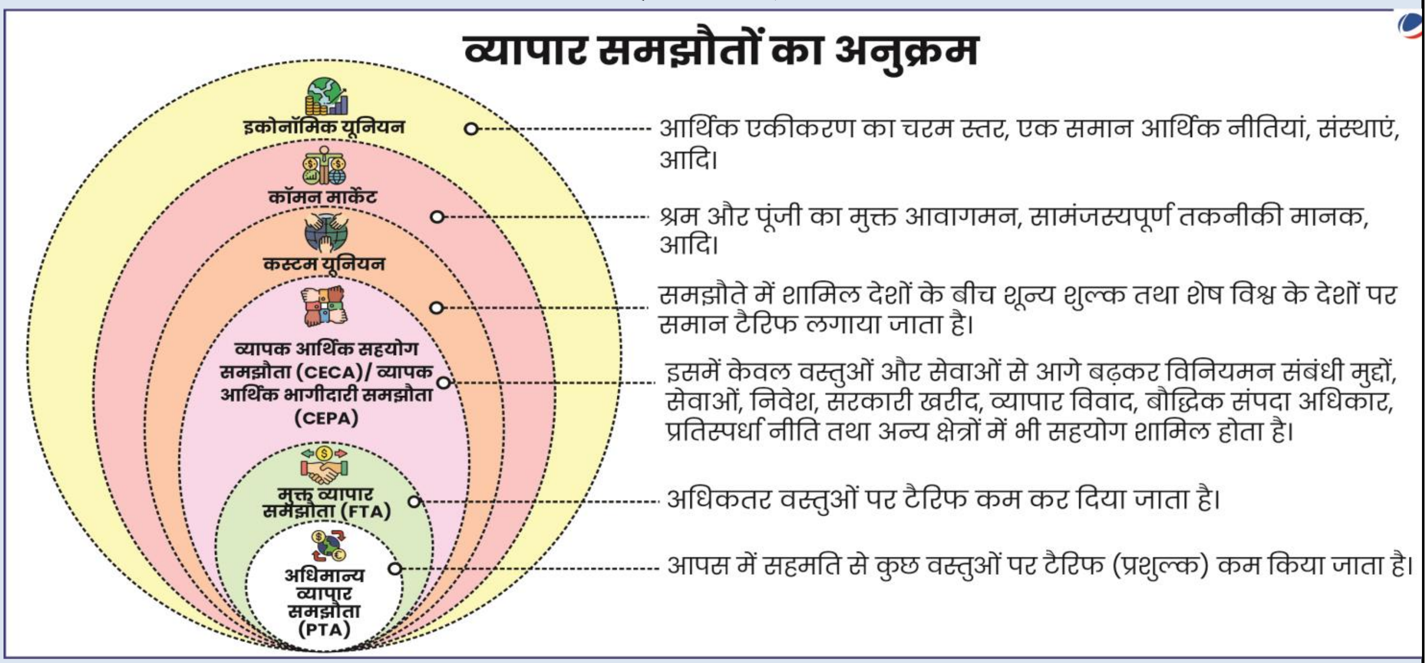

FTAs को लेकर भारत का अनुभव

- **व्यापार असंतुलन में वृद्धि:** 2017 और 2022 के बीच, भारत के FTA भागीदारों के साथ निर्यात में 31% की वृद्धि हुई, जबकि आयात में 82% की वृद्धि हुई।
- **पूरी क्षमता का उपयोग न कर पाना:** भारत द्वारा FTA का उपयोग अपेक्षाकृत कम है और यह लगभग 25% के आसपास,है, जबकि विकसित देशों में यह दर 70-80% तक होती है।
- **गैर-प्रशुल्क बाधाएं:** ग्लोबल ट्रेड अलर्ट डेटाबेस से पता चलता है कि 2020 और 2024 के बीच, वैश्विक स्तर पर व्यापार एवं निवेश से संबंधित 26,000 से अधिक नए प्रतिबंध लगाए गए हैं।
- **असमान प्रतिस्पर्धा:** उदाहरण के लिए- दक्षिण कोरिया और आसियान के विनिर्माण क्षेत्रक ने इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों में भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है।
- **अन्य:** प्रमाणन आवश्यकता और मूल देश में उत्पादन के नियम (रूल्स ऑफ ओरिजिन) संबंधी जटिलता आदि विद्यमान हैं।

नोट: व्यापार समझौते का मूल्यांकन केवल व्यापार संतुलन के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा और भी फायदे हो सकते हैं, जैसे- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, मूल्य संवर्धित आपूर्ति श्रृंखला, बेहतर आपसी संबंध, व्यापार से संबंधित निवेश प्रवाह, विविध प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं तक बेहतर पहुंच,** आदि।

भारत-यू.के. FTA भविष्य के अन्य FTAs को आकार देने में कैसे मदद कर सकता है?

- **त्वरित वार्ता:** भारत-यूरोपीय संघ (EU) के बीच मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता **2007** से चल रही है।

- **संवेदनशील क्षेत्रकों की सुरक्षा:** डेयरी उत्पाद जैसी संवेदनशील कृषि जिंसों को FTA की सूची से बाहर रखा गया है।
  - साथ ही, संवेदनशील औद्योगिक सामान जैसे प्लास्टिक आदि को भी FTA की सूची से बाहर रखा गया है। इन्हें एक्सक्लूजन लिस्ट यानी अपवर्जन सूची में शामिल किया गया है, जिससे भारत के हितों की रक्षा होगी।
- **शुल्कों को धीरे-धीरे समाप्त करना:** भारत-यू.के. FTA में, भारत ने लंबी अवधि में धीरे-धीरे शुल्कों में कटौती या उन्हें समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की है। इससे घरेलू उद्योगों को बढ़ती प्रतिस्पर्धा के साथ तालमेल बिठाने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा।
- **पारस्परिक लाभ पर जोर:** उदाहरण के लिए- यूनाइटेड किंगडम के कार विनिर्माताओं को एक कोटा मिलेगा जिससे उनके वाहनों पर आयात शुल्क 100% से घटकर 10% हो जाएगा। साधारण भाषा में, भारत-यू.के. FTA के तहत ब्रिटेन में बनी लग्जरी और प्रीमियम कारों (जैसे- जगुआर, लैंड रोवर, रोल्स रॉयस, एस्टन मार्टिन आदि) के लिए भारत सरकार सीमित संख्या (कोटा) में आयात की अनुमति देगी, जिन पर अब केवल 10% आयात शुल्क लगेगा।

निष्कर्ष

भारत-यू.के. FTA न केवल दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करता है, बल्कि विकसित देशों के साथ भारत के भावी व्यापार समझौतों के लिए एक रणनीतिक मॉडल के रूप में भी कार्य करता है। संवेदनशील क्षेत्रकों पर ध्यान देकर, आधुनिक व्यापार मुद्दों को अपनाकर तथा चरणबद्ध उदारीकरण दृष्टिकोण सुनिश्चित करके, यह घरेलू सुरक्षा उपायों के साथ संवृद्धि को संतुलित करता है।

2.2. चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (China Pakistan Economic Corridor: CPEC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों ने **चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC)** को अफगानिस्तान तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है।

चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) क्या है?

- CPEC, **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)** की एक प्रमुख परियोजना है। BRI को **2015 में शुरू** किया गया था।
- यह **सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट** और **मैरीटाइम सिल्क रोड** के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करेगा।
- CPEC के अंतर्गत अधिकांश परियोजनाएं **ऊर्जा और अवसंरचना** से संबंधित हैं।
- इसके तहत लगभग **3,000 किलोमीटर लंबी सड़कों, रेलवे लाइंस और पाइपलाइन्स** का निर्माण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य **पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से चीन के उत्तर-पश्चिमी शिंजियांग उइगर स्वायत्त प्रांत (XUAR)[7] के काशगर शहर तक तेल और गैस का परिवहन** करना है।

अफगानिस्तान के CPEC में शामिल होने को लेकर भारत की चिंताएं

- **भू-सामरिक चिंता:** CPEC का अफगानिस्तान तक विस्तार **चीन-पाकिस्तान-अफगानिस्तान गठजोड़** को मजबूत करता है, जिससे भारत की सुरक्षा, आर्थिक हितों और क्षेत्रीय प्रभाव पर सीधा असर पड़ सकता है। साथ ही, यह मध्य एशिया तक पहुंच के लिए **भारत की चाबहार बंदरगाह और INSTC (अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा)** जैसी पहलों की रणनीतिक उपयोगिता को भी **कम** कर सकता है।
- **रणनीतिक घेराव:** चीन पहले से ही भारत के चारों ओर **'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स'** के तहत सामरिक बंदरगाहों जैसे कि **हंबनटोटा (श्रीलंका), ग्वादर (पाकिस्तान) और चटगाँव (बांग्लादेश)** में अपनी पकड़ बना चुका है। अब CPEC के अफगानिस्तान तक विस्तार से, चीन भारत के पश्चिमी मोर्चे पर और अधिक रणनीतिक बढ़त हासिल कर लेगा।

---

[7] Xinjiang Uyghur Autonomous Region

- **पाकिस्तान-अफगानिस्तान-चीन धुरी का मजबूत होना:** इससे पाकिस्तान का **अफगानिस्तान पर प्रभाव और मजबूत हो सकता है**, विशेष रूप से ऐसे समय में जब भारत की तालिबान शासन के साथ भागीदारी सीमित है।
  - यह अफगानिस्तान में भारत के विकासात्मक और मानवतावादी प्रभाव को कम कर सकता है। गौरतलब है कि भारत ने दो दशकों से सॉफ्ट पावर, अवसंरचना **(जरांज-डेलाराम राजमार्ग)** विकास और मानवीय सहायता के माध्यम से यह प्रभाव स्थापित किया है।
- **सुरक्षा संबंधी चिंता:** तालिबान शासन, यदि **चीन की फंडिंग और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों** के सहयोग से काम करता है, तो वह **भारत-विरोधी आतंकवाद** (जैसे कि जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा) का केंद्र बन सकता है।
- **आर्थिक चिंता:** अफगानिस्तान में **लिथियम और दुर्लभ खनिजों** का भंडार है, जो हाई-टेक एवं हरित ऊर्जा उद्योगों के लिए अहम हैं। CPEC के माध्यम से चीन को **इन संसाधनों तक आसान पहुंच** मिलेगी, जिससे भारत इन खनिजों की प्राप्ति से **रणनीतिक रूप से पिछड़** सकता है।

CPEC के प्रत्युत्तर में भारत द्वारा उठाए गए कदम

- **चाबहार बंदरगाह का विकास: ईरान के शहीद बेहिश्ती टर्मिनल, चाबहार** का विकास भारत को एक **रणनीतिक मार्ग** प्रदान करता है। इसके जरिए वह **पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह और CPEC कॉरिडोर को बायपास** कर अफगानिस्तान एवं मध्य एशिया तक पहुंच सकता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC)[8]:** यह **भारत, रूस और ईरान** द्वारा वर्ष 2000 में स्थापित एक **मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क** है। यह **हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान होते हुए कैस्पियन सागर एवं रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के जरिये उत्तरी यूरोप** से जोड़ता है।
- **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC)[9]:** यह पहल वर्ष **2023 में शुरू** की गई थी। इसका उद्देश्य भारत, यूरोप और मध्य-पूर्व को **UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजरायल तथा यूरोपीय संघ** के माध्यम से जोड़ना है।
- **क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग (QUAD):** यह एक **सुरक्षा मंच** है जिसमें **भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया** शामिल हैं। इसका उद्देश्य **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को प्रतिसंतुलित करते हुए नेविगेशन की स्वतंत्रता को बढ़ावा** देना है।

बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के बारे में

- BRI की शुरुआत चीन ने **वर्ष 2013** में की थी, जिसका उद्देश्य अंतरमहाद्वीपीय स्तर पर कनेक्टिविटी और सहयोग को बढ़ाना है।
- BRI को **वन बेल्ट वन रोड (OBOR)** के नाम से भी जाना जाता है। इसके दो घटक हैं-
  - **सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट ("बेल्ट"):** यह भूमि-आधारित बेल्ट चीन को मध्य एशिया एवं दक्षिण एशिया से और आगे यूरोप से जोड़ती है।
  - **न्यू मैरीटाइम सिल्क रोड ("रोड"):** यह मैरीटाइम रोड चीन को दक्षिण-पूर्व एशिया, खाड़ी देशों, पूर्वी और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ते हुए यूरोप तक जाता है।

निष्कर्ष

भारत चाबहार कनेक्टिविटी योजना को आगे बढ़ाना जारी रख सकता है और अफगान जनता के साथ जुड़ने के लिए कूटनीतिक अवसरों की तलाश कर सकता है। इसके साथ ही, यदि भारत पारदर्शी, समावेशी और संधारणीय क्षेत्रीय अवसंरचना का समर्थन करता है, तो वह दक्षिण एवं मध्य एशिया के एकीकृत भविष्य के निर्माण में एक रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। ऐसा करके भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि विकास से सभी को लाभ मिले, और साथ ही अपने प्रमुख राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता न हो।

[8] International North-South Transport Corridor

[9] India-Middle East-Europe Economic Corridor

2.3. भारत–तुर्किये संबंध (India–Turkey Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में **आतंकवाद-रोधी कार्रवाइयां** की थी। इन कार्रवाइयों की **तुर्किये ने आलोचना** की थी। इसके कारण **भारत–तुर्किये संबंधों में कड़वाहट** आई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- तुर्किये ने **भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' की आलोचना** की है और इसे **"उकसावे वाला" कदम** बताया है। साथ ही, यह चेतावनी भी दी है कि पाकिस्तान के भीतर किए गए हमले व्यापक संघर्ष के खतरे को बढ़ा सकते हैं।
    - ज्ञातव्य है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान द्वारा उपयोग किए गए **सोंगर ड्रोन** को निष्क्रिय कर दिया था। ये **ड्रोन तुर्की** में निर्मित थे।
- इसके बाद भारत ने तुर्की की कंपनी **'सेलेबी एविएशन'** का सिक्योरिटी क्लीयरेंस प्रमाण-पत्र रद्द कर दिया। यह कंपनी भारत के **9 हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग कार्य** कर रही थी।
    - उल्लेखनीय है कि कई भारतीय विश्वविद्यालयों (जैसे- जामिया मिलिया इस्लामिया) ने तुर्की के शिक्षण संस्थानों के साथ **शैक्षणिक सहयोग समझौते को भी निलंबित** कर दिया है।

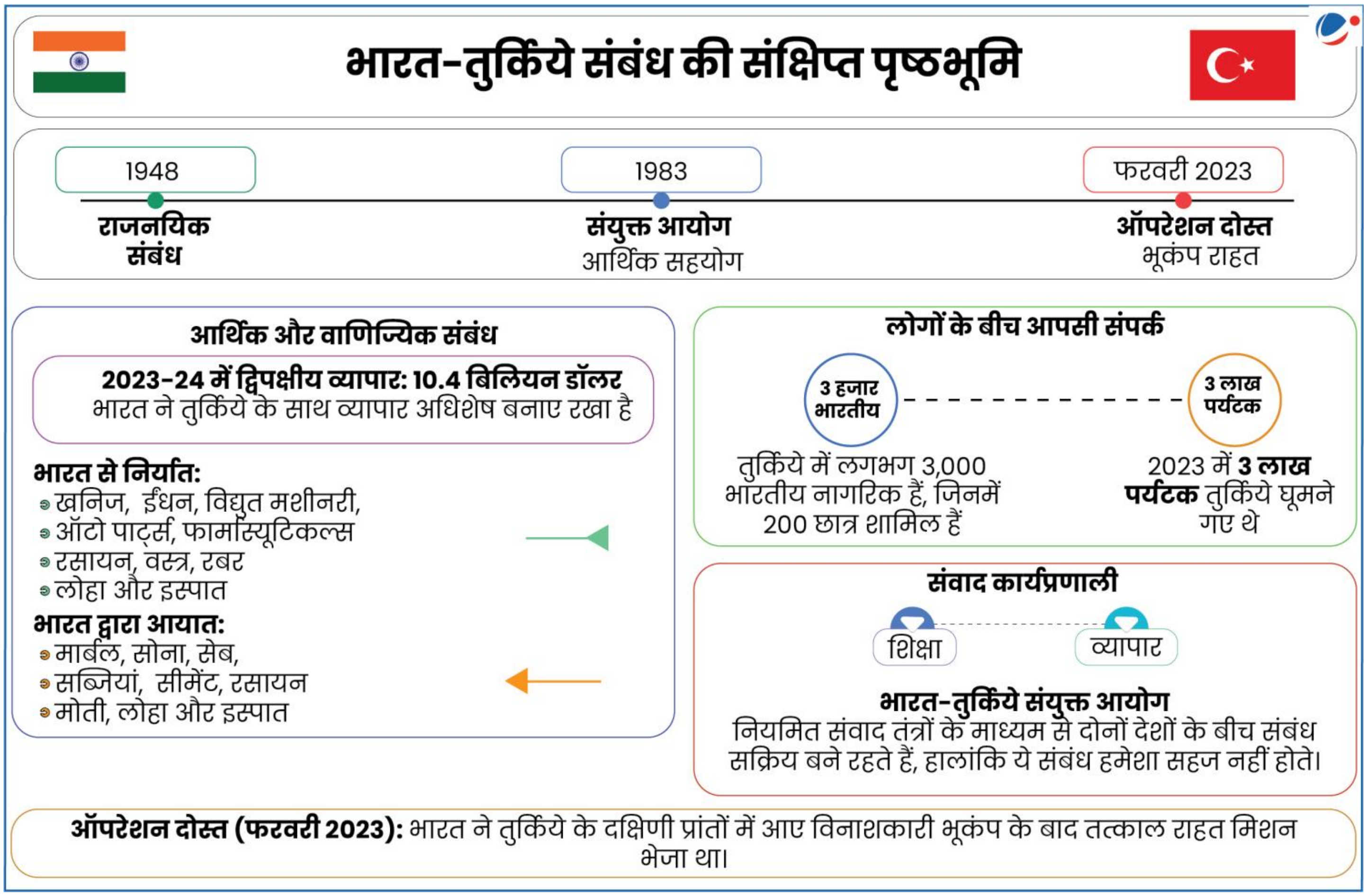

भारत के लिए तुर्किये का महत्त्व

- **तुर्किये की सामरिक अवस्थिति:** तुर्किये यूरोप और एशिया को जोड़ता है। यह **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC)** का हिस्सा है। यह गलियारा भारत के लिए यूरोप एवं मध्य एशिया के साथ व्यापार बढ़ाने में अहम है।
- **क्षेत्रीय प्रभाव:** तुर्किये **मध्य पूर्व, काला सागर (ब्लैक-सी) जैसे अपने पड़ोसी क्षेत्रों** में एक महत्वपूर्ण हितधारक है। इससे भारत को इन क्षेत्रों की जानकारी रखने और अपना प्रभाव बनाए रखने में तुर्किये से मदद मिल सकती है।

* **वैश्विक मंच:** दोनों देश **G-20 के सदस्य** हैं। साथ ही, दोनों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)[10] में सुधार जैसे ग्लोबल गवर्नेंस के मुद्दों पर समान रुख रखते हैं। ध्यातव्य है कि तुर्किये ने **UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन** किया है।

भारत–तुर्किये संबंधों में वर्तमान चुनौतियां

* **पाकिस्तान को सैन्य एवं राजनयिक समर्थन:** चीन के बाद **तुर्किये, पाकिस्तान के लिए दूसरा सबसे बड़ा हथियार-आपूर्तिकर्ता देश** है। इन हथियारों में **ड्रोन, कॉर्वेट, मिसाइल और F-16 अपग्रेड** शामिल हैं।
    * इससे पाकिस्तान की **रक्षा क्षमता मजबूत** होती है और वह भारत के साथ तनावपूर्ण स्थितियों का लंबे समय तक सामना कर सकता है।
* **कश्मीर मुद्दे में हस्तक्षेप करना:** तुर्किये कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के रुख का समर्थन करता है। स्मरणीय है कि उसने 2019 में जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष रहे संवैधानिक अनुच्छेद 370 को हटाने के भारत के फैसले का संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच पर विरोध भी किया था।
* **भारत के खिलाफ नकारात्मक धारणा बनाने में मदद:** तुर्की समर्थित सोशल मीडिया दुष्प्रचार और डिजिटल कंटेंट भारत के आंतरिक मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाकर भारत के खिलाफ नकारात्मक धारणाएं पैदा करते हैं।
* **तुर्किये-अज़रबैजान-पाकिस्तान का नया गठजोड़:** तुर्किये और अज़रबैजान, दोनों देशों ने भारत के **ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना** की थी।
    * तुर्किये और पाकिस्तान **बगदाद संधि तथा सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन (CENTO)** के सदस्य रह चुके हैं। वे **ईरान के साथ क्षेत्रीय विकास सहयोग (RCD)**[11] में भी भागीदार रहे हैं।
* **इस्लामी रुख और अखिल-इस्लामवाद:** तुर्किये के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्डोगन ने **इस्लाम समर्थक रुख एवं वैश्विक मुस्लिम एकजुटता** संबंधी दृष्टिकोण के कारण भारत की आंतरिक नीतियों की आलोचना की है। इससे दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव बढ़ा है।

पाकिस्तान-केंद्रित रुख की ओर तुर्किये का झुकाव

* **ऐतिहासिक संबंध और शुरुआती समर्थन:** भारत और तुर्किये, दोनों ने उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों का समर्थन किया था। भारतीय राष्ट्रवादियों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्किये का पक्ष-समर्थन किया था। हालांकि, स्वतंत्रता के बाद यह सद्भाव मजबूत संबंधों में नहीं बदल पाया।
* **पाकिस्तान की ओर तुर्किये का झुकाव:** 1947 के बाद, तुर्किये ने पाकिस्तान पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि दोनों देश **इस्लामी पहचान** साझा करते हैं। 1970 के दशक में इस्लामी राजनीतिक दलों के उदय ने तुर्किये को पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देशों के और अधिक करीब ला दिया।
* **सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी:** 1950 के दशक में तुर्किये और पाकिस्तान ने **'शाश्वत मित्रता संधि[12]'** पर हस्ताक्षर किए थे और सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए CENTO में शामिल हुए थे। पाकिस्तान ने इस अवसर का उपयोग भारत के खिलाफ तुर्किये का समर्थन पाने के लिए भी किया था।
    * इसी वर्ष (2025) तुर्किये और पाकिस्तान ने **'रणनीतिक साझेदारी को मजबूत, विविध और संस्थागत बनाने' के घोषणा-पत्र** पर हस्ताक्षर भी किए हैं।
* **भारत के परमाणु कार्यक्रम का विरोध:** वर्ष 1998 में तुर्किये ने भारत के परमाणु परीक्षणों की आलोचना की थी और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का समर्थन किया था। तुर्किये ने पाकिस्तान की **परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह** (NSG)[13] की सदस्यता का समर्थन भी किया है।

निष्कर्ष

भारत–तुर्किये संबंधों में उतार-चढ़ाव देखे जाते रहे हैं। इन संबंधों को ऐतिहासिक गठजोड़, वैचारिक रुख और नए भू-राजनीतिक यथार्थ प्रभावित करते रहे हैं। दोनों देशों के बीच संबंधों में चुनौतियों को देखते हुए **भारत को तुर्किये द्वारा दुष्प्रचार के खतरों का जवाब देने के लिए बहुपक्षीय मंचों का उपयोग करना चाहिए। साथ ही, तुर्किये के क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों (यूनान, साइप्रस, अर्मेनिया, इजरायल, और संयुक्त अरब अमीरात) के साथ संबंधों को मजबूत बनाने पर ध्यान देना चाहिए।** इससे तुर्किये के साथ रणनीतिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिल सकती है। साथ ही, एक-दूसरे का सम्मान करने और साझा हितों के आधार पर संबंधों को फिर से सामान्य करने से अधिक स्थिर, व्यावहारिक और भविष्योन्मुख साझेदारी का मार्ग भी प्रशस्त हो सकता है।

[10] United Nations Security Council

[11] Regional Cooperation for Development

[12] Treaty of Eternal Friendship

[13] Nuclear Suppliers Group

2.4. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा ऋण {International Monetary Fund (IMF) Lending}

सुर्ख़ियों में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के कार्यकारी बोर्ड ने **एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (EFF)** व्यवस्था के तहत **पाकिस्तान के आर्थिक सुधार कार्यक्रम की पहली समीक्षा पूरी कर ली है।**

अन्य संबंधित तथ्य

- IMF ने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (EFF) के तहत लगभग **1 बिलियन डॉलर {विशेष आहरण अधिकार (SDR) 760 मिलियन}** देने की अनुमति दी है।
    - **एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (EFF):** इसके द्वारा उन देशों की सहायता की जाती है, जो संरचनात्मक बाधाओं या धीमी संवृद्धि दर और अंतर्निहित कमजोर भुगतान संतुलन के कारण गंभीर वित्तीय असंतुलन का सामना कर रहे होते हैं।

शब्दावली को जानें

- **विशेष आहरण अधिकार (SDR):** यह एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति है, जिसे **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने 1969 में अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के पूरक** के रूप में बनाया था।
    - यह कोई मुद्रा नहीं है, बल्कि IMF और अन्य **अंतर्राष्ट्रीय संगठनों** के लिए **लेखा इकाई (Unit of account)** के रूप में कार्य करता है।
    - SDR का मूल्य पांच मुद्राओं (**अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रेनमिन्बी, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग)** की एक बास्केट पर आधारित होता है।
    - व्यक्ति या निजी संस्थाएं SDR को **नहीं रख** सकते हैं।

- इसके साथ ही, IMF ने **रेज़िलिएंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी (RSF) ऋण कार्यक्रम के तहत 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर (SDR 1 बिलियन) के ऋण** को भी मंजूरी दी है।
- **भारत ने इस ऋण को मंजूरी दिए जाने की आलोचना की और मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लिया।**

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund: IMF)

HQ
वाशिंगटन, डी.सी. (USA)

उत्पत्ति: IMF और विश्व बैंक दोनों की स्थापना 1944 के **संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन** (जिसे **ब्रेटन वुड्स सम्मेलन** भी कहा जाता है) में हुई थी।
- IMF और विश्व बैंक को **ब्रेटन वुड्स संस्थान** कहा जाता है।

सौंपे गए कार्य:
- वैश्विक स्तर पर **मैक्रो-इकोनॉमिक यानी समष्टि-आर्थिक और वित्तीय स्थिरता** को बढ़ावा देना।
- भुगतान संतुलन की समस्या का सामना कर रहे देशों की सहायता के लिए **अल्पकालिक और मध्यमकालिक ऋण प्रदान** करना।
- सरकारों को बेहतर आर्थिक नीतियों को लागू करने में मदद करने के लिए **तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण** प्रदान करना।

सदस्यता: 191 देश **(भारत भी एक सदस्य है)**
- विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी देश को सबसे पहले IMF की सदस्यता लेनी होती है।

संगठनात्मक संरचना
- **बोर्ड ऑफ गवर्नर्स:** यह IMF में निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है, जिसमें प्रत्येक सदस्य देश से 1 गवर्नर और 1 वैकल्पिक गवर्नर शामिल होते हैं।
- **एग्जीक्यूटिव/ कार्यकारी बोर्ड:** 25 सदस्यीय बोर्ड दिन-प्रतिदिन के काम की देखरेख करता है।
    - सामान्यत: **निर्णय आम सहमति** के आधार पर लिए जाते हैं, लेकिन कभी-कभी औपचारिक मतदान भी होता है।
    - प्रत्येक सदस्य का वोट उसके मूल वोट (सभी सदस्यों के बीच समान रूप से वितरित) और कोटा-आधारित वोट के योग के बराबर होता है। ऐसे में किसी सदस्य का कोटा उसकी मतदान शक्ति को निर्धारित करता है।
    - **भारत का कोटा 2.75%** (8वां सबसे बड़ा) है, जबकि **अमेरिका का कोटा लगभग 17%** है।
- **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति (International Monetary and Financial Committee: IMFC):** यह IMF में 25 सदस्यीय एक सलाहकार निकाय है, जो सदस्य देशों या देशों के समूहों का प्रतिनिधित्व करता है।

प्रमुख रिपोर्ट: वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, आदि।

IMF फंड के प्रमुख ऋण साधन		
जनरल रिसोर्सेज अकाउंट (GRA)	पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट (PRGT)	रेसिलिएंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट (RST)
• इसके तहत वित्तीय लेन-देन योजना तंत्र के माध्यम से **गैर-रियायती शर्तों (बाजार आधारित ब्याज दरों) पर ऋण** दिया जाता है। • **उद्देश्य:** किसी देश के भुगतान संतुलन (BoP) की समस्याओं का समाधान करना। • सदस्य देश अपनी **कोटा सीमा** के अनुरूप ऋण ले सकते हैं। • **ऋण सुविधाएं:** स्टैंड-बाय अरेंजमेंट (SBA); **एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (EFF);** रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट (RFI); फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन (FCL); शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी लाइन (SLL); आदि।	• **निम्न-आय वाले (विशेषकर सबसे गरीब) देशों को दीर्घावधि और रियायती वित्तीय सहायता प्रदान** करना, जिसमें ब्याज-मुक्त वित्त-पोषण भी शामिल है। • **उद्देश्य:** BoP संकट की स्थिति से निपटने में निम्न-आय वाले देशों की मदद करना। • **ऋण सुविधाएं:** रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी (RCF); स्टैंडबाय क्रेडिट फैसिलिटी (SCF); और **एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी (ECF)।**	• **निम्न-आय और निम्न-मध्यम आय वाले देशों** को वहनीय ब्याज दरों पर दीर्घावधि का वित्त-पोषण प्रदान करना। • **उद्देश्य: जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसे बाहरी आघातों के प्रति लचीलापन** विकसित करने में मदद करना। • **ऋण सुविधाएं:** रेज़िलिएंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी (RSF) आदि।

IMF द्वारा पाकिस्तान को दिए गए ऋण को लेकर भारत द्वारा प्रकट की गई चिंताएं

- **धन के दुरुपयोग की आशंका:** भारत ने आशंका जताई है कि **IMF द्वारा दिए गए ऋण का उपयोग पाकिस्तान सैन्य गतिविधियों और प्रायोजित सीमा-पार आतंकवादी गतिविधियों** में कर सकता है।
- **सेना की भूमिका:** पाकिस्तान की सेना का आर्थिक मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप **नीतिगत विफलताओं और सुधारों के उलटफेर का जोखिम** बढ़ाता है।
- **वैश्विक मूल्यों को कमजोर करना:** इस प्रकार का ऋण **सीमा-पार आतंकवाद को बढ़ावा देने (एक तरह से प्रॉक्सी वार) वाले देशों को पुरस्कार** जैसा प्रतीत हो सकता है। इससे **वित्त-पोषण एजेंसियों और दानदाताओं की छवि पर प्रश्नचिन्ह** लग सकते हैं।
- **IMF संसाधनों का लंबे समय तक उपयोग:** बार-बार के बेलआउट पैकेज के कारण, पाकिस्तान पर अब भारी कर्ज का बोझ है। इससे **वह IMF के लिए 'बहुत बड़ा ऋणी'** देश बन गया है, जिसकी आर्थिक विफलता IMF के लिए समस्या बन सकती है।
- **IMF कार्यक्रम की प्रभावशीलता को कमजोर करना:** वर्ष 1989 से अब तक पाकिस्तान ने 35 में से 28 वर्षों में IMF से धन प्राप्त किया है। इससे IMF के कार्यक्रमों, उनकी निगरानी, या पाकिस्तान द्वारा उनके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता पर संदेह पैदा होता है।

IMF से जुड़ी अन्य प्रमुख चुनौतियां/ चिंताएं

- **अप्रभावी मतदान प्रक्रिया:** IMF में किसी ऋण या प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।
  - **उदाहरण के लिए-** भारत को IMF मतदान में भाग लेने की बजाय **अनुपस्थित रहना** पड़ा, क्योंकि व्यवस्था औपचारिक विरोध (यानी मत नहीं देने) की अनुमति नहीं देती।
- **अलोकतांत्रिक गवर्नेंस संरचना:** IMF में मतदान शक्ति का वितरण सदस्य देशों के कोटे पर आधारित है, जो विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय देशों और जापान के पक्ष में बना हुआ है।
  - **उदाहरण के लिए-** 2010 में, IMF ने **ग्रीस को ऋण देने के लिए** अपने **नियमों में बदलाव की अनुमति** दी थी।
- **अप्रभावी मूल्यांकन प्रक्रिया:** IMF ने 2001 में **इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस (IEO)** की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य IMF की नीतियों, गतिविधियों और निष्पादन के विभिन्न पहलुओं का स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना है।
  - यद्यपि, IEO को 'स्वतंत्र' बताया जाता है, परन्तु इसे सीधे IMF द्वारा ही शासित और वित्त-पोषित किया जाता है।
- **मिश्रित सफलता:** IMF की शर्तों के कारण कभी-कभी अल्पकालिक तौर पर मैक्रो-इकोनॉमिक स्थिरता तो आती है, लेकिन राजकोषीय समेकन उपाय (या आत्मसंयम) अपनाने के कारण गरीबी में वृद्धि और सामाजिक व्यय में गिरावट भी देखी जाती है।
- **कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियां:** IMF से उधार लेने वाले सदस्य देशों की प्राथमिक जिम्मेदारी अपने आर्थिक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए नीतियों का चयन, डिजाइन और कार्यान्वयन करना है।

निष्कर्ष

यद्यपि IMF वैश्विक वित्तीय प्रणाली को स्थिर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, परन्तु कई बार इसे शासन के असंतुलन, कठोर शर्तों आदि से संबंधित गंभीर चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। अपनी विश्वसनीयता और प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए, IMF को उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते प्रभाव को दर्शाने हेतु कोटा और मतदान शक्ति के सुधारों में तेजी लानी चाहिए। साथ ही, अपनी ऋण देने तथा मूल्यांकन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेही भी बढ़ानी चाहिए।

2.5. संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना (United Nations Peacekeeping)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **जर्मनी के बर्लिन शहर में यू.एन. पीसकीपिंग यानी संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना की मंत्रिस्तरीय बैठक[14] 2025** संपन्न हुई।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना की मंत्रिस्तरीय बैठक 2025 के बारे में

- इस बैठक को **जर्मनी** द्वारा सह-आयोजित और होस्ट किया गया था।
- यह **शांति स्थापना के भविष्य** पर चर्चा करने के लिए **एक उच्च-स्तरीय राजनीतिक मंच** के रूप में कार्य करता है।
- यह बैठक **2015 के न्यूयॉर्क शांति स्थापना शिखर सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ** के अवसर पर आयोजित हुई थी।
- मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत ने **क्विक रिएक्शन फोर्स (QRF) की एक कंपनी, महिला-नेतृत्व वाली एक पुलिस यूनिट, SWAT पुलिस की एक यूनिट और शांति स्थापना प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण एवं भागीदारी की घोषणा** की है।

यू.एन. पीसकीपिंग यानी संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के बारे में

- **उत्पत्ति:** यू.एन. पीसकीपिंग की शुरुआत **1948 में** हुई थी, जब **मध्य पूर्व में युद्धविराम की निगरानी** के लिए **संयुक्त राष्ट्र युद्धविराम पर्यवेक्षण संगठन (UNTSO)[15]** की स्थापना की गई थी।
- **तैनाती: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** एक संकल्प पारित करके शांति स्थापना से संबंधित मिशन को शुरू करने का आदेश देती है।
  - मिशन के लिए **बजट और संसाधनों को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मंजूरी** प्रदान की जाती है।
- **युद्ध विराम या शांति समझौतों से जुड़े मिशनों के मुख्य नियमों/ सिद्धांतों में शामिल हैं:**
  - संघर्ष में शामिल पक्षकारों की **सहमति**;
  - **निष्पक्षता**; तथा
  - आत्मरक्षा या दिए गए मिशन की रक्षा के लिए जब तक जरूरी न हो **बल (हिंसा) का प्रयोग नहीं करना।**

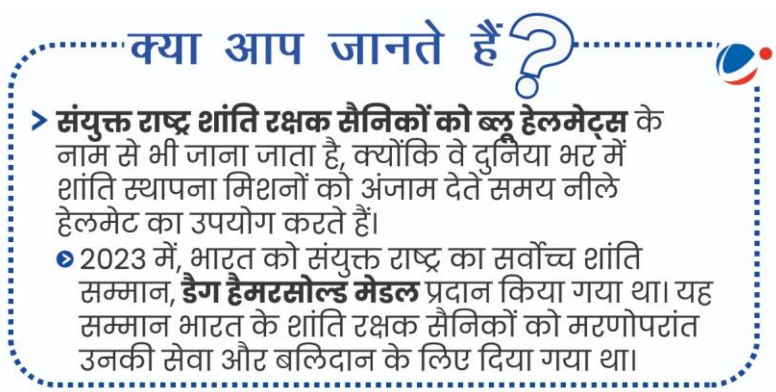

- **गवर्नेंस:** संयुक्त राष्ट्र के **शांति स्थापना अभियान विभाग (DPO)[16]** का औपचारिक रूप से **1992** में गठन किया गया था। यह दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों को **राजनीतिक एवं कार्यकारी दिशा** प्रदान करता है।
  - वर्तमान में यह विभाग **पश्चिमी सहारा, गोलन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जैसे क्षेत्रों में 11 शांति स्थापना मिशन** संचालित कर रहा है।
- **पुरस्कार और सम्मान:** इसे वर्ष **1988 में नोबेल शांति पुरस्कार** से सम्मानित किया गया था।

---

[14] United Nations Peacekeeping Ministerial Meeting

[15] United Nations Truce Supervision Organization

[16] Department of Peace Operations

- **सिद्धांत:**
    - **कैपस्टोन सिद्धांत:** यह संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों के **मार्गदर्शक सिद्धांतों और मुख्य उद्देश्यों** को निर्धारित करता है।
        - यह क्षेत्र में सेवा करने के लिए तैयार हो रहे सैन्य, पुलिस और सिविल कर्मियों हेतु **प्रशिक्षण सामग्री के विकास के लिए एक आधार भी प्रदान** करता है।
    - **रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट (R2P) का सिद्धांत (2005):** यह सिद्धांत हिंसा और उत्पीड़न के सबसे भीषण रूपों को समाप्त करने के लिए एक **राजनीतिक प्रतिबद्धता** का प्रतीक है।

यू.एन. पीसकीपिंग में भारत का योगदान

- **सबसे अधिक सैन्य योगदान:** भारत अब तक 2,90,000 से अधिक शांति रक्षक सैनिकों को 50 से अधिक संयुक्त राष्ट्र (UN) मिशनों में भेज चुका है।
    - वर्तमान में **भारत नेपाल, रवांडा और बांग्लादेश के बाद 5,375 कर्मियों के साथ चौथा सबसे बड़ा सैनिक-प्रदाता** देश है।
    - भारत ने **कोरियाई युद्ध के युद्धविराम और साइप्रस, कांगो जैसे मिशनों** में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- **क्षमता निर्माण: भारतीय थल सेना** ने नई दिल्ली में भारत का **सेंटर फॉर यू.एन. पीसकीपिंग (CUNPK)** स्थापित किया है। यह संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना प्रशिक्षण के लिए राष्ट्र के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है।
- **लैंगिक समानता को बढ़ावा देना:** भारत **पहला देश** है, जिसने **2007 में लाइबेरिया में पूरी तरह से महिला सैन्य कर्मियों से युक्त टुकड़ी** भेजी थी।

शांति स्थापना के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियां

- **शांति रक्षक सैनिकों को निशाना बनाना:** उदाहरण के लिए- **यू.एन. इंटरिम फोर्स इन लेबनान (UNIFIL)** के शांति रक्षक सैनिक इजरायल-लेबनान संघर्ष के दौरान घायल हो गए थे।
- **मेजबान देशों का विरोध:** उदाहरण के लिए- सूडान ने अफ्रीकन यूनियन-यूनाइटेड नेशंस हाइब्रिड ऑपरेशन इन दारफुर (UNAMID) का विरोध किया था।
- **विश्वसनीयता से जुड़े मुद्दे:** जैसे- 1990 के दशक में शांति रक्षक सैनिक रवांडा और स्रेब्रेनिका में नरसंहार को रोकने में असफल रहे थे।
- **संघर्षों की बदलती प्रकृति:** अब देशों के बीच नहीं, बल्कि एक ही देश के अंदर राज्यों या समूहों के बीच ज्यादा संघर्ष हो रहे हैं। इसके अलावा, आतंकवादी रणनीति का उपयोग करने वाले सशस्त्र समूहों की बदलती प्रोफ़ाइल और नई पीढ़ी के हथियारों का अनियंत्रित प्रसार भी महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं।
- **अन्य:** शांति सैनिकों के आवागमन की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध; राजनीतिक समाधान में देरी; सुव्यवस्थित, सुसज्जित और प्रशिक्षित बलों की कमी; निर्णय लेने में प्रमुख सैन्य योगदान देने वाले देशों की भागीदारी की कमी, आदि।

निष्कर्ष

यदि **ब्राहिमी रिपोर्ट (2000) और संयुक्त राष्ट्र के हाई-लेवल इंडिपेंडेंट पैनल ऑन पीस ऑपरेशंस (HIPPO) (2015)** की सिफारिशों को लागू किया जाए, तो संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इन सिफारिशों में कहा गया है कि जब किसी देश में संकट की स्थिति पैदा हो, तो **संयुक्त राष्ट्र एवं सुरक्षा परिषद को जल्दी और समय पर कार्रवाई** करनी चाहिए। इससे मिशन की सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आगे चलकर, शांति स्थापना मिशनों को नए सुरक्षा खतरों, लैंगिक मुद्दों और मानवाधिकार संबंधी चुनौतियों के अनुसार स्वयं को अनुकूलित करना होगा। इसके साथ ही, फंडिंग की कमी और वैधता से जुड़ी समस्याओं को भी सुलझाना होगा। यह भी ज़रूरी है कि शांति रक्षक सैनिकों को अच्छा प्रशिक्षण दिया जाए, उन्हें जरूरी उपकरण दिए जाएं तथा वे संयुक्त राष्ट्र और जिन लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनके प्रति जवाबदेह भी हों।

***नोट:** वैश्विक शांति स्थापना में भारत की भूमिका के बारे में और अधिक जानकारी के लिए जून, 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 2.1. देखें।*

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION
न्यूज़ टुडे
रोजाना 9 PM पर न्यूज टुडे वीडियो बुलेटिन देखिए
न्यूज टुडे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए
न्यूज़ टुडे क्विज़ के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए
अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची
"न्यूज टुडे" डेली करेंट अफेयर्स की एक संक्षिप्त प्रस्तुति है। इस डॉक्यूमेंट की मदद से न्यूज-पेपर को पढ़ना काफी आसान हो जाता है और इससे अभ्यर्थी दैनिक घटनाक्रमों के बारे में अपडेट भी रहते हैं। इससे अभ्यर्थियों को कई अन्य तरह के लाभ भी मिलते हैं, जैसे:
किसी भी न्यूज़ से जुड़े घटनाक्रमों के बारे मे बेहतर समझ विकसित करने के लिए
न्यूज पढ़ने का एक ऐसा नजरिया विकसित करने के लिए, जिससे अभ्यर्थी आसानी से समझ सकें हैं कि न्यूज पेपर्स में से कौन-सी न्यूज पढ़नी है
टेक्निकल टर्म्स और न्यूज़ से जुड़े जटिल कॉन्सेप्ट्स के बारे में सरल समझ विकसित करने के लिए

2.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

2.6.1. न्यू डेवलपमेंट बैंक (New Development Bank)

अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) का 9वां सदस्य बना।

न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) के बारे में (मुख्यालय: शंघाई, चीन)

- **उत्पत्ति: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (BRICS/ ब्रिक्स)** द्वारा स्थापित। NDB की स्थापना के लिए समझौते पर **15 जुलाई, 2014 को फोर्टालेजा** में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे और बैंक ने **21 जुलाई, 2015 को परिचालन** शुरू किया था।
- **उद्देश्य:** यह एक **बहुपक्षीय विकास बैंक** है। इसका उद्देश्य **उभरते बाजारों और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना** है।
- **सदस्य:** ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और अल्जीरिया।
    - NDB के **अनुच्छेद 2** के अनुसार, इसकी सदस्यता **संयुक्त राष्ट्र** के सभी सदस्यों के लिए खुली है, जिसमें **ऋण लेने वाले और ऋण न लेने वाले दोनों सदस्य** शामिल हैं।
    - **उरुग्वे** को इसके **संभावित सदस्य** के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसे NDB के **बोर्ड ऑफ गवर्नर्स** द्वारा मंजूरी दी गई है, लेकिन अपनी **इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ अक्सेशन** जमा करने के बाद इसे आधिकारिक तौर पर सदस्य का दर्जा दिया जाएगा।
- **पूंजी और शेयरधारिता:** इसकी स्थापना **100 बिलियन डॉलर की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी** से की गई थी। इसके **सभी 5 संस्थापक सदस्यों की इसमें कुल 50 बिलियन डॉलर** की समान हिस्सेदारी है।
- **मतदान शक्ति:** संस्थापक सदस्यों की **संयुक्त मतदान शक्ति कम-से-कम 55% होगी।**

अन्य प्रमुख क्षेत्रीय वित्तीय संस्थान

संस्थान	उत्पत्ति	उद्देश्य	सदस्य
एशियाई विकास बैंक (मुख्यालय: मनीला, फिलीपींस)	**1966**	**एशिया और प्रशांत क्षेत्र** में सामाजिक एवं आर्थिक विकास, क्षेत्रीय एकीकरण, आदि।	**69** (50 एशिया-प्रशांत क्षेत्र से, 19 क्षेत्र के बाहर से), **भारत भी सदस्य है।**
एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (मुख्यालय: बीजिंग, चीन)	**2016**	**मुख्य रूप से एशिया में** वैश्विक पहुंच के साथ संधारणीय अवसंरचना और विकास परियोजनाओं को वित्त-पोषित करना।	**110** अनुमोदित (100 पूर्ण + 10 संभावित) सदस्य (**भारत, एक पूर्ण सदस्य है**)।
अफ्रीकी विकास बैंक (मुख्यालय: आबिदजान, कोटे डी आइवर)	**1964**	**अफ्रीका** में गरीबी उन्मूलन और सामाजिक-आर्थिक विकास।	54 अफ्रीकी देश और 27 गैर-अफ्रीकी देश (**भारत सहित**)।

क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों का समकालीन महत्व

- **सतत और समावेशी विकास:** उदाहरण के लिए- 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में NDB द्वारा समर्थित **4.87 बिलियन डॉलर मूल्य की लगभग 20 परियोजनाएं चल** रही हैं। इनमें **परिवहन, जल संरक्षण** आदि शामिल हैं।
- **अवसंरचना और निवेश संबंधी अंतराल को भरना:** अवसंरचना के लिए **दीर्घकालिक वित्त जुटाना,** निजी निवेश को बढ़ावा देना और वित्त-पोषण की कमी को दूर करना।
- **क्षेत्रीय एकीकरण और स्थिरता को बढ़ावा देना:** सीमा-पार सहयोग को सुगम बनाना। **उदाहरण के लिए-** NDB और AIIB का संस्थापक सदस्य होने के नाते भारत ने **दक्षिण-दक्षिण सहयोग** को मजबूत किया है।

2.6.2. अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (International Atomic Energy Agency: IAEA)

रक्षा मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) से पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार की निगरानी करने का आग्रह किया

IAEA के बारे में

- **मुख्यालय: वियना (ऑस्ट्रिया)**
- **उत्पत्ति:** यह संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक **स्वायत्त संगठन** है, जो **1957** में अस्तित्व में आया था।
- **आदर्श वाक्य:** शांति और विकास के लिए परमाणु।
- **सदस्य:** 180 (भारत इसका सदस्य है)
    - **उत्तर कोरिया:** 1974 में शामिल हुआ एवं **1994** में सदस्यता त्याग दी थी।
- **जनरल कॉन्फ्रेंस:** सभी सदस्य देश प्रतिवर्ष **वियना** में मिलते हैं।
- **सम्मान:** शांतिपूर्ण परमाणु उपयोग और वैश्विक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए **2005 में नोबेल शांति पुरस्कार** से सम्मानित किया गया था।
- **IAEA और NPT: IAEA** परमाणु अप्रसार संधि (NPT) **का सदस्य नहीं है,** लेकिन यह संधि के अनुपालन की पुष्टि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
    - NPT के तहत **प्रत्येक परमाणु-हथियार विहीन देश को IAEA के साथ एक व्यापक सुरक्षा समझौते (CSA) पर हस्ताक्षर** करना आवश्यक है, ताकि IAEA उनके दायित्व की पूर्ति को सत्यापित कर सके।

NPT के बारे में

- **NPT एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है,** जिसका **उद्देश्य परमाणु हथियारों एवं परमाणु हथियारों से संबंधित प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना** है।
- यह **1970 में लागू** हुई थी और **1995** में इसे **अनिश्चित काल के लिए बढ़ा** दिया गया था ।
- अब तक **191 देश इस संधि में शामिल** हो चुके हैं, जिनमें सभी **पांच मान्यता प्राप्त परमाणु-हथियार संपन्न देश (चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका)** भी शामिल हैं।
    - **भारत, इजरायल और पाकिस्तान** इसमें शामिल नहीं हुए हैं, जबकि **उत्तर कोरिया 2003 में इससे बाहर** हो गया था।

परमाणु प्रसार को रोकने के लिए मौजूद अन्य प्रमुख संधियां

- **आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि (PTBT) 1963:** यह संधि वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष और जल के भीतर परमाणु हथियारों के परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाती है। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और इसकी पुष्टि भी की है।
- **व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT), 1996:** CTBT सभी तरह के परमाणु हथियारों के परीक्षण विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाती है, चाहे वे सैन्य उद्देश्यों के लिए हों या शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हों। भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
- **परमाणु हथियार निषेध संधि (TPNW), 2017:** किसी भी प्रकार की परमाणु हथियार गतिविधि में भाग लेने पर प्रतिबंधों का एक व्यापक सेट शामिल है। भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

परमाणु निरस्त्रीकरण के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।
वीकली फोकस #74– परमाणु निरस्त्रीकरणः सुरक्षित और बेहतर विश्व की ओर एक कदम

2.6.3. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की 1267 प्रतिबंध समिति {UN Security Council's (UNSC) 1267 Sanctions Committee}

भारतीय अधिकारियों ने UNSC की 1267 प्रतिबंध समिति की निगरानी टीम को **द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF)** की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी।

1267 प्रतिबंध समिति के बारे में

- इसे **ISIS और अल-कायदा प्रतिबंध समिति** भी कहा जाता है।
- इसकी स्थापना **1999** में ISIS, अल-कायदा और संबंधित समूहों से जुड़े आतंकवाद से निपटने के लिए की गई थी।
- UNSC के सभी **स्थायी और अस्थायी सदस्य** इसमें शामिल हैं।
- यह समिति **आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध, आतंकियों की यात्रा पर रोक और उनकी संपत्ति जब्त** करने जैसे फैसले लेती है। ये सभी फैसले UNSC के प्रस्ताव **1267 (1999), 1989 (2011), और 2253 (2015)** के तहत लागू किए जाते हैं।

2.6.4. एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गनाइजेशन (Asian Productivity Organization: APO)

भारत ने **2025-26** के लिए औपचारिक रूप से **एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गनाइजेशन (APO) की अध्यक्षता** ग्रहण की।

एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गनाइजेशन (APO) के बारे में

- **स्थापना:** यह एक **अंतर-सरकारी संगठन** है। इसकी स्थापना **1961 में आठ संस्थापक सदस्य देशों** ने की थी।
  - **भारत भी इन संस्थापक सदस्यों में शामिल** है।
- **उद्देश्य:** एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग के माध्यम से उत्पादकता को बढ़ाना।
- **सदस्य:** इसमें एशिया-प्रशांत क्षेत्र की **21 अर्थव्यवस्थाएं** शामिल हैं।
- **मुख्य भूमिकाएं:**
  - सदस्य देशों की नई आवश्यकताओं पर अनुसंधान करना और उन पर कार्य के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना।
  - सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना।
  - प्रत्येक सदस्य देश की आर्थिक एवं विकास नीतियों और प्रदर्शन का सर्वेक्षण करना, आदि।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अंतर्राष्ट्रीय संबंध** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. 'संवृद्धि के अग्रदूत' के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र (Northeast As 'Frontrunner of Growth')

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने **पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER)**[17] द्वारा आयोजित **राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट 2025** का उद्घाटन किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- प्रधान मंत्री ने पूर्वोत्तर भारत की रणनीतिक (भौगोलिक) अवस्थिति के महत्व को रेखांकित करते हुए, इस क्षेत्र के लिए एक **नीतिगत फ्रेमवर्क** के रूप में **EAST**[18] के विजन को प्रस्तुत किया।
- प्रधान मंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के **आठ राज्यों को 'अष्ट-लक्ष्मी' (देवी लक्ष्मी के आठ रूप)** की संज्ञा दी। साथ ही, उन्होंने **बायो-इकोनॉमी, बांस, चाय उत्पादन, पेट्रोलियम, खेल, इको-टूरिज्म** जैसे सेक्टर्स में पूर्वोत्तर को उभरता हुआ हब बताया।

राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट 2025 में पूर्वोत्तर के फोकस क्षेत्रकों की मुख्य विशेषताएं

क्षेत्रक (सेक्टर्स)	मुख्य बिंदु
वस्त्र, हथकरघा एवं हस्तशिल्प	• पूर्वोत्तर क्षेत्र संधारणीय वस्त्र उद्योग और हस्तशिल्प का एक प्रमुख केंद्र है, जिसमें असम के जीआई-टैग प्राप्त मुगा रेशम, नागालैंड के आदिवासी शॉल, त्रिपुरा के बांस से बनी शिल्पकारी आदि शामिल हैं। • पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत के हथकरघा क्षेत्र में बड़ा योगदान देता है। यह क्षेत्र शॉल, मेखला चादर, और स्कार्फ उत्पादन में **92.90%,** और पारंपरिक परिधानों में लगभग **78.50%** का योगदान देता है। • देश के 53% से अधिक करघे और 50% से अधिक बुनकर पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित है।
नवीकरणीय ऊर्जा	• इस क्षेत्र में **60 गीगावाट** से अधिक की पारंपरिक जलविद्युत दोहन योग्य क्षमता विद्यमान है, जो भारत की कुल जलविद्युत क्षमता का 40% है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम में जलविद्युत उत्पादन की अधिक क्षमता मौजूद है।
सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और IT-सक्षम सेवाएं (IT & ITeS)	• इस क्षेत्र में तेजी से IT अवसंरचना का विकास हो रहा है। इनमें असम का **100 एकड़ का IT पार्क, अगरतला में स्थापित भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (STPI) कॉम्प्लेक्स,** और **2021** में **इम्फाल के मंत्रिपुखरी** में पूर्वोत्तर **क्षेत्र का पहला IT विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)**[19] **एवं इनोवेशन हब** शामिल हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स	• **वित्त वर्ष 2024-25 में** 78 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) का निर्माण किया गया। इसी तरह **ढोला-सदिया** और **बोगीबील** जैसे पुलों के निर्माण से असम-अरुणाचल के बीच कनेक्टिविटी और बेहतर हुई है। • 17 हवाई अड्डों (2013 में 9 हवाई अड्डे) के निर्माण के कारण **एयर-कनेक्टिविटी** में सुधार हुआ है। • असम में स्थित **जोगीघोपा अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन (IWT)**[20] **टर्मिनल** को रणनीतिक रूप से मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क से जोड़ा गया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

---

[17] Development of the North-Eastern Region

[18] एम्पॉवर, एक्ट, स्ट्रेंथन, एंड ट्रांसफॉर्म/ Empower, Act, Strengthen, and Transform

[19] Special Economic Zone

[20] Inland Waterways Transport

पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी	• **पूर्वोत्तर क्षेत्र** में यूनेस्को के दो विश्व धरोहर स्थल काजीरंगा और मानस स्थित हैं। साथ ही, इस क्षेत्र में 30 से अधिक वन्यजीव अभयारण्य और विविध भू-परिदृश्य भी मौजूद हैं। • **सिक्किम और मेघालय** संधारणीय पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी हैं। इस क्षेत्र में "स्वदेश दर्शन" और "प्रसाद (PRASHAD)" जैसी योजनाओं के माध्यम से पर्यटन अवसंरचना को बढ़ावा दिया जा रहा है।
शिक्षा	• **उच्च साक्षरता दर:** मिजोरम (91.3%), त्रिपुरा (87.2%), नागालैंड (80.1%)। • पूर्वोत्तर क्षेत्र की **40% आबादी** 25 वर्ष से कम आयु की है, जो नवाचार और उद्यमिता के विकास के लिए आदर्श जनसांख्यिकीय आधार प्रदान करती है।
स्वास्थ्य	• औषधीय पौधों (Phytopharmaceuticals) और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के क्षेत्र में **अपार संभावनाएं** मौजूद हैं। • **गुवाहाटी, इंफाल और आइजोल** जैसे शहरी केंद्रों में **PPP मॉडल,** निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक्स लैब्स पर **रणनीतिक फोकस** से स्वास्थ्य-देखभाल सेवा सुविधाओं में क्रमिक रूप से सुधार हो रहा है।
कृषि	• **समृद्ध एग्रो-बायोडायवर्सिटी** और अनुकूल जलवायु पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर्गेनिक और उच्च-मूल्य वाली फसलों (जैसे- असम की चाय, जोहा चावल, कचाई नींबू, कीवी, अनानास) के उत्पादन को बढ़ावा देती है। • **पूर्वोत्तर क्षेत्र की 70% से अधिक आबादी** कृषि कार्य में लगी हुई है, जिनमें से अधिकतर लघु/ सीमांत किसान हैं।
खेल	• **पारंपरिक/ स्थानीय खेल** (तीरंदाजी, थांग-ता, पोलो आदि)। • **मणिपुर, मिजोरम और असम जैसे राज्यों** ने फुटबॉल, बॉक्सिंग और वेटलिफ्टिंग जैसे खेलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एथलीट तैयार किए हैं। • इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम (असम) और खुमान लम्पक (मणिपुर) जैसी **अवसंरचनात्मक परियोजनाएं** निवेश के मामले में प्रमुख स्पोर्ट्स हब बन सकती हैं।

'विकास का अग्रदूत' बनने में पूर्वोत्तर क्षेत्र की क्षमता

- **भू-रणनीतिक:** पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत के लिए **दक्षिण-पूर्व एशिया** में प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के कई राज्य दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। यह क्षेत्र भारत की **'एक्ट ईस्ट नीति'** में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस नीति का उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भारत के **आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा** देना है।
- **ऊर्जा:** कोयला, यूरेनियम, तेल, प्राकृतिक गैस और जलविद्युत जैसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध, पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत के लिए एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत बनने की क्षमता रखता है।
- **विविध सांस्कृतिक विरासत: पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशिष्ट नृजातीय समुदाय** और **परंपराएं** मौजूद हैं जो पर्यटन व हस्तशिल्प के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करती हैं।
- **कम लागत वाला विनिर्माण हब:** भारत और विश्व के अन्य हिस्सों की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्र में कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हैं।
- **भारत का ग्रीन हब:** घने वन, जैव-विविधता और समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र इस क्षेत्र को इको-टूरिज्म और **कृषि-आधारित उद्योगों** के लिए आदर्श जगह बनाते हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में चुनौतियां

- **बेहतर कनेक्टिविटी नहीं होना:** भारत की मुख्य भूमि को पूर्वोत्तर क्षेत्र से जोड़ने वाला एकमात्र भूमि मार्ग **संकीर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर (या चिकन नेक)** है। यह कॉरिडोर पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। एकमात्र भू-संपर्क मार्ग होने की वजह से आवागमन और लॉजिस्टिक्स की आपूर्ति प्रभावित होती है।

- **विद्रोही समूह और सशस्त्र संघर्ष:** पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्वायत्तता या जनजातीय अधिकारों की मांग के कारण लंबे समय से विद्रोही समूह सक्रिय हैं। **उदाहरण के लिए,** NSCN-IM (नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड - इसाक-मुइवा) **'ग्रेटर नागालिम'** की मांग कर रहा है, मणिपुर में कूकी-मेइती संघर्ष,आदि।
- **नार्को आतंकवाद (Narco terrorism):** पूर्वोत्तर क्षेत्र, जो "गोल्डन ट्रायंगल" (म्यांमार, लाओस, थाईलैंड) के निकट स्थित है, **हेरोइन और सिंथेटिक ड्रग्स** के लिए ट्रांजिट मार्ग के रूप में कार्य करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की पूरी बाड़बंदी नहीं की गई है और **इनकी समुचित निगरानी भी नहीं** की जाती है।
- **मानवाधिकार हनन:** सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)[21] आदि ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA), 1958 के तहत सुरक्षा बलों की जवाबदेही तय नहीं करने को लेकर चिंता व्यक्त की है। **नागालैंड और मणिपुर** में लंबे समय तक AFSPA के लागू रहने के कारण अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा मिला है।
- **प्राकृतिक आपदाओं का खतरा:** पूर्वोत्तर क्षेत्र को प्रायः बाढ़, भूस्खलन और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। **उदाहरण के लिए,** हर साल ब्रह्मपुत्र में आने वाली बाढ़ के कारण असम में लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ता है और इससे फसलों को भी भारी नुकसान पहुँचता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए शुरू की गई पहलें

भारतीय स्तर पर	अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखकर
• **पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना (NESIDS)[22]:** यह योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल आपूर्ति, बिजली, कनेक्टिविटी, पर्यटन जैसी भौतिक अवसंरचनाओं और सामाजिक अवसंरचना के विकास में सहायता प्रदान करती है। • **पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधान मंत्री विकास पहल (PM-DevINE)[23]:** इसका उद्देश्य राज्यों की आवश्यकताओं के आधार पर अवसंरचना और सामाजिक विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित करके पूर्वोत्तर क्षेत्र का त्वरित और समग्र विकास करना है। • **मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन (MOVCDNER):** इस योजना का उद्देश्य उत्पादकों को उपभोक्ताओं से जोड़ने और संपूर्ण वैल्यू चेन के विकास का समर्थन करने के लिए मूल्य श्रृंखला मोड में प्रमाणित आर्गेनिक उत्पादन का विकास करना है। • **शांति और सुरक्षा से संबंधित पहलें**: नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (NLFT) और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ATTF) शांति समझौता 2024; आदिवासी असम शांति संधि 2022; डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी (DNLA) शांति समझौता 2023; ULFA शांति संधि 2023; आदि संपन्न की गई हैं।	• **क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाएं:** कालादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना; इंडिया-म्यांमार-थाईलैंड (IMT) त्रिपक्षीय राजमार्ग; बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (BBIN) मोटर वाहन समझौता; मेकांग-गंगा सहयोग; आदि। • **एक्ट ईस्ट फोरम (AEF):** इसे 2017 में भारत और जापान द्वारा स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत के भीतर और इस क्षेत्र को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ने वाली कनेक्टिविटी को प्रोत्साहित करना है। • **दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (SASEC)[24]**: यह बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका को **परियोजना-आधारित** साझेदारी से जोड़ता है, जिससे क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

आगे की राह

- **पूर्वोत्तर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए अलग-अलग मार्गों का विकास: उदाहरण के लिए, हिली–महेंद्रगंज ट्रांसनेशनल कॉरिडोर-** यह प्रस्तावित कॉरिडोर हिली (पश्चिम बंगाल) को बांग्लादेश से होते हुए महेंद्रगंज (मेघालय) से जोड़ेगा, जिससे सिलीगुड़ी मार्ग का विकल्प मिल जाएगा।
- **विद्रोही गतिविधियों को कम करना:** पुनर्वास प्रयासों और स्थानीय शासन तंत्र को मजबूत करके त्रिपुरा ने शांति स्थापित की है, जो नागालैंड और मणिपुर जैसे राज्यों के लिए एक अनुकरणीय मॉडल है।

---

[21] National Human Rights Commission

[22] North East Special Infrastructure Development Scheme

[23] Prime Minister's Development Initiative for North East Region

[24] South Asia Subregional Economic Cooperation

- ब्रू जनजाति का त्रिपुरा में पुनर्वास किया गया है। इस जनजाति को 1990 के दशक के अंत और 2009 में मिज़ोरम में हुए नृजातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा था।
- **अवैध प्रवासियों से निपटना और सीमा सुरक्षा बढ़ाना:** इसमें हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर (HHTI), नाइट विजन डिवाइस (NVD), UAVs, CCTV/ PTZ कैमरे, इंफ्रारेड सेंसर जैसे सर्विलांस उपकरणों का उपयोग और समग्र एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS)[25] शामिल हैं।
- **पूर्वोत्तर क्षेत्र को शेष भारत के साथ एकीकृत करना: बेजबरुआ समिति** की सिफारिशों के आधार पर भारत के अन्य हिस्सों में रहने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के खिलाफ **भेदभाव और नृजातीय हमलों** को रोकने के लिए कानूनी उपाय करने चाहिए और मीडिया जागरूकता अभियान संचालित करना चाहिए, आदि।

निष्कर्ष

अपनी विशिष्ट रणनीतिक अवस्थिति, समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों की वजह से भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र असीम संभावनाओं वाला क्षेत्र है। इनमें नवीकरणीय ऊर्जा से लेकर पर्यटन जैसे क्षेत्रक शामिल हैं। कनेक्टिविटी की कमी को दूर करके, शांति सुनिश्चित करके, और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकरण सुनिश्चित करके पूर्वोत्तर क्षेत्र को समावेशी और संधारणीय विकास का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है।

3.2. संशोधित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण {Revamped Periodic Labour Force Survey (PLFS)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)[26] ने जनवरी, 2025 से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) में संशोधन कर उसे नया रूप दिया है।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के बारे में

- **संचालन एजेंसी:** राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)
- **मंत्रालय: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय** द्वारा **2017** में प्रस्तुत किया गया।
- **उद्देश्य:**
  - **'वर्तमान साप्ताहिक स्थिति' (CWS)**[27] में शहरी क्षेत्रों (अब ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल) के लिए **केवल तीन महीने के लघु समय अंतराल में रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित प्रमुख संकेतकों** का अनुमान लगाना।
  - ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में **वार्षिक रूप से 'सामान्य स्थिति यानी यूजुअल स्टेटस' (ps+ss) और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS), दोनों में रोजगार और बेरोजगारी के संकेतकों** का अनुमान लगाना।
- **PLFS में प्रयुक्त प्रमुख शब्दावलियां:**
  - **श्रम बल भागीदारी दर (Labour Force Participation Rate: LFPR):** इसे कुल आबादी की तुलना में श्रम बल (अर्थात: नियोजित, रोजगार की तलाश में जुटे या कार्य के लिए उपलब्ध व्यक्ति) में शामिल व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है।
  - **वर्कर-जनसंख्या अनुपात (Worker Population Ratio: WPR):** यह कुल आबादी में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का प्रतिशत है।
  - **बेरोजगारी दर (Unemployment Rate: UR):** यह श्रम बल में शामिल व्यक्तियों में से बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत है।
  - **गतिविधि की स्थिति (Activity Status):** किसी व्यक्ति की गतिविधि की स्थिति को निर्धारित संदर्भ अवधि के दौरान किए गए कार्यों के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
  - **सामान्य स्थिति (Usual Status):** सर्वेक्षण की तिथि से पहले के 365 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान किसी व्यक्ति की गतिविधि (कार्य) को उस व्यक्ति की सामान्य गतिविधि स्थिति कहा जाता है।

---

[25] Comprehensive Integrated Border Management System

[26] National Statistics Office

[27] Current Weekly Status

- **किसी व्यक्ति की सामान्य मुख्य गतिविधि (Usual principal activity) और सामान्य सहायक आर्थिक गतिविधि को मिला दिया** जाए तो वह उसकी **सामान्य गतिविधि** की स्थिति मानी जाती है, जिसे **सामान्य स्थिति (ps+ss)** के रूप में लिखा जाता है।

- **वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS):** सर्वेक्षण की तिथि से पहले के 7 दिनों में किसी व्यक्ति की गतिविधि को 'व्यक्ति की वर्तमान साप्ताहिक स्थिति' कहा जाता है।
- **वर्तमान दैनिक गतिविधि स्थिति (Current Daily Activity Status: CDS):** यदि किसी दिन व्यक्ति ने कम से कम 1 घंटा काम किया हो, तो उसे उस दिन के लिए कार्य की स्थिति प्रदान की जाती है।

PLFS में किए गए मुख्य बदलाव

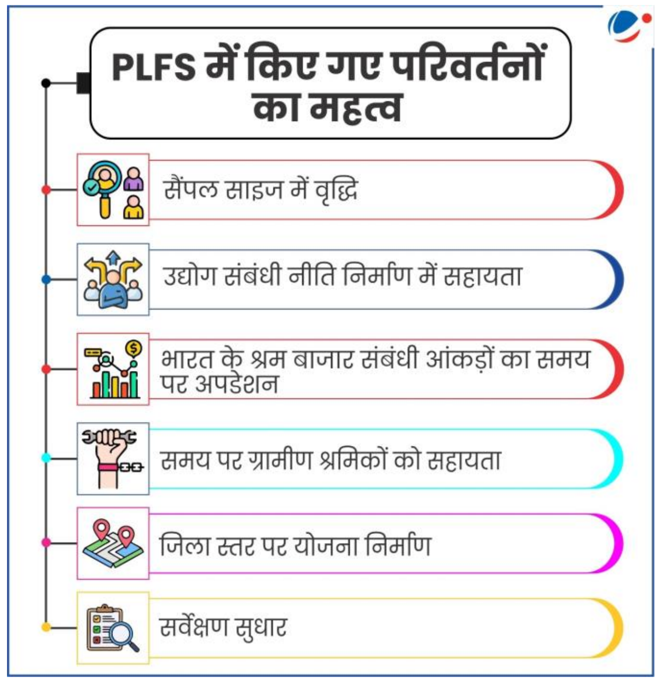

- **राष्ट्रीय स्तर (देश के स्तर) पर प्रमुख श्रम बाजार संकेतकों का मासिक अनुमान:** वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS) में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए मासिक आधार पर रोजगार और बेरोजगारी के प्रमुख संकेतक जारी किए जाएंगे।
    - **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)** का पहला मासिक बुलेटिन जारी किया जा चुका है।
- **वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS) में त्रैमासिक अनुमान को ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित करना:** पहले PLFS केवल शहरी क्षेत्रों के लिए त्रैमासिक श्रम बाजार संकेतक प्रदान करता था, अब यह ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों के लिए उपलब्ध होगा।
- **कैलेंडर वर्ष पर आधारित रिपोर्टिंग:** वर्ष 2025 से, वार्षिक PLFS परिणाम कैलेंडर वर्ष के आधार पर जारी होंगे, यानी सर्वेक्षण अवधि अब किसी विशेष वर्ष के लिए **जनवरी से दिसंबर** तक होगी **(पहले जुलाई–जून चक्र था)**, और यह सामान्य स्थिति **(ps+ss) और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति, दोनों** में लागू होगा।
- **सैंपल के आकार में वृद्धि:** PLFS में शामिल किए जाने वाले परिवारों के सैंपल में 2.65 गुना वृद्धि की गई है।
- **कवर किए जाने वाले भौगोलिक क्षेत्र में वृद्धि:** जिले को **प्राथमिक भौगोलिक इकाई** बनाया गया है, जिसे राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग **बेसिक स्ट्रेटम या बुनियादी स्तर** कहा गया है, ताकि कवर किए गए भौगोलिक क्षेत्र के अधिकांश भाग के लिए फर्स्ट स्टेज यूनिट (FSU) का चयन किया जा सके।
    - शेष भागों में **NSS क्षेत्र** को **बेसिक स्ट्रेटम** बनाया गया है।
- **सामाजिक संकेतकों के आंकड़ों की बेहतर उपलब्धता:** इसमें शिक्षा; कब्जे वाली भूमि और पट्टे पर दी गई भूमि; और किराया; पेंशन, ब्याज और रेमिटेंस से प्राप्त परिवारों की सामान्य मासिक आय से संबंधित अतिरिक्त विवरण भी शामिल किए गए हैं।

भारत में रोजगार संबंधी संकेतकों की गणना के लिए अन्य पद्धतियां/ रिपोर्ट

- **रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम[28]:** यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में रोजगार की संरचना के बारे में क्षेत्रीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर नियमित अंतराल पर जानकारी प्रदान करता है, साथ ही रोजगार के स्तर में होने वाले परिवर्तनों की निगरानी भी करता है।
    - यह कार्यक्रम **रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम[29], 1959** के तहत लागू किया गया है।
- **ILO रिपोर्ट्स:** जैसे कि **वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक**, आदि।
- **जनगणना:** इसमें मुख्य और सीमांत (Marginal) श्रमिकों से संबंधित डेटा एकत्र किया जाता है, जो अलग-अलग सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं को कवर करता है। इसमें श्रमिकों का वर्गीकरण औद्योगिक गतिविधि और उनके पेशे के अनुसार किया जाता है।

---

[28] Employment Market Information Programme

[29] Employment Exchange (Compulsory Notification of Vacancies) Act

- **श्रम ब्यूरो (Labour Bureau):** यह केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय (MoL&E) के अधीन एक संबद्ध कार्यालय है। इसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है। यह विभिन्न श्रम कानूनों, जैसे- बागान श्रम अधिनियम, 1951; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; आदि के अंतर्गत वैधानिक और स्वैच्छिक रिटर्न्स (इच्छानुसार, अनिवार्य नहीं) के माध्यम से आंकड़े एकत्रित करता है।
    - श्रम सांख्यिकी के आंकड़े वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (ASI), ग्रामीण श्रमिक जांच, तथा ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) - ग्रामीण श्रमिक/ कृषि श्रमिक आदि के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं।

भारत में रोजगार से जुड़े संकेतकों को मापने की पद्धतियों से संबंधित समस्याएं

- **डेटा में असंगतता**: सैंपलिंग पद्धतियों, सर्वेक्षण का समय, और पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार में अंतर के कारण अलग-अलग आंकड़े सामने आते हैं।
- **कमजोर मापदंड**: वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS) में यदि कोई व्यक्ति पिछले सप्ताह में **कम से कम 1 घंटे कार्यरत रहा**, तो उसे "रोजगार प्राप्त (नियोजित)" माना जाता है, जिससे **बेरोजगारी का वास्तविक आकलन नहीं हो पाता** और आंकड़े अधूरे रह जाते हैं।
- **परिभाषा में विसंगति**: भारत में रोजगार की परिभाषा **अंतर्राष्ट्रीय मानकों** के अनुरूप नहीं है।
- **कई सर्वेक्षणों की सीमित प्रकृति:** त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण (QES)[30] केवल रोजगार के आंकड़े प्रस्तुत करता है लेकिन बेरोजगारी से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं देता, जिससे यह सर्वेक्षण अधूरा रह जाता है।
- **सैंपल का आकार छोटा होना:** भारत के कार्यबल का आकार लगभग **60 करोड़** है, लेकिन PLFS में मात्र **2,72,304 परिवारों** को शामिल किया जाता है।
- **समय लगना, डेटा की गुणवत्ता में कमी एवं सही जवाब नहीं मिलना:** कई बार **डेटा संग्रहण और प्रकाशन के बीच अधिक समय लग जाता** है।

आगे की राह

- **संयुक्त राष्ट्र-राष्ट्रीय लेखा प्रणाली** की परिभाषाओं (जैसे कि अनौपचारिक क्षेत्र से संबंधित परिभाषा) को व्यापक स्तर पर अपनाने की आवश्यकता है।
    - **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)** ने भारत से आग्रह किया है कि वह **श्रम-सांख्यिकीविदों के 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन** द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करे।
- **आंकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, डेटा सत्यापन और प्रोसेसिंग** में तेजी लाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग किया जा सकता है।
- **उद्यमों का सर्वेक्षण नियमित रूप से और बार-बार** किए जाने की आवश्यकता है।
    - इसके साथ ही, **आर्थिक गणना** भी **नियमित अंतराल** पर करवाने की आवश्यकता है।
- **एक समान पद्धति के तहत सभी सरकारी डेटा के लिए एक केंद्रीय सर्वर बनाना।**
- **सर्वेक्षण में दोहराव को समाप्त करना और रिपोर्ट्स में सामंजस्य सुनिश्चित करना:** सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा रोजगार पर डेटा एकत्र करने वाले अन्य मंत्रालयों को एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।
- **डेटा की सुलभता और डेटा विजुअलाइज़ेशन में सुधार की आवश्यकता:** भारत में NSS को भी ऐसे टूल्स और प्लेटफॉर्म विकसित करने चाहिए, जिससे **जन जागरूकता बढ़े और सांख्यिकीय जानकारियों के प्रति सार्वजनिक सहभागिता** में वृद्धि हो।
    - **कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में डेटा स्टोरीटेलिंग पोर्टल्स** होते हैं जिनमें इंटरैक्टिव मानचित्र और ग्राफ होते हैं जो आम नागरिकों को सामाजिक-आर्थिक ट्रेंड्स को आसानी से समझने में मदद करते हैं।

30 Quarterly Employment Survey

3.3. विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह (Vizhinjam International Seaport)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने केरल में **विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर बहुउद्देशीय समुद्री बंदरगाह** का उद्घाटन किया।

विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह के बारे में

- यह भारत का पहला **डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह** है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना **केरल सरकार द्वारा संचालित** की जा रही है।
- **उद्देश्य:** इस बंदरगाह का निर्माण मुख्य रूप से कंटेनर ट्रांसशिपमेंट के उद्देश्य से किया जाना है। साथ ही, यह बंदरगाह बहुउद्देशीय और **ब्रेक-बल्क कार्गो** को भी संभाल सकेगा।
- **विकास मॉडल**: इस बंदरगाह का विकास **'लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल'** के अंतर्गत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना को **'डिज़ाइन, निर्माण, वित्तपोषण, संचालन और हस्तांतरण'** (DBFOT)[31] के आधार पर विकसित किया जा रहा है।
- **विझिंजम बंदरगाह की प्रमुख विशेषताएं/ उससे लाभ**
  - **रणनीतिक स्थिति:** यह व्यस्त **अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट** (जो यूरोप, फारस की खाड़ी और फार ईस्ट को जोड़ता है) से **केवल 10 नॉटिकल मील की दूरी पर** स्थित है।
  - **प्राकृतिक लाभ:** विझिंजम बंदरगाह के पास **जल की प्राकृतिक गहराई** इसे नेक्स्ट जनरेशन के बड़े कंटेनर जहाजों (20 मीटर से अधिक ड्राफ्ट वाले) को संभालने में सक्षम बनाती है।
  - **भविष्य की जरूरत को पूरा करने वाली अवसंरचना:** यह बंदरगाह 18,000 से अधिक TEU (ट्वेंटी-फुट इक्विवेलेंट यूनिट) क्षमता वाले जहाजों को संभाल सकता है। इसकी अवसंरचना भविष्य में कार्गो में वृद्धि को भी संभाल सकती है। साथ ही, इस बंदरगाह को कुछ इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि बहुत कम तलछट का जमाव हो सके।

ट्रांसशिपमेंट क्या है?

- इस प्रक्रिया में **कार्गो या कंटेनर** को एक जहाज से दूसरे जहाज में स्थानांतरित किया जाता है, जब तक कि वह कार्गो अपने अंतिम गंतव्य बंदरगाह तक न पहुंच जाए।
- मौजूदा समुद्री नेटवर्क में किसी ट्रांसशिपमेंट हब को शामिल करने के **निम्नलिखित तीन प्राथमिक तरीके हैं:**
  - **हब-एंड-स्पोक मॉडल:** यह कम दूरी की फीडर लाइनों को लंबी दूरी की डीप-सी लाइनों से जोड़ता है। यह क्षेत्रीय और वैश्विक शिपिंग नेटवर्क के बीच सेतु का कार्य करता है।
  - **इंटरसेक्शन:** इंटरसेक्शन के स्थान पर आमतौर पर बड़े जहाजों के बीच कार्गो का आदान-प्रदान ट्रांसशिपमेंट या शिप-टू-शिप (STS) ट्रांसफर के माध्यम से होता है। यह प्रक्रिया इसलिए अपनाई जाती है क्योंकि डीप-सी मार्ग मुख्यतः बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के बीच संचालित होते हैं, और इन मार्गों पर बड़े जहाज चलते हैं।
  - **रिले:** जहां ट्रांसशिपमेंट हब **एक ही क्षेत्र के** अलग-अलग बंदरगाहों के बीच शिपिंग मार्गों को जोड़ता है।

भारत को ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित करने की आवश्यकता क्यों है?

- **विदेशी ट्रांसशिपमेंट हब पर अत्यधिक निर्भरता:** वर्तमान में भारत के लगभग 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो को भारत के बाहर के बंदरगाहों पर संभाला जाता है।

---

[31] Design, Build, Finance, Operate, and Transfer

- **कोलंबो (श्रीलंका), सिंगापुर और क्लांग (मलेशिया)** बंदरगाह भारत के ट्रांसशिपमेंट कार्गो का 85% से अधिक संभालते हैं।

- **प्रमुख व्यापार मार्ग से निकटता:** ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का चयन करते समय **जहाज (लाइनर्स)** आमतौर पर **अपने मार्ग से न्यूनतम विचलन को प्राथमिकता देते हैं।** गौरतलब है कि **पूर्व-पश्चिम व्यापार मार्ग** (मलक्का जलडमरूमध्य और स्वेज नहर के माध्यम से फार-ईस्ट से यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका तक) **एक वैश्विक समुद्री व्यापार मार्ग** है।
  - इस मामले में भारत के **विझिंजम और गलाथिया बे बंदरगाह भौगोलिक रूप से बेहतर जगह पर स्थित हैं।** वास्तव में ये स्वेज नहर को जोड़ने वाले प्रमुख समुद्री मार्ग से महज लगभग 6-10 नॉटिकल मील की दूरी (0.2-1 घंटे) पर स्थित हैं।
- **राजस्व की हानि:** किसी अन्य देश के बंदरगाहों पर अपने ट्रांसशिपमेंट कार्गो की हैंडलिंग के कारण भारत को प्रतिवर्ष लगभग 200-220 मिलियन डॉलर का राजस्व नुकसान उठाना पड़ता है।
- **डीप ड्राफ्ट वाले बंदरगाहों की कमी:** कोचीन और वी. ओ. चिदंबरनार जैसे मौजूदा बंदरगाहों की ड्राफ्ट क्षमता क्रमश: 14.2 मीटर और 14.5 मीटर है, जबकि वैश्विक ट्रांसशिपमेंट हब में कम से कम 18 मीटर का ड्राफ्ट होता है।
- **अवसंरचना:** वैश्विक बंदरगाहों के अनुरूप, **भारत को विश्व-स्तरीय अवसंरचना और डेडिकेटेड सुपरस्ट्रक्चर विकसित करने की आवश्यकता** है।
  - प्रति घंटे लगभग 200 मूव्स की उत्पादकता स्तर के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने हेतु **एक जहाज को संभालने के लिए 6 क्रेन तक** की आवश्यकता हो सकती है।

भारत को ट्रांसशिपमेंट हब बनाने में विद्यमान चुनौतियां

- **उच्च लागत:** उदाहरण के लिए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) जैसे बंदरगाहों पर मुख्य रूप से पोत से संबंधित शुल्कों के कारण कुल ट्रांसशिपमेंट शुल्क कोलंबो बंदरगाह (13%) की तुलना में **43% अधिक है।**
- **अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्ग से अधिक दूरी:** अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग से भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर स्थित सभी बंदरगाहों तक पहुँचने में लगभग 5 घंटे से अधिक का समय लग जाता है, जबकि कोलंबो बंदरगाह महज 0.5-1 घंटे में पहुंचा जा सकता है।
- **कर छूट की कमी:** ट्रांसशिपमेंट **फ्री ट्रेड ज़ोन** स्थापित करने के लिए वर्तमान में कोई बड़ा आर्थिक प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं है क्योंकि विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नीति के तहत उपलब्ध वित्तीय प्रोत्साहन वापस ले लिए गए हैं।
- **द्वीपों पर भूमि की उपलब्धता:** वर्तमान दिशा-निर्देशों के आधार पर, एक **फ्री ट्रेड ज़ोन विकसित करने के लिए** न्यूनतम 25 हेक्टेयर (लगभग 61 एकड़) भूमि की आवश्यकता है।
  - द्वीपों की मौजूदा पारिस्थितिकी तंत्र को देखते हुए बंदरगाह के आसपास दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित भूक्षेत्र प्राप्त करना मुश्किल होगा।
- **कस्टम प्रक्रिया:** भारतीय बंदरगाहों में कस्टम मंजूरी की प्रक्रिया को वैश्विक बंदरगाहों की तुलना में अधिक जटिल और समय लेने वाला माना जाता है। इससे **हाई टर्नअराउंड टाइम और कार्गो लीड टाइम की शिकायतें** प्राप्त होती रहती हैं।

ट्रांसशिपमेंट को बढ़ावा देने के अन्य प्रयास

- **गैलाथिया बे (ग्रेट निकोबार द्वीप) में प्रस्तावित इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (ICTP):** ग्रेट निकोबार मलक्का जलडमरूमध्य (पूर्व-पश्चिम व्यापार मार्ग के लिए रूट) और सिंगापुर (एक प्रमुख ट्रांसशिपमेंट और बंकरिंग हब) के निकट स्थित है।
- **कोचीन अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल:** यह टर्मिनल कोच्चि में वल्लारपदम द्वीप पर स्थित है। यह प्रति वर्ष एक मिलियन TEU (ट्वेंटी-फुट इक्विवेलेंट यूनिट) तक कार्गो को संभाल सकता है।
- **अमृत काल विज़न 2047:** इसे केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। यह विजन **'मैरीटाइम इंडिया विजन 2030'** पर आधारित है। इसका उद्देश्य विश्व-स्तरीय बंदरगाहों का विकास करना और अंतर्देशीय जल परिवहन, तटीय शिपिंग आदि को बढ़ावा देना है।
- **कैबोटेज कानून में छूट: मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 की धारा 407** के तहत कैबोटेज नियम में विदेशी ध्वज वाले जहाजों के लिए भारत में ट्रांसशिपमेंट के उद्देश्य से EXIM (निर्यात-आयात) कंटेनरों के परिवहन हेतु लाइसेंसिंग आवश्यकताओं में ढील दी गई है।
  - घरेलू बंदरगाहों के बीच माल या यात्री ले जाने का अधिकार सिर्फ अपने देश के जहाजों को देना ही कैबोटेज कहलाता है। इसके तहत घरेलू माल के परिवहन पर विदेशी ध्वज वाले जहाजों के लिए प्रतिबंध लगाए जाते हैं।

आगे की राह

- **कार्गो लॉजिस्टिक्स की लागत को अन्य बंदरगाहों से प्रतिस्पर्धी रखना:** कोलंबो बंदरगाह की तुलना में 15-20% कम लॉजिस्टिक्स लागत रखने के लिए कम से कम प्रथम 5 वर्षों तक बंदरगाह शुल्क कम रखने की जरूरत है।

- **विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी:** संयुक्त राज्य अमेरिका और श्रीलंका जैसे देशों में ड्रेजिंग लागत को आंशिक रूप से राष्ट्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसी तरह, भारतीय बंदरगाहों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए ड्रेजिंग लागत का आंशिक हिस्सा सरकार को वहन करना चाहिए।
- **विश्व-स्तरीय मेगा पोर्ट्स विकसित करने की आवश्यकता है:** 3 बंदरगाहों (वधावन-JNPT क्लस्टर, पारादीप पोर्ट, और दीनदयाल पोर्ट) को 300 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) से अधिक क्षमता वाले मेगा पोर्ट के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है।
- **कस्टम प्रक्रिया को आसान बनाना:** व्यवसाय सुगमता को बढ़ावा देने के लिए गेटवे कार्गो हेतु कस्टम प्रक्रियाओं को डिजिटाइज करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, ट्रांसशिपमेंट कार्गो में कस्टम की भूमिका समाप्त कर देनी चाहिए।
- **अवसंरचना का आधुनिकीकरण:** दीर्घकालिक रणनीतिक उपायों के तहत, **प्रमुख बंदरगाहों को लैंडलॉर्ड मॉडल अपनाने** और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

अपनी रणनीतिक अवस्थिति, जल की प्राकृतिक गहराई और भविष्य की मांग के अनुरूप अवसंरचना विकास के कारण, विझिंजम बंदरगाह विदेशी बंदरगाहों पर भारत की निर्भरता को कम करने और ट्रांसशिपमेंट से राजस्व बढ़ाने की क्षमता रखता है। हालांकि, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीतिगत सुधार, अवसंरचना का आधुनिकीकरण और लागत के मामले में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे तभी भारत अपनी समुद्री अवस्थिति का पूरा लाभ उठा सकता है।

3.4. राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड (National Road Safety Board)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से **मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 215B को लागू करने** और **राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन** करने में विफल रहने पर सवाल किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- **मोटर वाहन अधिनियम, 1988** की धारा 215B **राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन का प्रावधान** करती है। यह धारा मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के द्वारा जोड़ी गई थी।
- **केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) ने 2021** में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन के लिए अधिसूचना **जारी** की थी।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड (NRSB) के बारे में

- **संरचना:** केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और कम से कम तीन, लेकिन अधिकतम सात सदस्य।
- **मुख्यालय:** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होगा और बोर्ड भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकता है।
- **NRSB के कार्य:**
  - बोर्ड **सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने, नवाचार को प्रोत्साहित करने और नई प्रौद्योगिकी को अपनाने तथा यातायात और मोटर वाहनों को विनियमित करने के लिए** जिम्मेदार होगा।
  - **इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बोर्ड निम्नलिखित कार्य करेगा:**
    - केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकरणों को सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन पर **तकनीकी सलाह और सहायता प्रदान करना;**
    - **निम्नलिखित हेतु प्रोत्साहन देना-**
      - गुड सेमेरिटन को बढ़ावा;
      - सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन में सर्वोत्तम विधियों/ पद्धतियों को अपनाना;
      - वाहन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नई वाहन तकनीक को अपनाना;
      - अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मानकों और घरेलू तकनीकी मानकों के बीच सामंजस्य बिठाना;
    - सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, दुर्घटना जांच में सुधार के लिए अनुसंधान का संचालन करना।

भारत में सड़क सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां

- **उच्च मृत्यु दर और अधिक संख्या में लोगों का घायल होना:** 2022 में विश्व में सड़क दुर्घटनाओं में 11% मौतें भारत में हुईं थीं। इस तरह भारत सड़क यात्रा के मामले में सबसे असुरक्षित देशों में से एक बन गया है।

- **व्यवहार संबंधी मुद्दे:** 'भारत में सड़क दुर्घटनाएं-2022' रिपोर्ट के अनुसार 2022 में, **सड़क दुर्घटनाओं में 71.2% मौतें तेज गति से गाड़ी चलाने के कारण** (ओवर-स्पीडिंग) हुईं। इसके बाद 5.4% मौतें **गलत साइड से गाड़ी चलाने के कारण** हुईं।
- **सड़क की स्थिति/ परिवेश:** 'विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)-दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रीय सड़क सुरक्षा स्थिति रिपोर्ट' के अनुसार, 20% से भी कम राष्ट्रीय सड़क नेटवर्क का 'सुरक्षा रेटिंग मूल्यांकन' किया जाता है।
- **राज्यों के स्तर पर धीमी प्रगति:** IIT दिल्ली की ट्रिप (TRIP) सेंटर द्वारा संकलित "भारत सड़क सुरक्षा स्थिति रिपोर्ट 2024" के अनुसार, अधिकांश राज्य **2030 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को आधा करने के "संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा दशक"** के लक्ष्य को पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं।
- **अन्य चुनौतियां:** सुरक्षित वाहन मानकों का अनुपालन नहीं करना, वाहन बेड़े में अलग-अलग विशेषताएं होना, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को बचाने के प्रति राहगीरों की उदासीनता, उच्च गुणवत्ता वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी, आदि।

डेटा बैंक

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार, वर्ष 2022 में-

- **सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों की संख्या में वृद्धि:** सड़क दुर्घटनाओं में 1.5 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। विशेष रूप से **18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के युवा** पीड़ितों का हिस्सा **66.5 प्रतिशत** था।
- **मृत्यु दर में वृद्धि:** वर्ष **2005 से 2022** के बीच सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों में **177 प्रतिशत की वृद्धि** हुई। वहीं, **वैश्विक स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों में कमी** का रुझान देखा गया है।
- **राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे:** सड़क दुर्घटनाओं का **39.2 प्रतिशत और कुल मौतों का 36.2 प्रतिशत** राष्ट्रीय राजमार्गों एवं एक्सप्रेसवे पर हुआ।

सड़क दुर्घटनाओं के प्रभाव

आर्थिक प्रभाव	असमानता में वृद्धि	अदृश्य लागत
विश्व बैंक के अनुसार, **सड़क दुर्घटनाओं** से भारत की अर्थव्यवस्था को प्रति वर्ष **सकल घरेलू उत्पाद का 3-5%** नुकसान होता है।	सड़क दुर्घटना से प्रभावित **75% से अधिक गरीब परिवारों** ने दुर्घटना के बाद अपनी **आय में गिरावट** की सूचना दी।	मानसिक पीड़ा, घर में कमाने वाले की मृत्यु, आदि। **लगभग 80% मृतक 45 वर्ष से कम उम्र** के थे।

सड़क सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम

वैश्विक स्तर पर उठाए गए कदम

- **सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई दशक 2021–2030 के लिए वैश्विक योजना:**
  - **विकासकर्ता:** WHO और संयुक्त राष्ट्र-क्षेत्रीय आयोगों द्वारा तैयार।
  - **उद्देश्य:** 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों और घायलों की संख्या को 50% तक कम करना।
- **सड़क सुरक्षा पर ब्रासीलिया घोषणा-पत्र 2015:** इसके तहत देशों ने सतत विकास लक्ष्य-3.6 (SDG-3.6) प्राप्त करने का संकल्प लिया। भारत भी इस घोषणा-पत्र का हस्ताक्षरकर्ता है।
  - **SDG 3.6:** 2030 तक वैश्विक स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु और घायलों की संख्या को आधा करना।

भारत में उठाए गए कदम

- **राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति, 2010:** यह नीति सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने, सड़क सुरक्षा डेटाबेस बनाने, सुरक्षित सड़क अवसंरचना सुनिश्चित करने, आदि पर ध्यान केंद्रित करती है।
- **मोटर वाहन अधिनियम, 1988** (MVA 1988) में **मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019** (MVA 2019) द्वारा संशोधन किए गए। इस अधिनियम में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - **गुड सेमेरिटन से संबंधित प्रावधान:** अधिनियम की नई धारा 134A के तहत "गुड सेमेरिटन को सुरक्षा" प्रदान की गई है, जिसके तहत किसी दुर्घटना पीड़ित की सहायता करने वाला व्यक्ति किसी भी सिविल या आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- **सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना, 2025:**
  - यह योजना केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत प्रदत्त अधिकारों के आधार पर शुरू की गई।

- **योजना के प्रमुख प्रावधान:**
    - **पात्रता:** मोटर वाहन के उपयोग से होने वाली सड़क दुर्घटना का कोई भी पीड़ित व्यक्ति इस योजना के तहत पात्र है।
    - **कवरेज:** इस योजना में दुर्घटना की तिथि से 7 दिनों तक सूचीबद्ध अस्पतालों में अधिकतम **1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार** करने का प्रावधान किया गया है।
    - **नोडल एजेंसी:** राज्य सड़क सुरक्षा परिषद
    - **सूचीबद्ध अस्पताल:** राज्य सरकारें सभी सक्षम अस्पतालों को (आयुष्मान भारत- प्रधान मंत्री-जन आरोग्य योजना में सूचीबद्ध अस्पतालों सहित) सूची में शामिल करेंगी।
    - **भुगतान प्रक्रिया:** अस्पतालों द्वारा क्लेम प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनकी पुष्टि राज्य स्वास्थ्य एजेंसी करती है, और भुगतान मोटर वाहन दुर्घटना निधि से 10 दिनों के भीतर किया जाता है।
- **व्हीकल इंजीनियरिंग:** एयरबैग, एंटी-ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), टायर्स, क्रैश टेस्ट आदि के संदर्भ में ऑटोमोबाइल सुरक्षा मानकों में सुधार किए गए हैं।
- **रोड इंजीनियरिंग:** योजना निर्माण के स्तर पर ही सड़क डिजाइन में सड़क सुरक्षा को शामिल किया गया है।
- **भारत NCAP:** यह "नई कार सुरक्षा मूल्यांकन कार्यक्रम (NCAP)[32]" है जो ऑटोमोबाइल्स को 'स्टार रेटिंग' प्रदान करने की प्रणाली प्रस्तावित करता है।

आवश्यक उपाय:

- **गवर्नेंस और विनियमन में सुधार:**
    - मानकीकृत मानदंडों के साथ **सड़क की मूल्यांकन प्रक्रियाओं को मजबूत करना चाहिए।**
    - **सड़क का नियमित रूप से ऑडिट** करना चाहिए।
        - **के. एस. राधाकृष्णन समिति (2014)** ने राज्य राजमार्गों के लिए थर्ड पार्टी सुरक्षा ऑडिट की सिफारिश की थी।
- **तकनीकी प्रगति का उपयोग करना चाहिए:**
    - **मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019** के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर **एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS)** को लागू करना चाहिए।
    - **नागपुर में लागू iRASTE (इंटेलिजेंट सोल्यूशन्स फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग)** जैसे AI आधारित समाधान को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जा सकता है।
- **सेफ सिस्टम अप्रोच को अपनाना चाहिए: सेफ सिस्टम के तहत अग्रलिखित पांच प्रमुख क्षेत्रों की पहचान** की गई है: मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट और भूमि-उपयोग की योजना, सुरक्षित सड़क अवसंरचना, वाहन की सुरक्षा, सड़क का सुरक्षित उपयोग, दुर्घटना के बाद की प्रतिक्रिया प्रणाली।
- **आपातकालीन स्वास्थ्य-देखभाल सेवा प्रणाली में सुधार करना चाहिए:**
    - सभी के लिए **सुलभ और आवश्यक ट्रॉमा केयर प्रणाली** की स्थापना करना चाहिए, जिसमें अस्पताल ले जाने से **पहले की चिकित्सकीय प्रतिक्रिया प्रणाली** भी शामिल हो।
- **अन्य उपाय:**
    - युवाओं में **सुरक्षित ड्राइविंग की आदतों को बढ़ावा** देना चाहिए,
    - **उच्च गुणवत्ता वाले हेलमेट** का उपयोग करना चाहिए,
    - **शराब और मादक पदार्थों के सेवन में कमी** करनी चाहिए, आदि।

32 New Car Safety Assessment program

3.5. जिला खनिज फाउंडेशन (The District Mineral Foundation: DMF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कोयला खदानों और इस्पात पर संसदीय स्थायी समिति ने संसद में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में भारत में **जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) फंड** और **प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)** की कार्यप्रणाली की समीक्षा प्रस्तुत की गई है।

भारत में खनन-क्षेत्राधिकार

संवैधानिक प्रावधान और विनियामकीय प्राधिकरण

संवैधानिक प्रावधान

संघ सूची की प्रविष्टि-54
केंद्र सरकार को उस सीमा तक खानों का विनियमन और खनिजों के विकास का अधिकार है जिस सीमा तक संघ के नियंत्रण के अधीन ऐसे विनियमन और विकास को संसद कानून द्वारा लोक हित में उचित घोषित करे।

राज्य सूची की प्रविष्टि-23
राज्य सरकारों को संघ सूची के उपबंधों के अधीन रहते हुए खानों का विनियमन और खनिज विकास का अधिकार है।

लघु खनिज प्राधिकरण

केंद्र सरकार
केंद्र सरकार को शासकीय अधिसूचना के माध्यम से किसी भी खनिज को 'लघु खनिज' (Minor Mineral) घोषित करने का अधिकार है।

राज्य सरकार
राज्य सरकारों को अपने राज्य की सीमा में लघु खनिजों के अन्वेषण/ खनन से संबंधित लीज (कन्सेशंस) देने हेतु नियम बनाने का अधिकार है।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) (MMDR) संशोधन अधिनियम, 2023

क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स
MMDR संशोधन अधिनियम, 2023 ने केंद्र सरकार को MMDR एक्ट की पहली अनुसूची के भाग D में सूचीबद्ध किसी भी 'क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल' के संबंध में खनन पट्टा एवं संयुक्त लाइसेंस (पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टा) की नीलामी आयोजित करने का विशेष अधिकार प्रदान किया है।

जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) का क्षेत्राधिकार

केंद्र सरकार
MMDR (संशोधन) अधिनियम, 2021 केंद्र सरकार को जिला खनिज फाउंडेशन की संरचना और निधियों के उपयोग के संबंध में निर्देश देने का अधिकार प्रदान करता है।

राज्य सरकारें
ये जिला खनिज फाउंडेशन से संबंधित प्रावधानों के कार्यान्वयन और इसके दैनिक प्रबंधन का कार्य देखती हैं।

जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) के बारे में

- **गठन:** इसका गठन 2015 में हुआ था। इसका गठन खान और खनिज (विकास और विनियमन) (MMDR) अधिनियम, 1957 में संशोधन करके किया गया था।
- **प्रकार:** खनिजों के खनन से प्रभावित प्रत्येक भारतीय जिले में **जिला खनिज फाउंडेशन का गठन किया जाता है। DMF फंड** एक **गैर-लाभकारी वैधानिक निधि** है। इसे गैर-लाभकारी ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया जाता है।
- **उद्देश्य:** इसका मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार खनन गतिविधियों से प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ावा देना और इस तरह की गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों का पुनरुद्धार करना है।
- **DMF की संरचना: दो-स्तरीय प्रशासनिक संरचना**
    - **MMDR अधिनियम, 1957 के अनुसार,** राज्य सरकारों को जिला खनिज फाउंडेशन की संरचना और कार्यों को निर्धारित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार है।
    - DMFs दो-स्तरीय प्रशासनिक संरचना के तहत कार्य करते हैं, जिनमें शामिल हैं:
        - **शासी परिषद (Governing Council):** यह नीति-निर्धारण का कार्य करती है।
        - **प्रबंधन समिति (Managing Committee):** यह परियोजनाओं और योजनाओं को लागू करती है।

- **DMF के वित्त-पोषण के स्रोत:**
    - इसे **खनन पट्टाधारकों** से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित रॉयल्टी के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित दर से फंड प्राप्त होता है:
        - 2015 या उसके बाद दिए गए पट्टों के लिए **रॉयल्टी का 10%**
        - 2015 से पहले दिए गए पट्टों के लिए **रॉयल्टी का 30%**
    - खनन पट्टाधारकों का जिला खनिज फाउंडेशन में योगदान हर खनिज के लिए अलग-अलग होता है, क्योंकि यह रॉयल्टी के प्रतिशत के रूप में लिया जाता है, और रॉयल्टी खनिज के प्रकार के आधार पर अलग-अलग होती है, न कि खदान के आधार पर।
    - **फंड का उपयोग:** इस फंड का उपयोग जिला स्तर पर **प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)** के दिशा-निर्देशों के तहत किया जाता है।
- **महत्व और स्थिति:**
    - **भागीदारी आधारित शासकीय कानूनों के अनुकूल:** जिला खनिज फाउंडेशन की कार्यप्रणाली संविधान की **पांचवीं और छठी अनुसूची** (आदिवासी क्षेत्र); पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (PESA), 1996; तथा वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 से भी निर्देशित होती है।
    - **23 राज्यों के 645 जिलों में** जिला खनिज फाउंडेशन का गठन किया गया है।
    - जिला खनिज फाउंडेशन को पिछले एक दशक में **1 लाख करोड़ रुपये से अधिक फंड** प्राप्त हुए हैं।
    - **DMF फंड प्राप्त करने के मामले में शीर्ष राज्य:** ओडिशा (29%), छत्तीसगढ़ (14%), और झारखंड (13%)।

प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) के बारे में

- **शुरुआत:** इसकी शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 2015 में **MMDR अधिनियम, 1957 की धारा 20A के तहत** की गई थी।
- **कार्यान्वयन तंत्र:** राज्य सरकारों को जिला खनिज फाउंडेशन से संबंधित नियमों में PMKKKY को शामिल करना अनिवार्य होता है।
- **उद्देश्य:**
    - खनिजों के खनन से प्रभावित क्षेत्रों में **संधारणीय विकास** सुनिश्चित करना।
    - **स्वास्थ्य-देखभाल सेवा, शिक्षा, अवसंरचना, जलापूर्ति, आजीविका आदि के लिए फंड** प्रदान करना।
- **मुख्य संशोधन (2024 के दिशा-निर्देश):**
    - **फंड आवंटन से जुड़ी प्राथमिकताएं:**
        - DMF फंड का **70%** उच्च-प्राथमिकता वाले क्षेत्रकों (जैसे- पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य देखभाल सेवा, शिक्षा आदि) में खर्च होना चाहिए।
        - अन्य क्षेत्रकों (अवसंरचना, सिंचाई, ऊर्जा, वाटरशेड विकास) पर अधिकतम **30% व्यय** किया जाना चाहिए।
    - **आजीविका पर ध्यान:**
        - कौशल विकास का विस्तार करके इसमें **कौशल विकास के साथ-साथ आजीविका सृजन** को भी शामिल किया गया है।
        - **कृषि और पशुपालन को उच्च-प्राथमिकता वाले क्षेत्रकों की सूची में** शामिल किया गया है।
    - **खनन से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र:** फंड का **70%** हिस्सा खनन से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में खर्च किया जाना चाहिए।
    - **एंडोमेंट फंड:** खनन कार्य समाप्त होने के बाद उन क्षेत्रों में आजीविका को बनाए रखने के लिए वार्षिक DMF प्राप्तियों का **10%** अलग रखा जाएगा।
    - **योजना को बेहतर करना:** आवश्यकताओं के आकलन के आधार पर 5-वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजनाएं (पर्सपेक्टिव प्लान) बनाना अनिवार्य किया गया है।

जिला खनिज फाउंडेशन से जुड़ी चुनौतियां

- **गवर्नेंस संबंधी समस्याएं:**
    - **अधिकारियों का दबदबा:** DMFs ज़्यादातर **जिला कलेक्टरों** द्वारा नियंत्रित होते हैं। इनमें खनन से प्रभावित समुदाय का प्रतिनिधित्व बहुत कम होता है। उदाहरण के लिए, iForest रिपोर्ट के अनुसार, केवल पाँच राज्यों ने ही DMFs के शासी परिषदों में खनन से प्रभावित लोगों को शामिल किया है।
    - **स्वायत्तता की कमी:** संसदीय समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार, जिला कलेक्टर ही जिला खनिज फाउंडेशन के **शासी परिषद** और **प्रबंधन समिति,** दोनों का अध्यक्ष होता है। इस वजह से ये फाउंडेशन स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाते हैं।
- **योजना और लाभार्थी की पहचान में कमी:** किसी भी जिले ने पाँच साल की परिप्रेक्ष्य योजना (पर्सपेक्टिव प्लान) प्रकाशित नहीं की है।
    - **उदाहरण के लिए,** संसदीय समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार, ग्राम सभा की कम भागीदारी (जो टॉप-डाउन अप्रोच को दर्शाती है) सहभागी निर्णय लेने की प्रक्रिया को कमज़ोर करती है।

- **फंड के उपयोग से जुड़ी चुनौतियां:**
    - **कम खर्च:** iForest की रिपोर्ट के अनुसार, एकत्र किए गए **फंड का केवल 40% ही उपयोग किया गया है,** जो परियोजना के क्रियान्वयन में देरी को दर्शाता है। **उदाहरण के लिए-** झारखंड, ओडिशा और राजस्थान जैसे प्रमुख राज्यों में फंड का उपयोग काफी कम हुआ है।
    - **DMF फंड का असंतुलित आवंटन:** फंड का उपयोग मानव विकास की तुलना में भौतिक अवसंरचना के विकास में अधिक किया जाता है। इससे गरीबी और अभाव को दूर करने के PMKKKY के लक्ष्य की अनदेखी होती है।
        - उदाहरण के लिए- iForest रिपोर्ट के अनुसार, 11 राज्यों में **30% से अधिक** DMF फंड बुनियादी ढांचे के लिए आवंटित किया गया।
- **शिकायत निवारण और निगरानी प्रक्रिया का मजबूत नहीं होना:** अधिकतर ज़िलों में शिकायत निवारण तंत्र सही से कार्य नहीं कर रहे हैं। कितनी शिकायतों का समाधान हुआ, इस पर कोई डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।
    - उदाहरण के लिए- संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार, **'DMF फंड उपयोग सूचकांक'** नहीं होने की वजह से फंड के उपयोग में पारदर्शिता नहीं आ पाती है।
- **सोशल ऑडिट नहीं किया जाना:** iForest रिपोर्ट के अनुसार, DMFs ने लाभार्थियों पर अपने निवेश के प्रभावी होने का मूल्यांकन करने के लिए **सोशल ऑडिट असेसमेंट** नहीं कराया है।
- **आकांक्षी ज़िलों में PMKKKY लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई:** संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार, 112 आकांक्षी ज़िलों में से 106 DMF ज़िले हैं, फिर भी खनन के दुष्प्रभावों को कम करने का PMKKKY का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है।

जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) के गवर्नेंस और कार्यान्वयन में सुधार

- **गवर्नेंस संबंधी सुधार:**
    - यह सुनिश्चित करना चाहिए कि DMFs स्वतंत्र रूप से और समुदाय के नेतृत्व वाली संस्थाओं के रूप में कार्य करें, न कि जिला प्रशासन की शासकीय यूनिट के रूप में।
        - **उदाहरण के लिए,** DMFs के संचालन में ग्राम सभाओं को सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए।
    - शासी परिषद और प्रबंधन समिति में खनन से प्रभावित समुदायों का कम-से-कम **1/3 प्रतिनिधित्व** होना चाहिए।
- **भागीदारीपूर्ण योजना और दीर्घकालिक दृष्टिकोण:** सभी DMFs को स्थानीय समुदाय के परामर्श से **पांच-वर्षीय व्यापक योजनाएं** तैयार करनी चाहिए।
    - ये योजनाएं जिला के विकास-लक्ष्यों के अनुरूप होनी चाहिए, लेकिन इसमें खनन-प्रभावित लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- **PMKKKY दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू करना:** DMF फंड का कम-से-कम **70%** अति-महत्वपूर्ण क्षेत्रकों को आवंटित किया जाना चाहिए। इन क्षेत्रकों में स्वास्थ्य देखभाल सेवा, शिक्षा, आजीविका और कौशल विकास, तथा पेयजल आपूर्ति और सैनिटेशन शामिल हैं।
    - राज्य सरकारों को राष्ट्रीय PMKKKY दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए।
- **सोशल ऑडिट और वित्तीय समीक्षा अनिवार्य करना:** स्वतंत्र **थर्ड पार्टी एजेंसियों** द्वारा नियमित रूप से ऑडिट करवाया जा सकता है।
    - **नियंत्रक-महालेखापरीक्षक** को DMF के व्यय और उसके प्रभाव का **समय-समय पर मूल्यांकन** करना चाहिए।
- **'जस्ट ट्रांजिशन' पर ध्यान देना:** उदाहरण के लिए, खनन बंद होने के बाद उन क्षेत्रों में समुदायों को सहायता प्रदान करने के लिए **पोस्ट-माइन इकोनॉमी (खनन-समाप्ति पश्चात विकास) के लिए एंडोमेंट फंड** स्थापित करना चाहिए।

निष्कर्ष

अपने गठन के एक दशक बाद भी, जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा है। समस्या फंड की कमी नहीं, बल्कि वांछित उद्देश्यों को पूरा करने के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है। DMF के तहत निर्धारित लक्ष्यों को वास्तव में पूरा करने के लिए, हमें तत्काल व्यवस्थागत सुधारों को अपनाने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया में खनन से प्रभावित समुदायों को निर्णय लेने के प्रक्रिया के केंद्र में रखना आवश्यक है।

नोट: *प्रमुख और लघु खनिजों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए फरवरी, 2025 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 3.2.1. देखें।*

Vision Publication
Igniting Passion for Knowledge..!
Scan the QR code to explore our collection and start your journey towards success.

3.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

3.6.1. भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया (India overtakes Japan to become 4th Largest Economy)

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की हालिया **वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक** रिपोर्ट के अनुसार, भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।

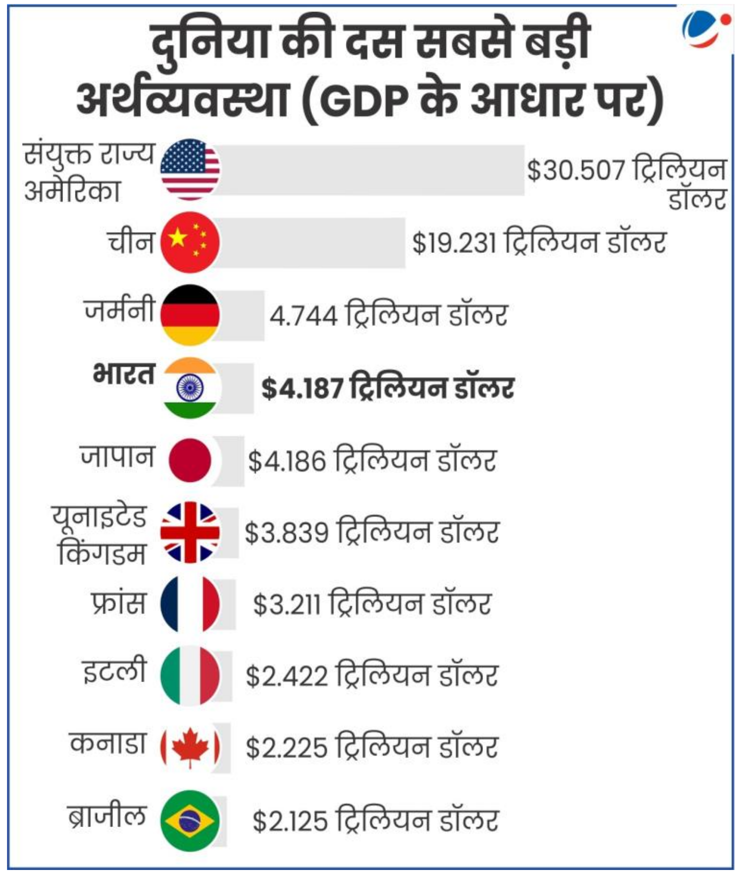

भारत की इस आर्थिक उपलब्धि के मुख्य कारक

- **संरचनात्मक कारक:**
    - **शहरीकरण और लोगों की बढ़ती आकांक्षाएं:** इनके कारण प्रति व्यक्ति आय और जीवन-शैली से संबंधित दैनिक उपभोग में वृद्धि हो रही है।
    - **जनसांख्यिकीय लाभांश:** भारतीयों की वर्तमान **औसत आयु लगभग 29 वर्ष** है।
    - **घरेलू मांग में वृद्धि:** निजी उपभोग, भारत की GDP में लगभग 70% का योगदान देता है, आदि।
- **नीतिगत कारक:**
    - **कराधान और व्यापार से संबंधित सुधार:** जैसे - वस्तु एवं सेवा कर (GST), इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC), कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती, आदि।
    - **अवसंरचना निर्माण पर बल देना:** जैसे - राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, पी.एम. गति शक्ति, आदि।
    - **आत्मनिर्भर भारत, उत्पादन-से-सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना,** आदि जैसी प्रमुख नीतिगत पहलें।
- **तकनीकी कारक:**
    - **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर:** जैसे- UPI, जैम ट्रिनिटी, आदि।
    - भारतीय आई.टी., सॉफ्टवेयर निर्यात और परामर्श सेवाओं के लिए मजबूत वैश्विक मांग, आदि।
- **बाह्य और वैश्विक कारक:** FDI अंतर्वाह में वृद्धि तथा **'चाइना प्लस वन'** और **सप्लाई चेन रेजिलिएंस इनिशिएटिव** जैसी रणनीतियों के जरिए वैश्विक **आपूर्ति श्रृंखला का पुनर्संतुलन,** आदि।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भविष्य की संभावनाएं

भारत अगले 2.5 से 3 वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, जिसके लिए निम्नलिखित प्रमुख कारक उत्तरदायी हैं:

- **एनर्जी ट्रांजिशन:** नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में तीव्र वृद्धि (2030 तक 500 GW का लक्ष्य) और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) जैसे वैश्विक मंचों पर भारत की नेतृत्वकारी भूमिका इसे हरित विकास के अग्रणी देश के रूप में स्थापित करती है।
- **विनियामकीय स्थिरता:** बैंकिंग क्षेत्रक में सुधार (जैसे- बैंक पुनर्पूंजीकरण) और RBI जैसे मजबूत विनियामक संस्थान की मौजूदगी भारत की समग्र आर्थिक स्थिरता को मजबूती प्रदान करती है।

3.6.2. संयुक्त राज्य अमेरिका के हाउस ऑफ़ रीप्रेज़ेंटेटिव ने विप्रेषण के बहिर्गमन पर 3.5% कर की मंजूरी दी (US House Approves 3.5% Outward Remittance Tax)

संयुक्त राज्य अमेरिका के हाउस ऑफ़ रीप्रेज़ेंटेटिव ने विप्रेषणों के बहिर्गमन पर 3.5% कर के प्रावधान वाले 'वन, बिग, ब्यूटीफुल बिल' को मंजूरी दी।

- **'विप्रेषणों के अंतरण पर उत्पाद शुल्क'** नामक यह नया प्रस्तावित प्रावधान **1 जनवरी, 2026** से लागू होगा।

विप्रेषण (Remittance) के बारे में

- **परिभाषा:** किसी अन्य देश में काम करने वाले लोगों द्वारा अपने गृह देश में धन के अंतरण को विप्रेषण के रूप में जाना जाता है।
    - 2023 में, प्रवासी कामगारों द्वारा अपने गृह देशों को भेजी गई कुल विप्रेषण राशि **लगभग 656 बिलियन अमेरिकी डॉलर** थी।
- 2024 में भारत को कुल वैश्विक विप्रेषण का **14.3% हिस्सा प्राप्त** हुआ था। यह अब तक भारत द्वारा प्राप्त की गई सबसे अधिक हिस्सेदारी है।

विधेयक के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर

- **विप्रेषण कर (उत्पाद शुल्क)** केवल **गैर-अमेरिकी नागरिकों** पर लागू होगा, जबकि अमेरिकी नागरिकों को इससे छूट दी गई है।
    - इससे प्रभावित समूहों में **वीज़ा धारक (H-1B व F-1), ग्रीन कार्ड धारक** आदि शामिल हैं।
- इस विधेयक में **विप्रेषण के बहिर्गमन पर लगने वाले कर को 5% से घटाकर 3.5%** करने का प्रावधान किया गया है।

विप्रेषण के अंतरण पर उत्पाद शुल्क का प्रभाव

- **वैश्विक आर्थिक प्रभाव:** अल-सल्वाडोर, मैक्सिको, भारत जैसे देश जो अमेरिकी विप्रेषण से सबसे अधिक लाभ प्राप्त करते हैं को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
    - यह विधेयक विदेशी कामगारों को अमेरिका में संपत्ति या रोजगार बनाए रखने से भी हतोत्साहित कर सकता है।
- **भारत में विप्रेषण के अंतर्वाह में कमी:** संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के लिए विप्रेषण का सबसे बड़ा स्रोत है। इसने 2023-24 में कुल विप्रेषण प्रवाह में **32.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का योगदान किया था।
- विप्रेषण कर लगने से अमेरिका में भारतीयों द्वारा **कुछ धन को ग्रे या ब्लैक मार्केट में अंतरित** किया जा सकता है, ताकि इस नए प्रावधान से बचा जा सके।

संबंधित सुर्ख़ियां {उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS)}

RBI के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में **उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS)** के तहत छात्र विप्रेषण पांच साल के निचले स्तर (2.92 बिलियन अमेरिकी डॉलर) पर आ गया है। यह छात्र बहिर्वाह में कमी का संकेत देता है।

उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के बारे में

- **उत्पत्ति: भारतीय रिजर्व बैंक** द्वारा **2004** में इसकी शुरुआत की गई थी।
- **लाभ:** सभी निवासी व्यक्तियों (जिनमें नाबालिक भी शामिल हैं) को किसी भी अनुमेय चालू या पूंजीगत खाते के लेन-देन या दोनों के संयोजन के लिए प्रति वित्तीय वर्ष **250,000 डॉलर** तक की राशि स्वतंत्र रूप से भेजने की अनुमति है।
- इसके तहत **विप्रेषण की बारंबारता पर कोई प्रतिबंध नहीं** है।
- यह योजना **कॉर्पोरेट्स, साझेदारी फर्मों, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), ट्रस्ट आदि के लिए उपलब्ध नहीं** है।

3.6.3. वैकल्पिक निवेश कोष (Alternative Investment Funds: AIFs)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने **वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) में निवेश के नियमों में संशोधन** किया।

वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) के बारे में

- यह भारत में पंजीकृत फंड आधारित संस्था है, जो **निजी रूप से निवेश जुटाती है**। साथ ही, ये अपने निवेशकों के लाभ के लिए निर्धारित निवेश नीति के अनुसार निवेश करने हेतु **भारतीय या विदेशी अनुभवी निवेशकों से फंड भी एकत्रित** करता है।
- ये संस्थाएं **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा SEBI (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012** के अनुसार **विनियमित** हैं।

AIF की निम्नलिखित तीन श्रेणियां हैं:

- **श्रेणी I:** ये स्टार्ट-अप्स, सोशल वेंचर, लघु और मध्यम उद्यम (SME) आदि में निवेश करते है।
    - इनके उदाहरण हैं- वेंचर कैपिटल फंड, SME फंड आदि।

* **श्रेणी II:** ये इक्विटी और ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं।
    * इनके उदाहरण हैं: रियल एस्टेट फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड आदि।
* **श्रेणी III:** ये फंड्स **रिटर्न बढ़ाने** के लिए निवेश **उधारी लेकर निवेश** करते हैं, जिनमें **सूचीबद्ध या गैर-सूचीबद्ध डेरिवेटिव्स में निवेश** भी शामिल है।

इनके उदाहरण हैं: हेज फंड, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी (PIPE) फंड आदि।

3.6.4. प्रीडेटरी प्राइसिंग (Predatory Pricing)

हाल ही में **भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने लागत विनियम, 2025** अधिसूचित किए हैं। इनमें **प्रीडेटरी प्राइसिंग को रोकने के लिए नई परिभाषाएं** दी गई हैं।

प्रीडेटरी प्राइसिंग के बारे में

- **परिभाषा:** प्रीडेटरी प्राइसिंग वास्तव में **प्रतिस्पर्धा को कम करने या प्रतिद्वंद्वियों को समाप्त करने के उद्देश्य से अपनी वस्तुओं या सेवाओं को लागत से कम कीमत पर बेचना** है।
- **प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 4(2)** के अनुसार, **किसी बड़ी या वर्चस्व वाली कंपनी द्वारा की गई प्रीडेटरी प्राइसिंग, दुरूपयोग वाली गतिविधि** है।
- **प्रीडेटरी प्राइसिंग के प्रभाव:**
  - **ग्राहकों पर प्रभाव:** अल्पकाल के लिए **कम कीमतों के कारण लाभकारी** होती है, लेकिन **लंबे समय में विकल्पों की कमी** और कीमतों में वृद्धि के कारण **नुकसानदायक** सिद्ध होती है।
  - **कंपनियों पर प्रभाव:** यह सभी कंपनियों को **अल्पकाल में नुकसान** पहुंचाती है, लेकिन जब **प्रतिद्वंद्वी** बाहर हो जाते हैं, तो **एकाधिकार प्राप्त कंपनियां कीमतें बढ़ाकर** अपने घाटे की भरपाई करती हैं।

3.6.5. भुगतान विनियामक बोर्ड (Payments Regulatory Board)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने **भुगतान विनियामक बोर्ड विनियम, 2025** को अधिसूचित किया। इन्हें **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007** के तहत अधिसूचित किया गया है।

- ये विनियम **भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन एवं पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड विनियम, 2008** की जगह लेंगे।

भुगतान विनियामक बोर्ड के बारे में:

- **संरचना:**
  - **अध्यक्ष:** भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर
  - **पदेन सदस्य:** भुगतान प्रणाली के प्रभारी RBI डिप्टी गवर्नर और RBI द्वारा नामित एक अधिकारी
  - **3 सदस्य:** केंद्र सरकार द्वारा नामित
  - **विशेषज्ञ आमंत्रण:** यह बोर्ड भुगतान, सूचना प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, कानून जैसे क्षेत्रकों से विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकता है।
- **कार्यकाल:** सरकार द्वारा नामित सदस्यों का कार्यकाल **4 वर्षों** का होगा। उन्हें **फिर से नामित नहीं** किया जा सकता।
- **बैठकें:** प्रत्येक वर्ष **कम-से-कम दो बार बैठक करना अनिवार्य** है।
- **कोरम (गणपूर्ति): न्यूनतम 3 सदस्य** आवश्यक हैं, जिनमें अध्यक्ष या डिप्टी गवर्नर में से कोई एक होना जरूरी है।
- **निर्णय प्रक्रिया: बहुमत** से निर्णय लिए जाएंगे। यदि मत बराबर हों, तो **अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार** होगा।

3.6.6. RBI (डिजिटल ऋण) दिशा-निर्देश, 2025 {RBI (Digital Lending) Directions, 2025}

RBI ने भारतीय रिज़र्व बैंक (डिजिटल ऋण) दिशा-निर्देश, 2025 जारी किए। इन दिशा-निर्देशों का मुख्य उद्देश्य उधारकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ाना, डेटा पारदर्शिता सुनिश्चित करना और ज़िम्मेदारपरक डिजिटल ऋण (लेंडिंग) पद्धतियों को बढ़ावा देना है।

मुख्य दिशा-निर्देशों पर एक नजर

- **डिजिटल ऋण की परिभाषा:** इसे डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग द्वारा दूरस्थ और स्वचालित ऋण प्रक्रिया के जरिये ग्राहकों को जोड़ने, ऋण का आंकलन करने, ऋण अनुमोदन, ऋण प्रदान और वसूली करने आदि के रूप में परिभाषित किया गया है।
- **ये दिशा-निर्देश अग्रलिखित पर लागू होते हैं:** वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक (शहरी)/ राज्य/ केंद्रीय सहकारी बैंक, NBFC (हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान।
- **डिजिटल लेंडिंग ऐप्स (DLAs) की अनिवार्य रिपोर्टिंग:** सभी वैध डिजिटल लेंडिंग ऐप्स का RBI के केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (CIMS) पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण होगा, ताकि एक पारदर्शी सार्वजनिक सूची बनाई जा सके।
- **समुचित सावधानी बरतना:** वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण सेवा प्रदाताओं (LSPs) की तकनीकी क्षमताओं, डेटा को गोपनीय रखने की उनकी क्षमता, ऋण लेने वाले की गतिविधियों और नियमों के अनुपालन पर निगरानी रखनी चाहिए।
  - LSP वस्तुतः वित्तीय संस्था की ओर से डिजिटल लेंडिंग संबंधी कार्य निष्पादन करता है।
- **उधारकर्ताओं के लिए प्रकटीकरण:** वित्तीय संस्थाओं और LSPs को उधारकर्ताओं को सभी जरूरी जानकारी जैसे नियम व शर्तें, गोपनीयता नीति आदि स्पष्ट रूप से बतानी होगी, ताकि उधारकर्ता सही निर्णय ले सकें।
- **शिकायत निवारण अधिकारी:** इसे डिजिटल ऋण-संबंधी शिकायतों और मुद्दों का समाधान करने के लिए LSPs द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

3.6.7. ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (Opinion Trading Platforms)

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI/ सेबी) ने निवेशकों को ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से लेन-देन करने के प्रति सचेत किया है।

ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में

- **अवधारणा:** ये प्लेटफॉर्म्स प्रतिभागियों को किसी भी खेल, राजनीतिक स्थिति, मौसम या क्रिप्टो घटनाओं पर अपने पूर्वानुमानों में निवेश करके पैसा कमाने का विकल्प देते हैं:

- प्रतिभागी अपने पूर्वानुमानों के आधार पर किसी भी घटना पर दांव लगा सकते हैं।
- यदि पूर्वानुमान सही निकलता है, तो प्रतिभागी को धन मिलता है, तथा यदि पूर्वानुमान गलत होता है, तो उसे हार का सामना करना पड़ता है।

- **कानूनी स्थिति:** यह सेबी द्वारा विनियमित नहीं है, क्योंकि इसके तहत जिन वस्तुओं का कारोबार किया जा रहा है वे भारतीय कानून के तहत प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत नहीं हैं।
- **अर्थव्यवस्था:** इन प्लेटफॉर्म्स ने **5 करोड़ से अधिक लोगों के उपयोगकर्ता आधार के साथ प्रति वर्ष 50,000 करोड़ रुपये** से अधिक का लेनदेन दर्ज किया है।

3.6.8. भारत ने अब तक का सर्वाधिक निर्यात हासिल किया (India Achieves Highest Ever Exports)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, **भारत का कुल निर्यात (वस्तु + सेवाएं) 2024-25 में 824.9 बिलियन डॉलर** तक पहुंच गया है। यह 2023-24 के 778.1 बिलियन डॉलर से **6.01%** अधिक है।

- यह उपलब्धि **लाल सागर संकट, यूक्रेन युद्ध, पनामा नहर में सूखा, गैर-टैरिफ उपायों में वृद्धि, ऊर्जा की बढ़ती कीमतों** आदि के कारण व्यापार में व्यवधानों से उत्पन्न वैश्विक स्तर पर आर्थिक गिरावट के बावजूद भी हासिल की गई है।

इससे संबंधित मुख्य आंकड़े और रुझान

- **वस्तु का निर्यात:** यह 2023-24 में **437.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कुछ बढ़कर 437.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर** हो गया है।
- **सेवा का निर्यात:** यह **2024-25 में 387.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऐतिहासिक उच्च स्तर** पर पहुंच गया है। यह 2023-24 के 341.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में **13.6%** अधिक है।
  - प्रमुख क्षेत्रकों में दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं, परिवहन, यात्रा और वित्तीय सेवाएं शामिल हैं।

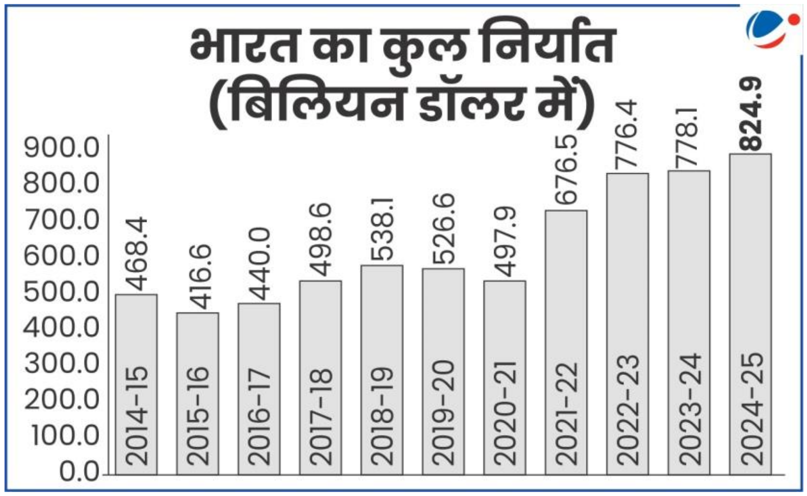

निर्यात वृद्धि में बढ़ोतरी करने वाले कारक

- **नीतिगत प्रोत्साहन:** सरकार ने नई विदेश व्यापार नीति, क्षेत्रक-विशिष्ट योजनाओं, व्यापार हेतु सुविधा, डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब्स इनिशिएटिव और MSMEs को समर्थन के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा दिया है।
- **निर्यात बाजारों का विविधीकरण:** दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से बढ़ती मांग ने वैश्विक स्तर पर आर्थिक गिरावट के बावजूद भी भारत के निर्यात को बढ़ाया है।
- **व्यापार समझौते:** विशेष रूप से सेवाओं और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौते किए गए हैं तथा बाजार को खोला एवं बाधाओं को कम किया गया है। जैसे **भारत-UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA)।**
- **आपूर्ति श्रृंखला का पुनर्निर्धारण:** चीन-प्लस-वन रणनीति में भारत एक विश्वसनीय विकल्प बन गया है, जो वैश्विक प्रभुत्व वाली कंपनियों को आकर्षित कर रहा है।

3.6.9. विश्व बैंक भूमि सम्मेलन (World Bank Land Conference)

भारत ने विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में 'कंट्री चैंपियन' की भूमिका धारण की।

- इस सम्मेलन के दौरान **समावेशी व प्रौद्योगिकी-संचालित ग्रामीण गवर्नेंस के मॉडल के रूप में भारत की भूमि प्रबंधन संबंधी प्रमुख पहलों** की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित किया गया। जैसे **स्वामित्व योजना और ग्राम मानचित्र प्लेटफॉर्म।**
- **स्वामित्व योजना** ने 68,000 वर्ग कि.मी. का सर्वेक्षण और 1.16 ट्रिलियन रुपये मूल्य की भूमि का मुद्रीकरण किया है। इस उपलब्धि के साथ यह वैश्विक स्तर पर समावेशी आर्थिक रूपांतरण के लिए **एक स्केलेबल मॉडल के रूप में सामने** आई है।
  - स्वामित्व योजना का उद्देश्य ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग के जरिये भू-खंडों का मानचित्रण करके **ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व** की स्थापना करना है।
- क्लाइमेट रिजिलिएंस, अवसंरचना के नियोजन और योजनाओं के अभिसरण को बढ़ावा देने में **ग्राम मानचित्र प्लेटफॉर्म की भूमिका को ग्लोबल साउथ के संदर्भ में काफी लाभकारी और एक उपयोगी मॉडल** माना गया।
  - ग्राम मानचित्र एक **भू-स्थानिक प्लानिंग प्लेटफॉर्म है,** जो ग्राम पंचायतों को डेटा-संचालित व स्थानीयकृत विकास योजनाएं तैयार करने में सक्षम बनाता है।

कुशल भूमि प्रबंधन प्रणाली और आर्थिक संवृद्धि

- **नौकरियां और विकास:** संपत्ति तक सुव्यवस्थित पहुंच से **उद्यमशीलता, विस्तार करने, धन के पुनर्निवेश और वैकल्पिक आजीविका** की सुविधा मिलती है।
- **निजी पूंजी:** पंजीकृत संपत्ति संबंधी अधिकार भू-स्वामियों को भूमि को जमानत के रूप में रखने हेतु सक्षम बनाते हैं, **जिससे निजी ऋण और निवेश के अवसरों को बढ़ावा** मिलता है।
- **अवसंरचना वित्त-पोषण:** आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं और अवसंरचना के लिए विश्वसनीय सरकारी राजस्व उत्पन्न होता है।
  - निम्न आय वाले देशों में भूमि और संपत्ति कर GDP में मात्र 0.6% का योगदान करते हैं, जबकि औद्योगिक देशों में यह आंकड़ा 2.2% है।
- **शहरी प्रबंधन:** इससे **शहरों के विकास की योजना बनाने, सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा करने, विकास के अवसरों की पहचान करने और आपदा जोखिमों का प्रबंधन** करने में सहायता मिलती है।
- **खाद्य सुरक्षा:** इससे भूमि पर महिलाओं के स्वामित्व में सुधार द्वारा **कृषि उत्पादन में 4% की वृद्धि** हो सकती है।

3.6.10. रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स (Repairability Index)

रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स (RI) के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने हेतु **भरत खेड़ा की अध्यक्षता** में गठित समिति ने उपभोक्ता मामलों के विभाग (DoCA) को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स के लिए फ्रेमवर्क के बारे में (समिति की सिफारिशें):

- **ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (OEMs)** को फ्रेमवर्क में दिए गए स्कोरिंग मापदंडों के आधार पर **रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स संबंधी स्व-घोषणा करना अनिवार्य** है।
- **रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स को बिक्री/खरीद केन्द्रों,** ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर तथा पैकेज्ड उत्पादों पर **क्यू.आर. कोड के रूप में प्रदर्शित** किया जाना चाहिए।
- रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स के प्रारंभिक चरण के लिए **स्मार्टफोन और टैबलेट को प्राथमिकता श्रेणी** के रूप में चुना गया है।
- रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स का आकलन **छह मुख्य मापदंडों पर किया जाएगा (इन्फोग्राफिक देखें)।**
  - **प्रत्येक मापदंड के लिए** स्कोरिंग मानदंड और भारांश विकसित किए गए हैं।
  - उत्पाद के प्राथमिक भागों या प्रायोरिटी पार्ट्स के भारांश को जोड़ने के बाद **पांच-बिंदु वाले न्यूमेरिक स्केल पर रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स निकाला जाता है।**

रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स का महत्व

- **मरम्मत या रिपेयर की सुविधा में सुधार:** मोबाइल और टैबलेट उत्पाद श्रेणी से जुड़ी शिकायतों में काफी वृद्धि हुई है, जो 2022-2023 के 19,057 से बढ़कर 2024-2025 में 22,864 हो गई।
- **संधारणीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा:** यह संधारणीय उपभोग को बढ़ावा देते हुए **LiFE (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) की अवधारणा** को मजबूती प्रदान करता है।
- **'योजनाबद्ध तरीके से अप्रचलन (Planned Obsolescence)' के मुद्दे का समाधान:** प्रायः कंपनियां जानबूझकर ऐसे उत्पाद बनाती हैं जो थोड़े समय में खराब हो जाएं और नए उत्पाद खरीदने पड़ें।
- **रोजगार सृजन:** थर्ड-पार्टी द्वारा मरम्मत की अनुमति से रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।

राइट टू रिपेयर के बारे में

- इसमें कंपनियों से कहा गया है कि वे उत्पादों का जीवनकाल बढ़ाने के लिए ग्राहकों और रिपेयर करने वाली दुकानों को **स्पेयर पार्ट्स, उपकरण और उत्पाद की मरम्मत करने से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएं।**
  - उपभोक्ता मामलों के विभाग (DoCA) ने **2022 में 'राइट टू रिपेयर पोर्टल इंडिया'** शुरू किया था, ताकि मरम्मत से जुड़ी आवश्यक जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके।

3.6.11. वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट (वेव्स/ WAVES), 2025 {World Audio Visual and Entertainment Summit (WAVES), 2025}

वेव्स शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन **मुंबई** में किया गया। इस अवसर पर प्रधान मंत्री ने **भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी को भविष्य की GDP में वृद्धि, नवाचार और समावेशी विकास के एक शक्तिशाली चालक** के रूप में रेखांकित किया।

- वेव्स का लक्ष्य **2029 तक 50 बिलियन डॉलर** का बाजार तैयार करना है। इससे वैश्विक मनोरंजन अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति मजबूत होगी।
- शिखर सम्मेलन के दौरान सरकार ने रचनात्मक क्षेत्र के लिए **इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी (IICT)** स्थापित करने की घोषणा की।
  - इसकी स्थापना **सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा FICCI और CII** के साथ रणनीतिक साझेदारी में की जाएगी। साथ ही, इसकी परिकल्पना **राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र** के रूप में की गई है।

क्रिएटिव इकोनॉमी क्या है?

- **परिभाषा:** क्रिएटिव इकोनॉमी को **ऑरेंज इकोनॉमी** भी कहा जाता है। यह आर्थिक संवृद्धि और विकास में योगदान देने के लिए रचनात्मक परिसंपत्तियों के योगदान एवं क्षमता पर आधारित एक उभरती हुई अवधारणा है।
  - इसमें **मीडिया और मनोरंजन, विज्ञापन एवं मार्केटिंग, एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स व एक्सटेंडेड रियलिटी (AVGC-XR)** आदि शामिल हैं।
- संयुक्त राष्ट्र ने इसके वैश्विक महत्त्व पर जोर देते हुए **वर्ष 2021 को "सतत विकास के लिए क्रिएटिव इकोनॉमी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष"** घोषित किया था।

भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी

- **योगदान:** यह **GDP में 30 बिलियन डॉलर का योगदान देती है एवं 8% कार्यबल को रोजगार प्रदान** करती है। क्रिएटिव एक्सपोर्ट सालाना 11 बिलियन डॉलर से अधिक है।
- **चुनौतियां:** गलत सूचनाओं का प्रसार, कॉपीराइट, बौद्धिक संपदा, गोपनीयता और बाजार पर एकाधिकार, ग्रामीण क्षेत्रों की सीमित डिजिटल पहुंच और औपचारिक वित्त-पोषण की कमी आदि।

3.6.12. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी (Indian Institute of Creative Technology)

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने **FICCI** एवं **CII** के सहयोग से **मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी (IICT)** की स्थापना की घोषणा की है।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी (IICT) के बारे में

- यह संस्थान **AVGC-XR** सेक्टर के लिए **"राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (National Centre of Excellence)"** के रूप में कार्य करेगा।
  - **एक्सटेंडेड रियलिटी (XR)** तकनीकें डिजिटल और वास्तविक दुनिया को जोड़ती हैं। इनके उदाहरण हैं: **वर्चुअल रियलिटी (VR), ऑगमेंटेड रियलिटी (AR)** और **मिक्स्ड रियलिटी (MR)**।
- यह संस्थान **इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (IITs)** और **इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट (IIMs)** के **मॉडल** पर आधारित होगा तथा इसे एक विश्वस्तरीय शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

भारत में AVGC-XR सेक्टर की स्थिति

- **2021** में वैश्विक **AVGC-XR बाजार का मूल्य 366 बिलियन** डॉलर था।
- वैश्विक **AVGC-XR बाजार में भारत की हिस्सेदारी फिलहाल 1% से भी कम** यानी लगभग 3 अरब डॉलर है। हालांकि, **2030 तक इसके 26 बिलियन** डॉलर तक पहुंचने की संभावना है।
  - **कर्नाटक** VGC-XR सेक्टर में भारत के **अग्रणी राज्य** के रूप में उभर रहा है। उल्लेखनीय है कि **कर्नाटक को देश का IT हब** भी माना जाता है।

भारत में AVGC-XR सेक्टर के विकास के प्रमुख कारण

- **OTT यूजर्स की संख्या में वृद्धि:** 2024 में भारत के **547 मिलियन लोग** यानी **देश की 38.4% आबादी OTT से जुड़ी** हुई थी।
- **स्मार्टफोन उपयोग करने वालों की संख्या में वृद्धि:** IAMAI और कांतार की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक भारत में **900 मिलियन से अधिक लोग इंटरनेट का उपयोग** कर रहे होंगे। इनमें **अधिकांश आबादी ग्रामीण भारत** की होगी।
- **एनीमेशन और VFX की उपयोगिता का विस्तार:** गेमिंग, एजु-टेक, आर्किटेक्चर जैसे क्षेत्रकों में इनका व्यापक रूप से उपयोग हो रहा है।
- **नई तकनीकों का उदय:** ऑगमेंटेड रियलिटी **(AR)** और वर्चुअल रियलिटी **(VR)** में निवेश लगातार बढ़ रहा है।
- **अन्य कारण:** अनुसंधान एवं विकास में निवेश बढ़ रहा है। साथ ही 5G नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है, आदि।

AVGC-XR सेक्टर के लिए "राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र" (NCoE) के लाभ

अधिक वृद्धि की क्षमता
- **एनिमेशन उद्योग की वृद्धि दर:** 25%
- **अनुमानित मूल्य (वैल्यू):** 46 बिलियन रुपये (2023) *(FICCI-EY रिपोर्ट 2023 के अनुसार)*

स्वदेशी बौद्धिक संपदा (IP) का सृजन
- देश में उपयोग और विश्व में विस्तार के लिए
- भारत की डिजिटल क्रिएटिव इकोनॉमी को समर्थन प्रदान करना

रोजगार के अवसर
- **5 लाख नई नौकरियां**
- शिक्षा, कौशल, औद्योगिक विकास और इनोवेशन पर **एकीकृत तरीके से ध्यान**

भारत के सॉफ्ट पावर का विस्तार
- अत्याधुनिक कौशल का प्रशिक्षण
- देश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का आधुनिक प्रौद्योगिकियों के साथ समन्वय

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अर्थव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

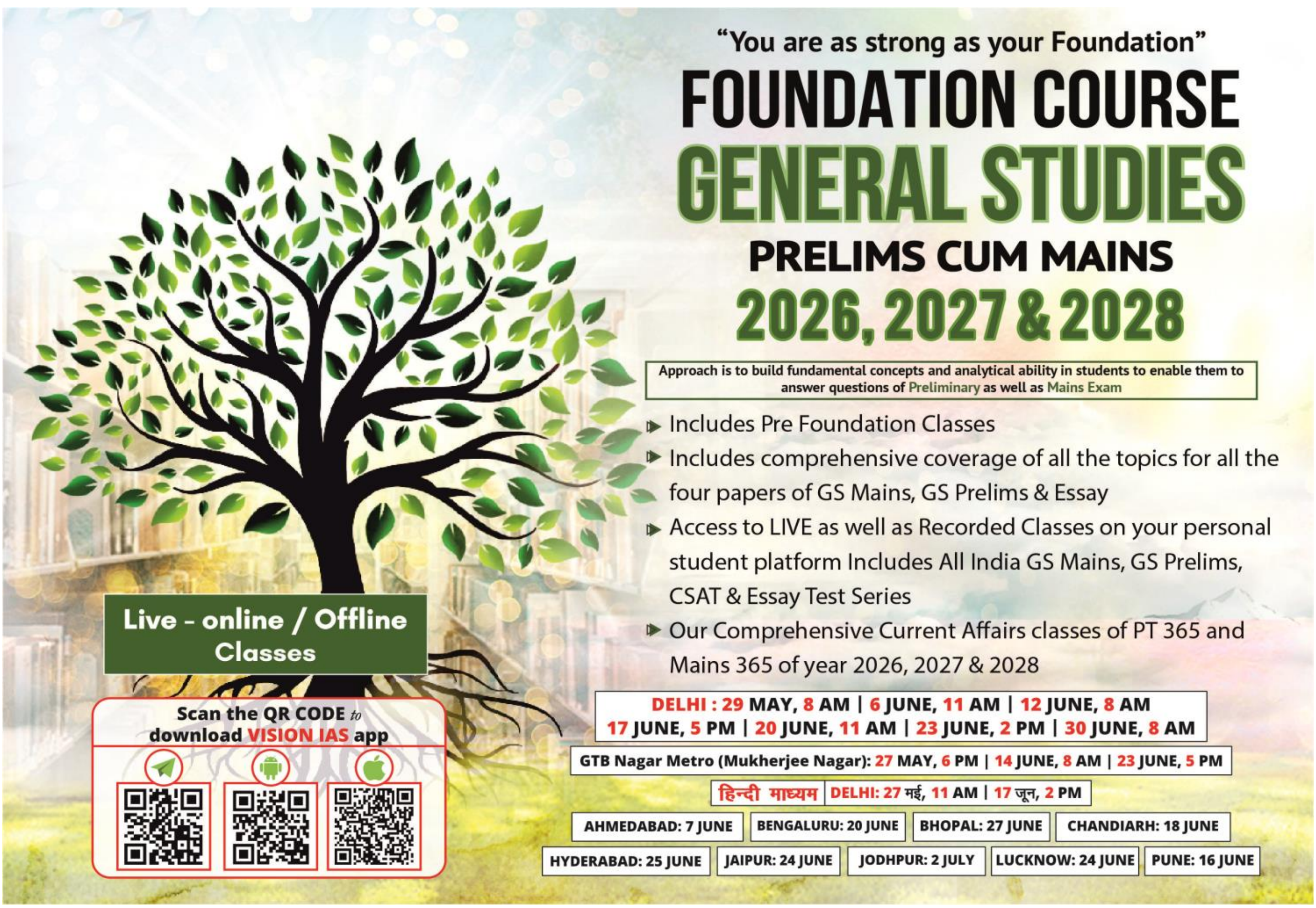

4. सुरक्षा (Security)

4.1. भारत का नया सुरक्षा सिद्धांत (India's New Security Doctrine)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए भारत के प्रधान मंत्री ने **भारत के नए सुरक्षा सिद्धांत** की रूपरेखा प्रस्तुत की। यह सिद्धांत आतंकवाद के खिलाफ भारत के नजरिये में एक व्यापक बदलाव को दर्शाता है।

भारत के सुरक्षा सिद्धांत में प्रमुख बदलाव

ऑपरेशन सिंदूर भारत के **राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत** में निर्णायक बदलाव का सूचक है। **नया सुरक्षा सिद्धांत निम्नलिखित तीन मुख्य स्तंभों पर आधारित है:**

स्तम्भ	विवरण	बदलाव और महत्व
निर्णायक प्रतिशोध	• भारत पर हुए किसी भी आतंकवादी हमले का **मजबूती से और निर्णायक जवाब** दिया जाएगा। इसमें भारत अपनी शर्तों पर जवाबी कार्रवाई करेगा और **आतंकवाद के मूल ढांचे** को निशाना बनाकर हमला करेगा। ○ उदाहरण के लिए- भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoJK) में **लश्कर-ए-तैयबा एवं जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय सहित 9 प्रमुख आतंकवादी ठिकानों पर हमला** किया था।	• भारत ने भविष्य में किसी भी बड़े आतंकवादी हमले को रोकने के लिए **जवाबी कार्रवाई की अपनी सहन-सीमा के स्तर को कम** कर दिया है। इससे आतंकवाद का समर्थन करने वाले पक्ष को भी व्यापक आर्थिक व सैन्य क्षति का सामना करना पड़ेगा।
परमाणु हमले की धमकी के प्रति 'जीरो टॉलरेंस'	• भारत **परमाणु हमले की धमकियों से डरने वाला नहीं** है। इस बहाने आश्रय लेने वाले आतंकी ठिकानों पर सटीक और निर्णायक हमले किए जाएंगे। ○ **उदाहरण के लिए:** जब रूस में तैनात पाकिस्तान के राजदूत ने चेतावनी दी कि यदि भारत द्वारा हमला किया गया या सिंधु नदी के जल प्रवाह में बाधा उत्पन्न की गई, तो इस्लामाबाद अपने सभी सैन्य शस्त्रागार, जिसमें परमाणु हथियार भी शामिल हैं, का उपयोग कर सकता है — उस समय भी भारत अपने रुख पर अडिग रहा था।	• यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि **भारत की आत्मरक्षा की नीति को परमाणु हमले की धमकियों से नहीं रोका जा सकता।** यह भारत की पहले की **संयमपूर्ण नीति** से पूर्णत: भिन्न है।
आतंकवाद के समर्थकों और आतंकवादियों के बीच कोई भेद नहीं किया जाएगा	• भारत आतंकवादियों और उन्हें आश्रय देने वाली सरकारों को एक ही नजरिए से देखेगा। ○ **उदाहरण के लिए: ऑपरेशन सिंदूर** ने पारंपरिक मानकों को तोड़ते हुए पाकिस्तान के मुख्य भू-भाग के स्थानों (जैसे पंजाब प्रांत और बहावलपुर जैसे सामरिक क्षेत्रों) को निशाना बनाया था। इस प्रकार आतंकवादियों व उन्हें समर्थन देने वाले राज्य प्रायोजकों को वैध लक्ष्य माना था।	• इस सिद्धांत के अनुसार, **राज्य-प्रायोजित आतंकवाद** को राज्य द्वारा अनुमोदित युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। इस तरह की गतिविधि को उस देश द्वारा अपने प्रॉक्सी एजेंटों के माध्यम से अंजाम दिया गया युद्ध समझा जाएगा। • इसका उद्देश्य उस **राज्य प्रायोजित आतंकवाद (State-sponsored terrorism)** को समाप्त करना है, जो वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।

 ©Vision IAS

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के सुरक्षा सिद्धांत के अन्य प्रमुख आयाम

- **दंड द्वारा प्रतिरोध (Deterrence by Punishment):** आतंकवादी हमले की स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई के जरिए पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को समर्थन देने के अवांछित व्यवहार को रोकने की रणनीति अपनाई गई है। इस रणनीति के तहत पारंपरिक सैन्य कार्रवाई के जरिए अपूरणीय क्षति पहुंचाने की चेतावनी भी शामिल है।
- यह पहले की **'डिटरेंस बाय डिनायल'** की रणनीति में स्पष्ट बदलाव का संकेत है। इस रणनीति के तहत केवल आतंकवादी हमले को असफल या अप्रभावी बनाने की दिशा में प्रयास किए जाते थे।
    - **उदाहरण के लिए:** 'डिटरेंस बाय डिनायल' में भारत केवल अपनी **रक्षा और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करके पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी हमलों की सफलता की संभावना को समाप्त** करता था। इस प्रकार संभावित हमलावर को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने से रोका जाता था।
- **आर्थिक कार्रवाई:** भारत ने अब ऐसी आर्थिक कार्रवाइयों को भी अपनी रणनीतिक कार्रवाई में शामिल कर लिया है, जिनसे सैन्य टकराव की आशंका के बिना भी रणनीतिक दबाव बनाया जा सके।
    - उदाहरण के लिए: भारत ने **सिंधु जल संधि** को निलंबित कर दिया था।
- **भू-राजनीतिक संदेश (Geopolitical Signalling):** भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपना पक्ष प्रस्तुत करने और पाकिस्तान पर वैश्विक दबाव बनाने के लिए सात उच्च-स्तरीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अलग-अलग देशों में भेजे थे।
- **रणनीतिक रूप से अक्षम करना (Strategic Decapacitation):** भारत ने पाकिस्तान के 11 वायुसेना ठिकानों पर हमला कर उसकी वायु सेना की आगे की रणनीति को विफल और अभियान क्षमता को बाधित किया था, जिससे पाकिस्तान दूसरे या तीसरे चरण के टकराव को जारी रखने में असमर्थ हो गया।
- **समन्वित और प्रौद्योगिकी-संचालित कार्रवाई रणनीति:** भारत की जवाबी कार्रवाई सुनियोजित, सटीक और रणनीतिक थी। इसके तहत स्वदेशी उच्च-प्रौद्योगिकी प्रणालियों को ड्रोन युद्ध, बहु-स्तरीय वायु रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सहित राष्ट्रीय रक्षा प्रणाली में एकीकृत किया गया।
    - **उदाहरण के लिए:** ड्रोन युद्ध को भारत के सैन्य सिद्धांत (मिलिट्री डॉक्ट्रिन) में शामिल करना।
- **तनाव कम करने की रणनीति (De-escalation Strategy):** भारत की रणनीति आतंकवाद के अड्डों पर दंडात्मक कार्रवाई कर उन्हें क्षति पहुंचाने के साथ-साथ पारंपरिक युद्ध से बचते हुए पाकिस्तान को आगे की कार्रवाइयों के प्रति जवाबदेह बनाना भी है।
    - **उदाहरण के लिए:** जब पाकिस्तान की ओर से सैन्य तनाव बढ़ाया गया, तो भारत ने त्वरित रूप से अपनी तीनों सेनाओं की संयुक्त जवाबी कार्रवाई द्वारा पाकिस्तानी सेना की युद्ध क्षमताओं को शीघ्र निष्क्रिय कर दिया।

निष्कर्ष

ऑपरेशन सिंदूर भारत के सैन्य और भू-राजनीतिक विकास में एक ऐतिहासिक मोड़ है। यह सीमा-पार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की स्पष्ट मंशा का संकेत है। प्रतिरोध की रणनीति को लागू करके, आतंकवादी ठिकानों को निष्क्रिय करके, शत्रु देश की जवाबी कार्रवाई को निष्फल बनाकर और पूर्ण युद्ध से बचते हुए, भारत ने एक अत्याधुनिक और हाई-इम्पैक्ट अभियान को निष्पादित किया है, जो दक्षिण एशिया में संघर्ष की एक नई परिभाषा प्रस्तुत करता है।

नोट: *जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद से निपटने के लिए भारत के उपायों तथा सिंधु जल संधि के बारे में और अधिक जानकारी के लिए अप्रैल 2025 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 4.1. तथा आर्टिकल 2.3. देखें।*

4.2. रक्षा प्रौद्योगिकी और ऑपरेशन सिंदूर (Defense Technology and Operation Sindoor)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने अपनी हवाई क्षेत्र क्षमताओं के माध्यम से सैन्य अभियानों में तकनीकी श्रेष्ठता को प्रदर्शित किया।

ऑपरेशन सिंदूर को सक्षम बनाने वाली प्रमुख रक्षा प्रौद्योगिकियां

भारत की हवाई क्षेत्र निगरानी प्रणाली

प्रणाली	विवरण
भारतीय वायुसेना की {एकीकृत वायु कमान और नियंत्रण प्रणाली (IACCS)}	• यह एक **स्वचालित कमान और कंट्रोल प्रणाली** है, जो सभी वायु रक्षा परिसंपत्तियों जैसे **भूमि आधारित रडार्स, हवाई सेंसर्स, सिविल रडार्स, और संचार तंत्र से प्राप्त डेटा** को एकीकृत करती है। ○ यह वायु अभियानों के दौरान **युद्ध क्षेत्र की पूरी तस्वीर और वहां की स्थिति के बारे में सटीक जानकारी** प्रदान करती है। • **विकसित किया गया:** भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) द्वारा, जो सार्वजनिक क्षेत्रक की एयरोस्पेस एवं डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है।

बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) नेटवर्क का मिशन कंट्रोल सेंटर (MCC)	• यह **500 कि.मी. से अधिक की रेंज वाले लॉन्ग-रेंज ट्रैकिंग रडार (LRTR)** के नेटवर्क के माध्यम से भारतीय हवाई क्षेत्र की लगातार निगरानी करता है। इस नेटवर्क में **स्वोर्डफ़िश रडार** शामिल हैं।
	• **यह निम्नलिखित से भी डेटा प्राप्त करता है:**
	  ○ भारतीय वायु सेना और **राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (NTRO) के ELM-2090 टेरा सिस्टम्स** से डेटा प्राप्त करना। ये सिस्टम्स लंबी दूरी तक खोज अभियान कर सकते हैं और वस्तुओं का पता लगा सकते हैं। इन्हें **इजरायल** से प्राप्त किया गया है।
	  ○ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित **नेत्र एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (Netra AEW&C)**। इसका 240 डिग्री रडार कवरेज और 200 कि.मी. तक की रेंज है।
	  ○ तीन इज़राइली **IL-76-आधारित फाल्कन एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स (AWACS)**। इनका **360-डिग्री रडार कवरेज और 400 किलोमीटर** से अधिक की रेंज है।

भारतीय थल सेना की 'आकाशतीर' प्रणाली	• यह एक **AI संचालित और पूरी तरह से स्वचालित एयर डिफेंस प्रणाली** है। इसे शत्रु देश के **ड्रोन्स, मिसाइलों, माइक्रो मानव रहित हवाई वाहनों (UAVs) और लॉइटरिंग हथियारों को रोकने एवं निष्क्रिय** करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह विविध रडार प्रणालियों, सेंसर्स और संचार प्रौद्योगिकियों को एक ही परिचालन ढांचे में एकीकृत करती है। • यह युद्ध क्षेत्रों में **कम ऊंचाई वाले हवाई क्षेत्र की स्वायत्त निगरानी और भूमि आधारित वायु रक्षा हथियार प्रणालियों के कुशल नियंत्रण** को सक्षम बनाती है। • **विकसित:** इसे **भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने स्वदेशी रूप से विकसित** किया है।
भारतीय नौसेना की 'त्रिगुण/ TRIGUN' प्रणाली	• यह **भारतीय नौसेना का समुद्री डोमेन जागरूकता मंच** है। यह समुद्र-आधारित रडार, सोनार और संचार नोड्स को एकीकृत करता है। इसकी मदद से **तटीय और गहरे समुद्र में रियल टाइम में खतरों** का पता लगाया जा सकता है।
NavIC के माध्यम से उपग्रह निगरानी (नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन)	• **विकसित:** भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा। • **कवरेज:** यह प्रणाली भारत के संपूर्ण भूभाग के अलावा इसकी सीमाओं से **1,500 कि.मी.** तक के क्षेत्र को कवर करती है। यह **अवस्थिति, वेग और समय (Position, Velocity & Timing)** संबंधी सेवाएं प्रदान करती है।

	• इसमें **7 सैटेलाइट्स** और 24 x 7 संचालित होने वाले **ग्राउंड स्टेशनों का एक नेटवर्क** शामिल है। ○ 3 सैटेलाइट्स **भू-स्थैतिक कक्षा (Geostationary orbit)** में तथा 4 **झुकाव युक्त भू-तुल्यकालिक कक्षा (Geosynchronous orbit)** में स्थापित हैं। ○ ये सैटेलाइट्स **ड्यूल बैंड सिग्नल (L5 और S-बैंड)** से लैस हैं। ▪ **L5 सिग्नल सैन्य उपयोग** के लिए एन्क्रिप्टेड है।

भारत की बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली

भारत की वायु रक्षा प्रणाली चार परतों से बनी है (इन्फोग्राफिक देखें)।

प्रत्येक परत के मुख्य घटक

पहली परत (अत्यंत कम दूरी)	
ड्रोन डिटेक्ट, डेटर एंड डिस्ट्रॉय (D4) एंटी-ड्रोन सिस्टम	• **विकसित:** DRDO द्वारा विकसित और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) द्वारा निर्मित। • यह दोहरी-परत वाली **"किल मैकेनिज्म"** (नष्ट करने की प्रणाली) से लैस है: ○ **हार्ड किल:** लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम (लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली)। ○ **सॉफ्ट किल:** ड्रोन कम्युनिकेशन चैनल रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) डिटेक्शन एंड जैमिंग, GPS जैमिंग / स्पूफिंग सिस्टम। • **अन्य विशेषताएं:** ○ **रडार सिस्टम:** ड्रोन का पता लगाना और ट्रैकिंग। ○ **चार्ज-कपल्ड डिवाइस (CCD), इन्फ्रा-रेड कैमरा:** ड्रोन लक्ष्य का पता लगाने और ट्रैकिंग के लिए। ○ **कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (C3):** पूरे सिस्टम के लिए पावर सोर्स के साथ।
मैन-पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स (MANPADS)	• ये **सतह-से-हवा** में मार करने वाली मिसाइल्स हैं। इन्हें एक अकेला व्यक्ति ले जा सकता है और दाग सकता है, या एक दल के रूप में एक से अधिक व्यक्ति ले जा सकते हैं और दाग सकते हैं। • भारत ने **रूसी MANPADS** खरीदे हैं। इनमें **इग्ला-M** और इसका अधिक उन्नत संस्करण **इग्ला-S** शामिल हैं।
शिल्का सिस्टम्स (ZSU-23-4)	• यह एक **स्वचालित और रडार-गाइडेड एंटी-एयरक्राफ्ट हथियार प्रणाली (SPAAG)** है। यह **ट्रैक्ड चेसिस** पर लगी होती है। • यह **रूसी मूल की मोबाइल एयर डिफेंस फायर कंट्रोल प्रणाली** है। इसे भूमि पर तैनात सैनिकों और सशस्त्र वाहनों को **हवाई हमलों से बचाने** के लिए डिज़ाइन किया गया है। • इसमें **तीसरी पीढ़ी की इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल प्रणाली, फेज्ड एरे 3D ट्रैकिंग रडार, और सटीक नेविगेशन प्रणाली** है, जो दिन हो या रात हर समय किसी भी हवाई हमले से **360 डिग्री सुरक्षा** प्रदान करती है।
Zu-23 mm प्रणाली	• इसका **सोवियत डिजाइन** है। यह **ट्विन बैरल वाली एंटी-एयरक्राफ्ट गन** है। इसमें **दो 23 मि.मी. ऑटोकैनन** लगी होती हैं। • **हवाई** लक्ष्यों के लिए इसकी प्रभावी रेंज **2.5 कि.मी. और ज़मीनी** लक्ष्यों के लिए लगभग **2 कि.मी.** है।

	• यह बहुत ज्यादा मात्रा में आगजनी में सक्षम है तथा इसका इस्तेमाल अक्सर कम उड़ान वाले खतरों से स्थिर प्रतिष्ठानों को बचाने के लिए किया जाता है।
L/70 एंटी-एयरक्राफ्ट गन	• यह **40 मि.मी. की एक तोप** है। इसमें रडार, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सेंसर, ऑटो-ट्रैकिंग सिस्टम सहित कई विशेषताएं हैं। • **स्वीडन की बोफोर्स** कंपनी द्वारा विकसित और भारत में निर्मित। • **4 किलोमीटर तक की रेंज के साथ प्रति मिनट 240-330 राउंड फायर** करने में सक्षम।
दूसरी परत (कम दूरी)	

आकाश	• यह एक कम दूरी की **सतह-से-हवा में मार** करने वाली मिसाइल (SRSAM) प्रणाली है। इसे **महत्वपूर्ण जगहों और क्षेत्रों को हवाई हमलों से सुरक्षा प्रदान** करने के लिए डिजाइन किया गया है।
	• **विकसित:** DRDO द्वारा।
	• वर्तमान में यह प्रणाली **भारतीय वायु सेना (IAF) और भारतीय थल सेना** में सेवा में है।
	• **मुख्य विशेषताएं:**
	  ○ **इंटरसेप्शन रेंज:** 30-35 किलोमीटर।
	  ○ **2016 में सरकार** ने इसकी अगली पीढ़ी की प्रणाली **आकाश-नेक्स्ट जनरेशन (Akash-NG)** के विकास को मंजूरी दी थी, जिसकी **रेंज 70 किलोमीटर** तक बढ़ाई गई है।
	  ○ यह **18 किलोमीटर तक की ऊंचाई** पर लक्ष्यों को भेद सकती है।
	  ○ यह एक साथ कई लक्ष्यों को **ग्रुप मोड या स्वतंत्र मोड** में निशाना बना सकती है।
	  ○ इसमें **इलेक्ट्रॉनिक काउंटर-काउंटर मेजर्स (ECCM)** की तकनीक शामिल है। इससे यह **इलेक्ट्रॉनिक हमलों के खिलाफ भी काम** कर सकती है।

SPYDER (सरफेस-टू-एयर पायथन एंड डर्बी)	• यह एक निचले स्तर की व त्वरित प्रतिक्रिया वाली **सतह-से-हवा में मार करने में सक्षम मिसाइल (SAM)** प्रणाली है। यह **एयरक्राफ्ट्स, हेलिकॉप्टर्स, ड्रोन्स (UAVs) और सटीक निर्देशित हथियारों** को मार गिराने में सक्षम है।
	• **विकसित:** इजरायल द्वारा।
	• **मुख्य विशेषताएं:**
	  ○ यह दो प्रकार की इंटरसेप्टर मिसाइल्स **'पायथन-5 और डर्बी'** दागती है।
	  ○ भारत ने **18 SPYDER-MR (मीडियम रेंज)** प्रणालियां खरीदी हैं।
	  ○ इनकी मारक क्षमता **35 किलोमीटर** है।
	  ○ ये **16 से 20 किलोमीटर** की ऊँचाई पर उड़ रहे लक्ष्यों को भेद सकती हैं।

लिगेसी सोवियत सिस्टम्स	• S-125 पेचोरा, 9K33 Osa-AK, और 2K12 क्यूब/Kvadrat
तीसरी परत (मध्यम दूरी)	

बराक-8 मिसाइल रक्षा प्रणाली	• **सह-विकसित:** भारत और **इजरायल** के बीच एक अंतर-सरकारी समझौते के तहत **DRDO और इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI)** द्वारा संयुक्त रूप से विकसित।
	• **यह प्रणाली दो संस्करणों में उपलब्ध है:**
	  ○ **नौसेना-आधारित लंबी दूरी की सतह-से-हवा में मार करने वाली मिसाइल (LRSAM) प्रणाली:** इसकी रेंज 100 किलोमीटर तक है।
	  ○ **मध्यम दूरी की सतह-से-हवा में मार करने वाली मिसाइल (MRSAM) प्रणाली:** इसकी रेंज 70 किलोमीटर तक है।

चौथी परत (लंबी दूरी)	
S-400 सुदर्शन चक्र	• S-400 को भारत में **सुदर्शन चक्र** भी कहा जाता है। यह **बहु-कार्यात्मक रडार, स्वायत्त पहचान व लक्ष्यीकरण प्रणाली, एंटी-एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, लॉन्चर और एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर** को एकीकृत करती है। • **विकसित:** रूस के **अल्माज़ सेंट्रल डिज़ाइन ब्यूरो ने S-400 ट्रायम्फ** के रूप में विकसित किया है। ○ भारत ने **2016 में पांच S-400 प्रणालियों** की खरीद के लिए एक समझौता किया था। • **इसमें चार प्रकार की मिसाइल्स का उपयोग किया जाता है:** कम दूरी (40 कि.मी.), मध्यम दूरी (120 कि.मी.), लंबी दूरी (250 कि.मी.), और अत्यधिक लंबी दूरी (400 कि.मी.)। इस प्रकार यह स्तरीय रक्षा का निर्माण करती है। • यह **400 कि.मी. तक की रेंज और 30 कि.मी. तक की ऊंचाई** पर विमान, UAVs, तथा बैलिस्टिक एवं क्रूज मिसाइल्स सहित **सभी प्रकार के हवाई लक्ष्यों को निशाना** बना सकती है।

बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) कार्यक्रम	• यह एक दो-स्तरीय प्रणाली है। यह किसी भी आने वाली **बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने** में सक्षम है। इसके विकास चरण-1 में **2,000 किलोमीटर तक की दूरी** तक मार करने वाली मिसाइलों को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जबकि चरण-2 में इस क्षमता को **5,000 किलोमीटर तक बढ़ाया** जाएगा।
	  ○ **पृथ्वी वायु रक्षा (PAD) प्रणाली:** यह **2,000 कि.मी. तक की रेंज वाली, 80 कि.मी. तक की ऊँचाई पर और मैक 5 की गति से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक** सकती है।
	    ▪ भारत अपने BMD कार्यक्रम के चरण-II के हिस्से के रूप में, **पृथ्वी डिफेंस व्हीकल (PDV)** विकसित कर रहा है। PDV **100 कि.मी. तक की ऊँचाई पर बाह्य वायुमंडलीय टारगेट्स** को रोक सकता है।
	  ○ **एडवांस्ड एयर डिफेंस (AAD) सिस्टम:** यह प्रणाली **30 कि.मी. तक की ऊँचाई** पर आने वाले बैलिस्टिक मिसाइल खतरों को रोक सकती है।

अन्य हथियार प्रणालियां जिनका संभावित रूप से उपयोग किया गया

हथियार	विवरण

ब्रह्मोस मिसाइल	• यह एक **लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल** प्रणाली है। यह लगभग **2-3 मैक की गति से गमन** करती है।
	  ○ **क्रूज मिसाइल्स जेट इंजनों** द्वारा संचालित होती है।
	• इसे **DRDO और रूस के NPOM** के बीच एक संयुक्त उद्यम **ब्रह्मोस एयरोस्पेस** द्वारा विकसित किया गया है।
	• **मुख्य विशेषताएं:**
	  ○ यह **"फायर एंड फॉरगेट"** (दागो और भूल जाओ) सिद्धांत पर काम करती है।
	  ○ **लंबी मारक क्षमता (290 कि.मी. तक)** और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विविध प्रकार के प्रक्षेप-पथों (Trajectories) को अपनाती है।
	  ○ **आसानी से रडार के दायरे में नहीं आती।**
	  ○ **सटीक निशाना और अत्यधिक विनाशक क्षमता,** जो प्रभाव के समय उच्च गतिज ऊर्जा (काइनेटिक एनर्जी) से और भी घातक बन जाती है।

राफेल हथियार प्रणालियां	• राफेल लड़ाकू विमान (जेट) अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं और सटीक हमलों के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन विमानों को **फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन** ने बनाया है। • **कुछ हथियारों के उदाहरण निम्नलिखित हैं:** ○ **SCALP (स्टॉर्म शैडो):** यह एक **स्टील्थ एयर-लॉन्च क्रूज मिसाइल** है। इसे MBDA ने बनाया है। यह दुश्मन की सीमा के अंदर **450 किलोमीटर** तक मार कर सकती है।

	○ **AASM HAMMER (हाइली एजाइल एंड मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज) बम:** ये **70 किलोमीटर** तक की दूरी से दागे जा सकते हैं, और बेहद सटीकता के साथ निशाना साधते हैं। इन्हें कम ऊंचाई से भी लॉन्च किया जा सकता है। ○ **मेटियोर (METEOR) मिसाइल:** यह अत्याधुनिक **बियॉन्ड विजुअल रेंज (BVR) एयर-टू-एयर मिसाइल** है, जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्थितियों में भी प्रभावी है।
ड्रोन्स	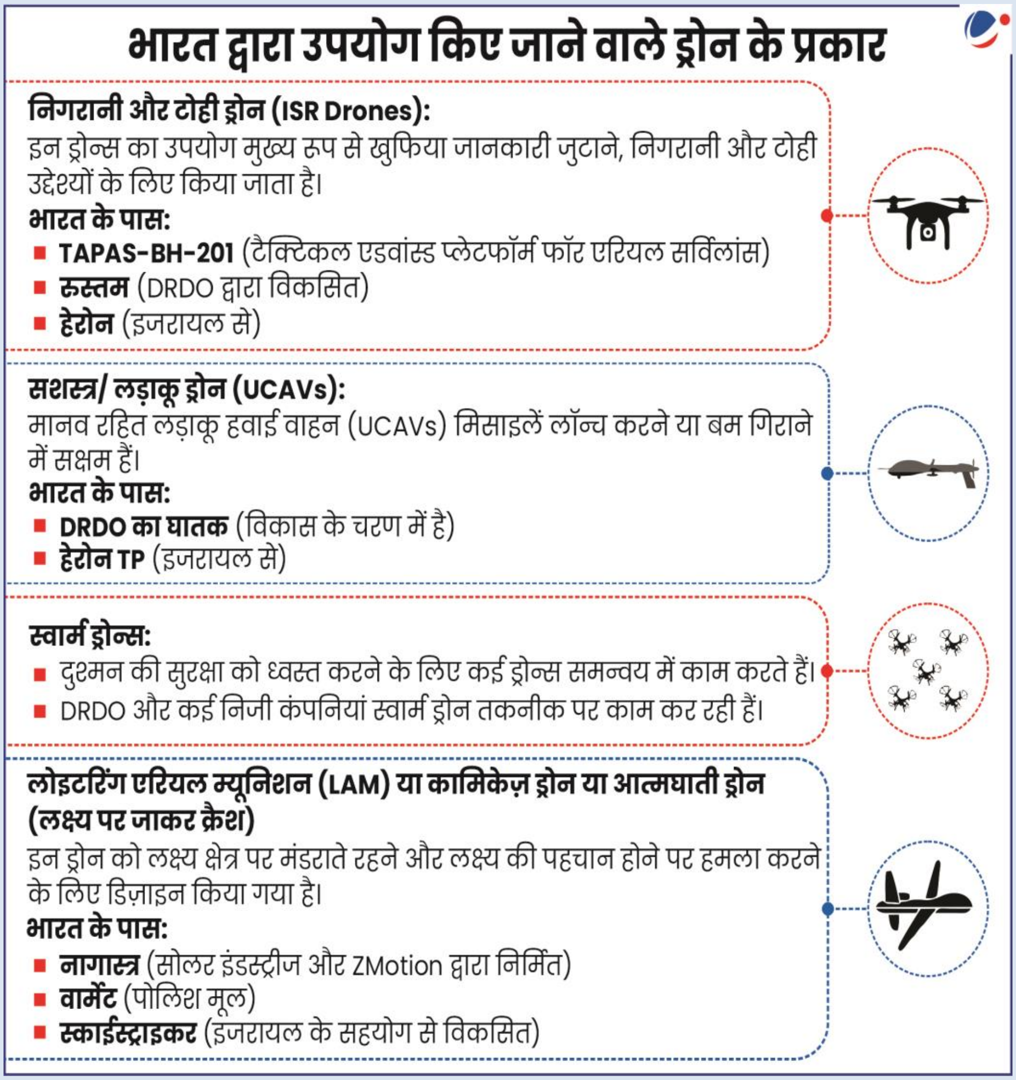

निष्कर्ष

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की स्वदेशी वायु रक्षा तकनीक ने अपनी दक्षता और विश्वसनीयता को साबित किया है। यह उपलब्धि सार्वजनिक-निजी भागीदारी, नवाचार को बढ़ावा देने वाली नीतियों, मजबूत सार्वजनिक क्षेत्रक के कार्यान्वयन और दीर्घकालिक रक्षा विज़न के सफल संयोजन का परिणाम है।

4.3. सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर्स का राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव (Social Media Influencers' Impact On National Security)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, हरियाणा की एक **यूट्यूब ब्लॉगर/ इन्फ्लुएंसर को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार** किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर **ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की धारा 3 और 5 (बॉक्स देखें) तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152** के तहत मामला दर्ज किया गया है।
    - भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 **'भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों'** से संबंधित है।

ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, 1923 (OSA) के बारे में

- **उद्देश्य:** विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में सरकार की निजता और गोपनीयता की रक्षा करना।
- **लागू होना:** यह कानून **संपूर्ण भारत में लागू** है। सरकार के किसी भी विभाग के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों, संविदा पर कार्यरत व्यक्तियों या सरकार की ओर से नियुक्त कर्मचारियों और विदेशों में कार्यरत भारतीय नागरिकों पर भी यह लागू है।
- **कानून की महत्वपूर्ण विशेषताएं**
    - यह कानून **जासूसी, राजद्रोह और देश की एकता व अखंडता के लिए खतरा** बनने वाली अन्य गतिविधियों से निपटने के लिए बनाया गया है।
    - **सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 की धारा 22** RTI अधिनियम को 1923 के OSA तथा उस समय लागू किसी भी अन्य कानून या दस्तावेज़ पर वरीयता प्रदान करती है।
    - RTI अधिनियम, 2005 की **धारा 8(2) लोक प्राधिकरणों को ऐसी सूचना का खुलासा** करने की अनुमति देती है, जिसे **अन्यथा धारा 8(1) के अंतर्गत छूट प्राप्त है, बशर्ते कि खुलासे में लोक हित, संरक्षित हितों को होने वाले संभावित नुकसान से अधिक हो।**
    - RTI अधिनियम की **धारा 8(1) नागरिकों को सूचना के अनिवार्य प्रकटीकरण के सामान्य नियम से छूट** सूचीबद्ध करती है।
- **ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, 1923 की महत्वपूर्ण धाराएं**
    - **धारा 3- जासूसी के लिए दंड:** प्रतिबंधित क्षेत्रों तक पहुंचना, दुश्मनों के लिए स्केच बनाना, या गुप्त कोड साझा करना जैसी गतिविधियों में शामिल होना जो भारत की संप्रभुता और सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकती हैं, दंडनीय अपराध है।
    - **धारा 5- जानकारी का गलत संचार:** गुप्त आधिकारिक जानकारी का खुलासा करना, इसे विदेशी लाभ के लिए उपयोग करना, या इसे सुरक्षित करने में विफल रहना दंडनीय अपराध है।

राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का खतरा

- **मनोवैज्ञानिक युद्ध को बढ़ावा देना:** सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स गलत जानकारी और झूठी जानकारी फैलाकर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। वे विदेशी ताकतों के विचारों को आम जनता तक पहुंचाकर उनकी सोच को प्रभावित करते हैं।
    - **उदाहरण के लिए-** चीन अपने इन्फ्लुएंसर्स का शिंजियांग में उइगर मुस्लिमों की समस्याओं पर वैश्विक आलोचना का जवाब देने के लिए इस्तेमाल करता है।
- **जासूसी गतिविधियों को सुविधाजनक बनाना:** वे अपने प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अनजाने में या जानबूझकर संवेदनशील जानकारी फैलाकर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं।
    - **उदाहरण के लिए-** पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी द्वारा ज्योति मल्होत्रा जैसी इन्फ्लुएंसर्स को कथित रूप से भर्ती किया गया था।
- **सामाजिक ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक तनाव:** उदाहरण के लिए- भारत सरकार ने मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) में हिंसा भड़काने के लिए फेक न्यूज़, एडिट किए गए वीडियो और हेट स्पीच फैलाने में शामिल 1,093 फेसबुक, एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम और यूट्यूब एकाउंट्स को ब्लॉक किया था।
- **विदेशी प्रभाव और हाइब्रिड युद्ध:** खालिस्तान समर्थक इन्फ्लुएंसर्स {उदाहरण के लिए- सिख फॉर जस्टिस (SFJ)-समर्थित एकाउंट्स} यूट्यूब/ ट्विटर के माध्यम से अलगाववादी प्रचार फैलाते हैं।
    - भारत सरकार ने **"पंजाब पॉलिटिक्स टीवी"** जैसे विदेशी सोशल मीडिया चैनल्स को SFJ से संबंध होने के कारण ब्लॉक किया है।
- **आतंकवाद का प्रचार:** आतंकी संगठन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कट्टरपंथी विचार फैलाते हैं और युवाओं को गुमराह करके आतंकवाद की ओर ले जाते हैं। सोशल मीडिया में निहित गुमनामी और वैश्विक पहुंच इस काम को आसान बनाती है।
    - हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर **बुरहान वानी कश्मीर में सोशल मीडिया-आधारित मनोवैज्ञानिक युद्ध** का मुख्य सूत्रधार था।
    - **उदाहरण के तौर पर-** अलकायदा ने **अनवर अल-अव्लकी** जैसे यूट्यूब प्रचारकों का **भावनात्मक रूप से भड़काने वाले कंटेंट** के माध्यम से लोगों को प्रभावित करने और उन्हें आतंकवादी संगठनों में **भर्ती करने** के लिए उपयोग किया था।

मुख्य शब्दावलियां

- **मनोवैज्ञानिक युद्ध (Psychological Warfare- Psywar):** यह युद्धों या भू-राजनीतिक तनावों के समय में प्रोपेगेंडा, धमकी और अन्य गैर-सैन्य रणनीतियों के योजनाबद्ध तरीके से उपयोग को कहते हैं। इसका उद्देश्य दुश्मन को गुमराह करना, डराना और मानसिक रूप से कमजोर करना होता है।
- **दुष्प्रचार (Disinformation):** इसके तहत जानबूझकर गलत जानकारी फैलाई जाती है, जिसका उद्देश्य जानकारी के प्राप्तकर्ताओं को धोखा देना होता है।
- **गलत जानकारी (Misinformation):** इसके तहत झूठी सूचना को उसके प्राप्तकर्ताओं को धोखा देने के इरादे के बिना फैलाया जाता है, हालांकि इसका प्रभाव दुष्प्रचार के समान ही हो सकता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष इन्फ्लुएंसर्स के खतरे से निपटने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम

- **कानूनी ढांचा और नीतियां**
  - **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act):** अधिनियम की **धारा 69A** सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा, लोक व्यवस्था, या संप्रभुता के हित में ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने का अधिकार देती है।
  - **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021:**
    - इन नियमों के तहत प्लेटफॉर्म्स द्वारा शिकायत अधिकारियों की नियुक्ति करने, 36 घंटे के भीतर गैर-कानूनी कंटेंट हटाने तथा सरकार के अनुरोध पर संदेश भेजने वाले मूल स्रोत का पता लगाने जैसे प्रावधान किए गए हैं।
    - **नियम 3(1)(b)(v): "लोक व्यवस्था"** या **राष्ट्रीय अखंडता को खतरे** में डालने वाले कंटेंट पर प्रतिबंध लगाता है।
  - **सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) के तहत प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) ने एक आधिकारिक फैक्ट चेक यूनिट की स्थापना की:** यह फर्जी खबरों से निपटने के लिए आधिकारिक तथ्य-जांच निकाय है। इसका कार्य फेक न्यूज़ का खंडन करना और लोगों को सही जानकारी प्रदान करना है।
  - **अधिकारियों को नियमित रूप से ऑफिसियल सीक्रेट्स एक्ट, 1923 और केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 की जानकारी दी जाती है:** इसका उद्देश्य **संवेदनशील जानकारी की अनधिकृत लीक को रोकना और जासूसी व गलत सूचना** के खतरों के प्रति आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है।
- **ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रोपेगेंडा युद्ध से निपटने के लिए उठाए गए कदम**
  - गृह मंत्रालय ने **पाकिस्तान और नेपाल की सीमा से सटे राज्यों** को निर्देश दिए कि वे **सोशल मीडिया तथा अन्य माध्यमों पर राष्ट्रविरोधी प्रोपेगेंडा** पर कड़ी निगरानी रखें।
    - **उल्लंघन करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई** और स्थानीय प्रशासन, सेना एवं अर्धसैनिक बलों के बीच समन्वय का निर्देश दिया गया।
  - राज्यों को **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A** के तहत भारत के खिलाफ फेक नैरेटिव फैलाने वाले सोशल मीडिया एकाउंट्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया।
  - सरकार ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में वृद्धि के बीच जनता से **PIB फैक्ट चेक यूनिट को फेक न्यूज रिपोर्ट करने का आग्रह** किया।

निष्कर्ष

भारत की यह बहु-स्तरीय रणनीति पारंपरिक कानून जैसे कि ऑफिसियल सीक्रेट्स एक्ट और आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी नियमों (IT Rules) को जोड़कर एक मजबूत ढांचा तैयार करती है। यह ढांचा पारंपरिक जासूसी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के जरिए फैलाए जाने वाले डिजिटल खतरों दोनों से निपटने में सक्षम है।

हाइब्रिड वारफेयर के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।
वीकली फोकस #73– हाइब्रिड वारफेयरः नए युग के युद्ध में नए युग की प्रतिक्रिया आवश्यक होगी

Lakshya
लक्ष्य प्रीलिम्स और मेन्स इंटीग्रेटेड मेंटरिंग प्रोग्राम 2026
UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा 2026 के लिए रणनीतिक रिवीजन, प्रैक्टिस और परामर्श हेतु 14.5 माह का कार्यक्रम)
WWW.VISIONIAS.IN
8468022022
प्रारंभ: 17 जून

4.4. राज्य प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत के कूटनीतिक प्रयास (India's Diplomatic Outreach Against State Sponsored Terrorism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने पहलगाम आतंकी हमले और **ऑपरेशन सिंदूर** के बाद पाकिस्तान-प्रायोजित सीमा-पार आतंकवाद को लक्षित करते हुए एक **वैश्विक राजनयिक अभियान** शुरू किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत ने **30 से अधिक देशों में उच्च स्तरीय बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल** भेजे। इनमें अलग-अलग राजनीतिक दलों के **संसद सदस्य, वरिष्ठ राजनेता और अनुभवी राजनयिक** शामिल थे।
- इन प्रतिनिधिमंडलों का उद्देश्य पाकिस्तान द्वारा प्रस्तुत किए गए 'दो-राष्ट्र सिद्धांत' की साम्प्रदायिकता (हिन्दू-मुस्लिम) पर आधारित विचारधारा का खंडन करना और भारत के दृष्टिकोण को मजबूती देना था। साथ ही, भारत की स्थिति को विश्व के सामने स्पष्ट करना भी इसका एक उद्देश्य था।
    - **सफलता:** कोलंबिया ने अपने पिछले बयान को वापस लेते हुए भारत के आतंकवाद विरोधी रुख का समर्थन किया।
- **कूटनीतिक प्रयास के प्रमुख उद्देश्य**
    - **कश्मीर मुद्दे को फिर से परिभाषित करना:** कश्मीर को भारत का आंतरिक संवैधानिक विषय बताते हुए इसे द्विपक्षीय मुद्दा मानने से इनकार करना।
    - **आतंकवाद को राज्य की नीति के रूप में उजागर करना:** यह बताना कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद का उपयोग केवल भारत की समस्या नहीं है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद-विरोधी मानदंडों के लिए एक वैश्विक खतरा भी है।

राज्य प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की वैश्विक पहुंच की प्रभावशीलता

- **आत्मरक्षा को वैध बनाना:** भारत ने पहलगाम हमले के बाद अपनी आत्मरक्षा के अधिकार की पुष्टि करते हुए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 का आह्वान किया। इसने सशस्त्र आक्रामकता के खिलाफ एक कानूनी प्रतिक्रिया के रूप में ऑपरेशन सिंदूर को उचित ठहराया।
- **आतंक पर शून्य-सहिष्णुता नीति के लिए समर्थन:** भारत ने किसी भी स्रोत से किसी भी रूप में आतंकवाद के खिलाफ एक दृढ़ और कानूनी दृष्टिकोण पर जोर दिया।
    - भारत ने संयुक्त राष्ट्र में **अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (CCIT)** को अपनाने की अपनी मांगों को नवीनीकृत किया।
- **वैश्विक समर्थन का निर्माण:** संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, इजरायल और जापान जैसी प्रमुख शक्तियों ने पहलगाम हमले की निंदा की तथा भारत के रुख का समर्थन किया। इस प्रकार वैश्विक प्रतिक्रिया ने राज्य-प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ बढ़ती आम सहमति को दर्शाया।
- **मुस्लिम-बहुल राष्ट्रों से समर्थन हासिल करना:** भारत ने इस मुद्दे को आतंक के खिलाफ लड़ाई के रूप में प्रस्तुत किया, न कि धर्म-आधारित या द्विपक्षीय समस्या के रूप में।
    - **इंडोनेशिया, मिस्र और बहरीन ने इस्लामी सहयोग संगठन (OIC)** में पाकिस्तान के भारत-विरोधी प्रयासों को विफल कर दिया।
        - **OIC 57 देशों** की सदस्यता के साथ **संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन** है। यह मुस्लिम जगत के हितों की रक्षा और सुरक्षा करने का प्रयास करता है।

राज्य प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत के कूटनीतिक प्रयासों में मुख्य बाधाएं

- **भारत और पाकिस्तान का री-हाइफनेशन:** हाल की तनातनी के चलते, वैश्विक मंच पर विशेष रूप से कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत और पाकिस्तान को एक बार फिर एक ही संदर्भ में देखा जाने लगा है।
  - इस आशंका को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के संघर्ष विराम की मध्यस्थता करने के दावे से बल मिलता है।
  - चीन के बढ़ते प्रभाव से चिंतित पश्चिमी देशों के लिए, कश्मीर कानूनी और राजनीतिक स्पष्टता की बजाय प्रतीकात्मक विवाद का एक विषय बन सकता है।
- **समन्वित वैश्विक कार्रवाई का अभाव:** पाकिस्तान के खिलाफ कोई संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई (जैसे प्रतिबंध या प्रस्ताव) नहीं की गई है। इससे भारत के कूटनीतिक प्रयासों का प्रभाव सीमित हो गया है।
- **वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान को लाभ:** चीन के समर्थन से पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष और आतंकवाद-रोधी समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है।
  - यह पाकिस्तान को आतंकवाद के प्रायोजक के रूप में प्रकट करने के भारत के प्रयासों को कमजोर करता है।
- **वैश्विक वित्तीय निकायों में भारत का सीमित प्रभाव:** भारत की आपत्तियों के बावजूद, पाकिस्तान को बड़े ऋण (1 बिलियन डॉलर IMF ऋण, 40 बिलियन डॉलर विश्व बैंक साझेदारी ऋण और ADB से 800 मिलियन डॉलर ऋण) प्राप्त हुए।
  - यह पाकिस्तान को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने में आई चुनौतियों को उजागर करता है। ज्ञातव्य है कि भारत के लिए यह चिंतनीय इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान इस धन का सैन्य व आतंकवादी उद्देश्यों के लिए दुरूपयोग कर सकता है।
- **पाकिस्तान के लिए लगातार द्विपक्षीय समर्थन:** चीन और तुर्किये जैसे देश आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका का या तो समर्थन करते हैं या उसकी भूमिका को नकारते हैं।
  - पाकिस्तान ने भारत के कूटनीतिक प्रयासों को विफल करने के लिए विदेशों में राजनयिक प्रतिनिधिमंडल भी भेजे थे। इससे भारत के कूटनीतिक प्रयास प्रभावित हुए थे।
- **वैश्विक मीडिया द्वारा अधिक ध्यान न देना:** मौजूदा वैश्विक संकट (यूक्रेन-रूस युद्ध, इजरायल-हमास संघर्ष या ईरान के साथ परमाणु तनाव) के कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारत-पाकिस्तान विवाद पर कम ध्यान दिया। इससे आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले पाकिस्तान जैसे देश को अपनी स्थिति को मजबूत करने का अवसर प्राप्त हुआ है।

निष्कर्ष

भारत द्वारा अपनी संप्रभु प्राथमिकताओं पर जोर देना और अपनी सुरक्षा नीति को बाहरी ताकतों के हवाले करने से इनकार करना उसकी रणनीतिक परिपक्वता का प्रतीक है। वैश्विक व्यवस्था में समझौतों की तुलना में स्पष्टता को अधिक सम्मान मिलता है। आने वाले समय में यह संघर्ष सीमाओं पर नहीं, बल्कि सोच और विचारों में होगा और, बातों में स्पष्टता ही यह तय करेगी कि वर्तमान पर किसका नियंत्रण रहेगा और भविष्य किसके हाथ में जाएगा। भारत के सामने चुनौती केवल लड़ाइयाँ जीतने की नहीं, बल्कि अपनी कहानी का स्वामी बनने की है। भू-राजनीति में, ठीक वैसे ही जैसे युद्धनीति में, जो पक्ष सवाल की रूपरेखा तय करता है, वही अक्सर उत्तर को नियंत्रित करता है। अंततः, सफलता उसी की होगी जो अपनी बातों को सबसे बेहतर तरीके से कह सके।

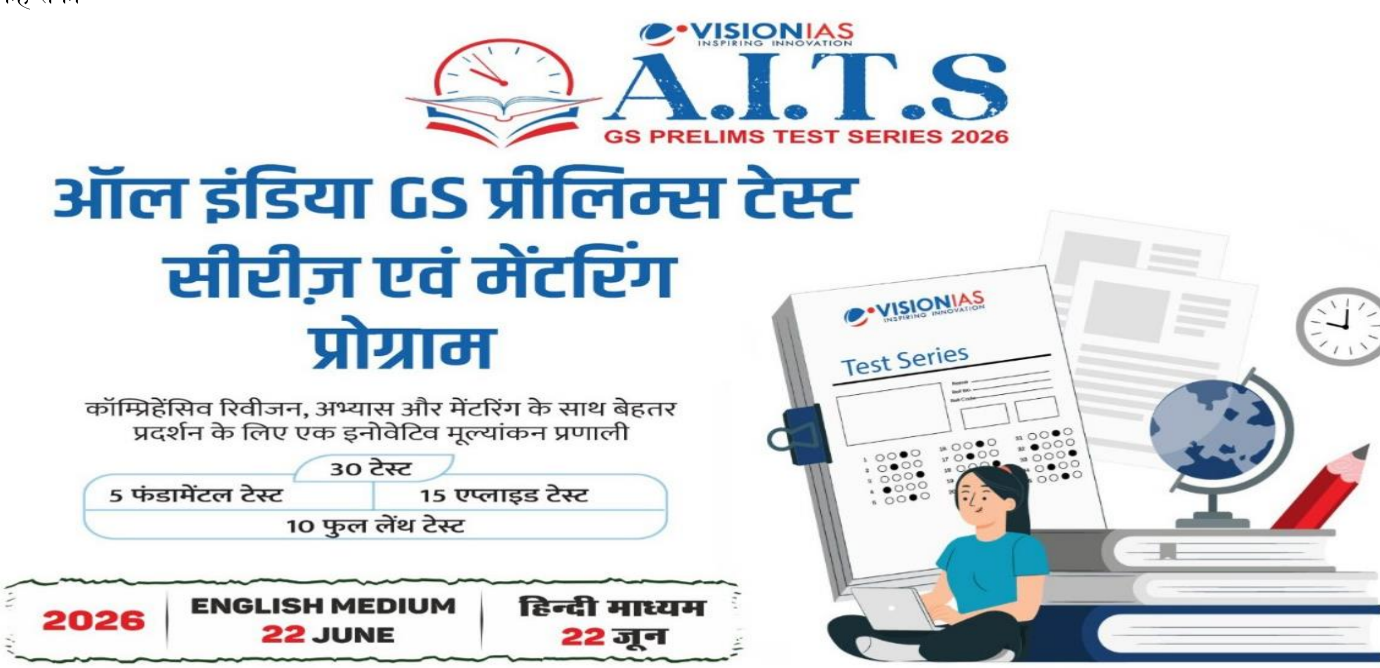

4.5. ब्रह्मोस एयरोस्पेस परीक्षण सुविधा का शुभारंभ (Brahmos Aerospace Testing Facility launched)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, रक्षा मंत्री ने **उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ब्रह्मोस एयरोस्पेस परीक्षण सुविधा**[33] का उद्घाटन किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस परीक्षण सुविधा के साथ, एक **ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन इकाई** का भी उद्घाटन किया गया।
- ये इकाइयां **उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे** का हिस्सा हैं। ये **मिसाइल परीक्षण, असेंबली और उत्पादन** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

रक्षा औद्योगिक गलियारों के बारे में

- **रक्षा सामग्री के विनिर्माण को मजबूत करने और रक्षा क्षेत्रक को बढ़ावा** देने के लिए, दो रक्षा औद्योगिक गलियारे स्थापित किए जा रहे हैं, एक **उत्तर प्रदेश में और दूसरा तमिलनाडु** में।
    - इनकी घोषणा **केंद्रीय बजट 2018-19** में की गई थी।
- **उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा**
    - इसका क्रियान्वयन **उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA)** द्वारा किया जा रहा है।
    - **इसमें 6 नोडल बिंदु शामिल हैं:** आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ।
- **तमिलनाडु रक्षा गलियारा**
    - **तमिलनाडु सरकार** के नेतृत्व में
    - **इसमें 5 नोडल बिंदु शामिल हैं:** चेन्नई, कोयंबटूर, होसुर, सेलम और तिरुचिरापल्ली।

ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में

- यह **लंबी दूरी की एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल** प्रणाली है। इसे **जमीन, समुद्र और हवा** से दागा जा सकता है।
    - **सुपरसोनिक** का अर्थ है किसी वस्तु की गति **ध्वनि की गति से भी अधिक** है। यह **1 से 5 मैक** की सीमा में होती है।
        - **मैक संख्या** विमान की गति और ध्वनि की गति के अनुपात को दर्शाती है।
        - सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की **सामान्य गति 2 से 3 मैक** होती है।
- इसे **भारत के DRDO और रूस के NPOM** के बीच एक संयुक्त उपक्रम **ब्रह्मोस एयरोस्पेस** ने विकसित किया है।
    - ब्रह्मोस का नाम **ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा** नदियों के नाम पर रखा गया है।
- **मुख्य विशेषताएं**
    - यह **दो चरणों वाली मिसाइल** है। इसमें पहले चरण के रूप में एक **ठोस प्रणोदक बूस्टर इंजन** होता है, जो इसे **सुपरसोनिक गति** तक लाता है और फिर अलग हो जाता है।
    - दूसरा चरण **लिक्विड रैमजेट इंजन** है, जो क्रूज़ चरण में इसे **3 मैक गति** तक पहुंचाता है।
        - **रैमजेट** एक प्रकार का **एयर-ब्रीदिंग जेट इंजन** है, जो अपनी गति का उपयोग करके **हवा को संपीडित** करता है, ताकि इसे **दहन (Combustion) में इस्तेमाल** किया जा सके। इस इंजन में **कोई रोटेटिंग कंप्रेसर नहीं** होता है।
    - मिसाइल की उड़ान सीमा **290 कि.मी.** तक है।
    - यह **'दागो और भूल जाओ के सिद्धांत'** पर काम करती है तथा लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अलग-अलग प्रकार के प्रक्षेप-पथों को अपनाती है।

---

[33] Brahmos Aerospace Testing Facility

- संस्करण:
    - **ब्रह्मोस-एनजी (नेक्स्ट जनरेशन) मिसाइल:** इसे ब्रह्मोस मिसाइल के **हल्के, छोटे और फिर भी स्मार्ट संस्करण** के रूप में तैयार किया जाएगा।
    - **ब्रह्मोस-II:** यह एक **हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी, जो 5 मैक से अधिक की गति** से उड़ेगी।
- **ब्रह्मोस मिसाइल का महत्त्व**
    - **उच्च गति और सटीकता:** यह मिसाइल अपनी उड़ान के दौरान उच्च सुपरसोनिक गति प्राप्त करती है, जो विशुद्ध सटीकता और महत्वपूर्ण मारक क्षमता प्रदान करती है। प्रभाव के समय उच्च गतिज ऊर्जा (काइनेटिक एनर्जी) से यह क्षमता और भी घातक बन जाती है।
    - **स्टील्थ गुण:** स्टील्थ तकनीक और एडवांस एम्बेडेड सॉफ्टवेयर युक्त गाइडेंस सिस्टम ब्रह्मोस मिसाइल को विशेष क्षमताएं प्रदान करती है। इसमें **लो रडार सिग्नेचर** है और यह टर्मिनल फेज में केवल **10 मीटर** की ऊँचाई पर उड़ सकती है, **जिससे यह दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आती।**
    - **रक्षा आत्मनिर्भरता:** ब्रह्मोस एक सफल संयुक्त उद्यम के माध्यम से 'मेक इन इंडिया' का उदाहरण है, जिसमें 200 से अधिक सार्वजनिक और निजी भारतीय उद्योग इसकी उप-प्रणालियों में योगदान दे रहे हैं।
    - **रक्षा निर्यात: फिलीपींस** ब्रह्मोस खरीदने वाला पहला देश था तथा इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, चिली और दक्षिण अफ्रीका सहित कई अन्य देशों ने भी इसमें रुचि दिखाई है। यह प्रवृत्ति वैश्विक हथियार बाजार में भारत के बढ़ते प्रभाव को उजागर करती है।
- **अन्य मिसाइलों के साथ तुलना**

विशेषताएं	ब्रह्मोस (भारत-रूस)	टॉमहॉक (अमेरिका)	कैलिबर (रूस)	किंजल (रूस)	स्कैल्प (फ्रांस)
गति	सुपरसोनिक (2-3 मैक)	सबसोनिक (मैक 0.7–0.9)	सबसोनिक (लक्ष्य के पास मैक 2.5 तक बूस्ट)	हाइपरसोनिक (10 मैक तक)	सबसोनिक (लगभग मैक 0.8)
रेंज	290 कि.मी. (800 कि.मी. तक विस्तार योग्य)	1,250–2,500 कि.मी.	220-2,500 कि.मी.	1,500-2,000 कि.मी.	140 -550 कि.मी.
लॉन्च प्लेटफॉर्म	जमीन, समुद्र, हवा	जमीन, समुद्र, पनडुब्बियां	समुद्र, पनडुब्बी, हवा	हवा	हवा, जहाज, पनडुब्बी

निष्कर्ष

ब्रह्मोस एयरोस्पेस परीक्षण सुविधा का उद्घाटन भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने, स्वदेशी मिसाइल उत्पादन को मजबूत करने और देश को वैश्विक रक्षा निर्यात परिदृश्य में एक प्रमुख अभिकर्ता के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है।

4.6. गोल्डन डोम (Golden Dome)

अमेरिकी राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम नामक एक महत्वाकांक्षी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का अनावरण किया।

गोल्डन डोम के बारे में

- गोल्डन डोम **जमीन और अंतरिक्ष से संचालित होने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसे संपूर्ण अमेरिकी क्षेत्र की रक्षा के लिए डिज़ाइन** किया जाना है।
- यह **हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइल के खतरों से निपटने** वाला एक **बहु-स्तरीय डिफेंस सिस्टम** होगा। इस सिस्टम में अंतरिक्ष से संचालित **इंटरसेप्टर और एडवांस्ड ट्रैकिंग प्रौद्योगिकियां** शामिल होंगी।
    - यह प्रणाली मिसाइलों को **उनकी उड़ान के कई चरणों में पहचान सकेगी, ट्रैक और नष्ट** कर सकेगी, और **यहां तक कि उड़ान भरने से पहले भी नष्ट कर सकती है।**
- गोल्डन डोम के कंपोनेंट्स अमेरिका के पास पहले से मौजूद डिफेंस सिस्टम्स से तैयार की जा रही है, जिनमें शामिल हैं- **पैट्रियट मिसाइल बैटरियां, THAAD (टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस), एजिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, ग्राउंड-बेस्ड मिडकोर्स डिफेंस (GMD)** आदि।

गोल्डन डोम से जुड़ी चिंताएं

- **अंतरिक्ष का शस्त्रीकरण: चीन ने चिंता जताई** है कि इस डिफेंस सिस्टम से "**अंतरिक्ष, युद्ध का मैदान बन सकता है**" और यह "**हथियारों की होड़ को बढ़ावा देगा।**"

- **बाह्य अंतरिक्ष संधि (आउटर स्पेस ट्रीटी) की भावना के खिलाफ:** अंतरिक्ष संधि के अनुसार, कोई भी देश **परमाणु हथियार या सामूहिक विनाश के हथियार** को न ही **अंतरिक्ष की कक्षा में** या न ही **किसी आकाशीय पिंड पर**, और न ही किसी अंतरिक्ष स्टेशन में किसी भी प्रकार से तैनात कर सकता है।

दुनिया की विभिन्न एयर डिफेंस सिस्टम्स के बीच तुलना

देश	एयर डिफेंस सिस्टम्स
रूस	• **S-400 ट्रायंफ (SA-21 ग्रोलर):** एडवांस्ड फेज़्ड-अरे रडार से युक्त प्रणाली जिसकी रेंज 40 से 400 किलोमीटर तक है।
संयुक्त राज्य अमेरिका	• **THAAD (टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस):** "हिट-टू-किल" तकनीक से लैस, 1,000 किलोमीटर तक की दूरी पर लक्ष्य की पहचान, निगरानी और ट्रैकिंग करने में सक्षम; मैक-8 (ध्वनि की गति से 8 गुना) की गति वाले इंटरसेप्टर मिसाइल का उपयोग।
इजरायल	• **आयरन डोम: तामीर इंटरसेप्टर** मिसाइल से युक्त; लॉन्चर, युद्ध प्रबंधन और हथियार नियंत्रण प्रणाली (BMC) शामिल और **डेविड्स स्लिंग** प्रणाली के लिए फायर कंट्रोल रडार के रूप में कार्य करना। • **आयरन बीम:** हाई एनर्जी लेज़र प्रणाली (100–150 किलोवाट)। असीमित मैगज़ीन क्षमता। आयरन डोम की पूरक प्रणाली।
चीन	• **HQ-9:** S-300 और पैट्रियट प्रणाली से प्रेरित, S-400 के रडार की तुलना में कम एडवांस्ड।
भारत	• **बराक-8:** भारत और इजरायल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली; 360 डिग्री कवरेज तथा नौसेना और थल सेना, दोनों के लिए उपलब्ध। • **आकाश:** राजेन्द्र" रडार प्रणाली से लैस, मोबाइल प्लेटफॉर्म पर आधारित, 100% स्वदेशी, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, सुपरसोनिक गति से उड़ान भर सकती है, रैमजेट-रॉकेट प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करती है।

निष्कर्ष

अंतरिक्ष से संचालित इंटरसेप्टर्स की तैनाती, भले ही **रक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम** हो, लेकिन इससे **अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून** का उल्लंघन और **नई हथियारों की दौड़** शुरू होने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। असली चुनौती **राष्ट्रीय सुरक्षा की ज़रूरतों** और **मानवता के लिए अंतरिक्ष शांतिपूर्ण उपयोग के बीच संतुलन** बनाए रखने की है।

4.7. नक्सलवाद (Naxalism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुरक्षा बलों ने **छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर स्थित कर्रेगुट्टालु हिल** पर नक्सलवादियों के खिलाफ **अब तक का सबसे बड़ा अभियान** चलाया।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह अभियान **31 मार्च, 2026 तक भारत को नक्सल-मुक्त बनाने के लक्ष्य** के अनुरूप संचालित किया गया था।

डेटा बैंक

- **वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या** 2018 में 126 **थी, जो 2024 में घटकर 38 रह गई।**
- **2024 में वामपंथी उग्रवाद हिंसा की 374 घटनाएं हुई थीं, जबकि 2010 में 1,936 घटनाएं हुई थीं।** इनमें **81% की कमी हुई है।**
- वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में **178 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय कार्यरत हैं।**

भारत में नक्सलवाद

- **पृष्ठभूमि:** नक्सलवाद या वामपंथी उग्रवाद (LWE)[34] की उत्पत्ति **1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी आंदोलन** से हुई थी।
- **विचारधारा:** नक्सलवाद की जड़ें सामाजिक-आर्थिक असमानताओं में निहित हैं और यह **माओवादी सिद्धांतों** से प्रेरित है। नक्सलवाद ने मूल रूप से देश के कुछ **सबसे दुर्गम, पिछड़े और जनजातीय बहुल क्षेत्रों को प्रभावित** किया है।

---

[34] Left Wing Extremism

- **उद्देश्य:** इस आंदोलन का उद्देश्य **सशस्त्र विद्रोह और समानांतर शासन व्यवस्थाओं के माध्यम से भारतीय राज्य को कमजोर** करना है। नक्सलवादी विशेष रूप से सुरक्षा बलों, सार्वजनिक अवसंरचनाओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं को निशाना बनाते हैं।
- **भारत का 'लाल गलियारा':** इस गलियारे में वे **राज्य शामिल हैं, जो नक्सलवाद से प्रभावित** हैं। इनमें **छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश राज्य तथा आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के कुछ हिस्से** शामिल हैं।
- **नक्सलियों की कार्यप्रणाली:** नक्सली अक्सर **सशस्त्र हिंसा, फिरौती वसूली और सरकारी अवसंरचना को नष्ट** करते हैं तथा अपनी कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए बच्चों व नागरिकों की भर्ती करते हैं।

नक्सलवादी गतिविधियों में गिरावट के कारण

भारत की **वामपंथी-उग्रवाद विरोधी (LWE) रणनीति में सुरक्षा, विकास और प्रभावित समुदायों तक पहुंच** जैसे कदम शामिल हैं। इस रणनीति ने नक्सलवादी गतिविधियों को काफी हद तक कम कर दिया है। **नक्सलवादी गतिविधियों में गिरावट में योगदान देने वाले कुछ विशेष कारक इस प्रकार हैं:**

- **सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाना:**
  - **समाधान सिद्धांत[35]:** इस सिद्धांत में **सुरक्षा अभियानों के लिए संपूर्ण रणनीति को समाहित** किया गया है। इसमें अल्पकालिक नीति से लेकर अलग-अलग स्तरों पर तैयार की गई दीर्घकालिक नीतियां भी शामिल है।
  - इसमें **केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल** (CAPFs)[36] की तैनाती, **इंडिया रिजर्व (IR) बटालियन को मंजूरी** देना और राज्य सरकारों की मदद के लिए **राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण व उन्नयन में सहायता** करना शामिल है।
  - **सुरक्षा से संबंधित व्यय योजना:** केंद्रीय **गृह मंत्रालय की इस योजना** का उद्देश्य राज्य सरकारों को उनके सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण, अभियान संचालन की आवश्यकताओं, अनुग्रह राशि का भुगतान और सुरक्षा-संबंधी अन्य लागतों की प्रतिपूर्ति करके उनका (राज्य सरकार) क्षमता निर्माण करना है।
  - **विशेष अवसंरचना योजना (SIS)[37]:** इसके तहत **राज्य खुफिया एजेंसियों, विशेष सुरक्षा बलों, जिला पुलिस और फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशनों को मजबूत करने के लिए फंड** प्रदान किया जाता है।
  - **इंटेलिजेंस एवं ऑपरेशन:** कई एजेंसियों के समन्वय से रियल टाइम आधार पर खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान से नक्सलियों के खिलाफ सटीक ऑपरेशन चलाना संभव हो पाया है।
  - **वित्तीय कार्रवाई: धन-शोधन निवारण अधिनियम (PMLA)[38] के क्रियान्वयन और फंड जब्ती** के माध्यम से नक्सलियों के वित्तीय स्रोतों को निशाना बनाया गया है।

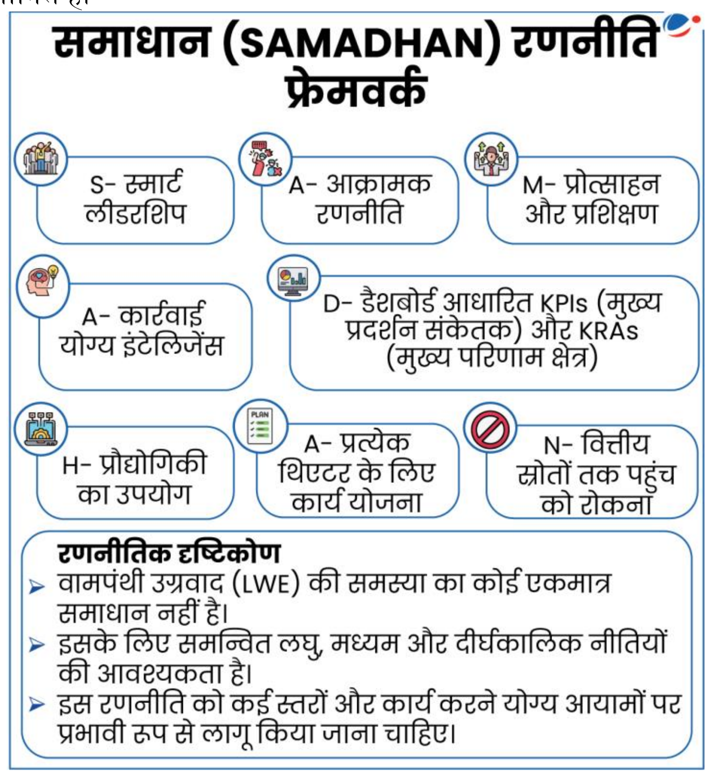

- **विकास अभियान:**
  - नक्सलवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों में अवसंरचना और आवश्यक सेवाओं की कमियों को **विशेष केंद्रीय सहायता (SCA)[39]** द्वारा पूरा किया जा रहा है।
  - **वित्तीय समावेशन के लिए प्रयास** किए जा रहे हैं। इसके तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में **बैंक शाखाओं, एटीएम व डाकघरों की स्थापना** की जा रही है और **बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट्स की नियुक्ति** की जा रही है।
  - **कौशल विकास और शिक्षा प्रदान करने से जुड़ी पहलें** चलाई जा रही हैं। जैसे- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में **आई.टी.आई., कौशल विकास केंद्रों, और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना** की जा रही है।

---

35 SAMADHAN Doctrine

36 Central Armed Police Forces

37 Special Infrastructure Scheme

38 Prevention of Money Laundering Act

39 Special Central Assistance

- स्थानीय आबादी को विविध सुविधाएं प्रदान करने के लिए **धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान** शुरू किया गया है।
- **3-C कनेक्टिविटी** पर ध्यान दिया गया है। 3-C से आशय है- **रोड कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी और फाइनेंशियल कनेक्टिविटी।**

- **सामुदायिक सहभागिता और सुरक्षा बलों के प्रति स्थानीय समुदाय की धारणा में बदलाव:**
  - **सिविल एक्शन प्रोग्राम (CAP)** के तहत सुरक्षा बलों को मानवीय तरीके से पेश आने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे उनके तथा स्थानीय लोगों के बीच बेहतर संवाद और तालमेल सुनिश्चित होता है।
  - **माओवादी दुष्प्रचार से निपटने** के लिए स्थानीय युवाओं की आकांक्षाओं को बढ़ाने और उन्हें **विकास व अवसरों के बारे में जागरूक** करने के लिए **मीडिया प्लानिंग** की जा रही है।
- **सहायता योजनाएं: 'आतंकवाद/ सांप्रदायिक हिंसा/ वामपंथी उग्रवाद हिंसा से प्रभावित नागरिकों या उनके परिजनों के लिए केंद्रीय सहायता योजना (CSACV)[40]'** के तहत प्रभावित नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

नक्सलवाद के उन्मूलन में लगातार बनी चुनौतियां

- **हिंसात्मक विचारधारा:** नक्सलवाद से निपटने में मुख्य चुनौती **माओवादी विचारधारा** है। यह विचारधारा **हिंसा को महिमामंडित करती है और लोकतांत्रिक सरकार की व्यवस्था को खत्म करने का लक्ष्य** रखती है।
- **फ्रंट संगठन और बाहरी गठजोड़:** ये संगठन **भारत की कानून व्यवस्था का दुरुपयोग** करते हैं, कैडरों की भर्ती करते हैं, फंड एकत्रित करते हैं और कभी-कभी बाहरी समर्थन से दूसरे उग्रवादी समूहों के साथ मिलकर काम करते हैं।
- **दुर्गम भू-क्षेत्र:** कर्रेगुट्टालु हिल जैसे **दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों की प्रतिकूल भौगोलिक अवस्थितियां एवं जलवायु दशाएं नक्सल विरोधी अभियानों को चुनौतीपूर्ण** बना देती हैं।
- **स्थानीय लोगों का शासन और प्रशासन में विश्वास की कमी:** रहन-सहन एवं संस्कृति अलग होने तथा अधिकारियों के प्रति गलत धारणाएं वास्तव में स्थानीय लोगों में प्रशासन व सुरक्षा बलों के प्रति अविश्वास पैदा करती हैं। इससे कल्याणकारी उपायों द्वारा स्थानीय समुदाय का विश्वास जीतने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

आगे की राह

- **प्रशासन में विश्वास की कमी को दूर करना:** प्रशासन में स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाकर उनके विश्वास को मजबूत किया जा सकता है।
  - **बंद्योपाध्याय समिति** ने सिफारिश की थी कि **भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास नीतियां जनजाति हितैषी** होनी चाहिए, ताकि नक्सलवाद के प्रसार को रोका जा सके।
  - **अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने वाली नीतियों को सावधानीपूर्वक लागू** किया जाना चाहिए। जैसे कि **वन अधिकार अधिनियम, 2006** को इस तरह लागू किया जाना चाहिए, जिससे **स्थानीय समुदायों को गौण वनोपज पर अधिकार** मिल सके।
- **नक्सलवादी विचारधारा की चुनौती से निपटना:** माओवादी हिंसक विचारधारा से निपटने के लिए **संविधान में निहित लोकतांत्रिक सिद्धांतों के संरक्षण और उन्हें प्रसारित करने पर बल** देना चाहिए।
- **सुरक्षा मजबूत करना और क्षमता निर्माण:** स्थानीय पुलिस बलों के आधुनिकीकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही, **खुफिया जानकारी प्रदान करने वाली स्मॉल यूनिट्स** (जैसे ग्रेहाउंड्स) का उपयोग करके नक्सल-विरोधी अभियानों को और अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है।
- **केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय:** केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित करके समन्वित प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए। इससे उग्रवाद के खिलाफ प्रभावी लड़ाई लड़ी जा सकती है और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सकता है।

[40] Central Scheme for Assistance to Civilian Victims/Family of Victims of Terrorist/ Communal/LWE Violence

4.8. क्रिप्टोकरेंसी और हवाला गठजोड़ (Cryptocurrency Hawala Nexus)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने एक जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि **बिटकॉइन ट्रेडिंग वास्तव में हवाला लेनदेन का** एक आधुनिक रूप है।

अन्य संबंधित तथ्य

- सुप्रीम कोर्ट ने भारत में **वर्चुअल करेंसी (क्रिप्टोकरेंसी)** की निगरानी के लिए स्पष्ट **विनियामक व्यवस्था (यानी नियम-कानून) नहीं होने पर चिंता व्यक्त की**।
- ध्यातव्य है कि 2020 में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में **भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा 2018 में जारी उस सर्कुलर को रद्द कर दिया था**, जिसमें बैंकों को वर्चुअल करेंसी से जुड़ी सेवाएं देने से रोका गया था।

क्रिप्टोकरेंसी और हवाला लेनदेन प्रणाली के बारे में

क्रिप्टोकरेंसी: यह एक प्रकार की **डिजिटल या वर्चुअल मुद्रा** है, जिसमें लेनदेन को सुरक्षित रखने के लिए **क्रिप्टोग्राफी** का उपयोग होता है। **बिटकॉइन** इसका सबसे लोकप्रिय उदाहरण है।

- इसका नियंत्रण **केंद्रीय बैंक जैसी किसी संस्था के पास नहीं** होता है, बल्कि यह लेनदेन रिकॉर्ड करने और नई यूनिट्स जारी करने के लिए एक **विकेंद्रीकृत प्रणाली का उपयोग** करती है।
- यह **ब्लॉकचेन तकनीक** पर आधारित है और इसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है।

हवाला लेन-देन प्रणाली

यह मुद्रा लेन-देन की एक **अनौपचारिक प्रणाली** है। इसमें पैसे को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए "हवाला दलालों" (हवालादारों) की मदद ली जाती है।

- एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुद्रा लेन-देन की प्रणाली सदियों से उपयोग में रही है, जिसकी शुरुआत मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में हुई थी। अलग-अलग जगहों पर इसके अलग-अलग नाम थे, जैसे- चीन में इसे "Fei-Ch'ien" और भारत में "हुण्डी" कहा जाता था।
- हवाला लेनदेन पर **अवैध मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण में भूमिका** के आरोप लगाए जाते रहे हैं।

क्रिप्टोकरेंसी-हवाला गठजोड़

- क्रिप्टो हवाला गठजोड़ वास्तव में आधुनिक क्रिप्टोकरेंसी प्रौद्योगिकियों के साथ पारंपरिक हवाला लेनदेन के सांठगांठ को दर्शाता है। इस गठजोड़ का उपयोग **अवैध तरीके से अर्जित धन को छिपाने** और **औपचारिक वित्तीय प्रणाली** से बचने के लिए किया जाता है।
  - उदाहरण के लिए, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 1,300 करोड़ रुपये की धनराशि को ट्रैक किया जो **शेल एकाउंट्स**, क्रिप्टो एक्सचेंज और हवाला चैनलों के माध्यम से भेजी गई थी।
- ब्लॉकचेन तकनीक में **नोड्स** को हवाला के **हवालादारों** के समान माना जा सकता है क्योंकि दोनों अपने लेनदेन नेटवर्क को सुरक्षित बनाए रखने के लिए आपसी विश्वास या आम सहमति पर निर्भर करते हैं (इन्फोग्राफिक देखिये)।

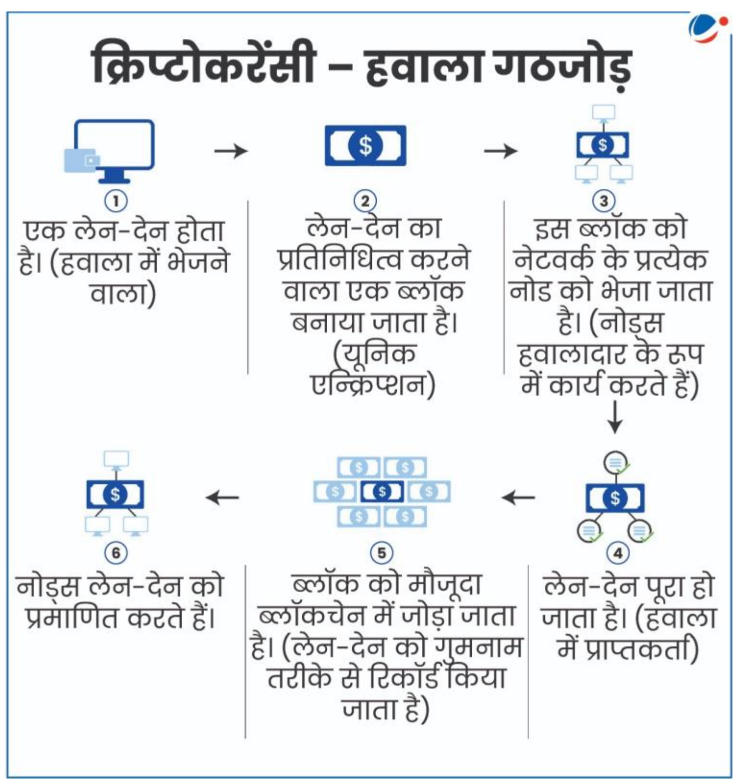

क्रिप्टोकरेंसी और हवाला गठजोड़ की वजहें

- **गुमनामी और जटिलता:** क्रिप्टोकरेंसी की गुमनामी एवं जटिलता, बिना आधिकारिक दस्तावेज के चलने वाले पारंपरिक हवाला प्रणाली के साथ मिलकर, वित्तीय लेनदेन को ट्रैक करना मुश्किल बना देता है।

- **वित्तीय लेनदेन की वैधानिक प्रणाली को दरकिनार करना:** क्रिप्टोकरेंसी और हवाला, दोनों लेनदेन प्रणालियाँ यूजर्स को औपचारिक और नियम-कानून द्वारा शासित वित्तीय संस्थानों की निगरानी से बचते हुए लेनदेन में मदद करती हैं। ये अस्थिर शासन, संघर्ष से ग्रसित या प्रतिबंधात्मक कानूनों का सामना करने वाले देशों/क्षेत्रों में लेनदेन का बेहतर माध्यम हो सकता है।
- **अवैध गतिविधियों को बढ़ावा:** क्रिप्टोकरेंसी और हवाला, दोनों प्रणालियों की कार्यप्रणाली उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को वित्तपोषित करने जैसी अवैध गतिविधियों के लिए उपयुक्त बनाती हैं।
- **ब्लॉकचेन तकनीक, हवाला लेनदेन को और अधिक मजबूत बनाती है और विस्तारित करती है:** पारदर्शिता और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था के द्वारा ब्लॉकचेन तकनीक हवाला के विश्वास-आधारित लेनदेन मॉडल को और मजबूत बनाती है। इसके कारण लेनदेन की यह प्रणाली तेज़, अत्यधिक आधुनिक और वैश्विक स्तर पर विस्तार योग्य बन जाती है।
- **दोनों प्रणालियां समान सिद्धांतों पर कार्य करती है:** ब्लॉकचेन और हवाला, दोनों प्रणालियां बिना किसी केंद्रीय अथॉरिटी की निगरानी के कार्य करती हैं। इस तरह ये प्रणालियां एक-दूसरे का पूरक बन सकती हैं।

क्रिप्टोकरेंसी और हवाला के गठजोड़ से जुड़ी चिंताएँ

- **ट्रैकिंग करने में चुनौतियां:** क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन गुमनाम रहते हुए या नाम बदलकर किया जा सकता है। इस वजह से बड़े पैमाने पर अवैध लेनदेन के लिए इस तरीके का उपयोग किया जा रहा है। इस जटिल अवैध नेटवर्क को ट्रैक करना विनियामक संस्थाओं के लिए मुश्किल हो जाता है।
    - उदाहरण के लिए, **स्टील्थ एड्रेस और रिंग सिग्नेचर** (जैसे, मोनेरो में), या Zcash में zk-SNARKs, जैसी तकनीकें लेनदेन को अपारदर्शी बना देती हैं।
- **गैर-कानूनी वित्तीय लेनदेन में उपयोग:** क्रिप्टोकरेंसी और हवाला गठजोड़ का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए किया जाता है। इसके उदाहरणों में 20 मिलियन डॉलर से अधिक का **मुरारका लेनदेन मामला** और आतंकवादी समूह **हमास द्वारा मिलियन डॉलर फंड जुटाना** या आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करना शामिल हैं।
- **विनियमन की चुनौतियां:** क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन पर निगरानी के लिए मौजूदा कानूनों में संशोधन की आवश्यकता है। भारत में ब्लॉकचेन तकनीक और क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन की कानूनी स्थिति पर अभी भी अस्पष्टता बनी हुई है।
- **कर से बचाव:** क्रिप्टोकरेंसी और हवाला गठजोड़ का उपयोग रेमिटेंस और काले धन को टैक्स हेवन देशों/क्षेत्रों में भेजने के लिए किया जा सकता है।
- **लेनदेन की असुरक्षा:** डिजिटल वॉलेट हैकर्स के मुख्य निशाने पर होते हैं। इससे अधिक वित्तीय नुकसान झेलना पड़ता है। क्रिप्टोकरेंसी तकनीकों की खामियों का दुरुपयोग डी-एनोनिमाइजेशन, जमा धन को खर्च करने से रोकने और चोरी करने तथा सिस्टम पर बार-बार साइबर हमलों के लिए किया जा सकता है।

आगे की राह

- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का उपयोग:** क्रिप्टोकरेंसी और हवाला लेनदेन की समस्या से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग और नए नियम बनाना आवश्यक है। सहयोग और नए नियमों के द्वारा सुरक्षा एजेंसियां और खुफिया संस्थाएं आपस में समन्वय के द्वारा गुमनाम लेनदेन को उजागर कर सकती हैं। इसका एक प्रमुख उदाहरण "**मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कार्यक्रम"** है।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग करके नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना:** ब्लॉकचेन सहित अन्य नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग गैर-कानूनी लेनदेन को ट्रैक करने और इस धन के उचित उपयोग में किया जा सकता है। उदाहरण: '**वैल्यू-ड्रिवेन-ट्रांजेक्शनल ट्रैकिंग एनालिटिक्स फॉर क्रिप्टो कंप्लायंस (VTAC)** अप्रोच, TRM लैब्स।
- **नियमों को सख्त बनाना:** वर्चुअल करेंसी लेनदेन से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए स्पष्ट और सख्त कानूनों की तत्काल आवश्यकता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के दिशानिर्देश और यूरोपीय संघ का MiCA फ्रेमवर्क वर्चुअल करेंसी लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ाने तथा एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के उपायों को मजबूत करने के लिए मार्गदर्शक साबित हो सकते हैं।
- **व्यापक रणनीति की आवश्यकता:** इस रणनीति में सख्त नियम और निगरानी; मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के प्रयास, तथा AI और मशीन लर्निंग जैसी नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग शामिल हो सकते हैं।

4.9. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

4.9.1. वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (Financial Fraud Risk Indicator)

दूरसंचार विभाग (DoT) ने मोबाइल आधारित साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (FRI) शुरू किया है।

- यह संकेतक दूरसंचार और वित्तीय दोनों क्षेत्रकों में **संदिग्ध धोखाधड़ी के खिलाफ त्वरित, लक्षित एवं सहयोगात्मक कार्रवाई को सक्षम** बनाता है।

वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (FRI) क्या है?

- यह **जोखिम-आधारित मापीय साधन है,** जो किसी **मोबाइल नंबर को वित्तीय धोखाधड़ी के मध्यम, उच्च या बहुत उच्च जोखिम** से संबद्ध के रूप में वर्गीकृत करता है।
    - यह वर्गीकरण **राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP), दूरसंचार विभाग की चक्षु सुविधा और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) से प्राप्त इनपुट तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों** द्वारा साझा की गई खुफिया जानकारी पर आधारित है।
- यह **बैंकों, NBFCs और UPI सेवा प्रदाताओं** जैसे हितधारकों को उच्च जोखिम वाले मोबाइल नंबरों पर ध्यान केंद्रित करने तथा ग्राहक सुरक्षा संबंधी अतिरिक्त उपायों को लागू करने में सक्षम बनाएगा।

भारत में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की स्थिति पर एक नजर

- **वित्त वर्ष 2020 और 2024** के बीच लगभग 3,207 करोड़ रुपये मूल्य के साइबर धोखाधड़ी के 5,82,000 मामले दर्ज किए गए थे।
- **वित्तीय धोखाधड़ी के कुछ सामान्य तरीके हैं:** KYC संबंधी धोखाधड़ी, ग्राहक सेवा संबंधी धोखाधड़ी, UPI संबंधी धोखाधड़ी, कार्ड संबंधी धोखाधड़ी, **डिजिटल अरेस्ट संबंधी धोखाधड़ी**, निवेश संबंधी धोखाधड़ी, जल्दी अमीर बनाने की योजनाएं आदि।

4.9.2. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (National Security Advisory Board: NSAB)

भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NSAB) में **एक नए अध्यक्ष के साथ-साथ 7 नए सदस्यों की नियुक्ति** की है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के बारे में

- इसका **गठन पहली बार दिसंबर 1998 में केंद्र सरकार से बाहर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों** की एक **सलाहकार संस्था** के रूप में किया गया था। इस बोर्ड में उद्योग और मीडिया जगत, सिविल सोसाइटी इत्यादि के सदस्य शामिल होते हैं।
    - इसे **राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) सचिवालय द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।**
- **कार्य:** राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर **दीर्घकालिक विश्लेषण प्रदान करना** तथा **इस बारे में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) को अपना विचार** प्रदान करना।
    - यह बोर्ड राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा **सौंपे गए किसी विषय** पर **उपायों और नीतिगत विकल्पों की** भी सिफारिश करता है।

4.9.3. आतंकवाद पीड़ित संघों का नेटवर्क (Victims of Terrorism Associations Network: VoTAN)

संयुक्त राष्ट्र-आतंकवाद-रोधी कार्यालय (UNOCT) ने **आतंकवाद पीड़ित संघों का नेटवर्क (VoTAN)** शुरू किया है। यह **आतंकवाद के पीड़ितों और बचे लोगों को सहायता देने वाला एक वैश्विक नेटवर्क है।**

VoTAN के बारे में

- **पृष्ठभूमि: स्पेन और इराक** की अध्यक्षता में **"द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म"** की स्थापना लगभग छह साल पहले **आतंकवाद पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा के लिए की गई थी।**
- **स्थापना:** यह नेटवर्क **"आतंकवाद के पीड़ितों पर संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कांग्रेस 2022"** का एक प्रमुख आउटकम है।

- **लक्ष्य:**
  - **आतंकवाद से पीड़ितों और बचे लोगों** को एक-दूसरे का समर्थन करना,
  - उन्हें चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाना;
  - उन्हें अधिवक्ताओं, शिक्षकों और शांति-स्थापकों के रूप में संलग्न होने के लिए अवसर प्रदान करना।
- **वित्तीय सहायता: स्पेन** से प्राप्त होती है।

4.9.4. भार्गवास्त्र (Bhargavastra)

भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित **एंटी-ड्रोन सिस्टम, भार्गवास्त्र** का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

भार्गवास्त्र के बारे में

- यह एक कम लागत वाली, **'हार्ड किल'** एंटी-ड्रोन प्रणाली है। इसे **स्वार्म ड्रोन्स को निष्क्रिय** करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
    - **स्वार्म ड्रोन्स** वास्तव में कई **मानव-रहित हवाई वाहनों (UAVs)** के समूह होते हैं। ये सभी **समन्वित प्रणाली के रूप में एक-साथ** कार्य करते हैं।
- इसे **सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड (SDAL)** ने विकसित किया है।
- **मुख्य विशेषताएं**
    - **दो-परत (लेयर) सुरक्षा प्रणाली:**
        - **लेयर 1:** गैर-निर्देशित माइक्रो-रॉकेट्स- 20 मीटर के भीतर **स्वार्म ड्रोन्स** को निष्क्रिय करने की क्षमता।
        - **लेयर 2:** सटीक निशाने के लिए निर्देशित माइक्रो-मिसाइल्स।
    - **रेंज:** ड्रोन को **2.5 कि.मी.** की रेंज तक पहचान सकता है। रडार से **6 से 10 कि.मी.** तक हवाई खतरे का पता लगा सकता है।
    - **क्षेत्र की अनुकूलता:** 5000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर भी प्रभावी।
    - **मॉड्यूलर डिजाइन:** इसमें **जैमिंग और स्पूर्फिंग जैसे "सॉफ्ट किल" विकल्प** भी जोड़े जा सकते हैं।
    - **C4I-सक्षम कमांड सेंटर:** यह **नेटवर्क आधारित वारफेयर** को और बेहतर बनाता है।

4.9.5. मल्टी-इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन (Multi-Influence Ground Mine: MIGM)

भारतीय नौसेना तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी-इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन (MGM) का सफल परीक्षण किया।

मल्टी-इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन (MGM) के बारे में

- यह एक **अत्याधुनिक अंडरवाटर नौसैनिक माइन** है। इसे शत्रुओं के **आधुनिक स्टील्थ पोतों और पनडुब्बियों की पहचान करने की भारतीय नौसेना** की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए विकसित किया गया है।
- इसे DRDO के तहत **नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी (NSTL)** ने डिजाइन और विकसित किया है।
- **मुख्य विशेषताएं:**
    - यह कई प्रकार के सेंसर्स का उपयोग करके दुश्मन के समुद्री जहाजों से निकलने वाले **ध्वनिक (acoustic), चुम्बकीय (magnetic), और दबाव (pressure) संकेतों** का पता लगाती है।
    - इसमें **प्रोसेसर युक्त इलेक्ट्रॉनिक्स** लगे हैं, जो डेटा को प्रोसेस करके उचित करवाई करते हैं।
    - इसे **जहाजों और पनडुब्बियों से तैनात** किया जा सकता है।

4.9.6. हॉकआई 360 प्रौद्योगिकी (Hawkeye 360 Technology)

हाल ही में, **अमेरिका ने भारत को हॉकआई 360 तकनीकी उपकरण की बिक्री को मंजूरी दी है** ताकि भारत अपनी निगरानी क्षमता को बढ़ा सके।

हॉकआई 360 तकनीक के बारे में

- इसके तहत **रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) सिग्नल्स** का पता लगाने, जिओलोकेट करने और उनका विश्लेषण करने के लिए **निम्न भू-कक्षा** में मौजूद **तीन उपग्रहों** के समूहों का उपयोग किया जाता है।

भारत के लिए महत्व

- यह उन जहाजों का पता लगा सकता है जो विवादित या संवेदनशील क्षेत्रों में ट्रैकिंग से बचने के लिए **अपने ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (AIS) को बंद कर देते हैं।**
- इससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की **समुद्री क्षेत्र संबंधी जागरूकता** बढ़ेगी।
    - भारतीय सशस्त्र बल अब मछली पकड़ने की अवैध गतिविधियों और तस्करी पर पहले से कहीं अधिक प्रभावी ढंग से निगरानी रखने और कार्रवाई करने में सक्षम होंगे।

4.9.7. इग्ला-एस (Igla-S)

भारतीय थल सेना को शत्रुओं के ड्रोन, हेलीकॉप्टर और जेट विमानों से निपटने के लिए नए रूसी **इग्ला-एस मिसाइल सिस्टम** प्राप्त हुए हैं।

इगला-एस (Igla-S) के बारे में

- इगला-एस **मैन-पोर्टेबल** है यानी इसे एक आदमी भी ढो सकता है। यह कंधे से दागी जाने वाली व **सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल** है। इसे अधिक **खगाइडेंस तरे वाले क्षेत्रों में तैनात** जमीनी सुरक्षा बलों द्वारा उपयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है।
    - यह **वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम (VSHORADS)** का एक अत्याधुनिक संस्करण है।
- **प्रमुख विशेषताएं:**
    - यह **इन्फ्रारेड (IR) होमिंग तकनीक** का उपयोग करती है। यह हवाई लक्ष्यों की हीट सिग्नेचर को पहचान करके उन्हें निशाना बनाती है।
    - मिसाइल दागे जाने के बाद, यह स्वतः **टारगेट के इंजन से निकलने वाली हीट का पीछा करती** है।
        - यह विशेषता इसे **ड्रोन, हेलीकॉप्टर जैसे तेज और छोटे लक्ष्यों को निशाना बनाने में कुशल** बनाती है।
    - **रेंज: 6 किलोमीटर दूर तक** तथा यह 3.5 किलोमीटर की ऊँचाई तक के लक्ष्य को भेद सकती है।

4.9.8. ऑपरेशन हॉक (Operation Hawk)

CBI ने **'ऑपरेशन हॉक'** शुरू किया है, जिसका उद्देश्य बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण से जुड़े **वैश्विक साइबर अपराध नेटवर्क** के खिलाफ कार्रवाई करना है।

- यह कार्रवाई **ऑपरेशन कार्बन (2021)** और **ऑपरेशन मेघ चक्र (2022)** की अगली कड़ी है। इनका उद्देश्य बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क जुड़े संदिग्धों की पहचान करना और उनके नेटवर्क को समाप्त करना है।

4.9.9. सुर्ख़ियों में रहे युद्धाभ्यास (Exercises in News)

युद्धाभ्यास	विवरण
IMDEX एशिया 2025	भारतीय नौसेना का पोत **INS किल्टन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी (IMDEX) एशिया 2025 के 14वें संस्करण में भाग लेने के लिए सिंगापुर** पहुंचा। **IMDEX एशिया के बारे में** • यह **एशिया का अग्रणी नौसेना और समुद्री रक्षा कार्यक्रम** है। • **उत्पत्ति:** 1997 में। • **आयोजक:** सिंगापुर गणराज्य की नौसेना। • **भागीदारी:** 70 से अधिक देश।

नोमैडिक एलीफेंट युद्धाभ्यास	**भारत-मंगोलिया** के मध्य **संयुक्त युद्धाभ्यास नोमैडिक एलीफेंट का** 17वां संस्करण **मंगोलिया के उलानबटोर** में आयोजित किया जाएगा। • **यह भारत और मंगोलिया में प्रतिवर्ष** तथा वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। • इसका पिछला संस्करण (2024) **उमरोई, मेघालय में आयोजित** किया गया था। • इसका उद्देश्य **संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश** के तहत अर्ध शहरी/ पहाड़ी इलाकों में **अर्ध पारंपरिक अभियानों** के तहत संयुक्त टास्क फ़ोर्स को नियोजित करके दोनों सेनाओं के बीच **इंटरऑपरेबिलिटी क्षमता को बढ़ाना है।**

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. बेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन के पक्षकारों का सम्मेलन 2025 (2025 Conferences of The Parties to The Basel, Rotterdam, and Stockholm Convention)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **बेसल कन्वेंशन** के पक्षकारों की 17वीं, **रॉटरडैम कन्वेंशन** के पक्षकारों की 12वीं और **स्टॉकहोम कन्वेंशन** के पक्षकारों की 12वीं बैठक **जिनेवा** में आयोजित की गई।

तीनों कन्वेंशंस के 'पक्षकारों के सम्मेलन (COP)' के प्रमुख आउटकम्स

- **संयुक्त प्रतिबद्धता:** तीनों पक्षकारों के सम्मेलन (COP) में अन्य पर्यावरणीय समझौतों और पहलों के साथ सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।
- **बेसल कन्वेंशन (BC-COP-17):**
  - दीर्घ-स्थायी कार्बनिक प्रदूषक या परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स (POPs) अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए तकनीकी दिशा-निर्देशों को अपडेट किया गया।
  - नया रणनीतिक फ्रेमवर्क (2025 से 2031 तक के लिए) अपनाया गया।
  - टेक्सटाइल अपशिष्ट की सीमा-पार आवाजाही पर कार्यक्रम शुरू किया गया।
- **रॉटरडैम कन्वेंशन (RC-COP-12):**
  - कार्बोसल्फान (कीटनाशक) और फेन्थियन नामक दो रसायनों को एनेक्स-III में जोड़ा गया।
  - 2026–2027 के लिए अनुपालन समिति वर्क प्रोग्राम को अपनाया गया।
- **स्टॉकहोम कन्वेंशन (SC-COP-12):**
  - **एनेक्स A में जोड़े गए रसायन:** क्लोरपाइरीफॉस (कीटनाशक), लॉन्ग-चेन परफ्लोरोकार्बोक्सिलिक एसिड (LC-PFCAs), और मीडियम-चेन क्लोरीन युक्त पैराफ़िन (MCCPs)।

बेसल कन्वेंशन	रॉटरडैम कन्वेंशन

• **परिचय:** खतरनाक अपशिष्ट की सीमा-पार आवाजाही और उनके निपटान पर नियंत्रण पर बेसल कन्वेंशन को **22 मार्च, 1989 को बेसल (स्विट्जरलैंड) में अपनाया** गया।
  ○ **भारत** इस संधि का एक **पक्षकार** देश है।
• **उद्देश्य:** खतरनाक अपशिष्टों और विशेष ध्यान देने योग्य अन्य अपशिष्टों के हानिकारक प्रभावों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना।
• **दायरा:** यह कन्वेंशन खतरनाक अपशिष्टों की कई श्रेणियों को कवर करता है, जिन्हें उनके स्रोत, संघटन (संरचना) या विशेषताओं के आधार पर पहचाना जाता है। इसमें "अन्य अपशिष्टों" की चार श्रेणियां भी शामिल हैं, जैसे- घरेलू अपशिष्ट, कुछ विशेष प्रकार के प्लास्टिक अपशिष्ट, आदि।
	• **उत्पत्ति:** रॉटरडैम कन्वेंशन 2004 में लागू हुआ। यह **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों** के लिए **पूर्व सूचित सहमति प्रक्रियाओं (PIC)**[42] को स्थापित करता है।
	  ○ **भारत** ने **2006 में** इस कन्वेंशन को **स्वीकार किया।**
	  ○ **पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया (PIC):** यह सुनिश्चित करने की एक प्रक्रिया है कि खतरनाक रसायनों को उन देशों को निर्यात न किया जाए जो उन्हें नहीं चाहते हैं।
	  ○ इस कन्वेंशन में **4 एनेक्स** हैं। **तीसरे एनेक्स में प्रतिबंधित रसायनों और कीटनाशकों की सूची** है।
	    ▪ हालांकि, रॉटरडैम कन्वेंशन रासायनिक पदार्थों पर प्रतिबंध नहीं लगाता, लेकिन यह ऐसे रसायनों को एनेक्स III में सूचीबद्ध करता है जिन पर कम से कम दो पक्षकारों द्वारा स्वास्थ्य या पर्यावरण कारणों

42 Prior Informed Consent Procedures

©Vision IAS

- **सीमा-पार अपशिष्ट नियंत्रण:** यह खतरनाक अपशिष्ट के अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के लिए पूर्व सूचित सहमति (PIC)[41] प्रक्रिया को लागू करता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि किसी देश को अपशिष्ट भेजने से पहले उसे उस अपशिष्ट के बारे में पूरी जानकारी दी जाए और उस देश की सहमति ली जाए।
- **फोकस का नया क्षेत्र:**
    - **टेक्सटाइल अपशिष्ट:** टेक्सटाइल अपशिष्ट को अक्सर दान या पुनर्चक्रण योग्य सामग्री के रूप में गलत तरीके से लेबल किया जाता है। यह स्थिति विशेष रूप से ग्लोबल साउथ (विकासशील देशों) के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उपयोगी कपड़ों और अपशिष्ट के बीच अंतर कर पाना कठिन होता है।
    - **जहाजों को तोड़ना (शिप ब्रेकिंग):** अगले 15 वर्षों में लगभग 15,000 जहाजों को तोड़ा जाएगा। इनमें से कई में खतरनाक पदार्थ जैसे कि **POPs** और **भारी धातुएं** मौजूद होंगी।
        - हालांकि बेसल कन्वेंशन इस मुद्दे का समाधान करता है, लेकिन **हांगकांग कन्वेंशन** के साथ इसके प्रावधानों में समानता होने के कारण कानूनी और क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

से प्रतिबंध लगाया गया है या इनके उपयोग को सख्ती से निषिद्ध किया गया है।

- **उद्देश्य:** कुछ खतरनाक रसायनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पक्षकारों के बीच साझा उत्तरदायित्व और सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देना, ताकि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को संभावित नुकसान से बचाया जा सके।
- **कन्वेंशन के तहत कवर:** ऐसे कीटनाशक और औद्योगिक रसायन जिन्हें स्वास्थ्य या पर्यावरणीय कारणों से प्रतिबंधित या सख्ती से निषिद्ध (रिस्ट्रिक्टेड) किया किया गया है।
- **प्रक्रिया:**
    - यह कन्वेंशन PIC प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए **कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्व** बनाता है।
    - यह कन्वेंशन सुनिश्चित करता है कि **निर्यातक देश पूर्व सूचित सहमति (PIC) प्रक्रिया** के माध्यम से **प्रतिबंधित या निषिद्ध किए गए विशेष रसायनों की जानकारी आयातक देशों को साझा** करे।
    - यह **रसायनों पर प्रतिबंध नहीं लगाता,** बल्कि जानकारी साझा करके और देशों की राष्ट्रीय नीतियों के अनुसार निर्यात पर नियंत्रण लगाकर **समझदारी से निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा** देता है।

चिंताएं

- खतरनाक रसायनों को सूचीबद्ध करने में विफलता:
    - **रॉटरडैम कन्वेंशन** ने मिथाइल ब्रोमाइड, पारा (मरकरी) और क्लोरपाइरीफोस सहित **आठ खतरनाक रसायनों को सूची में शामिल करने का निर्णय टाल दिया** है।
    - हालांकि, **क्लोरपाइरीफोस स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत प्रतिबंधित है,** फिर भी इसे सूचना साझा करने के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है। इससे इन संधियों के बीच **कमजोर तालमेल** उजागर होता है।
- **व्यापार संबंधी चिंताएं बनाम वैज्ञानिक सहमति:** विरोध मुख्य रूप से उन **उत्पादक देशों** से आया जो व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। हालांकि, खतरनाक सूची में शामिल करना कोई **प्रतिबंध** नहीं है, लेकिन **अर्जेंटीना** जैसे देश मानते हैं कि इससे उनके **निर्यात पर असर** पड़ता है।
- **एक-दूसरे से मिलते-जुलते समझौते:** मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मिनामाटा और स्टॉकहोम कन्वेंशन जैसे कठोर समझौतों के साथ ओवरलैप (एक जैसे प्रावधान) होने की चिंताओं के कारण कार्रवाई में देरी होती है या निष्क्रियता बनी रहती है।

दीर्घ-स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (POPs)[43] पर स्टॉकहोम कन्वेंशन

- **परिचय:** इस कन्वेंशन को 2001 में स्टॉकहोम (स्वीडन) में अपनाया गया और यह 2004 में लागू हुआ। भारत ने 2006 में इसकी अभिपुष्टि की।
- **उद्देश्य:** ऐसे रसायनों से स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना, जो पर्यावरण में **लंबे समय तक टिके या बने रहते** हैं तथा मानव शरीर और वन्यजीवों में संचित हो जाते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं।
- **चिंताएं:**
    - **जटिल रसायनों को नियंत्रित करने में कठिनाई:** प्रतिनिधियों को MCCPs (मीडियम-चेन क्लोरीनयुक्त पैराफिन) को विनियमित करने में कठिनाई हुई, क्योंकि ये पॉलीविनाइल क्लोराइड (PVC) जैसे उत्पादों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। इनका वैश्विक स्तर पर उपयोग इतना विस्तृत है कि इन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित करना मुश्किल हो गया।

---

[41] Prior informed consent

[43] Persistent Organic Pollutants

- ○ **जरूरत से ज्यादा छूट की मांग:** हाल ही में MCCPs और क्लोरपाइरीफॉस के लिए छूट की मांगों में वृद्धि देखी गई है, जिससे यह चिंता उत्पन्न हुई है कि इससे विशेषज्ञों की अनुशंसाओं की प्रभावशीलता कमजोर हो सकती है।
- ○ **उद्योग द्वारा भ्रामक जानकारी:** UV-328 का मामला दिखाता है कि उद्योग जगत ने गलत जानकारी दी - चरणबद्ध तरीके से इसे समाप्त करने के दावों के बावजूद यह 4,000 विमानों में पाया गया।

बेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम (BRS) कन्वेंशन का महत्व

- **प्रमुख ग्लोबल फ्रेमवर्क:** ये खतरनाक रसायनों और अपशिष्टों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण ग्लोबल फ्रेमवर्क हैं।
- **रसायनों के संपूर्ण जीवन-चक्र का विनियमन:** ये रसायनों के पूरे जीवन चक्र — उत्पादन, उपयोग और निपटान — को विनियमित करते हैं, ताकि सुरक्षित और जिम्मेदारी-पूर्ण प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा सके।
- **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति में भूमिका:** ये कन्वेंशंस रसायनों और अपशिष्टों के सुरक्षित प्रबंधन को बढ़ावा देकर 2030 तक SDGs को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कई SDGs को हासिल करने में प्रत्यक्ष योगदान देते हैं, जिनमें शामिल हैं:
  - ○ **SDG- 2 (जीरो हंगर/भुखमरी को समाप्त करना):** मृदा और पारिस्थितिकी तंत्र पर हानिकारक रासायनिक प्रभावों को कम करके संधारणीय कृषि को बढ़ावा देना।
  - ○ **SDG-3 (बेहतर स्वास्थ्य और सेहतमंदी):** खतरनाक रसायनों और प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों और बीमारियों को कम करना।
  - ○ **SDG- 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता):** प्रदूषण को कम करके और अपशिष्ट जल का सुरक्षित तरीके से उपचार करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना।
  - ○ **SDG- 11 (संधारणीय शहर):** बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन एवं वायु गुणवत्ता में सुधार के ज़रिए शहरों में पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम करना।
  - ○ **SDG- 12 (जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन):** रसायनों और अपशिष्टों को पर्यावरण-अनुकूल तरीके से प्रबंधन को बढ़ावा देना तथा वायु, जल और मृदा में प्रदूषकों के उत्सर्जन को कम करना। साथ ही, रीसाइक्लिंग व पुनः उपयोग को बढ़ाना।

निष्कर्ष

"अदृश्य को दृश्य बनाना (Make visible the invisible)" थीम हमें यह याद दिलाती है कि छोटे-छोटे बदलाव भी रॉटरडैम कन्वेंशन जैसी संधियों को प्रासंगिक बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। जैसे-जैसे नए वैश्विक प्रयास सामने आते हैं, पक्षकार देशों को न केवल बदलावों के साथ खुद को ढालना होगा, बल्कि मानव और पर्यावरण की वास्तविक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से कदम भी उठाने होंगे।

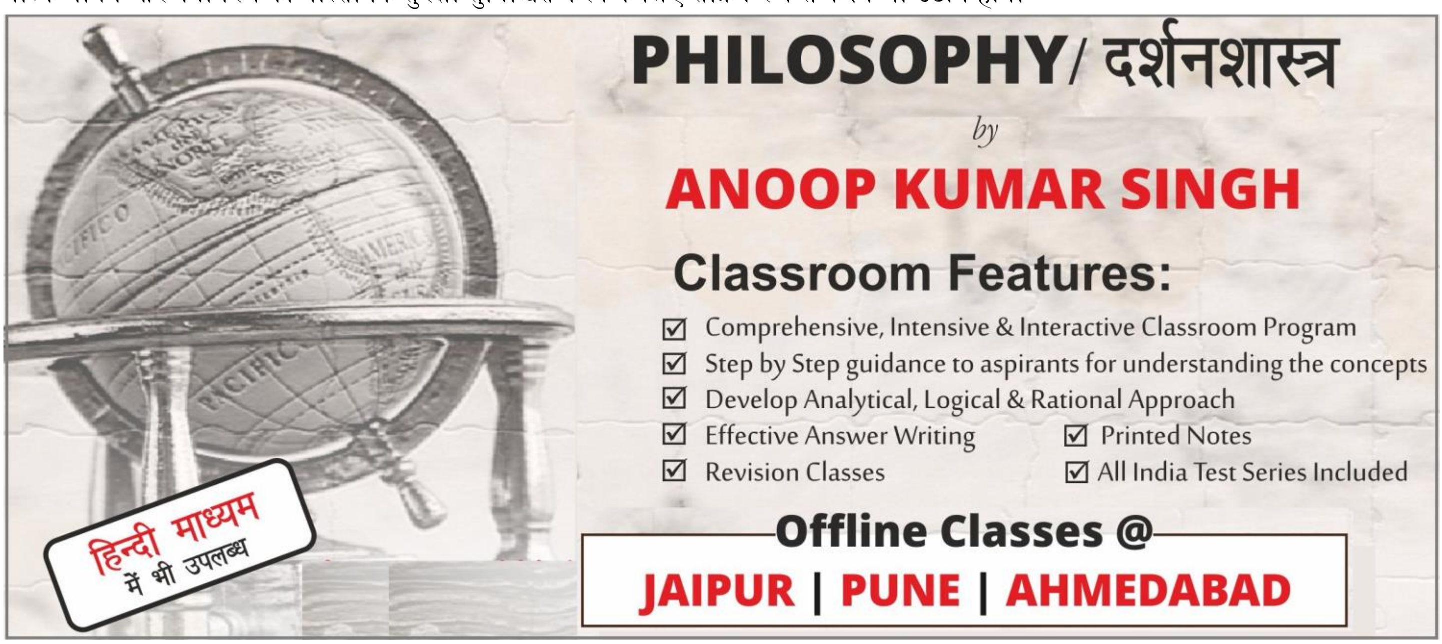

5.2. जैव-विविधता (पहुंच और लाभ साझाकरण) विनियमन 2025 {Biological Diversity (Access and Benefit Sharing) Regulation 2025}

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने **'जैव विविधता (पहुँच और लाभ साझाकरण) विनियम, 2025"** नाम से नए नियम जारी किए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- नए नियमों का उद्देश्य यह तय करना है कि जैविक संसाधनों और उनसे जुड़े पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से होने वाले लाभों को किस प्रकार से सभी के बीच न्यायपूर्ण तरीके से साझा किया जाए।
- ये नियम **जैव-विविधता अधिनियम (BDA), 2002** के प्रावधानों के तहत **राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA)** के द्वारा **अधिसूचित** किए गए हैं। **इन नियमों ने 2014 में जारी नियमों का स्थान लिया** है।
- भारत में 'पहुंच और लाभ साझाकरण (ABS)[44]" से जुड़ा सबसे प्रसिद्ध मामला **केरल की कानी जनजाति** और आयुर्वेदिक गुणों वाले **आरोग्यपाचा पौधे (ट्राइकोपस जेलेनिकस)** से जुड़ा है। यह जनजाति पारंपरिक रूप से इस पौधे में मौजूद रिवाइटलाइजिंग गुणों (**जीवनी दवा**) के कारण इनका इस्तेमाल करती थी।

पहुंच और लाभ साझाकरण (ABS) क्या है?

- ABS एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत **आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का न्यायसंगत और समान वितरण** उन **उपयोगकर्ताओं (व्यक्तियों या देशों) और प्रदाताओं (संरक्षक या स्रोत देश/समुदाय) के बीच** किया जाता है, जो इन संसाधनों को उपलब्ध कराते हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जब कोई व्यक्ति, कंपनी या देश किसी अन्य देश या समुदाय के जैविक या आनुवंशिक संसाधनों का उपयोग करता है, तो उससे होने वाले लाभ दोनों पक्षों के बीच निष्पक्ष रूप से बांटे जाएं।
- **फ्रेमवर्क:** 'जैव-विविधता अभिसमय (CBD)[45]' में **ABS** का प्रावधान किया गया है।
- **बॉन दिशा-निर्देश** और **नागोया प्रोटोकॉल (2010)** ABS से संबंधित हैं।
- जैव-विविधता अभिसमय के COP 16 (2024) में **डिजिटल सीक्वेंस इनफार्मेशन (DSI)** के उपयोग के लिए **बहुपक्षीय प्रणाली** को अपनाया गया है।

पहुंच और लाभ साझाकरण (ABS) पर भारत का कानूनी फ्रेमवर्क?

- **पृष्ठभूमि और उद्देश्य:** भारत ने जैव विविधता के संरक्षण और इसके विभिन्न घटकों के संधारणीय उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए जैव विविधता अधिनियम, 2002 को लागू किया। यह अधिनियम जैव-विविधता कन्वेंशन (CBD) के लिए भारत की प्रतिबद्धता के तहत लागू किया गया था।
- **दायरा और कवरेज:** नागोया प्रोटोकॉल के प्रभाव में आने से पहले लागू किए गए जैव विविधता अधिनियम का दायरा काफी व्यापक है। इसमें भारत के सभी जैव संसाधन शामिल हैं।
  - वहीं नागोया प्रोटोकॉल केवल आनुवंशिक संसाधनों तक सीमित है।
- **कार्यान्वयन:**
  - **भारत त्रिस्तरीय व्यवस्था के माध्यम से ABS को लागू करता है:** केंद्रीय स्तर पर **राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण (NBA)**, राज्य स्तर पर **राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBBs)** और स्थानीय स्तर पर **जैव विविधता प्रबंधन समितियां (BMCs)।**
  - भारत की उपर्युक्त **वैधानिक संस्थाएं** जैव विविधता अधिनियम के तहत 'पहुंच, लाभ साझाकरण और वितरण' का प्रबंधन करती हैं।

नियमों की मुख्य विशेषताएं

- **डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन (DSI) को शामिल करना:** जारी नियमों का लक्ष्य जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों को साझा करने के तरीकों को बताना है। इसमें डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन या उससे जुड़ी जानकारी भी शामिल है।
  - **DSI:** यह पॉलिसी से संबंधित एक शब्द है, जो अनुवांशिक संसाधनों का डिजिटल रूप में जानकारी को प्रदर्शित करता है। इसमें DNA, RNA और प्रोटीन अनुक्रम जैसे जीनोमिक डेटा शामिल होते हैं।

---

[44] Access and Benefit Sharing

[45] Convention on Biological Diversity

*<u>**नोट:** DSI के बारे में और अधिक जानकारी के लिए मासिक समसामयिकी नवंबर, 2024 का आर्टिकल 5.7. देखें।</u>*

- **पूर्व सूचित सहमति (PIC):** जैविक संसाधनों तक पहुंच बनाने के इच्छुक व्यक्ति/ उद्योग को मंजूरी के लिए NBA को पूर्व सूचना देनी होगी।
  - यह नियम जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत अधिसूचित औषधीय पौधों की प्राप्ति या उनके उपयोग पर लागू नहीं होगा।
- **लाभ साझा करने की मात्रा:** नए नियम व्यक्ति/ उद्योग के वार्षिक टर्नओवर के आधार पर स्लैब का निर्धारण करते हैं। (बॉक्स देखें)।
  - जिन सभी उपयोगकर्ताओं का वार्षिक टर्नओवर 1 करोड़ रुपये से अधिक है, उन्हें हर साल उपयोग किए गए जैविक संसाधनों की जानकारी के साथ एक विवरणी (स्टेटमेंट) देनी होगी।
- **उच्च मूल्य वाले जैविक संसाधनों के लिए लाभ साझाकरण:** वे जैविक संसाधन जो संरक्षण या आर्थिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं, उनके मामले में लाभ साझाकरण की राशि नीलामी/ बिक्री मूल्य या खरीद मूल्य का कम-से-कम 5% होगी। अगर इनका व्यावसायिक उपयोग किया जाता है, तो यह राशि 20% से अधिक भी हो सकती है।
  - उदाहरण के लिए रेड सैंडर्स, अगरवुड, आदि।
- **शोध परिणामों का हस्तांतरण (IPR का उपयोग नहीं):** यदि जैविक संसाधनों या पारंपरिक ज्ञान पर आधारित शोध परिणामों को साझा या हस्तांतरित किया जाता है, तो आवेदक को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) के साथ आपसी सहमति के अनुसार आर्थिक या गैर-आर्थिक लाभ साझा करना होगा।
- **बौद्धिक संपदा (IPR) के व्यवसायीकरण पर लाभ साझा करना:** यदि कोई व्यक्ति जैविक संसाधनों का उपयोग करके विकसित की गई IPR के आधार पर किसी उत्पाद का व्यवसायीकरण करता है, तो उसे वार्षिक सकल फैक्ट्री बिक्री मूल्य (करों को छोड़कर) का अधिकतम 1% तक का आर्थिक लाभ साझा करना होगा। यह दर क्षेत्रक और प्रत्येक मामले की प्रकृति पर निर्भर करेगी।

व्यक्ति/उद्यमी का वार्षिक टर्नओवर (भारतीय रुपये में)	देय राशि {उत्पाद की वार्षिक सकल एक्स-फैक्ट्री बिक्री मूल्य (जिसमें कोई भी सरकारी कर शामिल नहीं होता) का एक निर्धारित प्रतिशत}
5 करोड़ तक	शून्य
5 करोड़ से 50 करोड़ तक	0.2%
50 करोड़ से 250 करोड़ तक	0.4%
250 करोड़ से अधिक	0.6%

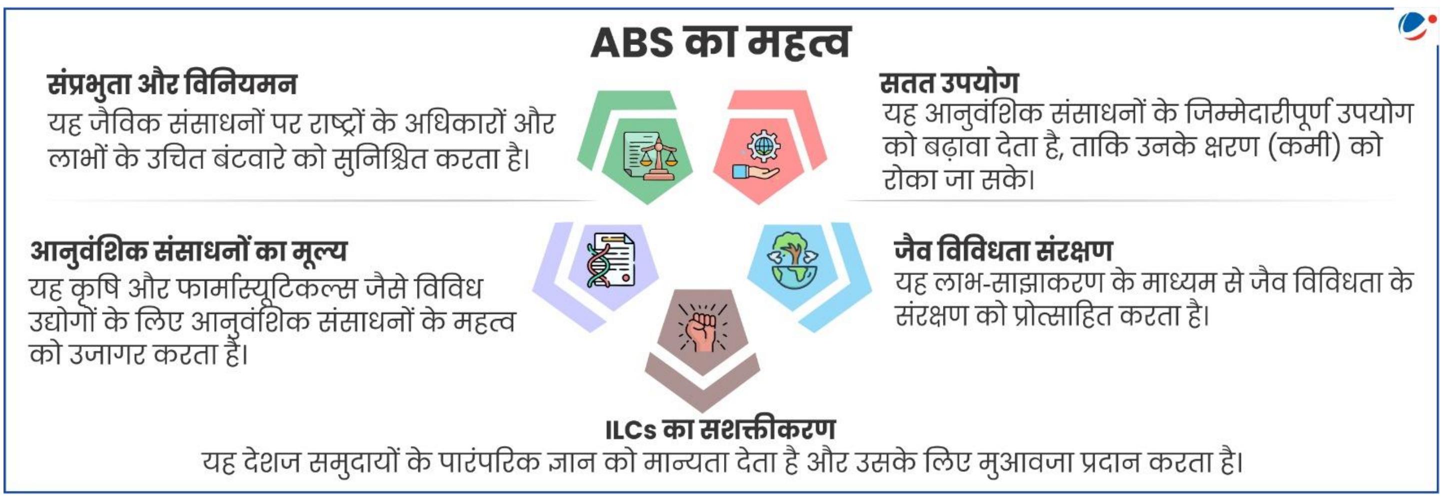

कार्यान्वयन में मौजूद चुनौतियां

- **संसाधनों की सीमा-पार प्रसारित होने की प्रकृति:** अनुवांशिक संसाधन और पारंपरिक ज्ञान अक्सर एक से अधिक देशों में मौजूद होते हैं। इससे पूर्व सहमति (PIC) लेना और लाभों को सभी संबंधित पक्षों के बीच न्यायपूर्वक साझा करना मुश्किल हो जाता है।
- **क्षमता का अभाव: जैव विविधता पर कन्वेंशन (CBD)**, इसके प्रोटोकॉल और राष्ट्रीय जैव विविधता कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मानव संसाधन और संस्थाओं की क्षमता अभी भी पर्याप्त नहीं है।
- **परंपरागत कानूनों की सीमित मान्यता:** परंपरागत ज्ञान से जुड़े स्थानीय नियम-कानूनों को प्रचलित कानूनी सिस्टम या बौद्धिक संपदा (IP) कानून में ठीक से जगह नहीं दी गई है। इससे आदिवासी/स्थानीय समुदायों की शासन प्रणाली को उचित संरक्षण और मान्यता नहीं मिल पाती।

- **डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में लाने की जटिल प्रक्रिया:** जैव विविधता और उससे जुड़े पारंपरिक ज्ञान को रिकॉर्ड करना (जैसे कि पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर के माध्यम से) अधिक समय लेने वाली और तकनीकी रूप से जटिल प्रक्रिया है। हालांकि यह प्रक्रिया इन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान करने और लाभ-साझाकरण के लिए बहुत जरूरी है।
- **शैक्षणिक बनाम व्यावसायिक अनुसंधान:** शैक्षणिक उद्देश्यों से शोध और व्यावसायिक लाभ के लिए किए गए शोध के बीच फर्क करना मुश्किल होता है। इससे कानून के तहत मिलने वाली छूट का गलत इस्तेमाल हो सकता है और लाभ-साझाकरण की अनिवार्यता को नजरअंदाज किया जा सकता है।
- **मजबूत बाजार प्रणाली का अभाव:** अधिक विस्तृत और कमजोर वैल्यू चेन स्थानीय समुदायों को मिलने वाले आर्थिक लाभ को कम कर देती हैं। इसलिए आवश्यक है कि इन समुदायों को सशक्त बाजार तक पहुँच, वैल्यू चेन में समान भागीदारी, और ऐसी प्रभावी प्रणालियों से जोड़ा जाए, जो संसाधनों के वास्तविक धारकों तक लाभ पहुंचाने में सक्षम हों।
- **निगरानी से जुड़ी समस्याएं:** कई सरकारी एजेंसियों की भागीदारी और उनके अधिकार क्षेत्रों में टकराव के कारण ABS नियमों का पालन और समन्वय ठीक से नहीं हो पाता।
- **कम जागरूकता:** जैव विविधता कन्वेंशन (CBD), नागोया प्रोटोकॉल और जैव विविधता अधिनियम, 2002 के बारे में जनता की समझ कम है।

आगे की राह

- **बहुपक्षीय लाभ-साझाकरण:** नागोया प्रोटोकॉल के अनुरूप, सीमाओं के पार निष्पक्ष तरीके से लाभ साझाकरण के लिए एक वैश्विक तंत्र विकसित करना चाहिए।
- **स्वदेशी समुदायों को सशक्त बनाना:** परंपरागत कानूनों को वैधानिक रूप से मान्यता देना और उन्हें ABS फ्रेमवर्क में एकीकृत करना चाहिए।
- **डाक्यूमेंट्स को डिजिटल बनाना:** तकनीक का उपयोग करके PBR (पब्लिक बायोडायवर्सिटी रजिस्टर) बनाने की प्रक्रिया को तेज करना चाहिए, ताकि संरक्षण और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
- **अनुसंधान के उद्देश्य को स्पष्ट करना चाहिए:** आनुवंशिक संसाधनों या पारम्परिक ज्ञान के दुरुपयोग को रोकने के लिए अकादमिक और व्यावसायिक अनुसंधान के बीच अंतर करने वाले स्पष्ट नियम निर्धारित किए जाने चाहिए।
- **निगरानी में सुधार:** एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म स्थापित करना चाहिए, जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA), राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBBs) और जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) को आपस में जोड़े, ताकि नियमों के पालन की रियल-टाइम निगरानी की जा सके।

5.3. हिमालय पर्वतमाला की पारिस्थितिकी (The Himalayan Mountain System Ecology)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने **काठमांडू (नेपाल)** में आयोजित **सागरमाथा संवाद** के उद्घाटन सत्र में **भारत का प्रतिनिधित्व** किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- **सागरमाथा संवाद:** यह एक **बहुपक्षीय संवाद मंच** है, जो **वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख मुद्दों** पर विचार-विमर्श करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- **शिखर सम्मेलन की थीम:** 'जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य[46]'।
- **भारत ने** पर्वतीय क्षेत्रों में पारिस्थितिक चुनौतियों से निपटने के लिए **वैश्विक स्तर पर कार्रवाई के लिए पांच सूत्रीय सुझाव** पेश किए (इंफोग्राफिक देखें)।

हिमालय पर्वतमाला की भू-आकृति विशेषताएं

- यह दुनिया की **सबसे युवा और सबसे ऊँची वलित पर्वत श्रेणी** है।
- **हिमालय पर्वतमाला पाँच देशों** में विस्तृत ई है: भारत, नेपाल, भूटान, चीन और पाकिस्तान।
- **भूवैज्ञानिक संरचना:** यह पर्वतमाला लगभग **5 करोड़ वर्ष** पहले **भारतीय प्लेट** और **यूरेशियन प्लेट** के टकराव के परिणामस्वरूप बनी थी।
- **महत्वपूर्ण ग्लेशियर:** गंगोत्री ग्लेशियर (भागीरथी), बंदर पुंछ ग्लेशियर (बंदरपूंछ शिखर पर यमुनोत्री ग्लेशियर), अलकापुरी ग्लेशियर (अलकनंदा), सुमेरु ग्लेशियर (मंदाकिनी), बारा शिग्री ग्लेशियर (चिनाब), जेमू ग्लेशियर (तीस्ता), आदि।

---

[46] Climate Change, Mountains, and the Future of Humanity

- **भारतीय हिमालयी क्षेत्र:** यह क्षेत्र अग्रलिखित 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तृत है: जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल। भारत में हिमालयी क्षेत्र लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है।
- **वनस्पति:** हिमालयी क्षेत्र में वनस्पति की विविधता — **गिरिपाद क्षेत्रों** (foothills) में **उष्णकटिबंधीय वन**, **मध्य पर्वतीय क्षेत्रों** में **समशीतोष्ण वन**, और **ऊंचाई वाले क्षेत्रों** में **अल्पाइन घास के मैदान** पाए जाते हैं।

हिमालय पर्वतमाला का पारिस्थितिक महत्व

- **हिमालयी हॉटस्पॉट (जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र) की जैव विविधता**
    - **जैव विविधता हॉटस्पॉट:** भारत के चार जैव विविधता हॉटस्पॉट्स में से **दो हॉटस्पॉट्स** हिमालयी क्षेत्र में मौजूद हैं। यह हैं **हिमालय हॉटस्पॉट** और **इंडो-बर्मा हॉटस्पॉट**।
    - **हिमालय में प्रजातियों की अधिक विविधता और स्थानिक (एंडेमिज्म) प्रजातियों की अधिक संख्या:** इस क्षेत्र में लगभग **32% पौधों की स्थानिक प्रजातियाँ (यानी केवल यहीं पाई जाती हैं)** और कुछ विशिष्ट वन्य जीव जैसे- हिम तेंदुआ, लाल पांडा, और हिमालयी नीली भेड़ (भारल) पाए जाते हैं।

- **हिमालयी क्रायोस्फीयर (पृथ्वी का तीसरा ध्रुव)**
    - **हिमनद की दृष्टि से महत्व:** हिमालय में दुनिया का **तीसरा सबसे बड़ा हिमनद (ग्लेशियर) मौजूद** (आर्कटिक और अंटार्कटिक के बाद) है।
    - **हिमालय 'एशिया का वाटर-टावर' है:** एशिया की **10 प्रमुख नदियाँ** हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं (जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और यांग्त्ज़ी), जो इस पूरे क्षेत्र के लगभग 1.3 बिलियन लोगों को ताजा जल उपलब्ध कराती हैं।
- **जलवायु नियंत्रण और कार्बन संचयन (Carbon Sequestration):**
    - **मानसून को प्रभावित करना:** हिमालय के ग्लेशियरों और हिंद महासागर के बीच तापमान का अंतर गर्मियों के दौरान दक्षिण-पश्चिमी मानसून को भारतीय भूभाग की ओर खींचता है।
    - **कार्बन सिंक:** हिमालयी वन लगभग **5.4 बिलियन टन कार्बन** को संग्रहीत (स्टोर) करते हैं।
    - **एल्बीडो प्रभाव:** हिमालय में बर्फ और ग्लेशियरों की परत के कारण इसकी **एल्बीडो (किसी सतह की सूर्य के प्रकाश या ताप को परावर्तित करने की क्षमता)** अधिक होती है। इससे यह **पृथ्वी की एल्बीडो प्रणाली** में **महत्वपूर्ण भूमिका** निभाता है।
- **हिमालय का आर्थिक महत्व:**
    - **फाइबर और लकड़ी उत्पादन:** जैसे: **हिमालय नेटल (बिच्छू घास)** से पर्यावरण के अनुकूल फाइबर मिलता है, और ओक के पेड़ उपयोगी लकड़ी प्रदान करते हैं।
    - **गुच्छी मशरूम:** गुच्छी बहुमूल्य जंगली मशरूम है, जो हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है।
    - **पर्यटन को बढ़ावा:** 2025 तक हर साल **24 करोड़ पर्यटक** हिमालयी राज्यों में आने का अनुमान लगाया था।

 ©Vision IAS

हिमालय पर्वतमाला के पारिस्थितिक तंत्र के समक्ष उत्पन्न खतरे:

- **वनों की कटाई और पर्यावास का नुकसान:** 2019 से 2021 के बीच हिमालयी राज्यों में 1,072 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कम हुआ है।
  - **जैव विविधता की हानि:** हिम तेंदुआ, लाल पांडा और हिमालयी कस्तूरी मृग जैसी एंडेंजर्ड प्रजातियों के पर्यावास नष्ट हो रहे हैं।
- **तेजी से ग्लेशियरों का पिघलना और जल चक्र में गड़बड़ी:** उदाहरण के लिए, उत्तराखंड हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर 1935 और 2022 के बीच 1,700 मीटर सिकुड़ गया है।
  - ग्लेशियर के सिकुड़ने से **हिमानी झीलों** का आकार बढ़ता है, जिससे **ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF)** का खतरा बढ़ जाता है। जैसे कि, उत्तराखंड **में 2013 की केदारनाथ आपदा**।
- **हिमालय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:**
  - अगर वैश्विक तापमान **3°C** तक बढ़ता है, तो **90% हिमालयी क्षेत्र** एक साल से अधिक समय तक **सूखे** का सामना करेगा।
  - **जल स्रोतों पर खतरा:** भारतीय हिमालय क्षेत्र के झरने (स्प्रिंग्स) जो लगभग 50 मिलियन लोगों के लिए जीवन रेखा हैं, अब **अनियमित बारिश** और **पारिस्थितिकी क्षरण** के कारण **सूख रहे हैं या मौसमी बनते जा रहे हैं**।
    - **2018 में नीति आयोग** ने चेतावनी दी थी कि इस क्षेत्र के **आधे से अधिक झरने खत्म होने की कगार पर हैं**, जिससे **नदियों में जल का प्रवाह** कम हो सकता है।
  - हिमालय क्षेत्र **वैश्विक औसत से 2 से 5 गुना तेजी** से गर्म हो रहा है। इससे यहां की जैव विविधता और प्राकृतिक संतुलन पर गंभीर असर पड़ रहा है।
- **हिमालय में अनियंत्रित पर्यटन:** हिमालय क्षेत्र की वहनीय-क्षमता पर बिना कोई अध्ययन किए अनियंत्रित पर्यटन और विकास के गंभीर भौगोलिक दुष्परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। इनमें **भूस्खलन और भू-धंसाव (Land Subsidence)** शामिल हैं।
  - **उदाहरण के लिए, जोशीमठ** में भू-धंसाव**,** जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अत्यधिक अवसंरचना के निर्माण का दुष्परिणाम है।
- **अनियंत्रित जलविद्युत विकास:** हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में सिंधु नदी बेसिन में 115 से अधिक बड़ी जलविद्युत परियोजनाएं नदी पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण के लिए खतरा बन रही हैं।

हिमालय पर्वतमाला के पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए शुरू की गई पहलें	
भारत की पहलें • **नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम (NMSHE):** यह भारत की जलवायु परिवर्तन कार्य-योजना का एक प्रमुख मिशन है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिमनद (ग्लेशियर) की निगरानी, जैव विविधता संरक्षण, और आपदा से निपटने की क्षमता बढ़ाना है। • **प्रोजेक्ट स्नो-लेपर्ड:** प्रथम व्यापक गणना (2019-2023) में **भारत में 718 हिम तेंदुए या स्नो लेपर्ड पाए गए (विश्व का लगभग 10 से 15% स्नो लेपर्ड)**। • **सेंटर फॉर क्रायोस्फीयर & क्लाइमेट चेंज स्टडीज:** यह हिमालयी ग्लेशियरों की निगरानी करता है। • **आपदा से निपटने की तैयारी:** इसमें ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) के खतरे वाले क्षेत्र की पहचान (मैपिंग) शामिल है। • **संधारणीय पर्यटन और अपशिष्ट प्रबंधन:** स्वदेश दर्शन योजना इको-टूरिज्म को बढ़ावा देती है; 2022 में पूरे भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया, जिससे प्रदूषण कम करने में मदद मिली है।	वैश्विक पहलें • **अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष (2025)** और **क्रायोस्फीयर दशक (2025–2034):** ये पहलें यूनेस्को और विश्व मौसम संगठन (WMO) द्वारा चलाई जा रही हैं। • **ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम (GSLEP):** इसके तहत 12 देश हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए सहयोग करते हैं। • **इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (ICIMOD):** यह एक **अंतर-सरकारी संगठन** है, जो हिंदू-कुश हिमालय (HKH) क्षेत्र के संरक्षण और विकास के लिए कार्य करता है। • **इंटरनेशनल बिग कैट्स एलायंस (IBCA):** यह संधि आधारित संगठन है, जो दुनिया की 7 बड़ी बिल्ली (बिग कैट्स) प्रजातियों; बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा — के संरक्षण के लिए कार्य करता है। • **सिक्योर (SECURE) हिमालय परियोजना:** यह परियोजना "वन्यजीव संरक्षण और अपराध रोकथाम के लिए वैश्विक साझेदारी" (ग्लोबल वाइल्डलाइफ प्रोग्राम) का हिस्सा है, जिसे ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी (GEF) द्वारा वित्त पोषित किया गया है।

निष्कर्ष

भारतीय हिमालय का भू-राजनीतिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय महत्व है। हालांकि इस क्षेत्र में **भूमि उपयोग में बदलाव**, **वन्यजीव का अवैध व्यापार**, **जंगल की आग**, और **इंसानी गतिविधियों का बढ़ता दबाव** इस **नाजुक जैव विविधता हॉटस्पॉट** के लिए लगातार खतरा बने हुए हैं। इससे यह साफ होता है कि इस क्षेत्र के संरक्षण के लिए और अधिक प्रयासों की जरूरत है।

5.4. शहरी बाढ़ (Urban Floods)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **बेंगलुरु में थोड़े समय की भारी प्री-मानसून वर्षा** के कारण **भीषण बाढ़** आ गई।

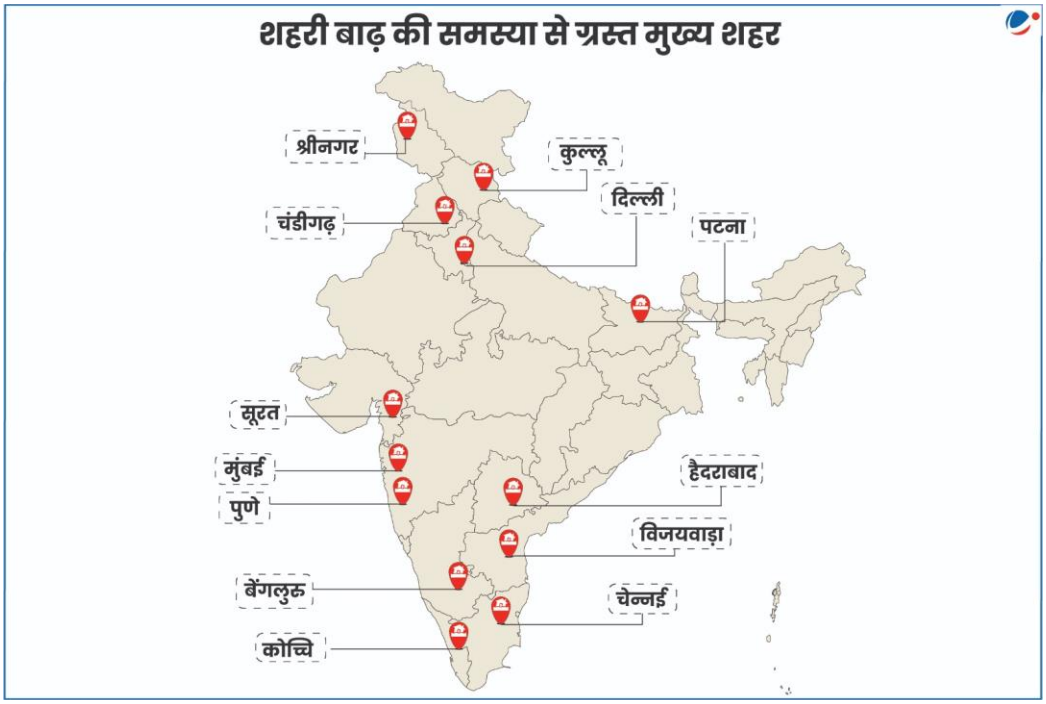

अन्य संबंधित तथ्य

- इस तरह की शहरी बाढ़ की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, जैसे- **हैदराबाद (2020-21), चेन्नई (2021), बेंगलुरु और अहमदाबाद (2022), दिल्ली (2023)**। ये सभी घटनाएं यह दर्शाती हैं कि शहरी बाढ़ अब नियमित समस्या बन गई है।

शहरी बाढ़ क्या है?

- इसके तहत कोई शहर या **शहर का कोई हिस्सा भारी बारिश के चलते जलमग्न** हो जाता है। ऐसा मुख्यतः जल निकासी प्रणालियों की खराब स्थिति के कारण होता है क्योंकि **खराब जल-निकासी प्रणालियां तीव्र एवं अचानक हुई भारी बारिश के जल को नहीं संभाल** पाती हैं।
- शहरी बाढ़ और ग्रामीण बाढ़ में अंतर होता है, क्योंकि शहरों में जमीन पर अधिक निर्माण होता है। इस वजह से **बाढ़ की तीव्रता (flood peak) 1.8 से 8 गुना तक बढ़ सकती है और बाढ़ का पानी 6 गुना तक** ज्यादा हो सकता है। सरल शब्दों में कहें तो शहरों में निर्माण कार्यों व ज्यादा पक्की जमीन होने के कारण बारिश का पानी जल्दी नहीं सोखता, जिससे बाढ़ का पानी ज्यादा एकत्र हो जाता है।

शहरी बाढ़ के कारण

प्राकृतिक कारक

- **मौसम संबंधी कारक:** अचानक और भारी वर्षा के कारण शहरी क्षेत्रों में जल का जमाव हो जाता है, उदाहरण- **मुंबई बाढ़ (2005), चेन्नई बाढ़ (2015)**। इसी तरह **महोर्मि (Storm surge) और तेजी से बर्फ पिघलने** की वजह से बाढ़ का अतिरिक्त जोखिम पैदा होता है। उदाहरण- **सिक्किम बाढ़ (2023)**।
    - जलवायु परिवर्तन ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया है। उदाहरण के लिए- **IPCC ने चेतावनी दी है कि दक्षिण एशिया में मानसून की तीव्रता बढ़ रही है, जिससे हमारे शहरों पर लगातार बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है।**

- **हाइड्रोलॉजिकल कारक:** बाढ़ का जोखिम तब उत्पन्न होता है जब वर्षा के दौरान भू-सतह पर जल बहाव जमीन की जल-अवशोषण दर से अधिक हो जाता है। इससे अतिरिक्त जल आस-पास के क्षेत्रों में चला जाता है और बाढ़ का कारण बनता है।
    - यमुना के जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के परिणामस्वरूप **यमुना नदी का जलस्तर बढ़** जाता है, जिससे दिल्ली में बाढ़ आ जाती है।

मानवजनित कारक

- **अनियोजित शहरीकरण:** उदाहरण के लिए- बेंगलुरु की नालियां केवल वर्षा जल के निकास के लिए बनाई गई थी, लेकिन आजकल इनसे होकर प्रतिदिन लगभग 2000 MLD (मिलियन लीटर दैनिक) सीवेज प्रवाहित होता है।
    - इसके अलावा, बिल्डर्स नालियों की चौड़ाई कम करके या उन्हें सड़कों में बदलकर उन पर अतिक्रमण कर लेते हैं या नालियों को समाप्त कर देते है। मौजूदा नालियां कचरे या गाद से भरी हैं।
- **झीलों पर अतिक्रमण:** जैसे-जैसे लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर आते हैं, वे अक्सर **खाली या गैर-स्वामित्व वाली भूमि यानी जल निकायों के पास निचले इलाकों** में बस जाते है। कभी-कभी तो संपूर्ण जलग्रहण क्षेत्र पर ही अतिक्रमण कर लेते है।
    - उदाहरण- पुडुचेरी में ओस्टरी झील, महाराष्ट्र में चारकोप झील, चेन्नई में पल्लवरम दलदली भूमि।
- **बांधों से पानी की अनियोजित निकासी:** जब **बिना योजना और पूर्व सूचना के** बांधों या झीलों से पानी छोड़ा जाता है, तो शहरों में अचानक बाढ़ आ जाती है और लोगों को बचाव का मौका भी नहीं मिलता।
    - उदाहरण- 2015 में **चेम्बरमपक्कम झील से अचानक जल छोड़े जाने** के कारण चेन्नई में बाढ़ आ गई थी। इसी प्रकार, खडकवासला बांध के खुलने के कारण पुणे में बाढ़ आ गई थी।
- **अवैध खनन गतिविधियां:** नदी की रेत और क्वार्टजाइट के अवैध खनन से मृदा का कटाव होता है जिससे जल स्रोतों की जल धारण क्षमता कम हो जाती है। इससे बारिश का पानी तेजी से और अधिक मात्रा में बहता है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। उदाहरण- **कावेरी नदी (तमिलनाडु)** में नदी तल की गहराई कम होने से बाढ़ की तीव्रता बढ़ी है।

शहरी बाढ़ प्रबंधन की चुनौतियां

- **संवैधानिक ज़िम्मेदारियों का विभाजन: जल राज्य सूची का विषय** है, जबकि जल **निकास प्रणालियों के प्रबंधन की जिम्मेदारी** शहर की नगरपालिकाओं की होती है। इससे **नीतियां बनाने और लागू करने के बीच देरी** होती है, क्योंकि राज्य और नगर निगमों के बीच समन्वय की कमी होती है।
- **अवसंरचना और तकनीकी चुनौतियां:** एक बड़ी समस्या यह भी है कि भारत के कई शहरों या उनके कुछ हिस्सों में जल निकासी की जो व्यवस्था है वह बहुत पुरानी है और इन्हें कम मात्रा में जल प्रवाह के लिए बनाया गया है। वर्तमान में अगर भारी वर्षा होती है तो यह अत्यधिक जल प्रवाह को संभाल नहीं पाती है जिससे बाढ़ आने का खतरा उत्पन्न हो जाता है।
- **सामाजिक और आर्थिक असमानता:** आमतौर पर समाज का गरीब तबका अपर्याप्त अवसंरचना वाले बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में रहता है। उनके पास पुनर्निर्माण और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए कम संसाधन होते हैं।
- **तेजी से बढ़ते शहरीकरण के दुष्प्रभाव:** जैसे-जैसे शहर तेजी से फैलते हैं, वैसे-वैसे **पक्की और कठोर सतहें** बढ़ती जाती हैं। इससे **प्राकृतिक जल निकासी प्रणाली बाधित होती है** और **बारिश का पानी तेजी से बढ़कर** जल प्रबंधन प्रणालियों पर दबाव **डालता है।**
- **बेहतर जल निकासी डिजाइन के लिए आवश्यक डेटा की कमी:** भारत के प्रमुख शहरों के लिए **इंटेंसिटी ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी (IDF)** कर्व IMD (भारत मौसम विज्ञान विभाग) से आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है।

शहरी बाढ़ से निपटने के उपाय

- **NDMA के दिशा-निर्देश: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)** ने **विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों और नगर निकायों** को उनकी **आपदा प्रबंधन योजनाएं** तैयार करने के लिए मार्गदर्शन देने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
- **बाढ़ पूर्वानुमान केंद्र:** केंद्रीय जल आयोग (CWC) ने सभी प्रमुख नदी घाटियों के लिए संबंधित प्राधिकरणों/ एजेंसियों को **दैनिक बाढ़-बुलेटिन जारी करने के लिए बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्रों का एक नेटवर्क तैयार** किया है।

* **तकनीकी उपाय:** मुंबई के लिए **एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली**, जिसे **IFLOWS-मुंबई** कहा जाता है, और चेन्नई के लिए **तटीय बाढ़ चेतावनी प्रणाली**, जिसे **CFLOWS-चेन्नई** कहा जाता है, **वेब GIS आधारित निर्णय समर्थन प्रणालियां** हैं। ये मौसम पूर्वानुमान मॉडल, हाइड्रोलॉजिक मॉडल और हाइड्रोडायनामिक मॉडल से प्राप्त डेटा और आउटपुट को एकीकृत करती हैं।
  * इसी तरह, सटीक मौसम पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए **मिशन मौसम के तहत 39 डॉप्लर मौसम रडार** स्थापित किए गए हैं।
* **भूजल पुनर्भरण कार्यक्रम: कृत्रिम भूजल पुनर्भरण मास्टर योजना, 2020** का उद्देश्य देशभर में **1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन संरचनाओं** के निर्माण के माध्यम से **185 बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM)** जल को संचित करना है।
* **जल निकाय विकास योजनाएं: अमृत सरोवर मिशन** का लक्ष्य वर्षा जल संचयन के लिए प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास करना है।
* **शहरी अवसंरचना उपाय: अमृत 2.0 योजना** में वर्षा जल निकासी को जल निकायों में एकत्रित करने और जल निकासी प्रणालियों को मजबूत करने का प्रावधान है।

आगे की राह: वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियां

* **सिंगापुर का ABC कार्यक्रम:** इसमें जल को **"सक्रिय, सुंदर और स्वच्छ" बनाने के लिए "ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर" का उपयोग** किया जाता है। यह कार्यक्रम सार्वजनिक स्थानों को **हरा-भरा बनाने और निजी विकास को संधारणीय सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित** करने पर केंद्रित है।
  * इससे **बाढ़ से सुरक्षा** और **सामुदायिक मेलजोल,** दोनों प्रकार के लाभ मिलते हैं।
* **वियना का न्यू डेन्यूब सिस्टम:** यह **बाढ़ से बचाव के लिए 1969 में डेन्यूब नदी के किनारे बनाया गया चैनल** है जिसकी लंबाई 21 किलोमीटर है। जब बाढ़ नहीं आती है तब यह निष्क्रिय रहता है लेकिन **बाढ़ के समय वियर्स (weirs)** खोलकर अतिरिक्त पानी को सोख लेता है।
  * इससे मुख्य नदी पर दबाव कम होता है और शहर को बाढ़ से राहत मिलती है।
* **चीन की स्पॉन्ज सिटीज़:** यह एक शहरी डिज़ाइन पद्धति है जिसमें **प्रकृति-आधारित समाधानों जैसे कि छिद्रदार सतहों, पुनर्बहाल आर्द्रभूमि और जल चैनलों का उपयोग** किया जाता है।
  * यह पारंपरिक कठोर सतहों और जल निकासी पर निर्भर रहने की बजाय पृथ्वी की प्राकृतिक जल अवशोषण क्षमता पर आधारित है।
* **डेनमार्क की ग्रीन क्लाइमेट स्क्रीन:** यह वर्षा जल प्रबंधन प्रणाली है जो **प्राकृतिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके इमारतों से उत्सर्जित जल को प्रोसेस** करती है। पानी गटर से विलो पैनल्स के माध्यम से बहता है, जिसके पीछे मिनरल वूल लगा होता है जो पानी को सोखता है।
  * भारी वर्षा के दौरान अतिरिक्त पानी को बागानों या निकटवर्ती हरित क्षेत्रों में छोड़ दिया जाता है।
* **अन्य संभावित समाधान:** कंटूर मैपिंग (ढलान के नक्शे) तैयार करना, भारी वर्षा जल की निकासी प्रणाली को बेहतर बनाना, क्रॉस-ड्रेनेज वर्क, पंपिंग क्षमता को बढ़ाना शामिल हैं।

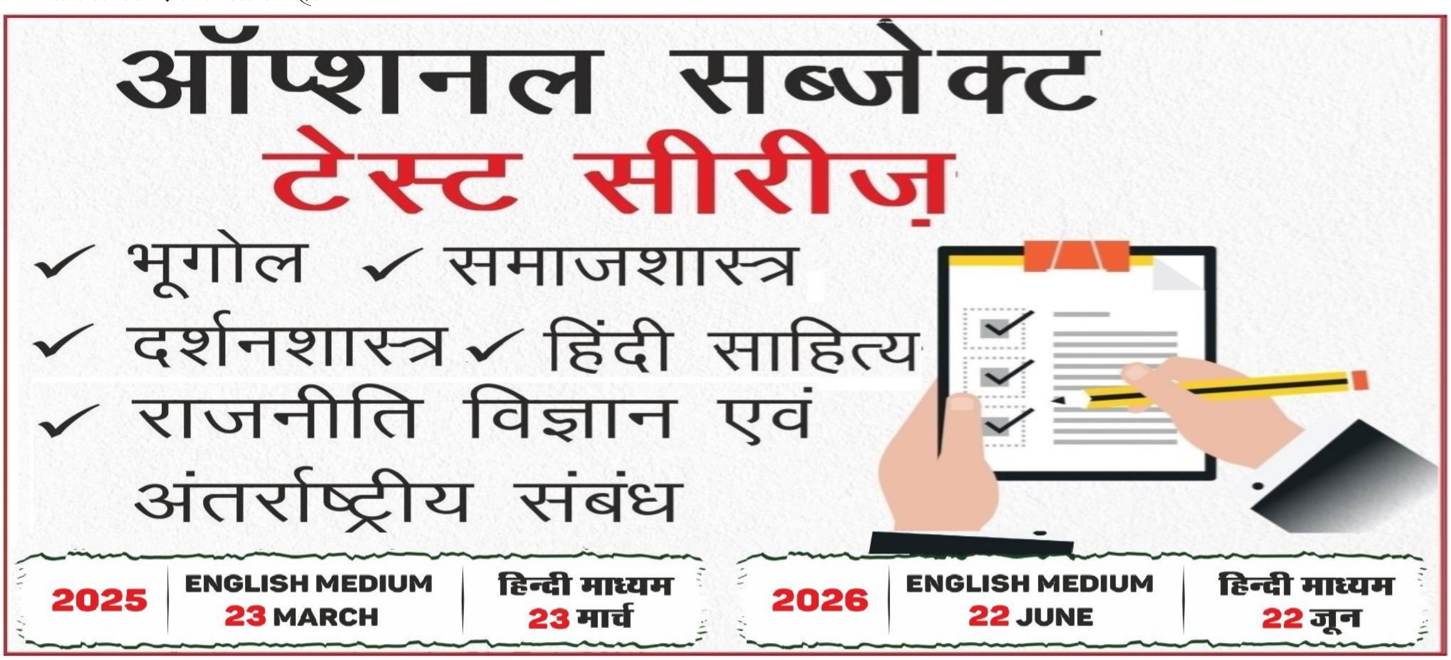

5.5. FAO की "वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियों (GIAHS)" में छह नवीन साइटें शामिल की गई (Six New Sites Join FAO's GIAHS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

FAO की "वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियों (GIAHS)" में छह नवीन पारंपरिक कृषि प्रणालियों को शामिल किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

हाल ही में, इसमें निम्नलिखित कृषि प्रणालियों को शामिल किया गया है:

- **ब्राजील में एरवा-माटे पादप के लिए पारंपरिक** कृषि वानिकी प्रणाली;
- **चीन में पर्ल मसेल्स (एक मोलस्क), सफेद चाय और नाशपाती** के लिए विशेष खेती प्रणालियां;
- **मेक्सिको में महत्वपूर्ण खाद्य फसलों और जैव विविधता** को संरक्षित करने वाली पारंपरिक प्रणाली; तथा
- **स्पेन के लैंजारोटे द्वीप के ज्वालामुखीय क्षेत्र** में एक विशिष्ट कृषि प्रणाली।

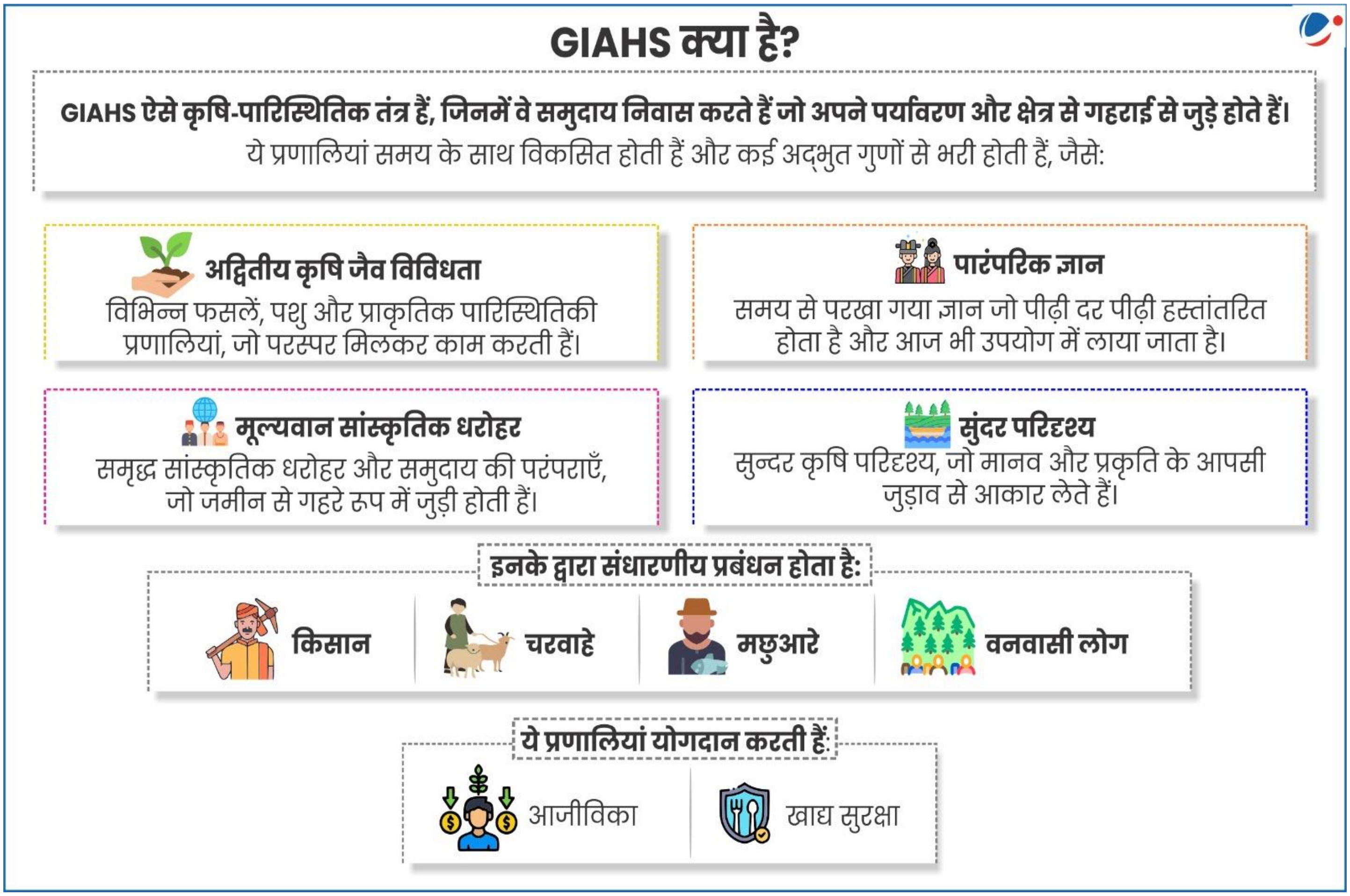

वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियां (GIAHS) प्रोग्राम के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसे **2002 में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन** में शुरू किया गया था। इसे फैमिली फार्मर्स और पारंपरिक कृषि प्रणालियों को गंभीर वैश्विक प्रवृत्तियों से बचाने के लिए शुरू किया गया है।
- **उद्देश्य:** पारंपरिक कृषि प्रणालियों को जलवायु परिवर्तन, समुदायों के विस्थापन और जैव विविधता की हानि जैसे खतरों से बचाना।
- **दृष्टिकोण:** इसमें **बहु-हितधारक दृष्टिकोण को अपनाते** हुए GIAHS के तहत निम्नलिखित प्रदान किया जाता है:

 ©Vision IAS

- कृषि समुदायों को तकनीकी सहायता।
- पारंपरिक कृषि संबंधी ज्ञान के महत्व को बढ़ावा।
- कृषि उत्पादों, कृषि पर्यटन और बाजार संबंधी अन्य अवसरों के लिए बाजारों को प्रोत्साहन।

- **वर्तमान स्थिति: वर्तमान में 28 देशों में 95 GIAHS प्रणालियां हैं। इनमें भारत की निम्नलिखित प्रणालियां शामिल हैं:**
    - **कश्मीर की केसर विरासत;**
    - **ओडिशा की कोरापुट** पारंपरिक कृषि; तथा
    - **केरल की कुट्टनाड वेटलैंड कृषि प्रणाली** (धान की खेती **समुद्र तल से नीचे** लवणीय जल में डेल्टाई दलदलों को सूखाकर प्राप्त की गई भूमि पर की जाती है।)

फैमिली फार्मिंग और पारंपरिक कृषि को क्यों संरक्षित किया जाए?

- **खाद्य सुरक्षा:** फसल की किस्मों को संरक्षित और संसाधनों का संधारणीय उपयोग करते हुए विविधतापूर्ण व पौष्टिक तत्वों से संपन्न भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु।
- **आय सुरक्षा:** देशज लोगों सहित कृषि पर निर्भर 2.5 बिलियन लोगों के जीवन एवं आजीविका की सुरक्षा को बढ़ने हेतु।
- **सांस्कृतिक विरासत:** आधुनिक कृषि के विकल्प प्रस्तुत करते हुए वैश्विक समुदायों, संस्कृतियों, इतिहास और परंपराओं में व्यापक विविधता का संरक्षण करने हेतु।
- **नवाचार का आधार:** समकालीन और भविष्य के कृषि संबंधी नवाचार एवं प्रौद्योगिकियों के लिए आधार प्रदान करने हेतु।

मौजूदा समय में, फैमिली फार्मिंग और पारंपरिक कृषि प्रणालियों को संरक्षित करना पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि युवा पीढ़ी तेजी से शहरों की ओर पलायन कर रही है। फैमिली फार्मिंग की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, संयुक्त राष्ट्र ने **2019-2028 को "संयुक्त राष्ट्र फैमिली फार्मिंग दशक"** घोषित किया है।

5.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

5.6.1. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होने वाली पर्यावरणीय मंज़ूरी को रद्द कर दिया (Supreme Court Strikes Down Retrospective Environmental Clearances)

वनशक्ति बनाम भारत संघ (2025) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को **खनन परियोजनाओं को पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंज़ूरी (EC) देने या EIA अधिसूचना, 2006 का उल्लंघन करने वाली कार्रवाइयों को नियमित** करने से रोक दिया है।

- **EIA अधिसूचना, 2006** के तहत किसी परियोजना को शुरू करने से पहले **'पूर्व पर्यावरणीय मंज़ूरी'** प्राप्त करना अनिवार्य है।
- न्यायालय ने यह भी माना कि केंद्र (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) द्वारा जारी की गई ऐसी अधिसूचना अवैध, मनमानी और संविधान के **अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) तथा अनुच्छेद 21 (जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण)** का उल्लंघन है।
- इससे पहले, **कॉमन कॉज बनाम भारत संघ एवं अन्य (2017)** में, सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंज़ूरी की अवधारणा **पर्यावरणीय न्यायशास्त्र के लिए पूरी तरह से अलग** है।

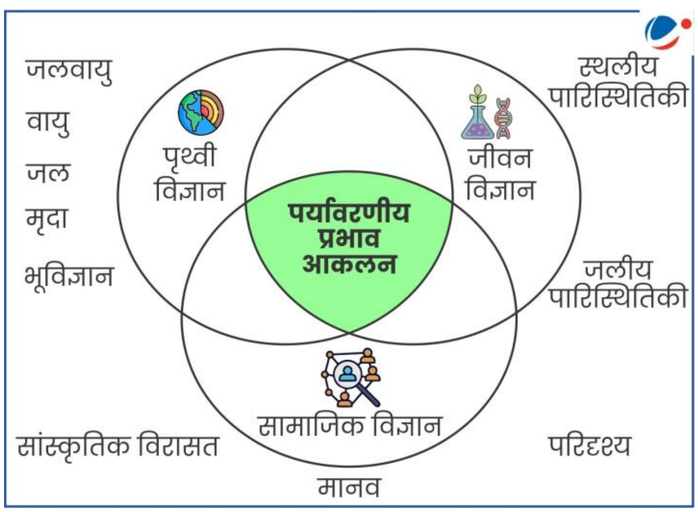

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) के बारे में

- **EIA अधिसूचना 2006,** विकास संबंधी परियोजनाओं को मंजूरी देने से पहले उनके संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए एक विनियामकीय ढांचा है।
- **इसने परियोजनाओं को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है:**
    - **श्रेणी A: राष्ट्रीय स्तर का मूल्यांकन**
        - केंद्र सरकार यानी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तहत से **पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति** की आवश्यकता होगी।

   - **विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC)** की सिफारिशों के आधार पर निर्णय किया जाता है।
- **श्रेणी B: राज्य स्तरीय मूल्यांकन**
   - **राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA)** से पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता होगी।
   - **राज्य या संघ राज्य क्षेत्र स्तर की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC)** की सिफारिशों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

5.6.2. CAQM ने धान की पराली जलाने की रोकथाम हेतु निर्देश जारी किए (CAQM Issues Direction for Paddy Stubble Burning)

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने **पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को खेतों में धान की पराली जलाने की घटनाओं को रोकने हेतु निर्देश** जारी किए हैं। ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट के **एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ मामले** में दिए गए निर्णय के अनुसरण में जारी किए गए हैं।

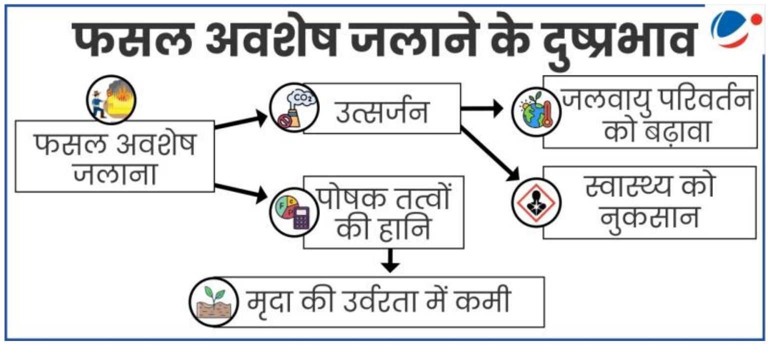

- CAQM की स्थापना **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक से संबंधित समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में समन्वय करने और इनके समाधान** के लिए की गई है।

CAQM के मुख्य निर्देशों पर एक नजर

- **विशेष 'पराली सुरक्षा बल (Parali Protection Force)' का गठन:** इस बल में पुलिस अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी आदि शामिल होंगे।
- **ईंट भट्टों में धान के भूसे की पेलेट्स/ ब्रिकेट्स की को-फायरिंग अनिवार्य करना:** इसे थर्मल पावर प्लांट्स की तर्ज पर लागू किया जा सकता है।
- **सभी गांवों में प्रत्येक खेत की मैपिंग करना:** इसका उद्देश्य **पराली से निपटने के प्रस्तावित तरीकों को अपनाना** है। इन तरीकों में **फसल विविधीकरण** यानी अन्य फसलों की खेती को अपनाना; खेतों में ही पराली का अन्य तरीके से उपयोग करना, आदि शामिल हैं।
- **धान के पुआल (डंठल) की खरीद के लिए निर्धारित दर तय करना:** पंजाब और उत्तर प्रदेश को हरियाणा की तर्ज पर एक समान दर निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है।
- **खेत से बाहर यानी अन्य जगह (Ex-situ) पराली के उपयोग को बढ़ावा देना:** इसके लिए बेलर, रेकर और अन्य मशीनों का समुचित उपयोग किया जाना चाहिए।
- **अन्य निर्देश:**
   - रीयल-टाइम और निरंतर डेटा रिपोर्टिंग हेतु एक **ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म** शुरू करना चाहिए।
   - **फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) मशीनों की सूची** की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए।

5.6.3. राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र (NCPOR) की स्थापना के 25 वर्ष पूरे हुए {National Centre of Polar and Ocean Research (NCPOR) Celebrates 25 Years}

हाल ही में **राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र (NCPOR) की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ** मनाई गई।

NCPOR के बारे में

- NCPOR का **मुख्यालय गोवा** में स्थित है।
- **स्थापना:** वर्ष **1998** में स्थापित NCPOR **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान** है।
- **शासी निकाय:** इसमें ध्रुवीय और समुद्री विज्ञान क्षेत्र से देश के अग्रणी **13 प्रतिनिधि** शामिल हैं।
   - **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का सचिव NCPOR का पदेन अध्यक्ष** होता है।

NCPOR की मुख्य भूमिकाएं:

- **ध्रुवीय और दक्षिणी महासागर क्षेत्रों में अनुसंधान:** यह **अंटार्कटिका** में स्थित भारत के **मैत्री और भारती** अनुसंधान स्टेशनों; **आर्कटिक** में स्थित **हिमाद्रि** अनुसंधान स्टेशन तथा **हिमालय** में स्थित **हिमांश** अनुसंधान स्टेशन के रखरखाव में योगदान करता है।

* **डीप ओशन मिशन का नेतृत्व:** इस मिशन का उद्देश्य **हिंद महासागर में खनिज संसाधनों और हाइड्रोथर्मल प्रणालियों की खोज एवं संभावनाएं तलाशना** है।
* यह संगठन **भारत की आर्कटिक नीति (2022) और भारतीय अंटार्कटिका अधिनियम (2022)** के क्रियान्वयन में मदद करता है।
    * **भारतीय अंटार्कटिका अधिनियम: अंटार्कटिका में भारत की गतिविधियों को कानूनी दर्जा** प्रदान करता है। साथ ही, यह अधिनियम अंटार्कटिका से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर नजर रखने हेतु **अंटार्कटिक गवर्नेंस और पर्यावरण संरक्षण समिति (CAG-EP)** के गठन का प्रावधान करता है।
    * **आर्कटिक नीति:** इस नीति के **छह** स्तंभ हैं: विज्ञान एवं अनुसंधान; जलवायु और पर्यावरण संरक्षण; आर्थिक व मानव विकास; परिवहन और संपर्क; गवर्नेंस और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग; तथा राष्ट्रीय क्षमताओं का निर्माण।

NCPOR में दो महत्वपूर्ण केंद्रों का उद्घाटन:

* **पोलर भवन:** यह ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान हेतु प्रयोगशाला है। साथ ही, इसमें **भारत का पहला ध्रुवीय और महासागरीय संग्रहालय** स्थित होगा।
* **सागर भवन:** इसमें **-30°C वाली दो आइस कोर प्रयोगशालाएं और +4°C तापमान वाली स्टोरेज यूनिट** स्थित होगी। इनमें **तलछट और जैविक नमूनों का रिकॉर्ड** रखा जाएगा।

5.6.4. ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 (Global Methane Tracker 2025)

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने 'ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025' जारी किया।

ग्लोबल मीथेन ट्रैकर के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

* मीथेन **ग्रीनहाउस गैस** है। यह गैस औद्योगिक क्रांति के बाद से **वैश्विक तापमान में लगभग 30% वृद्धि के लिए जिम्मेदार** है।
* **मीथेन उत्सर्जन के तीन प्रमुख स्रोत हैं:** कृषि, ऊर्जा और अपशिष्ट क्षेत्रक।
* **ऊर्जा उत्पादन से मीथेन उत्सर्जन:** इसमें **तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला और बायोएनर्जी** शामिल हैं। मानवीय गतिविधियों से कुल मीथेन उत्सर्जन में **ऊर्जा क्षेत्रक की 35% हिस्सेदारी** है।
* यदि खनिजों को निकालने में **मीथेन का प्रभावी उपयोग** किया जाए या **गैस फ्लेयरिंग और ऑक्सीकरण** जैसी तकनीकों को अपनाया जाए, तो **मीथेन उत्सर्जन को 50% तक कम** किया जा सकता है।
    * **गैस फ्लेयरिंग वास्तव में तेल उत्पादन के दौरान उपोत्पाद** के रूप में प्राप्त **प्राकृतिक गैस के दहन की प्रक्रिया** है।

Vision Publication
Igniting Passion for Knowledge..!
Scan the QR code to explore our collection and start your journey towards success.

5.6.5. गुजरात में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ी (Asiatic Lion Population Increases in Gujarat)

भारत में शेरों की 16वीं गणना 2025 के अनुसार एशियाई शेरों की आबादी 5 वर्षों में 674 से बढ़कर 891 हो गई।

- **एशियाई शेरों की संख्या और वितरण क्षेत्र में वृद्धि** हुई है, जो **'प्रोजेक्ट लायन'** की सफलता को दर्शाता है। उल्लेखनीय है कि **गिर राष्ट्रीय उद्यान के बाहर भी शेरों की संख्या में बढ़ोतरी** हुई है।
- यह गणना **गुजरात वन विभाग** द्वारा प्रत्येक **5 वर्ष में आयोजित** की जाती है।
- **प्रोजेक्ट लायन (2020)** का लक्ष्य शेरों का दीर्घकालिक संरक्षण करना है, ताकि वे अपनी पारिस्थितिकी भूमिका निभा सकें और अपनी जैविक क्षमता बनाए रख सकें।
    - शेरों की रेडियो कॉलरिंग जैसी **उन्नत तकनीकों** के माध्यम से निगरानी की जा रही है तथा **रोग प्रबंधन** पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

एशियाई शेर (पेंथेरा लियो पर्सिका) के बारे में

- **पर्यावास:** घास के मैदान, सवाना, घनी झाड़ियाँ और खुले वन।
    - **इनकी आबादी मुख्य रूप से गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य (गुजरात)** में ही पाई जाती है।
    - **बर्दा वन्यजीव अभयारण्य** शेरों के लिए **"दूसरे पर्यावास"** के रूप में उभरा है।
- **IUCN स्थिति:** वल्नरेबल।
- यह **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I और अनुसूची-IV में सूचीबद्ध है तथा CITES के परिशिष्ट-I** में शामिल है।
- **एशियाई शेर की विशेषताएँ:**
    - एशियाई शेर अफ्रीकी शेरों की तुलना में आकर में थोड़े **छोटे** होते हैं।
    - एशियाई शेरों (अफ्रीकी शेरों में दुर्लभ) में देखी जाने वाली एक **विशिष्ट विशेषता उनके पेट के नीचे गर्दन से पूँछ तक त्वचा की एक तह है।**
    - **एशियाई नर शेर का अयाल कम घना** होता है, जिससे उसके **कान हमेशा दिखाई देते हैं।**
    - शेरों का कोई **विशेष प्रजनन काल नहीं** होता है।

5.6.7. लद्दाख में हिम तेंदुओं की आबादी (Ladakh's Snow Leopard Population)

लद्दाख के वन्यजीव संरक्षण विभाग द्वारा किए गए अध्ययन में लद्दाख में 477 हिम तेंदुए होने का अनुमान लगाया गया।

- दुनिया में **हिम तेंदुओं का सर्वाधिक घनत्व लद्दाख** में है, जो भारत की कुल हिम तेंदुआ आबादी का **68%** हिस्सा है।

अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **क्षेत्र:** हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, कारगिल और लेह में हिम तेंदुओं का दुनिया में सबसे अधिक और विस्तृत घनत्व पाया जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सन्निहित (Contiguous) आबादी में से एक है।
- **उच्च घनत्व के लिए कारक:**
    - **संसाधनों से भरपूर घास के मैदान,** अनुकूल जलवायु और शिकार की प्रचुरता।
    - **सीमित मानवीय व्यवधान** यानी लद्दाख में 61% हिम तेंदुए मानव आबादी के साथ सह-अस्तित्व में रहते है।
    - लद्दाख की जनजातियों में वन्यजीवों के **प्रति सांस्कृतिक सम्मान,** हिम तेंदुआ पर्यटन से होने वाला **आर्थिक लाभ और संघर्ष प्रबंधन** की रणनीतियां आदि अन्य जिम्मेदार कारक हैं।

हिम तेंदुए (पेंथेरा अन्सिया) के बारे में

- **भौगोलिक विस्तार:** यह **दक्षिण और मध्य एशिया** के पर्वतीय क्षेत्रों की प्रमुख प्रजाति है। यह **12 देशों** में पाया जाता है।
    - भारत में, **पश्चिमी हिमालय में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम तथा पूर्वी हिमालय में अरुणाचल प्रदेश** में पाया जाता है।
- **संरक्षण स्थिति:**
    - **IUCN रेड लिस्ट:** वल्नरेबल
    - **CITES परिशिष्ट-I और CMS परिशिष्ट-I में सूचीबद्ध।**
    - **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध।**
- **पर्यावास:** हिम तेंदुआ **3,000-5,000 मीटर की ऊँचाई** पर चट्टानी व पथरीली तथा ऊबड़-खाबड़ भूमि पर रहता है।
- **विशेषताएं:** हिम तेंदुए के शरीर पर **स्मोकी धूसर (ग्रे) रंग के फर** होते हैं, जिस पर **काले-गहरे धूसर रोसेट (गोलाकार धब्बे)** होते हैं। वे **अकेले रहते** हैं तथा सुबह और शाम सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।

5.6.8. ऑपरेशन ओलिविया (Operation Olivia)

ऑपरेशन ओलिविया ने **ओडिशा के गहिरमाथा तट पर 8 लाख से अधिक ओलिव रिडले कछुओं को बचाया।**

ऑपरेशन ओलिविया के बारे में

- **प्रारंभ:** इसे **1980 के दशक में, भारतीय तटरक्षक बल ने शुरू** किया था। यह **हर साल नवंबर से मई** तक आयोजित किया जाता है।
- यह अभियान **गहिरमाथा समुद्र तट, रुशिकुल्या नदी के मुहाने और देवी नदी के मुहाने** पर केंद्रित है।
- इन तटीय क्षेत्रों में **प्रतिवर्ष 800,000 से अधिक ओलिव रिडले कछुए सामूहिक रूप से अंडे देने** आते हैं, इस परिघटना को **अरिबादा** कहा जाता है।

ओलिव रिडले कछुओं के बारे में

- इसका वितरण लगभग **संपूर्ण उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्रों** में पाया जाता है। यह **मेक्सिको की खाड़ी को छोड़कर** लगभग सभी उष्णकटिबंधीय समुद्री तटीय क्षेत्रों में आकर अंडे देते हैं।
- **IUCN स्थिति: वल्नरेबल; CITES: परिशिष्ट-I में शामिल।**

5.6.9. त्सराप चू कंजर्वेशन रिजर्व (Tsarap Chu Conservation Reserve)

हिमाचल प्रदेश सरकार ने **स्पीति घाटी में "त्सराप चू कंजर्वेशन रिजर्व"** अधिसूचित किया। यह **भारत का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र** है।

त्सराप चू के बारे में:

- यह **उनाम नदी और चरप नाला** के संगम का क्षेत्र है।
- **सीमाएं:** इस कंजर्वेशन रिजर्व के **उत्तर में लद्दाख केंद्र-शासित** प्रदेश, **पूर्व में किब्बर वन्यजीव अभयारण्य** (मलिंग नाला और लुंगर लुंगपा तक विस्तृत), **दक्षिण में कबजीमा नाला और पश्चिम में चंद्रताल वन्यजीव अभयारण्य** स्थित है।
- **वन्यजीव: हिम तेंदुआ** (जिसे 'पहाड़ों का भूत'/ Ghost of the mountains भी कहा जाता है)।
- **अन्य प्रजातियां:** तिब्बती भेड़िया, भड़ल (नीली भेड़/ Blue Sheep), हिमालयन आइबेक्स, क्यांग (जंगली गधा), तिब्बती अर्गली आदि।
    - यहां **रोज फिंच, तिब्बती रैवेन जैसी दुर्लभ पक्षी प्रजातियां** भी पाई जाती हैं।

5.6.10. याला ग्लेशियर विलुप्त हुआ (Yala Glacier Declared Dead)

ग्लेशियोलॉजिस्ट और स्थानीय समुदायों ने **नेपाल के लांगटांग क्षेत्र में स्थित याला ग्लेशियर के "मृत" यानी विलुप्त** होने पर शोक व्यक्त किया है। 1970 के दशक से अब तक **यह ग्लेशियर 66% तक सिकुड़** चुका है। इससे यह नेपाल का पहला ग्लेशियर होगा जिसे **मृत या विलुप्त** घोषित किया जा सकता है।

ग्लेशियर फ्यूनरल

- यह **जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों के तेजी से विलुप्त होने पर आयोजित प्रतीकात्मक शोक समारोह** है।
- **मृत (विलुप्त) घोषित अन्य प्रमुख ग्लेशियर**:
    - **पिज़ोल ग्लेशियर,** स्विट्ज़रलैंड (2019);
    - **क्लार्क ग्लेशियर**, संयुक्त राज्य अमेरिका (2020);
    - **अयोलोको ग्लेशियर**, मैक्सिको (2021) आदि।
- **दुनिया का पहला ग्लेशियर फ्यूनरल आइसलैंड के ओकजोकुल्ल (Okjokull glacier)** के लिए 2019 में आयोजित किया गया था।

ग्लेशियरों के विलुप्त होने के दुष्परिणाम

- **ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि:** ग्लेशियरों के पिघलने से **एल्बीडो प्रभाव कम** होता है, जिससे पृथ्वी अधिक गर्मी अवशोषित करती है। एल्बीडो प्रभाव वास्तव में सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता है।
- **समुद्री जल स्तर में वृद्धि:** नेचर पत्रिका के अनुसार, 2001 से अब तक ग्लेशियरों के पिघलने से **समुद्री जल स्तर में लगभग 2 सेंटीमीटर की वृद्धि** दर्ज की गई है।
- **जल चक्र में व्यवधान उत्पन्न होना:** पृथ्वी का **लगभग तीन-चौथाई ताजा जल ग्लेशियरों में संग्रहित** है। इनके तेजी से पिघलने से **नियमित जल आपूर्ति और जैव विविधता को खतरा** पहुंच सकता है।
- **प्राकृतिक आपदाएं: हिमनदीय झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़ (GLOF) और हिमस्खलन** जैसी आपदाओं का खतरा बढ़ जाता है।

ग्लेशियर के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयास
वैश्विक स्तर पर प्रयास

- **संयुक्त राष्ट्र (UN) के प्रयास:**
    - 2025 को **अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष** घोषित किया गया है।
    - हर साल **21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस** मनाया जाएगा।
- **UNESCO-अंतर-सरकारी जल कार्यक्रम (IHP)** शुरू किया गया है।

- IUCN ने **हिमालय एडेप्टेशन नेटवर्क** लॉन्च किया है।
- वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF) ने **लिविंग हिमालयाज इनिशिएटिव** शुरू किया है।

भारत के प्रयास

- **नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम** शुरू किया गया है।
- **नेटवर्क प्रोग्राम ऑन हिमालयन क्रायोस्फीयर** शुरू किया गया है।
- भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) **ग्लेशियर में बदलावों पर निगरानी** रखता है। साथ ही, यह **GLOF पर चेतावनी** भी जारी करता है।
- **हिमांश अनुसंधान केंद्र** हिमालयी ग्लेशियरों की **गतिविधियों और उनमें परिवर्तन** का अध्ययन करता है।
- **आर्कटिक और अंटार्कटिका में कई मिशन** शुरू किए गए हैं; जैसे कि **2014 का IndARC.**

5.6.11. सौर पैनल दक्षता मानदंड (Solar Panel Efficiency Norms)

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने ऑफ-ग्रिड ग्रामीण परियोजनाओं के लिए सौर पैनल दक्षता मानदंडों को आसान बनाया। इसका अर्थ है कि **तुलनात्मक रूप से कम दक्षता वाले सौर मॉड्यूल्स भी अब सरकार की अनुमोदित मॉडल और विनिर्माताओं की सूची (ALMM)** में शामिल किए जा सकते हैं।

- **ALMM:** यह सोलर फोटोवोल्टिक (PV) मॉड्यूल्स के उन मॉडल्स और विनिर्माताओं की सूची है, जिन्हें MNRE ने मंजूरी दी है।

सौर दक्षता मानदंडों में मुख्य परिवर्तन (मई 2025 संशोधन)

- **दक्षता मानकों में कमी:**
    - **वर्तमान (ऑफ-ग्रिड 200W से कम) दक्षता:** इस श्रेणी के लिए, न्यूनतम दक्षता आवश्यकताएं **क्रिस्टलाइन सिलिकॉन मॉड्यूल के लिए 19 प्रतिशत और कैडमियम टेल्यूराइड (CdTe) मॉड्यूल के लिए 18 प्रतिशत** निर्धारित है।
    - **अब नया मानक:** दोनों प्रौद्योगिकियों के लिए 18% दक्षता।
- **परिवर्तन का दायरा:** यह केवल 200W से कम के ऑफ-ग्रिड सौर अनुप्रयोगों पर लागू होता है, जैसे: सौर लैंटर्न, माइक्रो सोलर ग्रिड, सोलर स्ट्रीट लाइट, छोटे पंखे और उपकरण।
    - ये मानदंड बड़े सिस्टम्स जैसे- रूफटॉप सोलर, पंप्स आदि को प्रभावित नहीं करेंगे।
    - **ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम:** यह सूर्य के प्रकाश से बिजली पैदा करता है और उसे बैटरियों में स्टोर करता है। इसका पावर ग्रिड से जोड़े बिना संचालन किया जा सकता है।
- **एक नई श्रेणी की शुरुआत: वितरित नवीकरणीय ऊर्जा (DRE)** नामक एक नई श्रेणी की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य लघु विनिर्माताओं का समर्थन करना तथा व्यापक ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करना है।
    - **वितरित नवीकरणीय ऊर्जा (DRE):** नवीकरणीय स्रोतों (जैसे सूर्य या पवन) से उत्पादित ऐसी विद्युत जिसका उपयोग उत्पादन स्थल के नजदीक किया जाता है।
- **चिंताएं:**
    - कम दक्षता के कारण **प्रति इकाई क्षेत्र में कम ऊर्जा उत्पादन** हो सकता है।
    - सोलर पैनल्स के **जल्दी खराब होने** का खतरा है। इससे दीर्घकालिक विश्वसनीयता पर प्रभाव पड़ सकता है
    - घटिया गुणवत्ता के मॉड्यूल से **बाजार प्रभावित** हो सकता है। इसलिए, सख्त गुणवत्ता प्रवर्तन की आवश्यकता होगी।

परिवर्तनों का महत्व

- **बेहतर पहुंच और वहनीय विकल्प:** अब कम दक्षता वाली सोलर किट भी मंजूरी प्राप्त कर सकेगी। इससे इनकी कीमत कम होगी और **ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए सोलर किट खरीदना आसान** होगा।
- **लघु विनिर्माताओं को समर्थन:** यह कदम **स्थानीय और छोटे स्तर पर सोलर पैनल बनाने वालों को प्रोत्साहित** करेगा। इससे **ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर व्यवसाय** को बढ़ावा मिलेगा।
- **ग्रामीण विद्युतीकरण को बढ़ावा:** अब दूरदराज के इलाकों में, जहां बिजली की लाइन नहीं पहुंची या बार-बार कटौती होती है, वहां **सोलर लाइट्स एवं उपकरणों का प्रयोग बढ़** सकेगा।
- **प्रौद्योगिकी निहितार्थ:** अब कम कीमत वाली तकनीकों, जैसे- **पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन (सस्ता) और कैडमियम टेल्यूराइड (CdTe) थिन-फिल्म** (कम लागत व रोशनी में भी अच्छा काम) का व्यापक उपयोग हो सकेगा।

5.6.12. दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई-मेथनॉल संयंत्र डेनमार्क में शुरू हुआ (World's First Commercial-Scale E-Methanol Plant Operationalised in Denmark)

ई-मेथनॉल **शिपिंग और रासायनिक विनिर्माण** जैसे हार्ड-टू-अबैट क्षेत्रकों में **उत्सर्जन को कम** करने के लिए एक व्यवहार्य समाधान प्रदान करता है।

- "हार्ड-टू-अबैट क्षेत्रकों" से तात्पर्य उन उद्योगों से है, जहां **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना विशेष रूप से कठिन और महंगा** है।

मेथनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम (नीति आयोग)

उद्देश्य

भारत के तेल आयात को कम करना, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना तथा कोयला भंडार और नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट से मेथनॉल बनाना, जो कि एक निम्न-कार्बन व हाइड्रोजन वाहक ईंधन है।

लाभ

मेथनॉल के उत्पादन/ उपयोग और संबंधित वितरण सेवाओं के माध्यम से लगभग **5 मिलियन रोजगार** उत्पन्न होंगे। LPG में **20% डाय-मिथाइल ईथर (DME)** का मिश्रण करने से प्रतिवर्ष **6000 करोड़ रुपए की बचत** की जा सकती है। DME वस्तुतः **मेथनॉल** का एक व्युत्पन्न है।

ई-मेथेनॉल (या इलेक्ट्रो-मेथेनॉल) क्या होता है?

- यह एक **निम्न-कार्बन ऊर्जा ईंधन** है। इसे **ग्रीन हाइड्रोजन को कैप्चर की गई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर** बनाया जाता है।
- **ई-मेथनॉल के उत्पादन में आमतौर पर तीन प्रमुख चरण शामिल होते हैं:**
  - **ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन:** नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा जल के विद्युत-अपघटन (Electrolysis) से हाइड्रोजन फीडस्टॉक का निर्माण किया जाता है।
  - **CO_2 को कैप्चर करना:** कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) को औद्योगिक इकाइयों (जैसे स्टील या सीमेंट प्लांट्स) से या सीधे हवा से कैप्चर किया जाता है। इससे स्रोत पर समग्र उत्सर्जन कम हो जाता है।
  - **मेथनॉल संश्लेषण:** हाइड्रोजन और CO_2 को कैटेलिटिक रिएक्टर में दबाव के तहत संयोजित किया जाता है। इससे न्यूनतम उपोत्पादों के साथ **मेथनॉल** प्राप्त होता है।
- **लाभ:**
  - इसे अवसंरचना में बदलाव के बिना इस्तेमाल किया जा सकता है।
  - यह स्थिर होती है, क्योंकि इसे कमरे के (सामान्य) तापमान और परिवेश के दबाव पर संग्रहीत किया जा सकता है।
  - इसका अन्य ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

* **उपयोग:** शिपिंग उद्योग के अलावा ग्रीन हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संश्लेषण से उत्पन्न **ई-गैसोलीन और ई-केरोसिन सड़क एवं हवाई परिवहन** के लिए बेहतर समाधान प्रदान करते हैं।
* **चुनौतियां:** नवीकरणीय विद्युत की उच्च लागत और उत्पादन संबंधी अदक्षता के कारण ई-मेथनॉल जीवाश्म-आधारित मेथनॉल की तुलना में काफी अधिक महंगा है।

5.6.13. क्षेत्रीय एकीकृत बहु-आपदा पूर्व-चेतावनी प्रणाली (Regional Integrated Multi-hazard Early Warning System: RIMES)

RIMES की चौथी मंत्रिस्तरीय बैठक श्रीलंका की राजधानी **कोलंबो** में आयोजित की गई। इसमें **"आपदा से निपटने की तैयारी पर घोषणा-पत्र"** को अपनाया गया।

क्षेत्रीय एकीकृत बहु-आपदा पूर्व-चेतावनी प्रणाली (RIMES), 2009 के बारे में:

* यह एक **अंतर-सरकारी संस्था** है। यह अपने सदस्य देशों को **पूर्व-चेतावनी सेवाएं, आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियां, और क्षमता निर्माण सेवाएं** प्रदान करता है।
* यह प्रणाली 2004 की हिंद महासागर सुनामी के बाद **अफ्रीका, एशिया और प्रशांत** क्षेत्र के देशों के प्रयासों से विकसित हुई है, ताकि **क्षेत्रीय पूर्व चेतावनी प्रणाली** स्थापित की जा सके।
* **सदस्य:** RIMES में **22 सदस्य राष्ट्र और 26 सहयोगी राष्ट्र** शामिल हैं।
* **कार्यालय:** इसका क्षेत्रीय पूर्व-चेतावनी केंद्र **थाईलैंड के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी** में स्थित है।

5.6.14. मूसा इंडेंडैमेनेंसिस केला (Banana Musa Indandamanensis)

जंगली केले की प्रजाति मूसा इंडेंडैमेनेंसिस में **लगभग 4.2 मीटर लंबा फल-गुच्छ/ पुष्प-क्रम (Infructescence) दर्ज** किया गया। यह किसी केले के पौधे में दर्ज किया गया **अब तक का सबसे लंबा फल-गुच्छ** है।

* **फल-गुच्छ (Infructescence):** यह फलों का एक समूह या गुच्छ होता है, जो एक धुरी/ तने पर उग आया होता है। इसमें एक मुख्य डंठल होता है और अक्सर शाखाओं की जटिल संरचना भी होती है।

मूसा इंडेंडैमेनेंसिस के बारे में:

* **खोज:** इसे पहली बार **2012 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कृष्णा नाला रिजर्व फॉरेस्ट** के पास एक दुर्गम उष्णकटिबंधीय वन में दर्ज किया गया था।
* **विशेषताएँ:**
  * इसमें **हरे रंग के विशिष्ट फूल** खिलते हैं और इसका **फल-गुच्छ (लक्स/ धुरी) सामान्य केले की प्रजातियों की तुलना में तीन गुना बड़ा** होता है।
  * यह **लगभग 11 मीटर लंबा पौधा** होता है, जबकि सामान्य केले के पौधे की ऊँचाई **तीन से चार मीटर** होती है।
* **लाभ:** प्लांट ब्रीडर्स इस प्रजाति का उपयोग उच्च उपज देने वाली और रोग प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए एक **प्राकृतिक आनुवंशिक संसाधन** के रूप में कर सकते हैं।

5.6.15. एटमोस्फियरिक मेमोरी (Atmospheric Memory)

एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि मानसून का आगमन और वापसी केवल सूर्य के प्रकाश पर नहीं, बल्कि **एटमोस्फियरिक मेमोरी** पर भी निर्भर करती है।

अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

* वायुमंडल **जलवाष्प के रूप में भौतिक जानकारी को संचित** करता है। इस जानकारी के आधार पर यह **मानसून के आगमन और वापसी को नियंत्रित** करता है।

- पहले यह माना जाता था कि मानसून मौसम के आगमन या वापसी की प्रक्रिया मुख्यतः सौर विकिरण (solar radiation) में परिवर्तन की तात्कालिक प्रतिक्रिया होती है।

- **नया सिद्धांत:** वायुमंडल की स्थिति उसके **मौसम के इतिहास पर निर्भर** करती है। यदि **पहले से वर्षा** हो रही है, तो वह जारी रहती है, लेकिन यदि वातावरण पहले से शुष्क है, तो **वर्षा की शुरुआत कठिन** हो जाती है। यह व्यवहार **"द्विस्थिरता" (Bistability)** कहलाता है।
- **समान सौर विकिरण स्तर** पर भी वायुमंडल या तो शुष्क या गहन वर्षा वाला हो सकता है, हालांकि यह इस तथ्य पर निर्भर करता है कि **पहले के मौसम की स्थिति क्या थी।**

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **पर्यावरण** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

6.1. मानव विकास रिपोर्ट 2025: बढ़ती असमानता (Human Development Report 2025: Widening Inequality)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)[47] ने मानव विकास रिपोर्ट 2025** जारी की है। इस रिपोर्ट में मानव विकास में भारत की प्रगति की सराहना की गई है। साथ ही, **भारत में बढ़ती असमानता, विशेष रूप से आय और लैंगिक असमानताओं के बारे में चिंता** भी प्रकट की गई है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **मानव विकास सूचकांक (Human Development Index: HDI)**
  - **वैश्विक:** लगातार चौथे वर्ष **निम्न HDI** स्कोर वाले देशों और **अत्यधिक उच्च HDI स्कोर वाले देशों के बीच असमानता** बढ़ती जा रही है।
    - **शीर्ष 3 रैंक वाले देश:** आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड हैं।
  - **भारत:** वर्ष 2022 में HDI में **भारत की 133वीं रैंक थी, जो 2023 में सुधरकर 193 देशों में 130वीं** हो गई थी।
    - वर्ष 2022 में **भारत का HDI मान 0.676 था, जो 2023 में बढ़कर 0.685** हो गया। इस वजह से **भारत मध्यम मानव विकास श्रेणी** में शामिल हो गया है और **उच्च मानव विकास सीमा (HDI ≥ 0.700)** के करीब पहुंच गया है।
    - वर्ष 1990 के बाद से, भारत का **HDI मान 53% से अधिक** बढ़ा है, जो **वैश्विक और दक्षिण एशियाई औसत से अधिक** है।
- **असमानता-समायोजित मानव विकास सूचकांक:** भारत में व्यापक असमानता के कारण मानव विकास में **30.7% की हानि** देखी गई।
  - भारत की **सबसे गरीब 40% आबादी के पास** कुल आय का केवल **20.2% हिस्सा** है, जबकि **सबसे अमीर 10% के पास 25.5% हिस्सा** है।
- **बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (MPI)[48]:** भारत की **16.4% आबादी बहुआयामी निर्धनता** से ग्रस्त है तथा **4.2% आबादी चरम बहुआयामी गरीबी** में जीवनयापन कर रही है।
  - **18.7% आबादी** ऐसी है, जो बहुआयामी निर्धनता के **जोखिम** का सामना कर रही है।
- **लैंगिक असमानता सूचकांक (GII)[49]:** इस सूचकांक में **भारत 193 देशों में 102वें स्थान** पर है।
  - भारत में **15 वर्ष और उससे ऊपर की आयु की महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर (LFPR)[50] 35.1%** है, जबकि **पुरुषों की श्रम बल भागीदारी दर 76.4%** है।

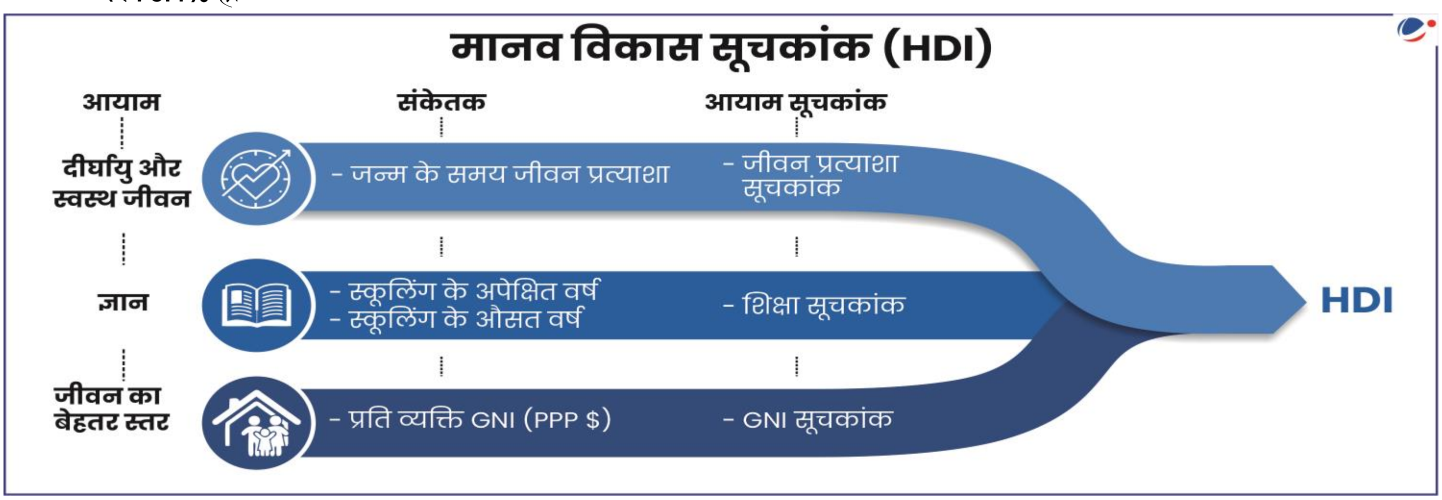

---

[47] United Nations Development Programme

[48] Multidimensional Poverty Index

[49] Gender Inequality Index

[50] Labour Force Participation Rate

असमानता और उसका मापन

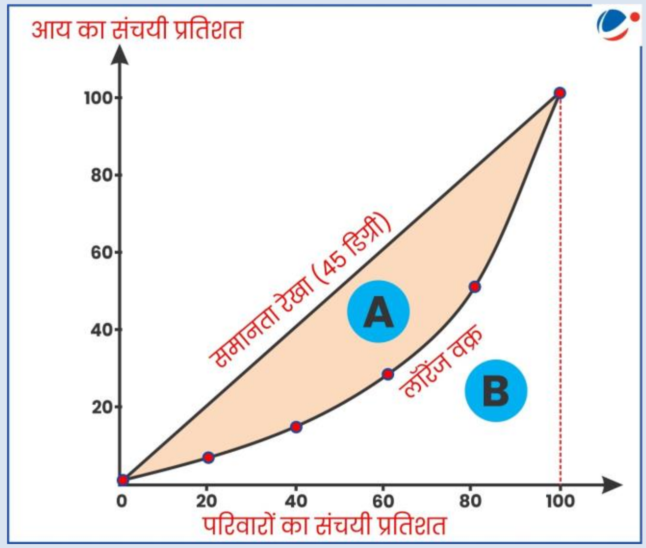

- **असमानता** का अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह की **प्रस्थिति (Status), अधिकारों या अवसरों में समानता का अभाव।**
- असमानता के कई प्रकार हैं, जैसे- **आय असमानता, सामाजिक असमानता, अवसरों की असमानता, परिणामों की असमानता** आदि।
- **असमानता का मापन:**
  - **गिनी-गुणांक:** यह एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग किसी देश या समाज में **आय या संपत्ति के वितरण में असमानता को मापने के लिए** किया जाता है। यह बताता है कि लोगों के बीच आय या संपत्ति कितनी समान या असमान रूप से वितरित है।
    - इसका मान **0 से 1** के बीच होता है। यहां **0 का अर्थ पूर्ण समानता और 1 का अर्थ है पूर्ण असमानता** है।
    - **गिनी गुणांक, लोरेन्ज वक्र** पर आधारित होता है।
- **लोरेन्ज वक्र** यह दिखाता है कि असमानता कितनी ज्यादा है। **वक्र जितना अधिक झुका हुआ होता है, असमानता उतनी ही अधिक** होती है।
  - **पाल्मा अनुपात:** यह भी असमानता मापने का एक तरीका है। इसमें आय के मामले में **शीर्ष पायदान पर मौजूद 10% आबादी की प्रति घंटा कुल आय को निचले पायदान पर मौजूद 40% आबादी की प्रति घंटा कुल आय से विभाजित** किया जाता है।

भारत में असमानता के लगातार बने रहने के लिए जिम्मेदार कारक

- **सामाजिक-सांस्कृतिक असमानताएं:** भारत में जाति, जेंडर आदि पर आधारित लगातार बनी रहने वाली सामाजिक असमानताएं आर्थिक विषमताओं को बढ़ावा देती हैं।
  - **जेंडर पे गैप[51]:** विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में **पुरुष, कुल श्रम आय का 82% हिस्सा** कमाते हैं, जबकि **महिलाएं केवल 18% कमाती** हैं।
  - **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की कमी:** यह समस्या **पीढ़ी-दर-पीढ़ी गरीबी** को बनाए रखती है तथा विशेष रूप से ग्रामीण एवं वंचित समुदायों में **आर्थिक गतिशीलता की संभावनाओं को कम** कर देती है।
    - उदाहरण के लिए- **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच नहीं** होने की वजह से गरीब आबादी को मजबूरी में कम वेतन वाली नौकरियां करनी पड़ती है। इसके अलावा, इलाज पर अपनी जेब से धन खर्च करना उन्हें **और गरीब बना** देता है।
- **आर्थिक विकास की प्रकृति: रोजगारविहीन संवृद्धि, भारतीय अर्थव्यवस्था में 'मिसिंग मिडिल' की समस्या, क्षेत्रकवार असंतुलन** आदि। वर्ष 2019 में कृषि का कुल उत्पादन केवल 15% था, जबकि यह 42% रोजगार दे रहा था।
  - **"मिसिंग मिडिल" की समस्या:** इसका अर्थ है कि भारत में **सूक्ष्म-उद्यमों और वृहद उद्यमों की पर्याप्त संख्या** है, लेकिन इनके बीच की कड़ी माने जाने वाले **लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों (SMEs) की संख्या बहुत कम** है।
  - **ग्रामीण-शहरी विभाजन:** घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, **औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय ग्रामीण भारत में 4,122 रुपये और शहरी भारत में 6,996 रुपये है।**
- **श्रम नीतियां:** श्रमिकों की सौदेबाजी करने की शक्ति कम हो गई है, जिससे उनका वेतन भी कम हो गया है। उदाहरण के लिए- गिग वर्कर्स और असंगठित प्लेटफॉर्म वर्कर्स की संख्या बढ़ना।
  - इसके अलावा, **कर नीतियां भी पारिश्रमिक की तुलना में पूंजीगत लाभ के पक्ष** में अधिक हैं, जो आय के अंतर को बढ़ाती हैं।
    - उदाहरण के लिए- **लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) पर कर दर में कटौती** के कारण समृद्ध लोग कई वेतनभोगी पेशेवरों की तुलना में कम प्रभावी कर दर का भुगतान करते हैं। समृद्ध लोग अक्सर शेयर बाजार या स्टार्ट-अप इक्विटी से आय अर्जित करते हैं।
- **गवर्नेंस से जुड़ी समस्याएं:** इनमें **सीमित वित्तीय संसाधन, उपलब्ध संसाधनों का अकुशल उपयोग, भ्रष्टाचार एवं नीतियों और कार्यक्रमों का खराब कार्यान्वयन** आदि शामिल हैं।
  - उदाहरण के लिए- कुछ लोग अपने निजी स्वार्थों के चलते संरचनात्मक सुधारों, जैसे- भूमि सुधार, श्रम सुधार और प्रगतिशील कराधान का विरोध करते हैं।

---

[51] Gender Pay Gap

- **अन्य कारक:** डिजिटल डिवाइड, संघर्ष (जैसे- वामपंथी उग्रवाद), जलवायु आघात (जैसे- लगातार चरम मौसमी घटनाएं), सॉवरेन ऋण संकट, कोविड-19 महामारी व्यवधान आदि।

आगे की राह

- **नीतिगत हस्तक्षेप: राष्ट्रीय असमानता न्यूनीकरण योजना (NIRPs)**[52] तैयार की जानी चाहिए। **प्रगतिशील कर व्यवस्था** को बढ़ावा दिया जाना चाहिए , ताकि जिनकी आय/ संपत्ति ज्यादा है, उनसे अधिक टैक्स लिया जा सके।
  - **योजना और कार्यान्वयन के लिए स्थानीयकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना:** उदाहरण के लिए- भारत में समग्र असमानता का अधिकांश हिस्सा गांवों और शहरी ब्लॉक्स के भीतर स्थानीय स्तर की असमानता की वजह से है।
- **समावेशी वेल्थ अप्रोच:** समावेशी वेल्थ का अर्थ किसी राष्ट्र की कुल संपदा से है, जिसमें वित्तीय संपत्ति के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधन, मानव और सामाजिक पूंजी भी शामिल है।
  - **सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करना:** असमानता को बढ़ावा देने वाली सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं, जैसे- जाति-आधारित भेदभाव एवं लैंगिक असमानताओं आदि को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए- जेंडर बजटिंग एक अच्छा कदम है।
- **लैंगिक समानता:** महिला कार्यबल की भागीदारी को बढ़ाने के लिए सुरक्षित कार्यस्थलों, बाल देखभाल सुविधाओं और काम के लचीले घंटे जैसे उपाय अपनाए जाने चाहिए। साथ ही, महिलाओं के लिए समान संपत्ति अधिकारों को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है, आदि।
- **शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच:** सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे एवं शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार करने और हाशिए पर मौजूद समुदायों के लिए विशेष कदम उठाए जाने की जरूरत है।
  - **रोजगार कौशल और बाजार की जरूरतों में तालमेल:** अलग-अलग सामाजिक-आर्थिक समूहों की रोजगार क्षमता में सुधार के प्रयास किए जाने चाहिए।
- **सामाजिक सुरक्षा उपायों को मजबूत करना:** आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को कैश ट्रांसफर, सब्सिडी और पेंशन योजनाओं के माध्यम से सुरक्षा दी जानी चाहिए।

निष्कर्ष

भारत में असमानता को दूर करने के लिए पूरे समाज की साझी भागीदारी जरूरी है। इसके लिए केवल सरकार की नीतियां ही नहीं, बल्कि नागरिक समाज यानी समाजसेवी संगठनों की भूमिका और निजी क्षेत्रक की जवाबदेही भी महत्वपूर्ण है। किसी भी विकास योजना को बनाते समय, उसे लागू करते समय और उसके परिणामों की समीक्षा करते समय, सभी चरणों में समानता को केंद्र में रखना आवश्यक है।

[52] National Inequality Reduction Plans

6.2. सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) रिपोर्ट 2021 {Sample Registration System (SRS) Report 2021}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI)**[53] **ने सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) रिपोर्ट 2021** जारी की है। इसमें भारत और बड़े राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रजनन एवं मृत्यु दर संकेतकों पर डेटा शामिल है।

SRS के बारे में:

- सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) **एक बड़े पैमाने का जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण** है। यह राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों पर **जन्म दर, मृत्यु दर एवं अन्य प्रजनन तथा मृत्यु दर संकेतकों पर एक विश्वसनीय अनुमान** प्रदान करता है।
- SRS का सैंपल **नवीनतम जनगणना के आधार पर हर दस साल में अपडेट** किया जाता है।

SRS रिपोर्ट 2021 के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:

मानदंड और परिभाषाएं	SRS रिपोर्ट 2021 द्वारा उजागर किए गए रुझान
क्रूड बर्थ रेट (CBR) = (एक वर्ष के दौरान हुए जीवित जन्मों की संख्या ÷ वर्ष के मध्य की जनसंख्या) × 100	• **CBR में 11% की गिरावट** दर्ज की गई है। यह **2011 में 21.8 थी, जो 2021 में घटकर 19.3** रह गई। • **राज्यवार स्थिति:** सबसे ज्यादा **बिहार (25.6),** सबसे कम **केरल (12.9)**।
जनसंख्या की संरचना (कुल जनसंख्या का प्रतिशत)	• **0-14 आयु वर्ग:** यह 1991 के **36.3%** से घटकर 2021 में **24.8%** तक आ गई है। • **आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या (15-59 वर्ष):** इसमें **बढ़ोतरी** हुई है। यह 1991 में **57.7%** थी, जो 2021 में **66.2%** हो गई। • **वृद्ध आबादी:** इसमें **बढ़ोतरी** हुई है (60+ वर्ष: 9% तथा 65+ वर्ष: 5.9%)। • **महिलाओं के लिए प्रभावी विवाह की औसत आयु:** इसमें **बढ़ोतरी** हुई है। यह 1990 में **19.3 वर्ष** थी, जो 2021 में **22.5 वर्ष** तक हो गई। 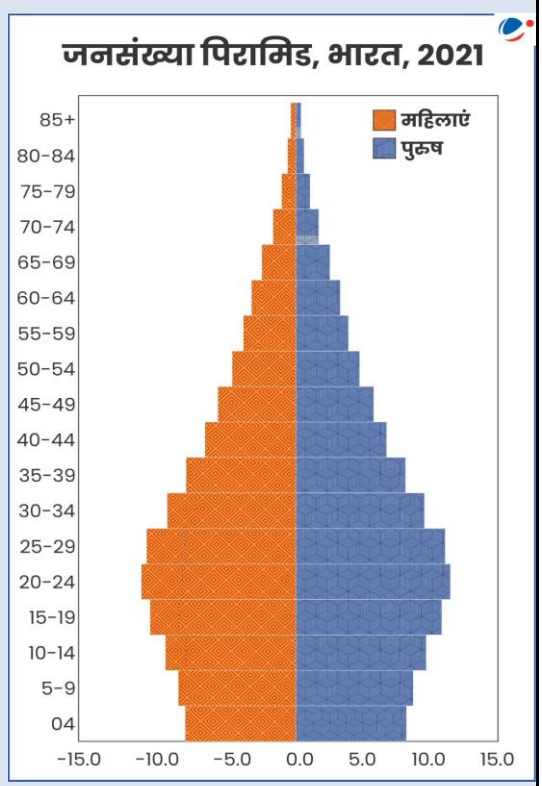

---

[53] Registrar General of India

मातृ मृत्यु अनुपात (Maternal Mortality Ratio: MMR) मातृ मृत्यु अनुपात किसी निर्धारित अवधि में **प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर होने वाली माताओं की मृत्यु** की संख्या है।	• **गिरावट:** यह 2014-16 में हर 1 लाख जीवित बच्चों के जन्मों पर **130** थी, जो 2019-21 में घटकर **93** रह गई, यानी इसमें **37 अंकों की कमी** हुई है। • **लक्ष्य:** यह सतत विकास लक्ष्य (SDG) के MMR लक्ष्य **(2030 तक ≤ 70)** के करीब है।

शिशु मृत्यु दर
• **नवजात मृत्यु दर (NMR):** प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर जन्म से लेकर 29 दिनों तक के नवजात शिशुओं की मृत्यु की संख्या।
• **शिशु मृत्यु दर (IMR):** प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु तक के शिशुओं की मृत्यु की संख्या।
• **पांच वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर (U5MR):** प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु की संख्या।
	नवजात मृत्यु दर (Neonatal Mortality Rate: NMR)
	• **गिरावट:** यह 2014 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर **26** थी, जो 2021 में घटकर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर **19** हो गई है।
	  ○ **लक्ष्य:** यह सतत विकास लक्ष्य (SDG) के NMR लक्ष्य **(2030 तक ≤ 12)** के करीब है।
	• **राज्यों में:**
	  ○ **सबसे कम:** केरल
	  ○ **सबसे ज़्यादा:** मध्य प्रदेश
	शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate: IMR)
	• **गिरावट:** यह 2014 के प्रति 1000 जीवित जन्मों पर **39** से घटकर 2021 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर **27** हो गई है।
	• **राज्यों में:**
	  ○ **सबसे कम:** केरल (6)
	  ○ **सबसे ज़्यादा:** मध्य प्रदेश (41)
	• इस गिरावट के बावजूद, राष्ट्रीय स्तर पर जन्म लेने वाले **प्रत्येक 37 शिशुओं में से एक शिशु की अपनी आयु के पहले साल में ही मृत्यु** हो जाती है।
	पांच वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर (Under-five Mortality Rate: U5MR)
	• **गिरावट:** यह 2014 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर **45** थी, जो 2021 में घटकर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर **31** हो गई है।
	• **लक्ष्य:** यह सतत विकास लक्ष्य (SDG) के U5MR लक्ष्य **(2030 तक ≤ 25)** के करीब है।
	• **राज्यों में:**
	  ○ **सबसे कम:** केरल
	  ○ **सबसे ज्यादा:** मध्य प्रदेश

जन्म के समय लिंगानुपात
जन्म के समय प्रति 1000 लड़कों पर जन्म लेने वाली लड़कियों की संख्या
	• **बढ़ोतरी:** यह 2018-20 में **907** था, जो 2019-21 में बढ़कर **913** हो गया है।
	• **राज्यों में:**
	  ○ **सबसे ज्यादा:** केरल (962)
	  ○ **सबसे कम:** उत्तराखंड (852)
	• **ग्रामीण (2019-21):** 912
	• **शहरी (2019-21):** 918
	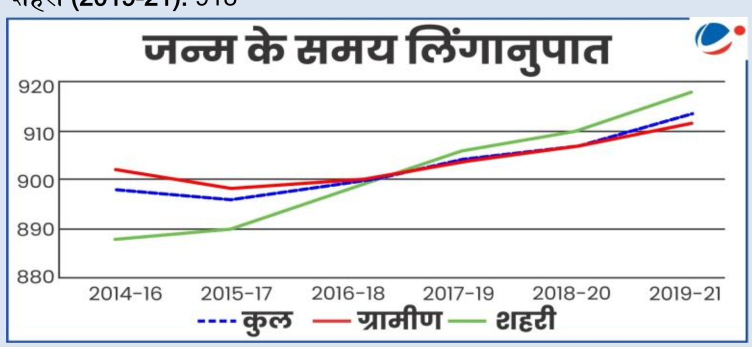

कुल प्रजनन दर (TFR) यह एक महिला द्वारा उसके जनन काल के दौरान जन्म देने वाले बच्चों की औसत संख्या होती है।	**कुल प्रजनन दर (TFR) = 2.0** • **गिरावट:** इसमें 2016-2021 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर **गिरावट** आई है। • **राज्यों में:** ○ **सबसे ज्यादा:** बिहार (3.0) ○ **सबसे कम:** दिल्ली और पश्चिम बंगाल (1.4) • **प्रतिस्थापन स्तर (TFR) यानी 2.1, राष्ट्रीय स्तर पर 16 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों** के साथ हासिल कर लिया गया है। • **ग्रामीण:** 2.2 • **शहरी:** 1.6
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा	• 2017-21 की अवधि के लिए **69.8 वर्ष** थी, जो 2016-20 की तुलना में **0.2 वर्ष की गिरावट** को दर्शाती है। • **पुरुषों** के लिए जीवन प्रत्याशा **68.2 वर्ष** और **महिलाओं** के लिए **71.6 वर्ष** अनुमानित की गई है।
संस्थागत प्रसव	• 2021 में, लगभग **91.1% प्रसव संस्थागत** थे, जिनमें सरकारी और निजी अस्पताल दोनों शामिल हैं। ○ **शहरी क्षेत्रों में:** 95.5% ○ **ग्रामीण क्षेत्रों में:** 89.7%

निष्कर्ष

मातृ और शिशु स्वास्थ्य में सुधार सुनिश्चित करना एक स्वस्थ वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी को तैयार करेगा। यह पीढ़ी भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश और विकास में योगदान देगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, जन जागरूकता, गुणवत्ता वाली आधारभूत संरचना एवं सेवाओं का विकास जरूरी है।

भारत में सांख्यिकी प्रणाली के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

वीकली फोकस #109– भारतीय सांख्यिकी प्रणालीः विकास को बढ़ावा देने के लिए डेटा को बेहतर तरीके से समझना

6.3. शहरी गरीबी (Urban Poverty)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, ओडिशा सरकार ने एक सहयोगात्मक पहल **'सहयोग/ SAHAYOG'** शुरू की है। इसका उद्देश्य **शहरी गरीबों की सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच** को सुगम बनाना है।

सहयोग/ SAHAYOG पहल के बारे में

- **लक्ष्य: आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर** में विविध सरकारी योजनाओं के माध्यम से सुधार लाना।
- **प्रयोजन: शहरी गरीब समुदायों में पात्र लाभार्थियों की पहचान करना** और उन्हें जन जागरूकता अभियान, डोर-स्टेप सेवा डिलीवरी आदि के माध्यम से चिन्हित **सरकारी योजनाओं** से जोड़ना।
- इसके पहले चरण में, **13 प्रमुख योजनाओं** से वंचित लाभार्थियों की **पहचान और पंजीकरण** के लिए **8 जिलों के 44 शहरी क्षेत्रों में घर-घर जाकर सर्वेक्षण** किया जाएगा।

भारत में शहरीकरण और शहरी गरीबी की वर्तमान स्थिति

- भारत की शहरी जनसंख्या **1951 में 17.29%** थी, जो **2011 में दोगुनी होकर 31.16%** हो गई। यह **62 मिलियन से बढ़कर 377 मिलियन** हो गई है।
- **संयुक्त राष्ट्र (UN)** के अनुसार, **2050** तक भारत की **50%** से अधिक आबादी **(877 मिलियन)** शहरों और कस्बों में निवास कर रही होगी।

विश्व बैंक की नवीनतम 'पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ' रिपोर्ट के अनुसार-

- **शहरों में चरम गरीबी** 2011-12 की **10.7% से घटकर** 2022-23 में मात्र **1.1%** रह गई।
- **निम्न-मध्यम आय वाले देशों** के लिए निर्धारित गरीबी रेखा **(3.65 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन)** के आधार पर, **शहरी गरीबी 2011-12 में 43.5%** थी। यह **2022-23 में घटकर 17.2%** हो गई है।
- भारत का **उपभोग-आधारित गिनी सूचकांक** 2011-12 के 28.8 से घटकर **2022-23 में 25.5** हो गया। यह **आय असमानता में कमी** को दर्शाता है।
- वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में **शहरी बेरोजगारी दर गिरकर 6.6%** हो गई, जो 2017-18 के बाद **सर्वाधिक गिरावट** है।

शहरी और ग्रामीण गरीबी के बीच अंतर

- **मूलभूत सुविधाओं तक पहुंच:** शहरी गरीब व्यक्ति **आवास की कमी** और स्वच्छता जैसी **मूलभूत सेवाओं की कमी** का सामना करते हैं। वहीं **ग्रामीण गरीब भू-स्वामित्व की सुरक्षा** से जुड़ी समस्याओं से पीड़ित हैं।
- **जीवन स्तर और परिस्थितियां:** शहरी गरीबों को अत्यधिक **भीड़-भाड़ और स्वच्छता की कमी** जैसी समस्याओं की वजह से **बीमारी एवं अपराध** का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामीण गरीबों को **पक्के आवास की कमी, जातिगत भेदभाव** आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- **गरीबी का मनोवैज्ञानिक प्रभाव:** शहरी क्षेत्रों में **सापेक्ष वंचन और सामाजिक अपवर्जन** की भावना प्रबल होती है। इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में **गरीबी अधिक दिखाई** देती है। उदाहरण के लिए- मुंबई में **धारावी जैसे झुग्गी-बस्तियों का गगनचुंबी इमारतों** के आस-पास होना।
  - शहरी गरीबों को अक्सर **अलगाव व अकेलेपन व संबद्ध चिंता** का भी सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामीण गरीबों को **गरीबी का सांस्कृतिक रूप से संस्थागत प्रभाव** झेलना पड़ता है, जिसका **जाति या लिंग से अधिक गहरा संबंध** होता है।
- **आर्थिक संरचना:** ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से **कृषि** पर निर्भर है, जबकि शहरी अर्थव्यवस्था **अधिक विविध और जटिल** होती है। इस प्रकार, शहरी क्षेत्र में **आर्थिक अवसर अधिक** होते हैं। हालांकि, इसी वजह से शहरी गरीबी अधिक **बहुआयामी व जटिल** होती है।

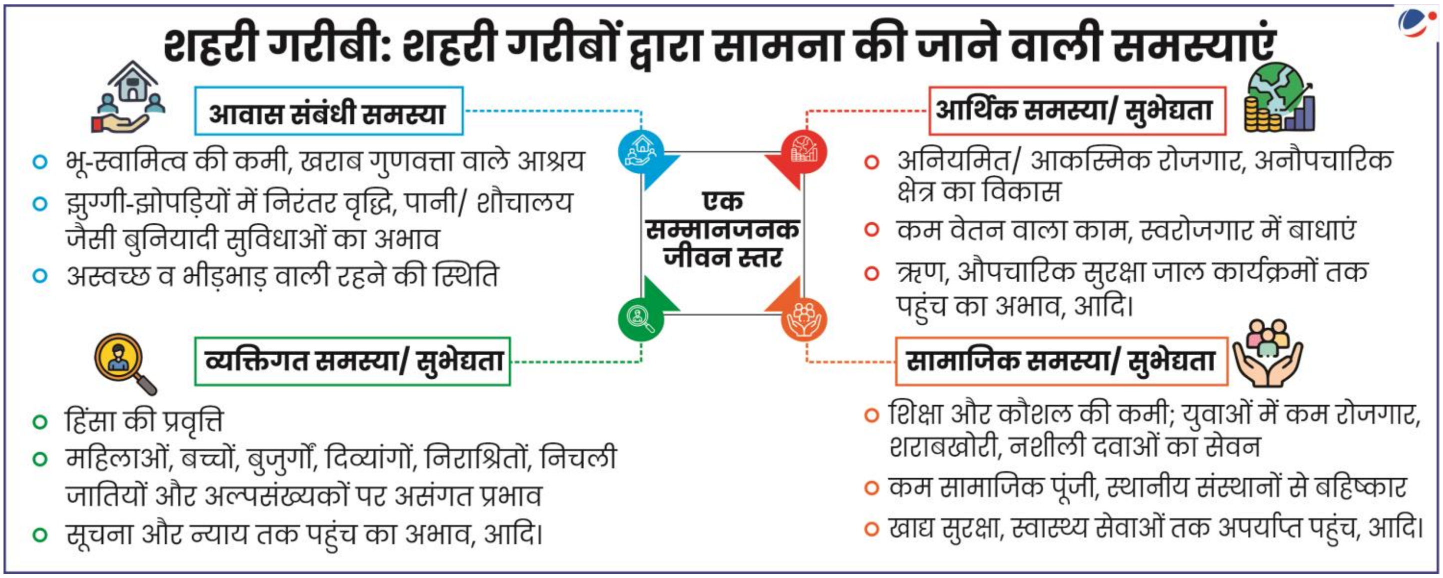

शहरी गरीबी के बने रहने के लिए जिम्मेदार कारक

- **योजनाबद्ध शहरी विकास का अभाव:** अव्यवस्थित शहरीकरण, गांव से शहर की ओर पलायन तथा शहरों की बढ़ती आबादी एवं नीति निर्माण में शहरी गरीबों को अनदेखा करना। उदाहरण के लिए- किफायती आवास योजनाओं की कमी।
- **शहरीकरण में क्षेत्रीय असमानता: टियर-II और टियर-III शहरों के अपर्याप्त विकास के कारण** दिल्ली, मुंबई जैसे महानगर अत्यधिक जनसंख्या के बोझ से जूझ रहे हैं।
- **सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच का अभाव:** शहरी क्षेत्रों में रहने वाले **कई गरीब प्रवासियों के पास पहचान-पत्र या निवास प्रमाण-पत्र नहीं** होता, जिससे वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते और गरीबी के दुष्चक्र में फंसे रह जाते हैं।
- **गरीबी का दुष्चक्र:** गरीबी के कारण लोगों को **शिक्षा, नौकरी आदि के सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता के अवसर नहीं** मिलते, जिससे **पीढ़ी-दर-पीढ़ी गरीबी** बनी रहती है।

शहरी गरीबी को कम करने के लिए सरकारी पहलें

- **एक राष्ट्र एक राशन कार्ड: आधार/ AADHAAR** आधारित यह योजना देश में कहीं से भी राशन लेने की सुविधा देती है। इससे गरीब और आंतरिक प्रवासी मजदूरों को भोजन की सुरक्षा मिलती है।
- **स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (SBM-U 2.0):** यह एक स्वच्छता योजना है, जिसके तहत शहरी परिवारों के लिए व्यक्तिगत शौचालयों (IHHL) का निर्माण किया जाता है।
- **प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U):** इसके तहत झुग्गी-बस्तियों में रहने वालों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)/ निम्न आय समूह (LIG) और मध्यम आय समूह (MIG) वर्गों को **किफायती दर पर आवास** उपलब्ध कराया जा रहा है।
- **दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM):** यह योजना शहरी गरीबों को **लाभकारी स्वरोजगार और कौशल प्रदान करके रोजगार** के अवसर प्रदान करती है।
- **पी.एम. स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि):** इसके तहत **स्ट्रीट वेंडर्स को किफायती दर पर ऋण** प्रदान किया जाता है।
- **अन्य:** अटल मिशन फॉर रीजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 (AMRUT 2.0), स्मार्ट सिटीज़ मिशन, आदि।

आगे की राह

- **समावेशी शहरीकरण:** समावेशी शहरी विकास नियोजन के लिए **लोगों की सक्रिय भागीदारी** के साथ-साथ निर्णय प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत करने की भी आवश्यकता है। साथ ही, **मिश्रित उपयोग विकास और समावेशी ज़ोनिंग नीतियों को भी बढ़ावा** दिया जाना चाहिए, ताकि झुग्गी-बस्तियां न बनाई जा सकें तथा सभी को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें।

- उदाहरण के लिए- झुग्गी-बस्ती पुनर्वास और पुनर्विकास में स्वयं सहायता समूह अहम भूमिका निभा सकते हैं। केरल में **'कुदुम्बश्री'** महिला नेटवर्क का NULM में **सक्रिय रूप से उपयोग** किया जा रहा है।

- **टियर-II और टियर-III शहरों का विकास:** छोटे शहरों एवं कस्बों में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करके **संतुलित क्षेत्रीय विकास** को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाना चाहिए। इससे महानगरों पर जनसंख्या का दबाव कम करने में मदद मिलेगी।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में **अवसंरचना विकास और रोजगार के अवसरों में सुधार करके ग्रामीण** क्षेत्रों से शहरों की ओरऔर होने वाले पलायन पर रोक लगाई जा सकती है।
- **सतत शहरीकरण: शहरी नियोजन और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में संधारणीयता** को प्राथमिकता देने में शहरी स्थानीय निकायों की अहम भूमिका होनी चाहिए। उदाहरण के लिए- स्वच्छ भारत मिशन के तहत इंदौर का स्वच्छता अभियान।
- **शहरी गरीबों का सशक्तीकरण:** ऋण, व्यवसाय विकास सेवाओं और बाजार लिंकेज तक बेहतर पहुंच के माध्यम से **कौशल विकास, श्रम-गहन उद्योगों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के विकास** को बढ़ावा देना चाहिए।
- **सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का लक्षित वितरण:** योजनाओं की **पोर्टेबिलिटी** को बढ़ावा देने, **समावेशन-अपवर्जन त्रुटियों** को सुधारने और योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी में सुधार करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

2050 तक भारत के शहरों द्वारा **GDP में 75% से अधिक योगदान देने और इनसे लगभग 60% ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन** होने की संभावना है। इसलिए, **शहरी गरीबी की समस्या का प्रभावी ढंग से समाधान किया जाना अत्यंत आवश्यक है**, ताकि शहरी क्षेत्रों का संधारणीय विकास सुनिश्चित किया जा सके। यह प्रयास **'विकसित भारत'** के लक्ष्य को हासिल करने में सहायक होगा और भारत को **5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था** बनाने की दिशा में मजबूत कदम होगा।

6.4. मिजोरम ने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर हासिल की (Mizoram Achieves Full Functional Literacy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मिजोरम के मुख्यमंत्री ने आधिकारिक तौर पर **मिजोरम को पूर्ण साक्षर राज्य** घोषित किया है। अब मिजोरम **पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य** बन गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- मिजोरम ने **95% से अधिक की साक्षरता दर** हासिल कर ली है। **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2023-24** के अनुसार, अब मिजोरम की **साक्षरता दर 98.20%** हो गई है।
  - इसके पहले, जून 2024 में **लद्दाख, ULLAS कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता की घोषणा करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई** बन गया था।
- **गोवा** अब दूसरा राज्य बन गया है, जिसने **पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता** हासिल की है।
- **शिक्षा मंत्रालय** के अनुसार, **95% से अधिक साक्षरता दर को पूर्ण साक्षरता के बराबर** माना जाता है।
- ये उपलब्धियां **उल्लास/ ULLAS - नव भारत साक्षरता कार्यक्रम** के प्रभावी क्रियान्वयन के कारण संभव हो पाई हैं।

***नोट:** केरल ने 1991 में जो **पूर्ण साक्षरता** घोषित की थी, वह **राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत 90% से अधिक साक्षरता दर** के आधार पर थी।*

साक्षरता बनाम कार्यात्मक साक्षरता

- **साक्षरता:** भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय के अनुसार, कोई भी व्यक्ति **जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है और जो किसी भी भाषा को समझने के साथ-साथ पढ़ एवं लिख** भी सकता है, उसे साक्षर माना जाता है।
- **कार्यात्मक साक्षरता:** यह केवल पढ़ने और लिखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पढ़ने, लिखने और जानकारी को समझने की क्षमता भी शामिल होती है जो किसी व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाती है, जैसे:
  - मौलिक निर्देशों को पढ़ना और समझना, फॉर्म भरना, तकनीक का उपयोग करना तथा लिखी गई जानकारी के आधार पर सूझबूझ से निर्णय लेना आदि।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2023-24 के अनुसार भारत में साक्षरता

- **कुल साक्षरता दर (सात वर्ष और उससे अधिक आयु):** 80.9% है।
- **शहरी बनाम ग्रामीण: शहरी भारत की साक्षरता दर 88.9%** है, जबकि **ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता दर 77.5%** है।
- **लैंगिक अंतराल:** पुरुष साक्षरता दर **87.2%** है, जबकि महिला साक्षरता दर **74.6%** है।

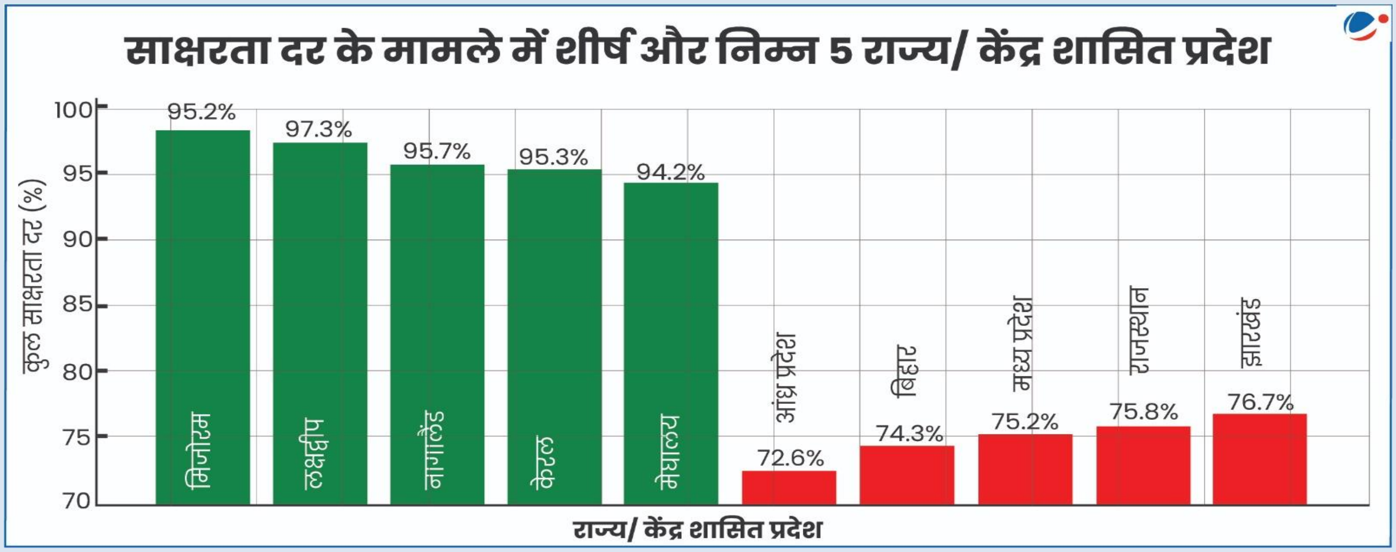

ULLAS - नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (NILP) के बारे में

- **परिभाषित साक्षरता:**ऐसे विद्यार्थी जो पढ़ व लिख सकते हैं, बुनियादी गणितीय कौशल से युक्त हैं और डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता रखते हैं (सिर्फ अपने नाम का हस्ताक्षर करना या लिखना नहीं)।
- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है, जो **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020** के अनुरूप है।
- **लक्ष्य:** ULLAS योजना का उद्देश्य **5 करोड़ शिक्षार्थियों को साक्षर** बनाना है। इसमें **"ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम (OTLAS)"** की मदद से हर साल **1 करोड़ शिक्षार्थियों को साक्षर** बनाया जाएगा।
  - OTLAS एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है, जो ULLAS योजना के वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप में जुड़ी हुई है। इसे **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC)** ने विकसित किया है।
- **योजना की अवधि:** वित्त वर्ष **2022-23 से 2026-27** तक।
- **संबंधित मंत्रालय:** शिक्षा मंत्रालय
- **लक्षित समूह: 15 वर्ष और उससे ऊपर के ऐसे सभी वयस्क,** जिन्होंने किसी कारणवश औपचारिक स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की।
- **योजना के घटक:** इसमें मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, महत्वपूर्ण जीवन कौशल (जैसे वित्तीय साक्षरता व डिजिटल साक्षरता), बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल तथा सतत शिक्षा शामिल हैं।
- **कार्यान्वयन:** इसे समाज में **कर्तव्यबोध और सामाजिक उत्तरदायित्व** को बढ़ावा देने के लिए **स्वैच्छिक भागीदारी** के माध्यम से लागू किया जा रहा है।
  - **सामाजिक चेतना केंद्र:** स्कूलों, स्थानीय सांस्कृतिक केंद्रों, सामुदायिक केंद्रों आदि में **उपलब्ध स्थानों** का उपयोग करके **सामाजिक चेतना केंद्र** स्थापित किए जाते हैं। यहां **स्कूल** कार्यान्वयन की इकाई के रूप में कार्य करते हैं।
- **क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग: DIKSHA पोर्टल** और **ULLAS मोबाइल ऐप/ पोर्टल** के माध्यम से शिक्षण सामग्री स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जाती है।
- **मूल्यांकन और प्रमाणन: FLNAT (फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी असेसमेंट टेस्ट) वर्ष में दो बार या मांग पर स्थानीय स्कूलों में आयोजित** किया जाता है।

साक्षरता के लिए अन्य पहलें:

- **राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (NLM)[54]:** इसे भारत सरकार ने **1988** में शुरू किया था। इसका उद्देश्य **निरक्षरता को समाप्त करना और वयस्कों में कार्यात्मक साक्षरता को बढ़ावा** देना था।

[54] National Literacy Mission

- **साक्षर भारत मिशन:** इसका उद्देश्य **राष्ट्रीय साक्षरता स्तर को 80% तक पहुंचाना** है। साथ ही, पुरुष एवं महिला साक्षरता अंतराल को **10 प्रतिशत तक कम** करना है।
- **निपुण/ NIPUN भारत मिशन:** यह मिशन **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (NEP, 2020)** के तहत शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य **2025 तक सभी बच्चों को प्राथमिक कक्षा स्तर पर बुनियादी साक्षरता और गणना कौशल** प्रदान करना है।

6.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

6.5.1. केयर इकोनॉमी एंड डिजिटलाइजेशन (Care Economy And Digitalisation)

कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से, **केयर इकोनॉमी** में तेजी से हुए **डिजिटलीकरण** के कारण एक बड़ा बदलाव आया है। इस बदलाव ने महिलाओं के लिए नए आर्थिक और सामाजिक अवसर पैदा किए हैं।

केयर इकोनॉमी क्या है?

- **यू.एन. वीमेन** के अनुसार, केयर इकोनॉमी में ऐसी **वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन एवं उपभोग शामिल है, जो उन लोगों के शारीरिक, सामाजिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य** के लिए ज़रूरी हैं जिन्हें देखभाल की जरूरत होती है। इन लोगों में **बच्चे, बुजुर्ग, बीमार लोग और दिव्यांग व्यक्ति। , इसमें स्वस्थ एवं कामकाजी आयु के वयस्क** शामिल हैं।
- **इसमें दो तरह के कार्य शामिल होते हैं:**
  - **सशुल्क देखभाल कार्य:** ऐसा कार्य, जिसके लिए पारिश्रमिक मिलता, जैसे- नर्सों, घरेलू कामगारों और शिक्षकों द्वारा किया गया कार्य।
  - **अवैतनिक देखभाल कार्य:** ऐसा कार्य, जिसके लिए पारिश्रमिक नहीं मिलता, जैसे- खाना बनाना, सफाई करना और बच्चों व बुजुर्गों की देखभाल करना। ये कार्य अक्सर घर पर किए जाते हैं।
- देखभाल का ज्यादातर कार्य चाहे वह भुगतान वाला हो या न हो महिलाएं ही करती हैं। हालांकि, इस तरह का कार्य **आमतौर पर GDP की गणना और आर्थिक नीति निर्माण में शामिल नहीं** किया जाता है। इसलिए, इसे नजरअंदाज और कम महत्व का माना जाता है।
  - **औसतन महिलाएं पुरुषों से तीन गुना अधिक अवैतनिक देखभाल कार्य करती हैं।** भारत में यह अंतर और भी अधिक है। भारत में महिलाएं पुरुषों से लगभग **आठ गुना ज्यादा** ये काम करती हैं।
- **डिजिटल केयर इकोनॉमी** देखभाल के पुराने तरीकों को बदल रही है। इसने ऐप्स, ऑनलाइन मार्केटप्लेस, केयर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और रिमोट मॉनिटरिंग जैसी तकनीकों को देखभाल में शामिल किया है।

केयर इकोनॉमी का डिजिटलीकरण महिलाओं को कैसे लाभ पहुंचा सकता है?

- **आर्थिक संवृद्धि:** संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, देखभाल अवसंरचना और सेवाओं में निवेश से **2035 तक 300 मिलियन नौकरियां सृजित** की जा सकती हैं। इनमें से **70-90% नौकरियां महिलाओं** को मिल सकती हैं।
  - उदाहरण के लिए- **अर्बन कंपनी**, जो घर पर खाना पकाने और सफाई जैसी तत्काल घरेलू सेवाएं प्रदान करती है, **भारत में महिला गिग वर्कर्स के सबसे बड़े नियोक्ताओं** में से एक है।
- **लैंगिक असमानताओं को कम करना: केयर इकोनॉमी के डिजिटलीकरण** से महिलाओं को **लचीलापन** और **स्वायत्तता** मिलती है, जैसे ऑन-डिमांड सेवाएं देना। **डिजिटल भुगतान** के माध्यम से **अधिक और स्थिर आय** प्राप्त होती है। साथ ही, **घर से काम करने** के कारण सुविधा और **सीखने के नए अवसर** मिलते हैं। इस प्रकार, महिलाओं को नए कौशल और करियर विकास की संभावनाओं से सशक्त बनाया जा सकता है।
- **पहुंच और दक्षता बढ़ाना:** उदाहरण के लिए- भारत में **क्ले** और **ब्रूमीज़** जैसे चाइल्ड केयर प्लेटफॉर्म ऑन-डिमांड **बेबीसिटिंग** सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा, **ख्याल** तथा **गुडफेलोज़** जैसे अन्य प्लेटफॉर्म बुजुर्गों की देखभाल के लिए ऑन-डिमांड सहायता प्रदान कर रहे हैं।

निष्कर्ष

केयर इकोनॉमी का डिजिटलीकरण महिलाओं को सशक्त बना सकता है और देखभाल के काम को औपचारिक रूप प्रदान कर सकता है। हालांकि, **समावेशी संवृद्धि के लिए डिजिटल अंतराल, सामाजिक सुरक्षा और पक्षपात जैसी चुनौतियों का एक लैंगिक-संवेदनशील और अधिकार-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से समाधान** किया जाना चाहिए।

6.5.2. मातृ मृत्यु अनुपात (Maternal Mortality Ratio: MMR)

केंद्रीय **गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय** ने भारत में मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) पर **2019–21 के लिए विशेष बुलेटिन** जारी किया।

- मातृ मृत्यु अनुपात किसी निर्धारित अवधि में **प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर होने वाली मातृ मृत्यु** की संख्या है।
    - भारत ने **मातृ मृत्यु अनुपात को कम करके वर्ष 2030 तक 70 तक लाने की प्रतिबद्धता** जताई है। यह **संयुक्त राष्ट्र -सतत विकास लक्ष्य (SDG)** के अनुरूप है।

बुलेटिन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- भारत का मातृ मृत्यु अनुपात **घटकर 93** हो गया है। 2017–19 में यह **103** था।
- **श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य: केरल** (MMR-20), **तेलंगाना** (45), **तमिलनाडु** (49), आदि।
- **कमजोर प्रदर्शन करने वाले एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप (EAG) राज्य: मध्य प्रदेश** (175), **असम** (167), **उत्तर प्रदेश** (151)। इन राज्यों में अब भी **उच्च मातृ मृत्यु अनुपात** दर्ज किया गया है।

6.5.3. गरिमा के साथ आयुर्वृद्धि के लिए पहलें (Initiatives for Ageing With Dignity)

देश की राष्ट्रपति ने **"गरिमा के साथ आयुर्वृद्धि–वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु पहलें[55]"** कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई पहलों का शुभारंभ किया।

शुरू की गई पहलें:

- **वरिष्ठ नागरिक कल्याण पोर्टल:** यह एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है। यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य-देखभाल के लाभों और कल्याणकारी सेवाओं की प्राप्ति को आसान बनाता है।
- **वरिष्ठ नागरिक आवास:** यह केंद्रीय **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** के कार्यक्रम के तहत समर्थित है। यह पहल **'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम' (MWPSC Act)** के अनुरूप है।
- **ब्रह्मकुमारी संस्था के साथ समझौता ज्ञापन (MoU):** इसका उद्देश्य **भावनात्मक संतुलन, आत्मचिंतन (mindfulness), और पीढ़ियों के बीच आपसी संबंध** को बढ़ावा देना है।

भारतीय समाज में वृद्धजनों की स्थिति के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

वीकली फोकस #84– भारत में वृद्धजनों की बढ़ती आबादी का सशक्तीकरण

[55] 'Ageing with Dignity - Initiatives for the Welfare of Senior Citizens

6.5.4. ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज-फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज (Global Network of Age-Friendly Cities and Communities: GNAFCC)

कोझिकोड शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन **(WHO) के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज-फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज (GNAFCC)** की सदस्यता से सम्मानित किया गया है।

GNAFCC के बारे में:

- **स्थापना:** 2010 में
- **सदस्य:** 51 देशों के 1300 सदस्य शहर और समुदाय।
- **लक्ष्य:** विश्व भर के **शहरों, समुदायों और संगठनों को जोड़ना,** ताकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए रहने योग्य समाज विकसित किया जा सके।
- **मुख्य उद्देश्य:**
  - प्रेरणा देना, यह दर्शाकर कि क्या किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है।
  - दुनिया भर के शहरों और समुदायों को जोड़कर जानकारी, अनुभव एवं ज्ञान का आदान-प्रदान करना।
  - नवाचार पर आधारित और प्रमाणित समाधान खोजने में समुदायों की मदद करना।

6.5.5. आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट (GRID) 2025 {Global Report On Internal Displacement (GRID) 2025}

GRID 2025 रिपोर्ट को **आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र (IDMC)** ने जारी किया।

- **आंतरिक विस्थापन** का अर्थ है, जब लोग किसी कारणवश अपने ही देश के भीतर अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। **आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति (IDP)** वे लोग होते हैं जो संघर्ष, हिंसा या आपदा के कारण अपने घर से पलायन करने को मजबूर होते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार नहीं करते हैं।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:

- **2024 के अंत में आंतरिक रूप से विस्थापित लोग (IDP):** 83.4 मिलियन। इनमें से **73.5 मिलियन लोग संघर्ष और हिंसा तथा 9.8 मिलियन आपदाओं** के कारण विस्थापित हुए।
  - **दुनिया भर में आपदा से होने वाले विस्थापन का 25%** अकेले **संयुक्त राज्य अमेरिका** में दर्ज किया गया।
- **भारत:** संघर्ष और हिंसा के कारण आंतरिक विस्थापन (1,700) तथा आपदाओं के कारण आंतरिक विस्थापन (5.4 मिलियन)।

QUIZ SMART QUIZ

विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **सामाजिक मुद्दे** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

7.1. सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं (Satellite Internet Services)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय दूरसंचार कंपनियों एयरटेल और जियो ने स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं को भारत में लाने के लिए SpaceX के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

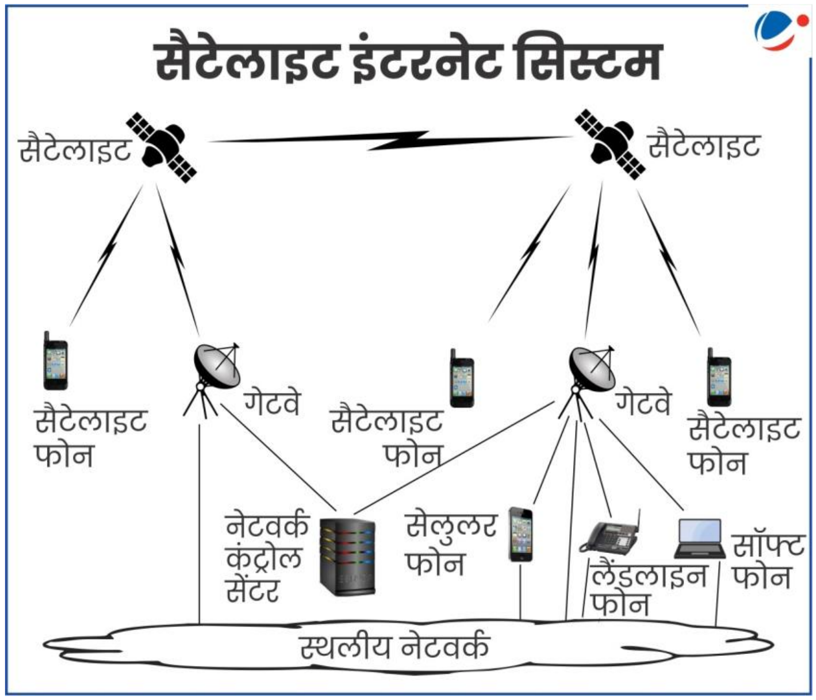

सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में

- **परिभाषा:** सैटेलाइट इंटरनेट या सैटेलाइट ब्रॉडबैंड, **पृथ्वी की परिक्रमा करने** वाली दूरसंचार सैटेलाइट्स के माध्यम से प्रदान किया जाने वाला एक **वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन** है।
- **अंतर:** यह फाइबर, केबल या DSL जैसी भूमि-आधारित इंटरनेट सेवाओं से अलग होता है। यह **डेटा ट्रांसमिट करने के लिए तारों के जाल पर निर्भर नहीं** होता।
- **अवसंरचना:** सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम अवसंरचना में आम तौर पर तीन खंड शामिल होते हैं:
    - **स्पेस सेगमेंट:** यह मुख्य रूप से **कई संचार उपग्रहों से बना** एक कॉन्स्टेलेशन सिस्टम है। यह सैटेलाइट से सिग्नल को प्राप्त करने और फॉरवर्ड करने तथा उपयोगकर्ताओं को सैटेलाइट सिग्नल की कवरेज प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है।
        - मांग के आधार पर उपग्रहों को विभिन्न प्रकार की कक्षाओं में स्थापित किया जा सकता है।
    - **ग्राउंड सेगमेंट:** इसमें उपग्रह माप और **नियंत्रण नेटवर्क, गेट-वे स्टेशन** आदि शामिल होते हैं। यह मुख्य रूप से सैटेलाइट इंटरनेट और ग्राउंड संचार नेटवर्क को आपस में जोड़ने की भूमिका निभाता है।
    - **यूजर सेगमेंट:** इसमें **उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संचार टर्मिनल** शामिल होते हैं।

विभिन्न प्रकार की कक्षाएं और सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं

	भूस्थिर भू-कक्षा (GEO)	मध्यम भू-कक्षा (MEO)	निम्न भू-कक्षा (LEO)
पृथ्वी से दूरी	लगभग 35,786 कि.मी.	लगभग 2,000 कि.मी. से 35,786 कि.मी.	लगभग 160 कि.मी. से 2,000 कि.मी.
विलंब या देरी (Latency)	मध्यम देरी	कम देरी	बहुत कम देरी
स्थापना लागत	स्थापना में बहुत अधिक लागत	मध्यम लागत	अपेक्षाकृत कम लागत
पृथ्वी का कवरेज	बहुत विस्तृत	विस्तृत	लघु
एंटीना गति	स्थिर एंटीना (वैश्विक कवरेज के लिए तीन उपग्रह)	1-घंटे धीमी ट्रैकिंग (कवरेज के लिए छह उपग्रह)	10-मिनट तेज़ ट्रैकिंग (कवरेज के लिए सैकड़ों से लेकर हजारों उपग्रहों की आवश्यकता)
उपयोग	मौसम डेटा, प्रसारण टीवी, इमेजिंग, कम गति के साथ डेटा संचार	संचार, रक्षा उद्योग में इस्तेमाल, GPS जैसी नेविगेशन प्रणालियाँ	रिमोट सेंसिंग, मानव अंतरिक्ष उड़ान, डेटा संचार
इस कक्षा का उपयोग करने वाले अभिकर्ता	जियो स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड (यह GEO और MEO उपग्रह समूह के संयोजन का उपयोग करेगा)		स्टारलिंक, वनवेब, प्रोजेक्ट कुइपर, टेलीसेट

विश्व में विभिन्न प्रमुख सैटेलाइट इंटरनेट परियोजनाएं

- **प्रोजेक्ट क्यूपर: अमेज़न** उपग्रह आधारित इंटरनेट बाजार में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। इसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर किफायती व उच्च गति वाले ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराने के लिए 3,200 से अधिक LEO उपग्रहों की तैनाती करना है।
- **स्टारलिंक:** इसे **स्पेसएक्स (SpaceX) द्वारा 2019 में लॉन्च** किया गया था। इसने निम्न भू कक्षा में 42,000 उपग्रह स्थापित करने की योजना बनाई है।
- **वनवेब:** फ्रांसीसी उपग्रह ऑपरेटर यूटेलसैट द्वारा स्थापित वनवेब वर्तमान में SpaceX के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह समूह बेड़ा है।
- **क़ियानफ़ान कॉन्स्टेलेशन: चीन द्वारा** क़ियानफ़ान नामक एक **निम्न-भू कक्षा उपग्रह इंटरनेट मेगा-कॉन्स्टेलेशन की योजना** बनाई गई है, जिसका उद्देश्य विश्वव्यापी इंटरनेट कवरेज की एक प्रणाली बनाना है।
  - इसका निर्माण **शंघाई स्पेसकॉम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी (SSST)** द्वारा किया गया था, जो शंघाई म्युनिसिपल पीपुल्स गवर्नमेंट और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा सहायता प्राप्त एक फर्म है।

सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं का महत्व

- **दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन को कम करने में सहायक:** यह अब तक कनेक्टिविटी से वंचित क्षेत्रों या सीमित कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त है।
  - भारत की 1.4 बिलियन आबादी में से लगभग 40% लोगों के पास अभी भी इंटरनेट की सुविधा नहीं है। इसमें अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हैं।
- **आपदा के दौरान कनेक्टिविटी:** इसका उपयोग आपदा के दौरान किसी **निर्माण स्थल या आपातकालीन आश्रय, जैसे- अस्थायी स्थलों पर** या **विमान, जहाज,** रेलगाड़ी और अन्य चलते-फिरते वाहनों पर किया जा सकता है।
- **डिजिटल अर्थव्यवस्था में उपयोगी:** उदाहरण के लिए, प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्थाओं, इलेक्ट्रॉनिक उपभोग, डिजिटल व्यापार और डिजिटल अवसंरचना के विकास आदि में उपयोग।
- **सामरिक स्वायत्तता:** सैटेलाइट में आकस्मिक बाधा और भू-राजनीतिक तनाव के कारण अवरुद्ध होने की संभावना कम होती है।
- **सैन्य संघर्ष: उदाहरण के लिए,** रूस-यूक्रेन संघर्ष में **स्टारलिंक सेवाओं** का उपयोग।

सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं से संबंधित मुद्दे

- **आंतरिक सुरक्षा के लिए चिंता:** पहलगाम जैसे हमले के मद्देनजर, NIA को संदेह है कि आतंकवादियों ने एक-दूसरे से तथा पाकिस्तान स्थित अपने ठिकानों से संपर्क करने के लिए **सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल** किया होगा।
- **डेटा गोपनीयता और डिजिटल संप्रभुता के मुद्दे:** जैसे कि कौन-सा डेटा एकत्र किया जा रहा है? इसे कैसे भंडारित किया जाता है और किसके पास पहुंच का अधिकार है?
- **प्रभावी नियंत्रण का अभाव:** प्राइवेट प्लेयर्स के नेतृत्व वाले सीमाहीन वैश्विक नेटवर्क और इंफॉर्मेशन स्पेस वाले इस सिस्टम ने **नियामक इकोसिस्टम के लिए चुनौतियां पेश की हैं।**
- **एकाधिकारवादी प्रवृत्तियां:** अपने व्यापक उपग्रह नेटवर्क के कारण, SpaceX द्वारा एकाधिकारवादी बाजार संरचना बनाने का जोखिम उत्पन्न होता है।
- **सैटेलाइट लेटेंसी या विलंबता:** सैटेलाइट इंटरनेट में आमतौर पर पारंपरिक वायर्ड कनेक्शन की तुलना में उच्च लेटेंसी होती है, क्योंकि डेटा को उपग्रह से आने-जाने के लिए अधिक दूरी तय करनी पड़ती है।
  - हालांकि, स्टारलिंक जैसी निम्न भू-कक्षा (LEO) प्रणालियों का लक्ष्य इस लेटेंसी को कम करना है, जिससे 25-50 मिली सेकंड की रेंज में गति प्राप्त की जा सके।
- **वायुमंडलीय परिवर्तन:** सैटेलाइट में एल्युमीनियम का उपयोग होता है, जो उपयोग के दौरान एल्युमीनियम ऑक्साइड बनाता है, जिसे एल्युमिना भी कहते हैं। एल्युमिना ओजोन क्षरण का कारण बनता है और वायुमंडल की ऊष्मा को परावर्तित करने की क्षमता को कम कर सकता है।
- **लाइसेंसिंग और स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण: VSAT लाइसेंस** के लिए जटिल वार्ता और अंतर-मंत्रालयी परामर्श की आवश्यकता होती है।
  - विशेषकर Ku और Ka बैंड के लिए, **स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण** और शर्तों पर **वार्ता चल रही है।**
- **अन्य मुद्दे:** मौसम सैटेलाइट इंटरनेट को प्रभावित कर सकता है। इसकी तैनाती और संचालन से जुड़ी उच्च लागत, **अंतरिक्ष मलबे** में वृद्धि, खगोलीय हस्तक्षेप आदि अन्य मुद्दे हैं।

आगे की राह

* **पायलट प्रोग्राम:** दूरदराज के क्षेत्रों, जैसे- ऑयल फील्ड्स या रेगिस्तानी समुदायों में इसकी उपयोगिता प्रदर्शित कर सकते हैं और जनता का विश्वास बना सकते हैं।
* **व्यापक नियामक फ्रेमवर्क:** भारत को **लाइसेंसिंग, डेटा गवर्नेंस और स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए स्पष्ट नीतियां बनानी चाहिए।**
* **निजी ऑपरेटरों के साथ सहयोग करना: टैक्स में छूट और ग्रांट** जैसी प्रोत्साहन योजनाओं से निजी क्षेत्रक को बढ़ावा मिलेगा और यह राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक उद्देश्यों से मेल खाएगा।
* **हाइब्रिड मॉडल:** सैटेलाइट और टेरेस्ट्रियल नेटवर्क का मिश्रण करके **हाइब्रिड मॉडल के जरिए अधिकतम दक्षता** हासिल की जा सकती है।
* **अन्य:** ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों को एकीकृत करने को प्राथमिकता देना, मजबूत क्षेत्रीय और कूटनीतिक पहल आदि।

संबंधित सुर्खियां:

दूरसंचार विभाग (DoT) ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के लिए **ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट (GMPCS) प्राधिकरण** हेतु यूनिफाइड लाइसेंस (UL) में संशोधन के माध्यम से सुरक्षा निर्देश जारी किए।

संशोधनों के माध्यम से प्रमुख सुरक्षा निर्देश

* **सुरक्षा मंजूरी:** लाइसेंसधारक को भारत में विशेष गेटवे/ हब लोकेशन के लिए मंजूरी लेनी होगी और निगरानी/ इंटरसेप्शन सुविधाओं का पालन करना होगा।
* **निगरानी और वैध इंटरसेप्शन:** लाइसेंसधारक को निगरानी समेत सुरक्षा प्रावधानों को पूरा करना होगा और इसके लिए सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम (CMS) स्थापित होगा।
* **प्रतिबंध: विशेष रूप से युद्ध या आपात स्थिति में,** लाइसेंसधारक के पास किसी उपभोक्ता या भौगोलिक क्षेत्र में सेवा रोकने या बंद करने की क्षमता होनी चाहिए।
* **विशेष निगरानी क्षेत्र (SMZs):** अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से 50 कि.मी. के भीतर और विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में 200 समुद्री मील तक के क्षेत्रों को SMZ घोषित किया जाएगा, जहाँ गतिविधियों की निगरानी होगी।
* **जियो-फेंस्ड कवरेज:** यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी यूज़र टर्मिनल भारत से बाहर स्थित गेटवे या जियो-फेंस क्षेत्र के बाहर से नेटवर्क एक्सेस न कर सके।
* **NavIC आधारित पोजिशनिंग सिस्टम:** लाइसेंसधारक को 2029 तक समयबद्ध तरीके से NavIC सिस्टम को अपने यूजर टर्मिनल में लागू करने की योजना बनानी होगी।
* **डेटा सेंटर:** लाइसेंसधारक को यह सुनिश्चित करना होगा कि डेटा सेंटर भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर स्थित हो।

7.2. डीपफेक (Deepfakes)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने नुकसान पहुंचाने वाले ऑनलाइन डीपफेक से निपटने के लिए **"टेक इट डाउन एक्ट"** कानून बनाया है।

डीपफेक क्या है?

* **परिचय:** डीपफेक एक **वीडियो, फोटो** या **ऑडियो रिकॉर्डिंग** होती है जो वास्तविक प्रतीत होती है लेकिन इसे **AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की मदद से हेरफेर** करके बनाया गया होता है। इससे **वास्तविक** और **नकली कंटेंट** के बीच अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है।
* **तकनीक:** डीपफेक वीडियो बनाने के लिए **डीप लर्निंग तकनीकों** का उपयोग किया जाता है।
    * डीप लर्निंग, **मशीन लर्निंग** का ही एक **सब-सेट** है, और खुद मशीन लर्निंग **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सब-सेट** है।
    * इस तकनीक में किसी व्यक्ति की मूल इमेज या वीडियो लेकर उसके **चेहरे बदलना, चेहरे के भावों में हेरफेर करना, कहे गए कथनों में बदलाव करना**, या लोगों को **ऐसे कार्य करते या कहते हुए दिखाना शामिल है जो वास्तव में नहीं किए गए हैं।**
* **डीपफेक के संभावित उपयोग:**
    * **मनोरंजन** जगत में (फिल्मों में क्रिएटिव इफ़ेक्ट लाने के लिए);
    * **ई-कॉमर्स** में (ग्राहक कपड़ों को वर्चुअली आजमाकर पसंद कर सकते हैं);
    * **संचार में** (दूसरी भाषा में बोलने के लिए स्पीच सिंथेसिस का इस्तेमाल यानी टेक्स्ट को बोले जाने वाली भाषा में बदलना), आदि।

- **डीपफेक का विनियमन:**
    - **भारत में विनियमन:** भारत में **डीपफेक और AI से जुड़े अपराधों** के लिए कोई **विशेष कानून** नहीं हैं। हालांकि कुछ मौजूदा कानूनों के तहत सिविल और आपराधिक मामले दर्ज किए जा सकते हैं।
    - **विश्व में कानून और नियम :**
        - **यूरोपीय संघ का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट (AI Act)** भरोसेमंद AI सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
        - **इटली:** इटली के **संविधान** और **सिविल कोड,** दोनों ही किसी व्यक्ति के नाम, इमेज, आवाज के अनाधिकृत उपयोग को प्रतिबंधित करते हैं।
        - सितंबर 2024 तक **संयुक्त राज्य अमेरिका के 23 राज्यों** ने डीपफेक के विनियमन से संबंधित कानून बनाए हैं। अन्य देशों में भी इसी तरह के कानून बनाए गए हैं।

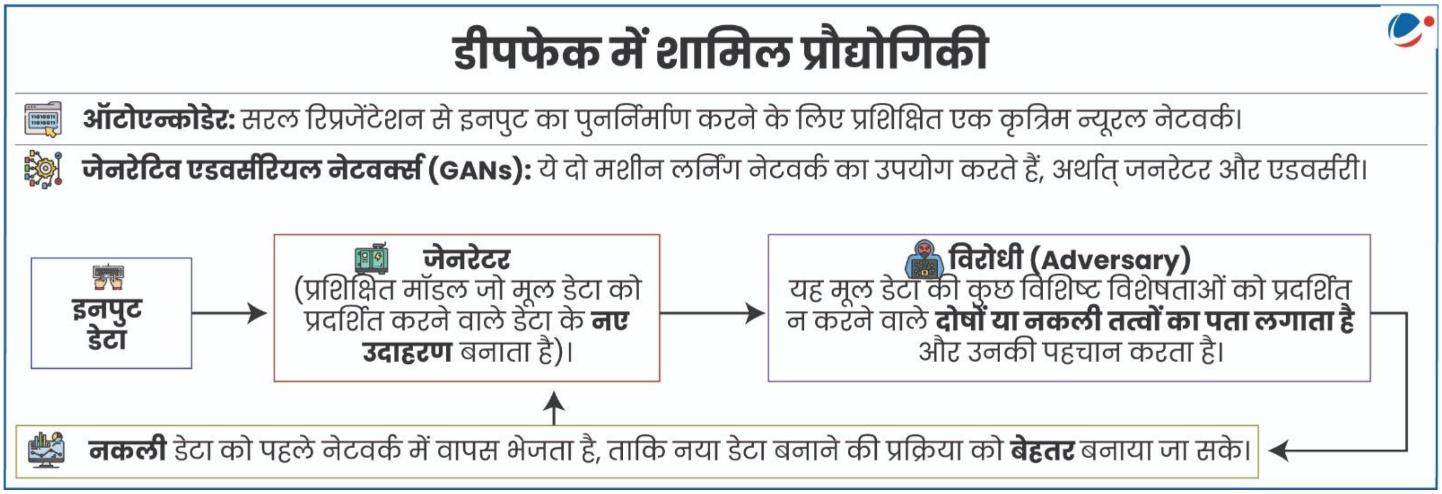

डीपफेक से जुड़ी चिंताएं

- **राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा:** डीपफेक की मदद से बनाए गए फर्जी वीडियो हिंसा भड़का सकते हैं, जांच को बाधित कर सकते हैं या आरोपी झूठे बहाने बनाकर दोषसिद्धि से बच सकता है।
- **लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास कम होना:** फर्जी राजनीतिक कंटेंट जनता को गुमराह कर सकते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
- **महिलाओं का शोषण:** 2018 के बाद से लगभग **90-95% डीपफेक वीडियो** मुख्य रूप से बिना-सहमति वाली पोर्नोग्राफी (सहमति लिए बिना किसी महिला की इमेज या वीडियो को किसी अन्य इमेज या वीडियो में जोड़ना) से संबंधित थे।
- **साइबर बुलिंग:** जब अफवाहों को फर्जी इमेज या वीडियो के साथ जोड़कर प्रसारित किया जाता है, तो वे तेजी से फैल सकती हैं, जिससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है।
- **पहचान की चोरी:** डीपफेक के जरिए **फर्जी पहचान वाले डाक्यूमेंट्स** बनाकर साइबर अपराधी किसी अन्य व्यक्ति की जगह खुद को पेश कर सकता है या उस व्यक्ति के सिक्योर सिस्टम्स को एक्सेस कर सकता है।
- **जागरूकता की कमी:** डीपफेक वीडियो का पता चलने के बाद भी, लोगों में जागरूकता की कमी के कारण **गलत सूचनाओं** के प्रसार को रोकना मुश्किल हो जाता है। लोग अक्सर फर्जी कंटेंट को सच मान लेते हैं।
- **डीपफेक से निपटने में अधिक निवेश की जरूरत: विशाल मात्रा वाले डेटासेट से निपटने के लिए अधिक निवेश आवश्यक है और** इमेज या वीडियो के पीछे के सच का पता लगाने के लिए एडवांस्ड **कंप्यूटेशन रिसोर्सेज** का इस्तेमाल करना पड़ता है।

डीपफेक से निपटने के लिए भारत में की गई पहलें

कानूनी प्रावधान

- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act):** यह अधिनियम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल का उपयोग करके उत्पन्न कंटेंट पर भी लागू होता है।
- **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (IT Rules, 2021):** ये नियम **साइबर स्पेस** पर उत्पन्न होते नए मामलों का समाधान करते हैं।
    - इसके तहत, **शिकायत के समाधान के लिए अपीलीय समितियों** के गठन का प्रावधान किया गया है। इससे यूजर्स और पीड़ितों को ऑनलाइन अपील करने की सुविधा मिलती है।

संस्थाओं की स्थापना

- **इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In):** CERT-In ने डीपफेक से जुड़े खतरों पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं और ऑनलाइन सुरक्षित रहने के उपायों का सुझाव दिया है।
    - यह **साइबर स्वच्छता केंद्र** (बॉटनेट क्लीनिंग और मैलवेयर अनलिस्टिक्स सेंटर) का संचालन करता है।
    - यह **कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम-फाइनेंस सेक्टर (CSIRT-Fin)** के लिए नेतृत्व प्रदान करता है।
- **इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C):** यह साइबर-अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटता है।
- **राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल:** इसके तहत एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 चालू किया गया है, जहां लोग साइबर अपराधों की रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं।

डीपफेक से जुड़ी चिंताओं को दूर करने की आगे की राह

- **नियम-कानून में सुधार करना:** AI से वास्तविक दुनिया के खतरों को देखते हुए प्रभावी एवं स्पष्ट कानून और नियम बनाने की आवश्यकता है। हमारा ध्यान किसी घटना के बाद कार्रवाई करने की बजाय, उस घटना को घटित होने से रोकने पर होना चाहिए। भारत के मौजूदा IT नियम नुकसान होने के बाद ही कार्यवाही करते हैं, और शिकायत दर्ज करने का दायित्व पीड़ितों पर ही आ जाता है। इस सोच और व्यवस्था में बदलाव करने की जरूरत है।
- **संस्थाओं को मजबूत बनाना:** लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और AI के दुरुपयोग को कम करने के लिए संस्थाओं का सशक्त होना जरूरी है तथा इनके लिए स्पष्ट सुरक्षा मानक तय करने की भी आवश्यकता है।
- **आधुनिक तकनीकों को अपनाना:** हमें ऐसे उत्कृष्ट **एल्गोरिदम** बनाने होंगे जिनमें नए तरीके भी शामिल हों, जो डीपफेक को उनके **कॉन्टेक्स्ट, मेटाडेटा या दूसरे तथ्यों** के आधार पर पहचान कर सकें।
    - उदाहरण के लिए, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) ने **"डिटेक्ट फेक्स" (Detect Fakes)** नाम की एक वेबसाइट बनाई है। यह लोगों को **छोटी-छोटी बारीकियों पर ध्यान देकर** डीपफेक पहचानने में मदद करती है।
- **साइबर जगत के बारे में साक्षरता बढ़ाना:** हमें **मीडिया साक्षरता (मीडिया/सोशल मीडिया पर उपलब्ध मैसेज की सचाई की पहचान)** और **क्रिटिकल थिंकिंग** को **बढ़ावा देना** चाहिए, जिसमें **डिजिटल माध्यम पर भरोसे** को बढ़ाना भी शामिल किया जाए। इससे सभी लोगों के हितों की रक्षा होगी तथा **समाज की अपेक्षाओं और मूल्यों को बनाए रखा** जा सकेगा।
- **सभी हितधारकों का सहयोग:** पुलिस, न्यायिक अधिकारी जैसे सभी हितधारकों के सुझावों को शामिल करके **स्पष्ट प्रक्रिया वाले नियम और प्रभावी दंड** संबंधी प्रावधान लागू करने की आवश्यकता है।

7.3. जीन एडिटिंग (Gene Editing)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राज्य अमेरिका की एक शोध टीम ने **एक जानलेवा व लाइलाज आनुवंशिक बीमारी से पीड़ित एक शिशु के इलाज के लिए एक व्यक्तिपरक जीन एडिटिंग थेरेपी** विकसित की है और इसे सफलतापूर्वक लागू किया है। यह थेरेपी अब तक लाइलाज मानी जाने वाली इस स्थिति के उपचार में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

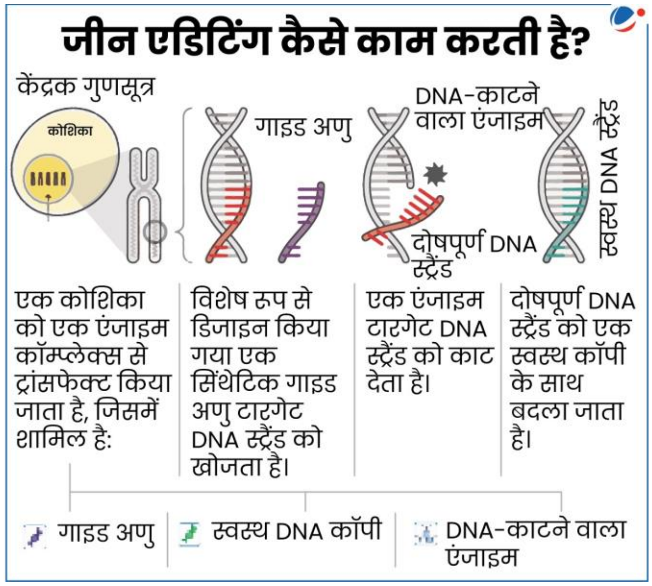

अन्य संबंधित तथ्य

- शिशु को **कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेस 1 (CPS-1) की कमी** नामक **आनुवंशिक उपापचय संबंधी विकार (metabolic disorder)** से पीड़ित पाया गया था।
  - CPS-1 की कमी तब होती है, जब **प्रोटीन के उपापचय (मेटाबॉलिज्म) से निकलने वाले उप-उत्पाद लिवर में पूरी तरह से नहीं टूट पाते** हैं। इससे शरीर में **अमोनिया विषाक्त स्तर तक बढ़ जाता है।**
  - **यह मस्तिष्क और लिवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है।** बच्चे के **लिवर प्रत्यारोपण (ट्रांसप्लांट) के लिए पर्याप्त उम्र का होने तक कम प्रोटीन वाला आहार लेना** ही इसका इलाज है।
- शोधकर्ताओं की टीम ने **CRISPR नामक जीन-एडिटिंग तकनीक** का उपयोग करके एक विशेष थेरेपी तैयार की। जिसने बच्चे के **लिवर की कोशिकाओं में उस विशिष्ट जीन उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) को ठीक करने** में मदद की जिसके कारण यह विकार उत्पन्न हुआ था।

जीन एडिटिंग के बारे में

- **जीन एडिटिंग** एक ऐसी तकनीक है जो **DNA अनुक्रम (sequence)** को **एक या अधिक स्थानों पर बदल** सकती है।
- इसमें किसी **एक क्षारक (Base) को हटाना, बदलना** या एक नया जीन डालना शामिल हो सकता है।
  - यह प्रक्रिया **तीन मुख्य चरणों** में संपन्न होती है:
    - **नए जीन को शामिल करना (insertion)**
    - **किसी जीन को हटाना (deletion)**
    - **किसी जीन को रूपांतरित करना (modification)**

जीन एडिटिंग के प्रकार

- **सोमैटिक जीनोम एडिटिंग:** यह उन कोशिकाओं में बदलाव करता है जो **युग्मक/ गैमेट्स (शुक्राणु या अंडाणु)** नहीं बनाती हैं। इसलिए ये **आगामी पीढ़ियों तक नहीं पहुंच पाती हैं।**
  - **लक्षित कोशिकाएं:** गैर-जनन कोशिकाएं, जैसे- **त्वचा, यकृत, गुर्दा, मांसपेशियों की कोशिकाएं आदि।**
- **जर्मलाइन जीनोम एडिटिंग:** यह **जनन कोशिकाओं या भ्रूण में आनुवांशिक परिवर्तन** करता है। इसके प्रभाव **आने वाली पीढ़ियों तक** पहुंच सकते हैं।
  - **लक्षित कोशिकाएं:** जनन कोशिकाएं, जैसे- **जर्मलाइन कोशिकाएं, भ्रूण या युग्मक उत्पादक कोशिकाएं।**

जीन एडिटिंग के लिए प्रयुक्त तकनीकें

विशेषता	ZFNs (जिंक फिंगर न्यूक्लिएसिस)	TALENs (ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर-लाइक इफ़ेक्टर न्यूक्लिएसेस)	CRISPR-Cas9
घटक	जिंक फिंगर प्रोटीन (लक्ष्यीकरण) + FokI एंजाइम (कटिंग)	TALE प्रोटीन (लक्ष्यीकरण) + FokI एंजाइम (कटिंग)	गाइडिंग RNA अणु + Cas9 एंजाइम (कटिंग)
कार्य	जिंक फिंगर प्रोटीन विशिष्ट DNA अनुक्रमों को बांधता है; FokI DNA को काटता है	TALE प्रोटीन विशिष्ट DNA अनुक्रमों को बांधते हैं; FokI DNA को काटता है	विशिष्ट DNA के अंशों को काटने के लिए RNA Cas9 का गाइड करता है
उद्देश्य	DNA के सटीक अंशों को काटता है	DNA के सटीक अंशों को काटता है	उच्च परिशुद्धता के साथ जीन में सम्मिलन, विलोपन या संशोधन करता है

मूल स्रोत	जिंक फिंगर प्रोटीन	पौधों के जीवाणुओं से प्राप्त TALE प्रोटीन	वायरस के विरुद्ध जीवाणु प्रतिरक्षा प्रणाली
मुख्य विशेषता	"जीनोम एडिटिंग" न्यूक्लिएसिस में से पहला	ZFN की तुलना में डिजाइन और प्रोग्राम करना आसान	तेज़, किफायती, अधिक सटीक तथा उपयोग में आसान

जीन-एडिटिंग से जुड़ी चुनौतियां

नैतिक चिंताएं

- **भ्रूण अनुसंधान में नैतिकता:** कई लोगों की **गहरी नैतिक या धार्मिक मान्यता है** कि मानव **भ्रूण जीवन का एक रूप है,** जिसे संरक्षण मिलना चाहिए।
    - इस दृष्टिकोण से, अनुसंधान जैसे उद्देश्यों के लिए भ्रूणों का उपयोग करना नैतिक रूप से ग़लत या यहां तक कि नैतिक रूप से अस्वीकार्य है। इसमें भ्रूणों में **बदलाव करना, उन पर प्रयोग करना या अंततः उन्हें नष्ट करना भी** अस्वीकार्य है।
- **सहमति का अभाव:** जर्मलाइन थेरेपी से भ्रूण और भावी पीढ़ियां प्रभावित होती हैं, जो स्वयं सहमति नहीं दे सकती हैं। ऐसे में इस बात पर बहस चल रही है कि क्या **जर्मलाइन थेरेपी के लिए वास्तव में सहमति संभव है?**
- **न्याय और समानता:** कई नई प्रौद्योगिकियों की तरह, **इस बात की भी चिंता है कि जीनोम एडिटिंग केवल धनी व्यक्तियों के लिए ही सुलभ** होगा। इससे स्वास्थ्य देखभाल संबंधी असमानताएं बढ़ सकती हैं।

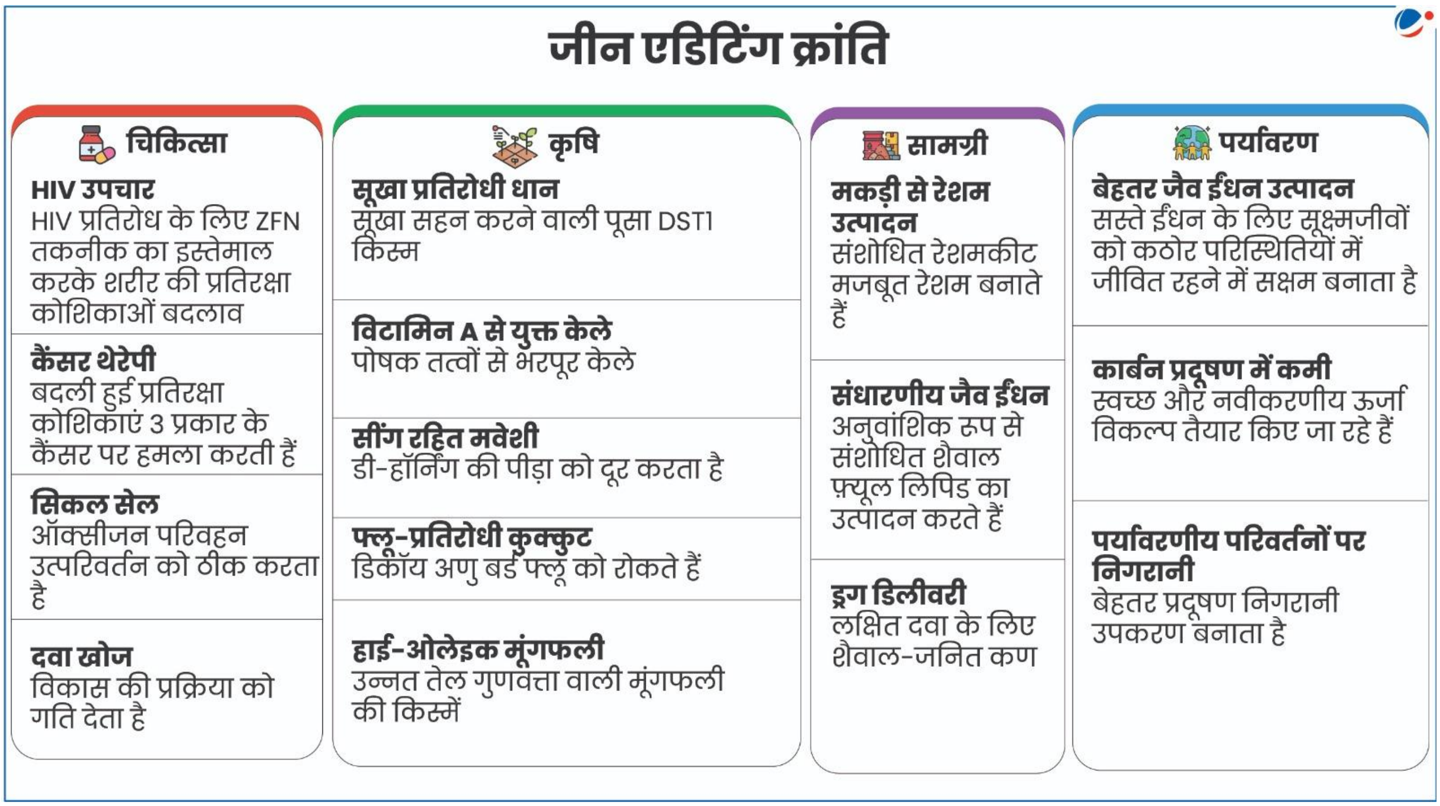

सुरक्षा संबंधी चिंताएं

- **सुरक्षा संबंधी मुद्दे:** सबसे बड़ी चिंता यह है कि जीन एडिटिंग प्रक्रिया के दौरान अनचाहे स्थानों पर भी बदलाव (ऑफ-टार्गेट इफेक्ट्स) हो सकते हैं। इसके अलावा, मोजैकिज्म की समस्या भी है, जिसमें केवल कुछ कोशिकाओं में ही एडिटिंग सफल होता है, जबकि बाकी कोशिकाएं बिना बदलाव के रह जाती हैं। ये दोनों ही कारक जीन एडिटिंग की सुरक्षा और प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हैं।
    - इन जोखिमों के कारण, शोधकर्ता और नैतिकतावादी आम तौर पर **इस बात पर सहमत हैं कि प्रजनन प्रयोजनों के लिए जर्मलाइन जीनोम एडिटिंग का चिकित्सकीय उपयोग तब तक नहीं किया जाना चाहिए** जब तक कि यह सुरक्षित साबित न हो जाए।
- **विनियामक असंगतता:** विशेषज्ञों को डर है कि **जीन एडिटिंग पर अलग-अलग वैश्विक विनियमनों के कारण डिजाइनर बेबी जैसे विवादास्पद उपयोगों को बढ़ावा मिल सकता है।**

 ©Vision IAS

शब्दावली को जानें

- **डीऑक्सी-राइबोन्यूक्लिक एसिड (DNA):** यह मनुष्यों और सभी सजीवों में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है।
- **युग्मक (Gamete):** यह परिपक्व प्रजनन या लैंगिक कोशिका है, जिसमें गुणसूत्रों की अगुणित संख्या (अर्थात, आनुवंशिक सामग्री का 50% या असमान गुणसूत्रों का केवल एक सेट) होती है। यह एक अन्य अगुणित प्रजनन कोशिका के साथ मिलकर द्विगुणित युग्मनज (Zygote) बनाने में सक्षम होती है।
- **गुणसूत्र (Chromosome):** यह निकटता से कुंडलित DNA का एक संग्रह है। ये हमारे शरीर की लगभग हर कोशिका के नाभिक में स्थित होते हैं।
- **भ्रूण (Embryo):** यह एक बहुकोशिकीय जीव के विकास की प्रारंभिक अवस्था है। यह निषेचन से लेकर गर्भस्थ शिशु (Fetus) बनने तक की अवस्था होती है।
- **जीन:** जीन DNA की मूलभूत इकाई है, जो न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में सभी आनुवंशिक जानकारी को एनकोड करती है।
- **जीनोम:** एक कोशिका में मौजूद DNA के पूरे सेट को जीनोम कहा जाता है।

निष्कर्ष

जीन एडिटिंग तकनीकें लाइलाज **आनुवंशिक बीमारियों के इलाज, कृषि में सुधार और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान** करने की क्रांतिकारी क्षमता प्रदान करती हैं। हालांकि, इस लक्ष्य को साकार करने के लिए **सुरक्षा, समानता और सहमति के इर्द-गिर्द नैतिक चिंताओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने** की आवश्यकता है। विशेषकर जर्मलाइन एडिटिंग के संदर्भ में विचार करने की आवश्यकता है, जो भविष्य की पीढ़ियों को प्रभावित करता है।

7.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

7.4.1. PSLV रॉकेट में तकनीकी खराबी के कारण इसरो का 101वां मिशन विफल हुआ (ISRO'S 101st Mission Fails as PSLV Rocket Suffers Malfunction)

इसरो (ISRO) का **"PSLV-C61/EOS-09"** मिशन, **PSLV रॉकेट के तीसरे चरण में तकनीकी खराबी के कारण** विफल हो गया। यह **63वां PSLV मिशन** था।

- अपनी **प्रथम उड़ान से लेकर अब तक,** ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV) केवल दो बार विफल हुआ है; **पहली बार 1993 की प्रथम उड़ान में और दूसरी बार 2017** में।

PSLV-C61/EOS-09 मिशन के बारे में

- PSLV-C61 का उद्देश्य **EOS-09 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट-09** को **सूर्य-तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा (SSPO) में स्थापित** करना था।
    - इसे **श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से प्रक्षेपित** किया गया था।
- **EOS-09** पृथ्वी का पर्यवेक्षण करने वाला अत्याधुनिक सैटेलाइट है। यह **C-बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) तकनीक** से युक्त है।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य अलग-अलग क्षेत्रकों में उपयोग के लिए निरंतर और विश्वसनीय **रिमोट सेंसिंग डेटा** प्रदान करना है।
    - यह सैटेलाइट **किसी भी मौसम में और दिन या रात में, पृथ्वी की सतह की हाई-रिज़ॉल्यूशन वाली तस्वीरें** लेने में सक्षम है।

PSLV के बारे में

- यह ISRO द्वारा विकसित भारत का **थर्ड जनरेशन प्रक्षेपण यान** है।
- यह **चार चरणों वाला रॉकेट** है। साथ ही, यह भारत का **पहला प्रक्षेपण यान** भी है, जिसमें **तरल ईंधन चरण** शामिल हैं।
- इसका **पहला सफल प्रक्षेपण अक्टूबर 1994 में** हुआ था। तब से इसकी लगातार सफलता के कारण इसे **"ISRO का वर्कहॉर्स"** कहा जाने लगा।
- यह **पृथ्वी की निम्न कक्षा (LEO)**, **भू-तुल्यकालिक कक्षा (Geosynchronous)** और **भूस्थिर (Geostationary) कक्षा** में उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में सक्षम है।
- इसने **चंद्रयान-1 (2008) और मंगलयान (2013) जैसे प्रमुख मिशनों को भी** सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है।

7.4.2. विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA) ने औपचारिक रूप से दुनिया का पहला 'महामारी समझौता' अपनाया {World Health Assembly (WHA) Adopted World's First Pandemic Agreement}

यह विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के संविधान के **अनुच्छेद 19** के तहत किया गया दूसरा अंतर्राष्ट्रीय कानूनी समझौता है। गौरतलब है कि **पहला अंतर्राष्ट्रीय कानूनी समझौता WHO तम्बाकू नियंत्रण पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन, 2003 है।**

- **अनुच्छेद 19** के अनुसार, WHA के पास **दो-तिहाई मत** के साथ अपनी क्षमता के भीतर किसी भी मामले पर अभिसमय/ समझौते को अपनाने का अधिकार है।

इस समझौते के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR), 2005** के अनुसार इसका उद्देश्य **वैश्विक महामारी की रोकथाम और निगरानी को मजबूत** करना।
  - IHR का उद्देश्य **रोग के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार को रोकना, उसे नियंत्रित करना और लोक स्वास्थ्य की दिशा में कार्रवाई** करना है।
- **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क:** अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लोक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान **महामारी से निपटने से संबंधित स्वास्थ्य उत्पादों की सुलभता** सुनिश्चित करना।
- **संधारणीय वित्त-पोषण:** IHR के अंतर्गत **समन्वयकारी वित्तीय तंत्र का उपयोग इसके कार्यान्वयन** के लिए किया जाएगा।
- **पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (PABS) प्रणाली:** इस संबंध में एक **अंतर-सरकारी कार्य समूह (IGWG)** के माध्यम से PABS का मसौदा तैयार करने और उस पर वार्ता करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
  - इस प्रक्रिया के **परिणाम पर अगले वर्ष की WHA में विचार** किया जाएगा।
  - PABS का कार्य **महामारी की स्थिति उत्पन्न करने वाले संभावित रोगजनकों से जुडे नमूनों और अनुक्रम जानकारी को तेजी से एवं समय पर साझा** करना है।
  - PABS में भाग लेने वाले **दवा विनिर्माता** WHO को अपने टीकों, उपचार और डायग्नोस्टिक किट के उत्पादन के **20% तक तुरंत पहुंच** उपलब्ध कराएंगे।
- **प्रवर्तन:** एक बार जब **PABS को अपना** लिया जाएगा, तो यह समझौता देशों के समक्ष **हस्ताक्षर और अनुसमर्थन** के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।
  - यह समझौता **60 देशों द्वारा अनुसमर्थन** के बाद लागू किया जाएगा।

7.4.3. विश्व की पहली 'पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट' जारी की गई (The 1st State of The World's Animal Health Report)

यह रिपोर्ट **विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH)** द्वारा जारी की गई है। यह विश्व में पशुओं के स्वास्थ्य की स्थिति पर पहली व्यापक वैश्विक रिपोर्ट है।

- **विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) का मुख्यालय पेरिस** में है। इसकी स्थापना **1924** में **ऑफिस इंटरनेशनल देस एपिज़ूटीज़**[56] के रूप में हुई थी। इसे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) नाम **2003** में दिया गया था।
- यह संगठन **पशु संबंधी रोगों की जानकारी पारदर्शी रूप से साझा** करता है और **पशु स्वास्थ्य सुधारने** के लिए कार्य करता है ताकि एक **सुरक्षित, स्वस्थ और संधारणीय विश्व बना** रह सके।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **रोग पैटर्न में बदलाव:** अब संक्रामक पशु रोग **नए भौगोलिक क्षेत्रों में फैल** रहे हैं। इनमें से लगभग **47% रोग ऐसे हैं, जो पशुओं से इंसानों में फैल** सकते हैं। इन्हें **जूनोटिक यानी पशुजन्य रोग** कहा जाता है।
  - **उदाहरण के लिए- पेस्टे डेस पेटीट्स रूमिनेंट्स भेड़ और बकरियों को प्रभावित** करता है। यह रोग पारंपरिक रूप से **विकासशील देशों तक ही सीमित** था, अब इसका प्रसार **यूरोप** में भी देखा गया है।
- **रोग की बढ़ती तीव्रता: अफ़्रीकी स्वाइन फीवर, एवियन इन्फ्लूएंजा और खुरपका-मुंहपका** जैसी बीमारियों की आवृत्ति एवं तीव्रता बढ़ रही है। इससे कृषि खाद्य प्रणालियों को नुकसान होता है तथा **खाद्य सुरक्षा, लोक स्वास्थ्य और जैव विविधता पर भी नकारात्मक असर** पड़ता है।
- **रोग फैलने के कारक:** इसमें **जलवायु परिवर्तन और वैश्विक व्यापार का विस्तार** प्रमुख कारकों में से एक है।
- **रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस/ AMR):** अनुमान है कि 2050 तक AMR के कारण पशुधन की भारी हानि होगी। इससे **2 बिलियन लोगों की खाद्य सुरक्षा खतरे** में पड़ जाएगी और परिणामस्वरूप **100 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान** भी होगा।
- **रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें:**
  - बेहतर स्वच्छता और जैव सुरक्षा उपायों जैसे अन्य नियंत्रण उपायों के साथ-साथ **सुरक्षित व प्रभावी टीकों की सामान उपलब्धता** सुनिश्चित करनी चाहिए।
  - राष्ट्रीय पशु चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने, वैश्विक एवं क्षेत्रीय स्तर पर समन्वय बढ़ाने, रोग निगरानी प्रणाली में सुधार आदि के लिए निवेश को बढ़ावा देना चाहिए।

7.4.4. ट्रेकोमा (Trachoma)

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने **भारत को ट्रेकोमा को लोक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने के लिए प्रमाण-पत्र** प्रदान किया।

- **दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र में भारत तीसरा देश** बन गया है, जिसने **ट्रेकोमा का उन्मूलन** किया है। अन्य दो देश **नेपाल और म्यांमार** हैं।

ट्रेकोमा के बारे में

- **कारण:** यह **क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक बैक्टीरिया** से होने वाला **नेत्र रोग** है।
  - इसे WHO ने **उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग** की सूची में शामिल किया हुआ है।
- **प्रभाव:** यह **आजीवन दृष्टिहीनता का कारण** बन सकता है।
  - **बार-बार संक्रमण होने पर पलकें अंदर की ओर मुड़** जाती हैं, जिससे **पलकों की बरौनियाँ** (Eyelashes) आँख की सतह को रगड़ती हैं। यह **स्थायी रूप से कॉर्नियल क्षति** का कारण बन सकता है।
- **संक्रमण का माध्यम:** यह रोग **संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से या मक्खियों के माध्यम** से फैलता है।
- **भारत की पहलें:** भारत में **1976 में ट्रेकोमा नियंत्रण कार्यक्रम को राष्ट्रीय दृष्टिहीनता और दृश्य क्षति नियंत्रण कार्यक्रम (NPCBVI) के तहत एकीकृत** किया गया था।

[56] Office International des Epizooties

7.4.5. तरल कार्बन (Liquid Carbon)

वैज्ञानिकों ने **पहली बार इन-सीटू एक्स-रे विवर्तन का उपयोग करके तरल कार्बन की संरचना का अध्ययन** किया।

तरल कार्बन के बारे में

- अब तक **तरल अवस्था में कार्बन के बारे में बहुत कम जानकारी** थी, क्योंकि इस रूप में इसका प्रयोगशाला में अध्ययन करना व्यावहारिक रूप से लगभग असंभव था।
    - सामान्य दबाव में **कार्बन द्रवित नहीं** होता है, बल्कि तुरंत **गैसीय अवस्था में परिवर्तित** हो जाता है।
    - यह **4,500°C के आसपास और बहुत उच्च दबाव** की स्थिति में तरल अवस्था में तब्दील होता है। ऐसी स्थिति में कोई भी कंटेनर टिक नहीं सकता है।
- उदाहरण के लिए- इसे **ग्रहों के आंतरिक भाग** में पाया जा सकता है।
- यह **परमाणु संलयन जैसी भविष्य की प्रौद्योगिकियों** में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

8. संस्कृति (Culture)

8.1. सुश्रुत और चरक (Sushruta and Charaka)

सुर्ख़ियों में क्यों

हाल ही में, उपराष्ट्रपति ने **गोवा के राजभवन में आयुर्वेद के महान चिकित्सकों चरक और सुश्रुत की प्रतिमाओं का अनावरण** किया। इस अवसर पर उन्होंने इनके जीवन और योगदान से **प्रेरणा लेने की आवश्यकता** का भी उल्लेख किया।

सुश्रुत के बारे में

- यह मान्यता है कि उनका जन्म **प्राचीन नगरी काशी में लगभग 600 ईसा पूर्व** में हुआ था।
- वे **धन्वंतरि के गुरुकुल में दिवोदास** के शिष्य माने जाते हैं।

सुश्रुत के महत्वपूर्ण योगदान:

- **सुश्रुत संहिता की रचना:**
  - यह ग्रंथ **दो खण्डों** विभाजित है। इसका मूल भाग (तंत्र) **पूर्वार्द्ध कहलाता है, जिसमें पांच खंड** हैं। दूसरा आधा भाग **उत्तरतंत्र है, जिसे बाद में जोड़ा** गया था।
  - यह **आयुर्वेदिक चिकित्सा की महान त्रयी यानी तीन महान ग्रंथों** में से एक है। इसके अलावा, अन्य दो ग्रंथों में **महर्षि चरक** द्वारा रचित **'चरक संहिता'** और **महर्षि वाग्भट्ट** द्वारा रचित **'अष्टांग हृदय'** हैं।
- **सुश्रुत "शल्य चिकित्सा के जनक" माने जाते हैं:**
  - **सुश्रुत संहिता में आठ प्रकार की शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है: भेद्य** (काटना), **छेद्य** (छेदना), **लेख्य** (घाव को खरोंचना), **वेध्या** (छेद करना), **एष्य** (खोजना), **अहर्य** (निष्कर्षण), **वस्रय** (रक्त या द्रव निकालना) और **सिव्य** (टांके लगाना) शामिल हैं।
- **मानव शरीर रचना विज्ञान के प्रथम अध्ययनकर्ताओं में से एक:** उन्होंने सुश्रुत संहिता में मानव शरीर रचना विज्ञान (ह्यूमन एनाटोमी) के अध्ययन का विस्तार से वर्णन किया है। इसके लिए उन्होंने मृत शरीर (शव) का इस्तेमाल किया है।
- **"प्लास्टिक सर्जरी के जनक":** सुश्रुत ने गाल की त्वचा का उपयोग करके नाक की सर्जरी की थी। कटे हुए कान की लोब की मरम्मत की थी। कानों में छेद करने की सुरक्षित विधि विकसित की थी । कटे हुए होठों को ठीक किया था और घाव या जलने की वजह से खराब हुई त्वचा की जगह नई त्वचा का प्रत्यारोपण किया था।
- **चिकित्सा नैतिकता:** उन्होंने **बनारस विश्वविद्यालय में चिकित्सा शिक्षक के रूप में चिकित्सकीय नैतिकता के मूल नियम** स्थापित किए थे।

चरक के बारे में:

- ऐसा माना जाता है कि वे **दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और दूसरी शताब्दी ईसवी** के बीच **उत्तर पश्चिमी भारत** में रहते थे।
- वे **कुषाण साम्राज्य के राजवैद्य** थे। उन्हें **"भारतीय चिकित्सा का जनक"** माना जाता है।

चरक के महत्वपूर्ण योगदान:

- **चरक संहिता की रचना:**
  - चरक संहिता का स्रोत **अग्निवेश तंत्र** माना जाता है, जिसकी रचना **अग्निवेश** ने की थी।
  - यह ग्रंथ **आठ भागों** में विभाजित है, जिन्हें **अष्टांग स्थान** कहा जाता है।
  - यह एक व्यापक ग्रंथ है, जिसे **आयुर्वेदिक चिकित्सा के मूल ग्रंथों** में से एक माना जाता है।
  - इसमें **औषधीय पादपों तथा उनके चिकित्सीय गुणों** का विस्तार से वर्णन किया गया है।
- **आचार्य चरक के ज्ञान का आधुनिक चिकित्सा विज्ञान पर प्रभाव**
  - **त्रिदोष सिद्धांत:** चरक के अनुसार तीन दोष शरीर की कार्यक्षमता के लिए जिम्मेदार होते हैं, अर्थात **वात (गति), पित्त (परिवर्तन), और कफ (स्नेहन व स्थिरता)** दोष।
    - इन तीनों का **संतुलन बना रहे,** तो शरीर स्वस्थ रहता है। यदि कोई एक भी **असंतुलित हो जाए,** तो शरीर रोगग्रस्त हो जाता है।
  - **आयुर्वेदिक औषधियां:** चरक संहिता में अनेक औषधियों का उल्लेख मिलता है, जिनका आज भी रोगों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है।
    - आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में भी अनेक आयुर्वेदिक औषधियों (जैसे **अश्वगंधा, तुलसी, त्रिफला** आदि) का इस्तेमाल किया जा रहा है।
  - **योग:** आचार्य चरक ने **योग को शरीर और आत्मा दोनों के लिए उपयोगी** बताया है तथा चरक संहिता में उसका विस्तृत वर्णन किया गया है।

8.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

8.2.1. करणी माता मंदिर (Karni Mata Temple)

प्रधान मंत्री ने दर्शन करने के उद्देश्य से राजस्थान स्थित करणी माता मंदिर की यात्रा की।

करणी माता मंदिर के बारे में

- यह मंदिर **राजस्थान के बीकानेर जिले** में स्थित है।
- यह **करणी माता** को समर्पित है, जिन्हें **मां दुर्गा का अवतार** माना जाता है।
- **स्थापना**: इस मंदिर का निर्माण **राव जैतसी** ने बीकानेर के राजा की **मुगल शासक कामरान पर विजय** की याद में करवाया था।
- **धार्मिक संप्रदाय:** यह मंदिर **शाक्त संप्रदाय से संबंधित है।**
- **अनोखी विशेषता: यह दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहां हज़ारों चूहे खुलेआम घूमते हैं।**
    - इतनी बड़ी संख्या में चूहों की मौजूदगी के बावजूद **यहां कभी प्लेग नहीं फैला।**

8.2.2. वीरता पुरस्कार (Gallantry Awards)

राष्ट्रपति ने सशस्त्र बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र पुलिस बल के कार्मिकों को **कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र** प्रदान किए।

वीरता पुरस्कारों के बारे में

- **युद्धकालीन पुरस्कार:** इसमें **परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र** शामिल हैं, जिनकी शुरुआत 1950 से हुई थी।
- **शांतिकालीन पुरस्कार:** इनकी शुरुआत 1952 में हुई थी। इसमें **अशोक चक्र श्रेणी-I, श्रेणी-II और श्रेणी-III** शामिल थे। 1967 में इनका नाम बदलकर **क्रमशः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र** कर दिया गया।
- **ये पुरस्कार वर्ष में दो बार घोषित किए जाते हैं: गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर।**
- **वरीयता क्रम:** परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र।
- पुरस्कार **मरणोपरांत भी दिए** जा सकते हैं।

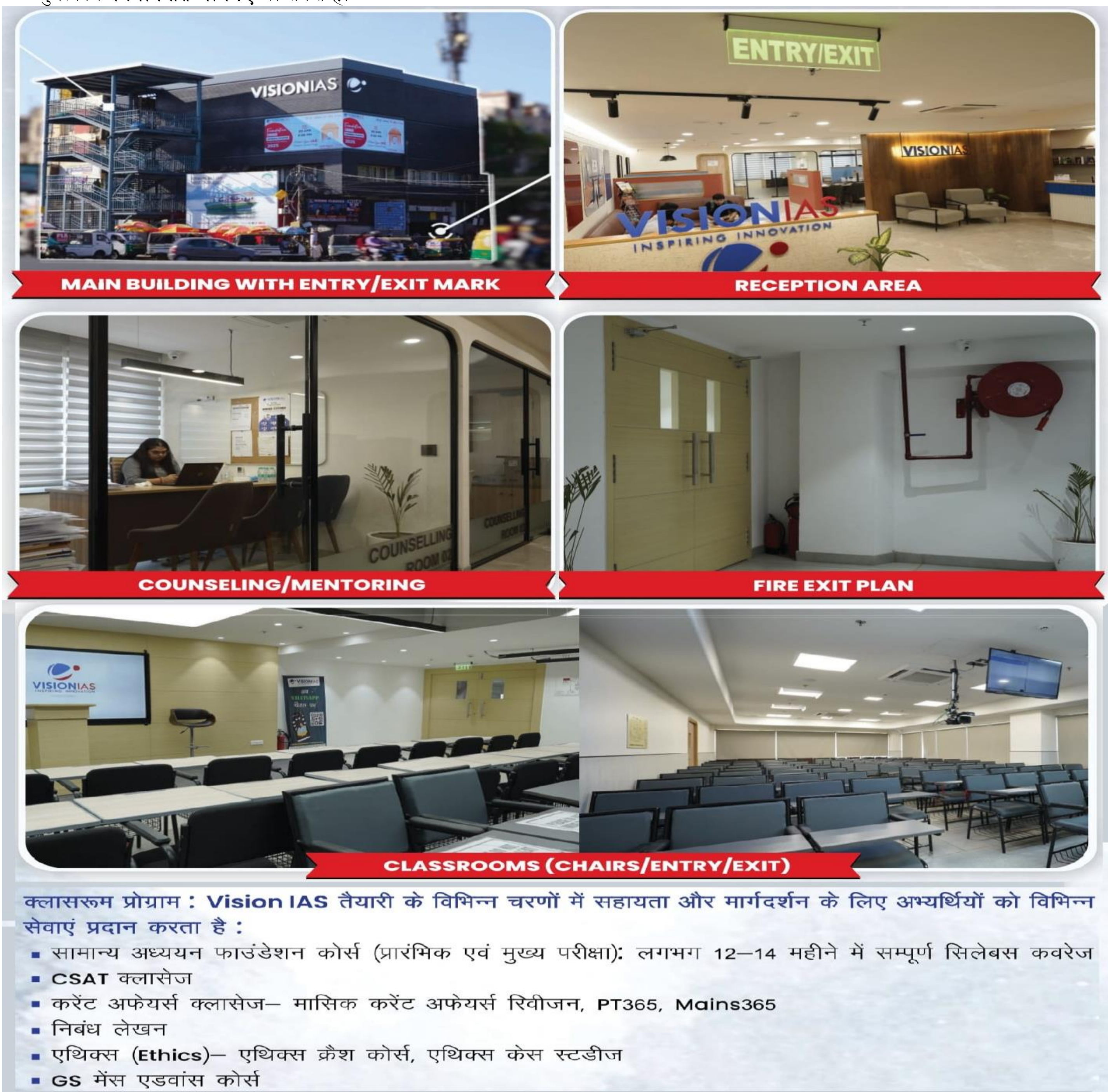

8.2.3. मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार (Major Dhyan Chand Khel Ratna Award)

सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और **चिराग शेट्टी** को **मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार** प्रदान किया गया।

- यह **बैडमिंटन जोड़ी** 2023 में **बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन** की रैंकिंग में नंबर 1 रैंक पर पहुंच गई थी। उन्होंने हांग्जो में आयोजित **एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक** भी जीता था।

मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में

- **नोडल मंत्रालय:** युवा मामले और खेल मंत्रालय
- **उत्पत्ति:** यह पुरस्कार **1991-92** में **राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार** के रूप में स्थापित हुआ था, और **2021** में इसका नाम बदलकर **मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार** रखा गया।
    - इसे भारत का **सर्वोच्च खेल सम्मान** माना जाता है।
- **उद्देश्य:** यह पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों में किए गए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए दिया जाता है।
- **पात्रता:** इस पुरस्कार के लिए केवल **मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में किए गए प्रदर्शन** पर ही ध्यान दिया जाता है।
- **पुरस्कार: 25 लाख रुपये नकद पुरस्कार, पदक** और **सम्मान प्रमाण पत्र।**

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज (All India Test Series) : इस परीक्षा में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने हेतु हर तीन में से दो चयनित अभ्यर्थियों द्वारा इसे चुना जाता रहा है। VisionIAS पोस्ट टेस्ट एनालिसिस ठोस सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराता है एवं प्रदर्शन में निरंतर सुधार सुनिश्चित करता है। उत्तर लेखन में सुधार एवं मार्गदर्शन के लिए Vision IAS के Innovative Assessment System™ द्वारा अभ्यर्थी को फीडबैक दिया जाता है।

- ऑल इंडिया सामान्य अध्ययन (GS Mains) टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
- ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
- CSAT टेस्ट सीरीज
- वैकल्पिक विषय टेस्ट सीरीज– दर्शनशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, समाजशास्त्र
- संधान टेस्ट सीरीज
- ओपन टेस्ट (Open Test)
- Abhyaas– Abhyaas Prelims & Mains

मेंटरिंग कार्यक्रम – UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान किसी भी प्रकार की एकेडेमिक या गैर–एकेडे. मिक समस्या के समाधान एवं मार्गदर्शन के लिए मेंटर की भूमिका बढ़ गई है। इसलिए Vision IAS प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों के लिए मेंटरिंग प्रोग्राम लेकर आया है।

- दक्ष (Daksha): आगामी वर्षों में मुख्य परीक्षा देने वाले
- लक्ष्य (Lakshya): मुख्य परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए।
- लक्ष्य प्रीलिम्स एवं मेंस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम।

करेंट अफेयर्स (Current Affairs)– सिविल सेवा परीक्षा में प्रायः प्रश्नों को करेंट अफेयर्स से जोड़कर पूछा जाता है। इसलिए Vision IAS द्वारा प्रतिदिन, साप्ताहिक और मासिक आधार पर करेंट अफेयर्स के अलग–अलग स्रोत अभ्यर्थियों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। जिनमें टॉपिक के स्टैटिक के साथ करेंट अफेयर्स के टॉपिक में महत्वपूर्ण समाचार पत्रों, सरकारी प्रकाशनों एवं वेब साइट का विश्लेषण सम्मिलित होता है।

- मासिक मैगजीन
- वीकली फोकस
- न्यूज टुडे
- PT 365
- Mains 365

स्टडी मैटेरियल– सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में अभ्यर्थियों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए Vision IAS द्वारा विभिन्न मैटेरियल उपलब्ध कराए जाते हैं।

- क्लासरूम स्टडी मैटेरियल
- वैल्यू एडेड मैटेरियल
- मासिक मैगजीन, वीकली फोकस, न्यूज टुडे
- PT 365 एवं Mains 365
- केन्द्रीय बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण सारांश
- विगत वर्षों के प्रश्नों (PYQs) का विस्तृत विश्लेषण
- टॉपर्स कॉपी

Student Wellness Cell – देश की प्रतिष्ठित सेवा एवं उसकी भर्ती प्रक्रिया कई बार बोझिल हो जाती है, जिससे अभ्यर्थी चिंता, तनाव, अवसाद जैसी मानसिक समस्याओं का सामना करते हैं। जिसे ध्यान में रखकर Vision IAS द्वारा स्टूडेंट वेलनेस सेल की स्थापना की गई है। इसमें अभ्यर्थी प्रशिक्षित काउंसलर और प्रोफेशनल मनोविशेषज्ञ से मिलकर अपनी समस्या साझा करते हुए समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

8.2.4. पुलित्जर पुरस्कार (Pulitzer Prize)

2024 में पत्रकारिता के लिए **न्यूयॉर्क टाइम्स ने चार** पुलित्जर पुरस्कार और **द न्यू यॉर्कर ने तीन** पुरस्कार जीते।

पुलित्जर पुरस्कार के बारे में

- यह पुरस्कारों का एक प्रतिष्ठित समूह है। पुलित्जर पुरस्कार हर साल **न्यूयॉर्क शहर की कोलंबिया यूनिवर्सिटी** द्वारा दिया जाता है।
- इसकी शुरुआत **जोसेफ पुलित्जर** ने की थी, जो एक **हंगेरियन-अमेरिकन पत्रकार और समाचार प्रकाशक** थे। उनकी मृत्यु के बाद 1911 में उनकी संपत्ति का एक हिस्सा **कोलंबिया यूनिवर्सिटी** को दे दिया गया था।
- यह पुरस्कार **पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों** के लिए दिया जाता है।
- इसे पहली बार 1917 में प्रदान किया गया था।

8.2.5. मीटर कन्वेंशन (Metre Convention)

उपभोक्ता कार्य विभाग ने **मीटर कन्वेंशन की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2025 का आयोजन** किया।

मीटर कन्वेंशन के बारे में

- **उद्भव:** मीटर कन्वेंशन पर **20 मई, 1875** को हस्ताक्षर किए गए थे और इसे **1921** में संशोधित किया गया था।
- **उद्देश्य: कन्वेंशन और इसके परिशिष्ट नियमों** (संयुक्त रूप से **"मीटर कन्वेंशन"** कहा जाता है) का उद्देश्य **मीट्रिक प्रणाली का अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण और उसमें सुधार** सुनिश्चित करना है।
  - इस उद्देश्य के लिए **अंतर्राष्ट्रीय भार और माप ब्यूरो (BIPM)** नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई है। यह संगठन पूरे विश्व के लिए **मानक मापन प्रणाली का विकास और उसका रखरखाव** करता है।
- **कन्वेंशन का महत्व:**
  - यह **मेट्रोलॉजी (मापन विज्ञान) में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग** को बढ़ावा देता है।
  - वैज्ञानिक अनुसंधान, व्यापार और तकनीकी उपयोगों के लिए **माप में वैश्विक एकरूपता सुनिश्चित** करता है।
- **सदस्य देश: 64 सदस्य देश और 37 एसोसिएट राष्ट्र** इस कन्वेंशन से जुड़े हैं। **भारत भी इसका सदस्य है।**

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **संस्कृति** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

9. नीतिशास्त्र (Ethics)

9.1. गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार (Right to Die with Dignity)

परिचय

हाल ही में, जैन समुदाय की एक 3 वर्षीय बच्ची की संथारा (मृत्यु तक उपवास) की प्रथा के जरिए मृत्यु हो गई। वह बच्ची टर्मिनल ब्रेन ट्यूमर की समस्या से जूझ रही थी। इस घटना को लेकर चिंता व्यक्त की गई है कि क्या वह बच्ची अपने विवेक से निर्णय (Informed decision) लेने में सक्षम थी।

इसके अतिरिक्त, **फ्रांस ने एक विधेयक पारित किया है**, जो असहनीय और लाइलाज बीमारियों से पीड़ित **वयस्कों को चिकित्सकीय सहायता से मृत्यु (Assisted dying)** चुनने की अनुमति देता है। उपर्युक्त घटनाक्रम **गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार** के सिद्धांतों को उजागर करते हैं।

गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार के बारे में

- **अर्थ:** गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार का तात्पर्य यह है कि **लाइलाज या गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों के बारे में स्वयं निर्णय ले सके।** इस अधिकार के तहत व्यक्ति यह तय कर सकता है कि वह कितनी पीड़ा और दर्द सहन करना चाहता है, और यदि वह चाहे तो उपचार या जीवन रक्षक उपायों को जारी रखने या बंद करने का विकल्प भी चुन सकता है।
    - **इच्छामृत्यु** या यूथेनेशिया (अर्थात, **"सम्मानजनक मृत्यु"**) गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को यह अधिकार प्रदान करने का एक अनिवार्य साधन है। यह दो प्रकार की होती है:
        - **सक्रिय यूथेनेशिया (Active):** इसके तहत सक्रिय साधनों का उपयोग करके रोगी की इच्छामृत्यु में सहायता की जाती है, उदाहरण के लिए- जानलेवा दवा देना। **सक्रिय यूथेनेशिया भारत में गैर-कानूनी है।**
        - **निष्क्रिय यूथेनेशिया (Passive):** रोगी को जीवन रक्षक प्रणाली (जैसे- वेंटिलेटर, फ़ीडिंग ट्यूब) से हटाकर स्वाभाविक मृत्यु प्राप्त करने में सहायता करना।
- **भारत में स्थिति:**
    - 2011 में, **अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ वाद** में सुप्रीम कोर्ट ने **पहली बार निष्क्रिय इच्छामृत्यु** की अनुमति दी थी।
    - **कॉमन कॉज बनाम भारत सरकार (2018) वाद** में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के **अनुच्छेद 21** के तहत जीवन के अधिकार में **गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार** भी शामिल है। इस प्रकार कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु की वैधता को बरकरार रखा और भारत में लिविंग विल के लिए प्रक्रिया निर्धारित की।

प्रमुख हितधारक और संबंधित नैतिक मुद्दे

गंभीर रोग से ग्रसित मरीज और उनका परिवार	• इस तरह के मरीज अक्सर असहनीय शारीरिक पीड़ा का सामना करते हैं। साथ ही, वे अपने परिवारों को भावनात्मक व आर्थिक रूप से जूझता हुआ देखकर और भी दुखी होते हैं। • परिवार भावनात्मक द्वंद्व में फंसे रहते हैं। जहां एक ओर दर्द से मुक्ति की चाह होती है, वहीं दूसरी ओर जीवन की हानि का दुःख होता है।
स्वास्थ्य सेवा प्रदाता (डॉक्टर, नर्स, प्रशामक देखभाल पेशेवर)	• हालांकि चिकित्सा पेशेवर रोगी की पीड़ा को कम करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, लेकिन साथ ही वे हिप्पोक्रेटिक शपथ ("कोई नुकसान न पहुंचाना") से भी बंधे होते हैं। • उन्हें रोगी की स्वायत्तता का सम्मान करने और जीवन को बनाए रखने के बीच नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है।

 ©Vision IAS

विधि और नीति निर्माता	• मरीजों और उनके परिवारों के अधिकारों और स्वायत्तता की रक्षा करना, जिसमें सम्मान के साथ मृत्यु का अधिकार भी शामिल है। साथ ही, संभावित दुरुपयोग को रोकना।
समाज	• समाज **जीवन की पवित्रता** और अपने **सबसे कमजोर सदस्यों की रक्षा के सामूहिक दायित्व** को महत्व देता है। • हालांकि, व्यक्तिगत स्वायत्तता और गरिमा पर विकसित विचार पारंपरिक मानदंडों को चुनौती देते हैं।

गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार में शामिल नैतिक दुविधाएं

- **जीवन की गुणवत्ता बनाम जीवन की पवित्रता:** यदि असहनीय पीड़ा या गरिमा की हानि जीवन पर हावी हो जाए, तो क्या केवल जीवित रहना अर्थपूर्ण है?
- **संवैधानिक नैतिकता बनाम स्वायत्तता का सम्मान:** क्या किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा कानूनी और नैतिक सीमाओं से ऊपर होनी चाहिए?
- **उपशामक देखभाल (Palliative Care) बनाम न्याय:** क्या हमें केवल जीवन रक्षक प्रणाली पर निर्भर रहना चाहिए या जब देखभाल प्रणाली विफल हो जाती है, तब गरिमापूर्ण इच्छामृत्यु की अनुमति दी जानी चाहिए?
- **गैर-हानिकारक सिद्धांत बनाम दोहरे प्रभाव का सिद्धांत:** क्या डॉक्टरों द्वारा दर्द से राहत प्रदान की जानी चाहिए, भले ही इससे जीवन काल छोटा हो जाए?

गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार के पक्ष में तर्क

- **जीवन की गुणवत्ता:** जीवन की गुणवत्ता केवल एक साधारण जीवन जीने से कहीं बढ़कर है। इसमें मनोवैज्ञानिक कल्याण, संज्ञानात्मक क्षमता और सार्थक संबंध बनाने की क्षमता शामिल है।
  - असहनीय दर्द या कार्य क्षमता के नष्ट होने के बाद भी जीवन को बनाए रखना उचित नहीं हो सकता है।
- **स्वायत्तता का सम्मान:** स्वायत्तता मानव नैतिक मूल्यों की आधारशिला है। सक्षम व्यक्तियों को मृत्यु का चुनाव करने का अधिकार होना चाहिए।
  - भीष्म पितामह ने इच्छा मृत्यु का विकल्प चुना और सुकरात ने निर्वासन के बजाय मृत्यु को चुना।
- **डबल इफेक्ट सिद्धांत:** यदि डॉक्टर का उद्देश्य दर्द से राहत देना है, तो इसके लिए ऐसी दवा देना नैतिक रूप से स्वीकार्य है, जो रोगी को दर्द से राहत पहुंचाती हो, भले ही उस प्रक्रिया में रोगी का जीवन काल छोटा क्यों ना हो जाए।
- **न्याय:** जब उपचारात्मक दवा विफल हो जाती है और पैलिएटिव देखभाल पर्याप्त रूप से पीड़ा को कम नहीं कर पाती है, तो उपचार जारी रखने से व्यक्ति को अधिक पीड़ा हो सकती है।
  - न्याय की मांग है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के अंत में सहानुभूति पूर्ण विकल्प प्रदान किए जाए। लंबे समय तक भावनात्मक और वित्तीय दबाव रोगी और परिवार दोनों के लिए हानिकारक सिद्ध होती है।

गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार के विरुद्ध तर्क

- **जीवन की पवित्रता:** यह मानव जीवन को एक आंतरिक कल्याण मानता है, जो अमूल्य है। इसलिए एक **निर्दोष व्यक्ति को मारना** हमेशा अक्षम्य होता अपराध होता है।
  - उदाहरण के लिए, बौद्ध धर्म **अहिंसा और नुकसान न पहुंचाने की अवधारणा** के माध्यम से जीवन की पवित्रता का प्रचार करता है।
- **संवैधानिक नैतिकता:** धर्म का एक आवश्यक हिस्सा होने के बावजूद धार्मिक प्रथाएं **जीवन के अधिकार के सिद्धांत का उल्लंघन** नहीं कर सकती हैं।
  - उदाहरण के लिए, **अनुच्छेद 25(1)** के तहत धर्म की स्वतंत्रता पर लोक व्यवस्था, सदाचार (नैतिकता) और स्वास्थ्य के हित में उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं।
- **पैलिएटिव देखभाल:** इच्छामृत्यु के बिना भी अच्छी देखभाल करना रोगी की पीड़ा को कम कर सकती है। साथ ही, **चिकित्सा विज्ञान हर रोज एक नई प्रगति कर रहा है।** वर्तमान में जो बीमारी लाइलाज है, वह कल इलाज योग्य हो सकती है।
- **हानि न पहुंचाने का सिद्धांत: हानि न पहुंचाने का सिद्धांत (कोई नुकसान न पहुंचाना)** रोगी को नुकसान न पहुंचाने के महत्व को रेखांकित करता है।
  - यह सिद्धांत चिकित्सा पेशेवरों की **हिप्पोक्रेटिक शपथ** के भी अनुरूप है, जिसमें "कोई हानि नहीं पहुंचाने" का संकल्प होता है।
- **कांट के दर्शन के विपरीत:** इमैनुएल कांट के अनुसार, जीवन की रक्षा करना एक सार्वभौमिक नैतिक कर्तव्य है। जीवन का एक आंतरिक मूल्य होता है। ऐसे में इसे समाप्त करना नैतिक दायित्व को कमजोर करता है।

- **दुरुपयोग की संभावना:** नाबालिग (युवा और संवेदनशील व्यक्ति) और **गंभीर रूप से बीमार रोगियों** (तार्किक सोच की कमी) के मामले में, स्वायत्तता के सिद्धांत का दुरुपयोग किया जा सकता है।
    - इसके अलावा, **कुछ चिकित्सक** अपनी चिकित्सा संबंधी गलतियों को छिपाने के लिए रोगियों पर **मृत्यु का विकल्प चुनने** का दबाव डाल सकते हैं।

गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए आगे की राह

- **विस्तृत संवाद स्थापित करना:** रोगी के जीवन, स्वास्थ्य और बीमारी के प्रति दृष्टिकोण को समझने के लिए नियमित संवाद आवश्यक है। इससे उनकी इच्छाओं और चिंताओं को समझा जा सकता है।
- **प्रभावी विनियमन:** इच्छामृत्यु की प्रक्रिया को **प्रभावी ढंग से विनियमित** किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह केवल **अस्पताल सेटिंग्स में कम-से-कम 2 चिकित्सकों के प्रमाणन** के बाद ही किया जा सके।
    - यह प्रक्रिया पूरी तरह डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए और सभी संभावित चिकित्सकीय विकल्पों के विश्लेषण के बाद ही इसे क्रियान्वित किया जाना चाहिए।
- **दुरुपयोग को रोकना:** इच्छामृत्यु की अनुमति देने से पहले, एक **पूर्ण मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, परामर्श, प्रतीक्षा अवधि** होनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रोगी किसी दबाव या अस्थायी मानसिक स्थिति में निर्णय नहीं ले रहा है।
- **देखभाल एक नैतिक दृष्टिकोण:** विशेष रूप से **नाबालिगों** और **मानसिक रूप से कमजोर रोगियों** के मामलों में सहानुभूति और करुणा पर आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। रोगी के अनुभवों को समझने और उनके भावनात्मक पक्ष को मान्यता देने पर बल देना चाहिए।

निष्कर्ष

चिकित्सकीय प्रगति लोगों के जीवन को लंबा बना सकती है, लेकिन यह पीड़ा को हमेशा समाप्त नहीं कर सकती है। जब दर्द असहनीय हो जाता है, तो **गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार** विचारणीय हो जाता है। हालांकि, इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए मजबूत नैतिक दिशा-निर्देशों और सख्त नियमों का पालन करना चाहिए।

जैसा कि भौतिक विज्ञानी **स्टीफन हॉकिंग** ने कहा था:

"मेरा मानना है कि जो लोग एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं और अत्यधिक पीड़ा झेल रहे हैं, उन्हें अपना जीवन समाप्त करने का अधिकार होना चाहिए, और जो लोग उनकी सहायता करते हैं उन्हें सजा से मुक्त होना चाहिए।"

यह हमारे समय के सबसे गहन नैतिक प्रश्नों में से एक अर्थात् गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार के प्रति एक करुणामय, मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता है।

अपनी नैतिक अभिक्षमता का परीक्षण कीजिए

आपको हाल ही में एक दूरस्थ जिले में **मुख्य चिकित्सा अधिकारी** के पद पर नियुक्त किया गया है। आपको एक ऐसी महिला का मामला मिलता है जिसे हाल ही में **सर्वाइकल ट्यूमर** का पता चला था। उस महिला ने अपना अधिकांश जीवन अपने शराबी पति द्वारा की गई हिंसा और उत्पीड़न के बीच बिताया है। अब उसकी बीमारी अंतिम अवस्था में पहुँच चुकी है, जिससे वह असहनीय दर्द और बेबसी झेल रही है। उसका परिवार भी उसकी भलाई के प्रति बहुत विचारशील नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में, उसने **चिकित्सकीय सहायता से मृत्यु** के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है। हालांकि, क्षेत्र के लोग अत्यधिक धार्मिक हैं और यदि ऐसे कृत्य की बात फैल गई, तो अशांति उत्पन्न हो सकती है। इस स्थिति ने आपको एक **कठिन दुविधा** में डाल दिया है जहाँ एक ओर एक असहाय महिला की पीड़ा है, तो दूसरी ओर नागरिक अशांति का मुद्दा है।

उपर्युक्त केस स्टडी के आधार पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

1. महिला को चिकित्सकीय सहायता से मृत्यु उपलब्ध करवाने के पक्ष और विपक्ष में कुछ तर्कों का उल्लेख कीजिए।
2. ऐसी परिस्थितियों में शामिल प्रमुख नैतिक दुविधाएं क्या हैं?
3. भारत में गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार की कानूनी स्थिति क्या है? जैन धार्मिक प्रथा संथारा इस अधिकार को बढ़ावा देने के लक्ष्य में कैसे मदद करती है?

9.2. व्यावसायिक छंटनी की नैतिकता (Ethics of Business Downsizing)

परिचय

हाल ही में, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने वैश्विक कर्मचारियों के **3% की छंटनी** की घोषणा की है, जिससे लगभग 6,000 कर्मचारी विभिन्न स्तरों, टीमों और क्षेत्रों में प्रभावित हुए हैं। यह छंटनी कंपनी के आंतरिक पुनर्गठन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पर बढ़ते निवेश के चलते की गई है। इसी तरह, गूगल, अमेज़ॅन और IBM जैसी अन्य प्रमुख टेक कंपनियों ने भी छंटनी की है, जिससे कुल मिलाकर लगभग 60,000 वैश्विक कर्मचारी प्रभावित हुए हैं।

ऐसे कदम बड़े पैमाने पर **AI-संचालित पुनर्गठन** और **प्रबंधन की अनावश्यक परतों को हटाने के लिए** जरूरी हो गए थे। हालांकि, इस तरह की व्यापक छंटनियां (मास ले-ऑफ/ डाउनसाइजिंग) केवल कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को भी गहराई से प्रभावित करती हैं। इसी कारण, इन निर्णयों की नैतिक समीक्षा करना आवश्यक हो जाता है, ताकि उनके दीर्घकालिक सामाजिक और मानवीय प्रभावों को समझा जा सके।

ऐसे कदम मुख्यतः **ऑटोमेशन, विलय और अधिग्रहण, नौकरी आउटसोर्सिंग** जैसे कारकों की वजह से उठाए गए हैं।

हालांकि, यह छंटनी **उत्पादकता, लाभ और प्रतिस्पर्धात्मकता** बढ़ाने के लिए की जा रही है, लेकिन इसे **व्यावसायिक नैतिकता (Business Ethics)** के सिद्धांत के विरुद्ध भी माना जा रहा है।

व्यावसायिक नैतिकता के बारे में

- **अर्थ:** यह **आधुनिक कॉर्पोरेट संस्कृति** का एक महत्वपूर्ण आयाम है जो **व्यक्तियों, कंपनियों** और **व्यावसायिक उद्यमों** का मार्गदर्शन करता है।
- **विशेषताएं:** यह सिद्धांतों और मूल्यों का एक समूह है, जैसे- विश्वास निर्माण, न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा, सत्यनिष्ठा, वैधता, कॉर्पोरेट प्रशासन और व्यक्तिगत नैतिक विकास, आदि।
- **प्रकृति:** यह केवल वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन ही नहीं करती, बल्कि **नैतिक शुचिता** और **सामाजिक कल्याण के लिए प्रतिबद्धता** को भी दर्शाती है।
  - यह **सद्गुण नीतिशास्त्र (Virtue Ethics)** के तत्वों द्वारा निर्देशित होती है। **सद्गुण नीतिशास्त्र** के तत्व ऐसे सकारात्मक लक्षण हैं, जो व्यक्तियों के कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं।
  - उदाहरण के लिए, **इन्फोसिस** जैसी कंपनियों ने निर्णय लेने में नैतिक मार्गदर्शन हेतु **आचार संहिता और नैतिकता को** लागू किया है, ताकि व्यवसाय में सही निर्णय लिए जा सके।

विभिन्न हितधारकों के प्रति व्यवसायों की जिम्मेदारी

कर्मचारी	• कर्मचारियों और श्रमिकों के भीतर मजबूत नैतिकता विकसित करता है, जिससे न केवल संगठनों को लाभ होता है, बल्कि व्यक्तियों को एक **मजबूत नैतिक दिशा** विकसित करने में भी मदद मिलती है। ○ एक वैश्विक आतिथ्य कंपनी **हिल्टन** अपनी नैतिक प्रबंधन पद्धतियों के कारण **ग्रेट प्लेस टू वर्क (2024)** रैंकिंग में शीर्ष पर रही।
उपभोक्ता	• यह एक निवारक तंत्र के रूप में कार्य करता है, व्यवसायों को ऐसी **अनुचित** या **भ्रामक प्रथाओं** में शामिल होने से रोकता है जो उपभोक्ताओं को संभावित रूप से नुकसान पहुंचा सकती हैं। ○ एप्पल अपनी **iCloud** सेवाओं में **उन्नत डेटा सुरक्षा (ADP)** सुविधा प्रदान करता है, जिससे एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का लाभ मिलता है।
समाज	• **व्यवसाय न्यायसंगत** और **ईमानदार प्रतिस्पर्धा** को बढ़ावा देने हेतु आधार बनते हैं। ○ जैसा कि **रतन टाटा** ने एक बार टिप्पणी की थी- "व्यवसायों को केवल अपनी कंपनियों के हितों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन समुदायों की सेवा भी करनी चाहिए जिनसे वे जुड़े हैं।"

व्यावसायिक छंटनी में शामिल नैतिक दुविधाएं

- **उपयोगितावाद बनाम कांटियन पूंजीवाद[57]:** उपयोगितावादी दृष्टिकोण के अनुसार, छंटनी को दिवालियापन से बचने के लिए सबसे कम हानिकारक विकल्प माना जाता है (अधिकतम लोगों का अधिकतम लाभ)।
    - हालांकि, इमैनुअल कांट की नैतिक विचारधारा के अनुसार, किसी लक्ष्य (जैसे- मुनाफा या हितधारकों के लाभ) को प्राप्त करने हेतु किसी कर्मचारी को केवल एक साधन (छंटनी के माध्यम से) के रूप में प्रयोग करना नैतिक नहीं है।
- **व्यक्तिवाद बनाम कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR):** व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के अनुसार, एक कंपनी का प्राथमिक लक्ष्य **लाभ को अधिकतम करना है, जो छंटनी को उचित मानता** है।
    - लेकिन छंटनी, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत से टकराती है, जो समुदाय (विशेषकर कर्मचारियों) के प्रति सद्भावना और दायित्व की मांग करता है।
- **कर्तव्यनिष्ठ बनाम परिणामवादी दृष्टिकोण[58]:** कर्तव्यनिष्ठ (Deontological) दृष्टिकोण के अनुसार, किसी कार्य को केवल लाभ और लाभ प्राप्ति के आधार पर नहीं, बल्कि नैतिक कर्तव्यों के आधार पर किया जाना चाहिए।
    - वहीं, परिणामवादी (Teleological) दृष्टिकोण सिर्फ कार्य के अच्छे परिणामों पर ध्यान देता है, भले ही उसकी प्रक्रिया नैतिक रूप से संदिग्ध हो।
- **नैतिक सापेक्षवाद बनाम न्याय का सार्वभौमीकरण:** नैतिक सापेक्षवाद यह मानता है कि कोई एक सही सिद्धांत सभी पर लागू नहीं हो सकता। जबकि, न्याय का सार्वभौमिक सिद्धांत यह कहता है कि सभी के साथ बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए, चाहे वह किसी भी संदर्भ में हो।

व्यावसायिक छंटनी से निपटने के लिए आगे की राह

- **अंतिम उपाय के रूप में छंटनी:** व्यावसायिक प्रबंधन को पहले अन्य विकल्पों की तलाश करनी चाहिए, जैसे- **मार्केटिंग खर्च में कटौती, यात्रा व्यय को कम करना, नई भर्तियों पर रोक आदि।**
    - कंपनियों को **छंटनी के प्रभावों** का मूल्यांकन भी करना चाहिए, यानी स्थानीय बेरोजगारी दर, मौजूदा संगठनात्मक संस्कृति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आदि।
- **स्वैच्छिक छंटनी (Voluntary Layoffs):** यह एक ऐसी रणनीति है, जिसमें कर्मचारियों को आकर्षक सेवा निवृत्ति पैकेज या नई करियर स्किल्स में ट्रांसफर का विकल्प देकर स्वैच्छिक रूप से छंटनी स्वीकार करने का अवसर दिया जा सकता है।
- **व्यावसायिक आचार संहिता और नैतिकता को बनाए रखना:** सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, पारदर्शिता, करुणा आदि जैसे नैतिक मूल्यों को आत्मसात करना, और यह सुनिश्चित करना कि वे व्यावसायिक वातावरण का मार्गदर्शन करें।
    - **उदाहरण के लिए, हावर्ड शुल्त्स** (स्टारबक्स के पूर्व CEO) ने 1988 में पात्र पूर्णकालिक और अंशकालिक कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा की पेशकश की, जिसमें कर्मचारियों के सभी घरेलू साझेदार भी शामिल थे।
- **त्वरित प्रतिभा रणनीति (Agile Talent Strategy):** कंपनियां कर्मचारियों के दीर्घकालिक करियर को मजबूत करने के लिए लगातार करियर विकास और निरंतर सीखने की संस्कृति में निवेश कर रही है।
    - उदाहरण के लिए, अमेज़ॅन जैसी कंपनियां अपने कर्मचारियों को **'एजुकेशन ऐज़ ए बेनिफिट प्रोग्राम'** प्रदान करती हैं, जिससे उन्हें करियर में वृद्धि मिलती है।
- **छंटनी से प्रभावित कर्मचारियों की सहायता करना:** सामुदायिक कॉलेजों, पूर्व छात्र नेटवर्क आदि का लाभ उठाकर छंटनी किए गए कर्मचारियों को नया सार्थक रोजगार खोजने में सक्रिय रूप से मदद करना।
    - **नोकिया के ब्रिज कार्यक्रम** ने 2014 में छंटनी किए गए अपने 60% कर्मचारियों की मदद की।

निष्कर्ष

किसी बड़े पैमाने पर छंटनी करने से पहले, प्रबंधन को अन्य सभी **संभावित विकल्पों** पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, कर्मचारियों को भविष्य की तकनीकों के अनुसार कुशल बनाना न केवल कंपनी की दीर्घकालिक वृद्धि में सहायक होगा, बल्कि छंटनी की आवश्यकता को भी कम करेगा। इसके साथ ही, इस दिशा में, नैतिक व्यावसायिक व्यवहार की आदत को विकसित करने के लिए संगठन में समाजीकरण, संवाद और सभी हितधारकों से नियमित संपर्क की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए।

---

[57] Utilitarianism Vs Kantian Capitalism

[58] Deontological vs Teleological

अपनी नैतिक अभिक्षमता का परीक्षण कीजिए

आप वर्तमान में एक ई-कॉमर्स कंपनी के CEO के रूप में कार्यरत हैं। ऑटोमेशन के आगमन के साथ, आपकी कंपनी ने कई ऑपरेशन को **AI-सक्षम तकनीकों** से स्वचालित कर दिया है। इससे एक ओर जहां भारी खर्च हुआ है, वहीं दूसरी ओर ऐसे कर्मचारी हैं जिनका काम अब **अनावश्यक** हो गया है। इसलिए, कंपनी के बोर्ड ने लगभग **250 कर्मचारियों की छंटनी** करने का फैसला किया है। आपको चयनित कर्मचारियों को यह खबर बताने का काम सौंपा गया है, जिनमें से कुछ के साथ आपके **व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंध** बहुत अच्छे हैं।

उपर्युक्त केस स्टडी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

1. उपर्युक्त मामले में आपके सामने आने वाली नैतिक दुविधाओं की पहचान कीजिए।
2. विभिन्न हितधारकों के प्रति एक व्यवसाय की प्रमुख जिम्मेदारियां क्या हैं?
3. कंपनी के बोर्ड को छंटनी से पहले किए जाने वाले उपायों का सुझाव दीजिए।

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

10.1. अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अटल पेंशन योजना (APY) की शुरुआत के 10 वर्ष पूरे हुए।

<table>
<tr><th>उद्देश्य</th><th>विशेषताएं</th></tr>
<tr><td>

- **सेवानिवृत्ति के लिए स्वैच्छिक बचत को प्रोत्साहित करना:** योजना में शामिल होने की आयु और अंशदान की राशि के आधार पर **निर्धारित पेंशन लाभ** प्रदान करना।
- सभी के लिए, विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए **सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली** सुनिश्चित करना।
  - बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।

</td><td>

- **मंत्रालय: केंद्रीय** वित्त मंत्रालय
- **शुरुआत:** वर्ष 2015 में
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)
- **योजना का प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक योजना
- **पात्रता:**
  - **अटल पेंशन योजना (APY) में** वे सभी बैंक-खाताधारक शामिल हो सकते है, जिनकी **आयु 18 से 40 वर्ष** के बीच है और **जो आयकर-दाता नहीं हैं।**
  - परिवार के सभी पात्र सदस्य इस योजना में शामिल हो सकते हैं।
- **लाभ:**
  - **गारंटीकृत मासिक पेंशन:** 60 वर्ष की आयु से मृत्यु होने तक ₹1,000 से ₹5,000 के बीच आजीवन पेंशन का प्रावधान।
  - **पारिवारिक पेंशन प्रावधान:** सब्सक्राइबर की मृत्यु होने की स्थिति में, उसके पति या पत्नी को पेंशन मिलती है; और नामित व्यक्ति को अंशदान और ब्याज की कुल राशि (कोर्पस) मिलती है।
  - **सब्सक्राइबर की असामयिक मृत्यु (60 वर्ष की आयु से पहले) की स्थिति में पेंशन:** पति/ पत्नी APY खाते में अपना अंशदान देना जारी रख सकते हैं।
- **भुगतान:** सब्सक्राइबर मासिक/ त्रैमासिक/ अर्धवार्षिक आधार पर APY में अंशदान कर सकते हैं। यह अंशदान मासिक पेंशन विकल्प और सब्सक्राइबर की योजना में शामिल होने के समय आयु पर निर्भर करता है।
- **योजना से बाहर आने और धन निकासी के विकल्प**
  - **60 वर्ष की आयु में निकासी:** पूर्ण पेंशन मिलनी शुरू होती है।
  - **60 वर्ष की आयु से पहले निकासी:** केवल मृत्यु या गंभीर बीमारी के मामलों में ही फंड की निकासी की अनुमति दी जाती है।
  - **स्वैच्छिक निकासी:** इसकी अनुमति है, लेकिन सब्सक्राइबर को केवल अंशदान (ब्याज सहित) वापस मिलता है और सरकार का सह-अंशदान (यदि कोई हो) जब्त कर लिया जाता है।
- **सरकारी सह-अंशदान (प्रारंभ में शामिल होने वालों के लिए):** यह लाभ 1 जून, 2015 से 31 मार्च, 2016 के बीच शामिल होने वाले पात्र सब्सक्राइबर्स के लिए था (यह योजना अब भी चालू है, लेकिन सरकारी सह-अंशदान अब नहीं दिया जाता)।
  - सरकार ने 5 वर्षों तक कुल अंशदान का 50% या ₹1,000 प्रतिवर्ष (जो भी कम हो) सह-अंशदान के रूप में जमा किया।
  - यह केवल उन सब्सक्राइबर पर लागू था जो किसी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ नहीं उठा रहे थे और योजना में शामिल होने के समय आयकर दाता भी नहीं थे।

</td></tr>
</table>

	• **दस वर्षों में उपलब्धियां:** ○ योजना के तहत पंजीकृत कुल सब्सक्राइबर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 47% है। ○ अप्रैल 2025 तक, 7.66 करोड़ से अधिक व्यक्तियों ने इस योजना में भाग लिया है।

10.2. प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत के 10 साल पूरे हुए।

उद्देश्य	विशेषताएं
• एक वर्ष की अवधि वाली टर्म लाइफ इंश्योरेंस योजना, जो किसी भी कारण से **मृत्यु होने पर जीवन बीमा कवरेज प्रदान करती है।**	• **मंत्रालय:** केंद्रीय वित्त मंत्रालय • **योजना का प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक योजना • **प्रकृति:** जीवन बीमा योजना (55 वर्ष की आयु तक जीवन बीमा कवर) • **प्रीमियम दर:** 436 रुपये प्रति वर्ष। यह राशि एक किस्त में अकाउंट से ऑटो-डेबिट हो जाती है। • **पात्रता:** ○ व्यक्ति के पास बैंक खाता या डाकघर खाता होना चाहिए, और ○ प्रीमियम की ऑटो-डेबिट सुविधा के लिए सहमति देना आवश्यक होगी। ○ यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक बैंक/ डाकघर खाते हैं, तो वह केवल एक बैंक/ डाकघर खाते के माध्यम से ही योजना में शामिल होने के लिए पात्र होगा। • **मुख्य विशेषताएं** ○ **सभी के लिए:** इस योजना में 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के सभी पात्र खाता धारक शामिल हो सकते है, जिनमें NRI भी शामिल हैं (क्लेम का भुगतान भारतीय रुपये में किया जाता है)। ○ **कोई मेडिकल परीक्षण नहीं:** यह प्रक्रिया सरल और बिना किसी परेशानी के पूरी की जाती है। ○ **मृत्यु के सभी प्रकार के कारणों को कवर करती है:** जिसमें प्राकृतिक, आकस्मिक, यहां तक कि प्राकृतिक आपदाओं या महामारी के दौरान होने वाली मृत्यु भी शामिल है। ▪ योजना में शामिल होने के पहले 30 दिनों के बाद हुई मृत्यु को कवर किया जाएगा, हालांकि दुर्घटनाओं के कारण हुई मृत्यु पहले दिन से ही कवर होती है। ○ **प्रो-राटा प्रीमियम:** यदि कोई वर्ष के बीच में योजना में पंजीकृत होता है, तो उसे केवल शेष महीनों के लिए ही प्रीमियम देना होगा। • **बीमा कवरेज:** ₹2 लाख (टर्म इंश्योरेंस), जिसे प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत किया जा सकता है। • **कार्यान्वयन एजेंसी:** भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) और अन्य सभी जीवन बीमा कंपनियां जो इस योजना में शामिल होने और इस उद्देश्य से बैंकों के साथ साझेदारी करने की इच्छुक हैं। • **प्रदर्शन:** 23 करोड़ से अधिक लोग योजना में शामिल हुए; 9 लाख परिवारों को बीमा क्लेम की राशि प्राप्त हुई। ○ **मुख्य लाभार्थी:** 53% महिलाएं और 74% ग्रामीण क्षेत्रों से।

10.3. प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना को **10 वर्ष पूरे हुए।**

उद्देश्य	विशेषताएं

• यह एक **दुर्घटना बीमा योजना** है, जो दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में बीमा कवरेज प्रदान करती है।	• **मंत्रालय:** वित्त मंत्रालय।
	• **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक योजना।
	• **पात्रता:** 18 से 70 वर्ष की आयु के नागरिक (NRI सहित)।
	• **प्रीमियम दर:** प्रति सदस्य 20 रुपये प्रति वर्ष।
	• **नामांकन अवधि:** बीमा कवरेज की अवधि 1 जून से अगले वर्ष 31 मई तक एक वर्ष की होती है।
	• **कार्यान्वयन एजेंसी:** यह योजना सार्वजनिक क्षेत्रक की सामान्य बीमा कंपनियों (PSGICs) और उन अन्य सामान्य बीमा कंपनियों के माध्यम से पेश/ प्रशासित की जाती है, जो सहभागी बैंकों के सहयोग से समान शर्तों पर आवश्यक अनुमोदन के साथ उत्पाद पेश करने के लिए तैयार हैं।
	  ○ ये बीमा कंपनियां भागीदार बैंकों के साथ मिलकर इस योजना को लागू करती हैं। प्रत्येक भागीदार बैंक किसी भी उपयुक्त सामान्य बीमा कंपनी को अपने खाताधारकों/ सब्सक्राइबर्स के लिए योजना लागू करने हेतु अनुबंधित कर सकता है।
	• **शर्तें:**
	  ○ बैंक या डाकघर में खाता होना आवश्यक है।
	  ○ प्रीमियम की ऑटो-डेबिट सुविधा के लिए सहमति देनी होगी।
	• **कवरेज:**
	  ○ दुर्घटनावश **मृत्यु या पूर्ण स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये का का बीमा कवरेज** प्रदान किया जाता है।
	  ○ दोनों आँखों की पूर्ण दृष्टि और अपूरणीय क्षति या दोनों हाथों या दोनों पैरों के उपयोग की हानि या एक आँख की दृष्टि की हानि और हाथ या पैर के उपयोग की हानि की स्थिति में **2 लाख रुपये का बीमा कवरेज** प्रदान किया जाता है।
	  ○ **आंशिक स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 1 लाख रुपये का बीमा कवरेज** प्रदान किया जाता है।
	  ○ एक आँख की पूर्ण दृष्टि और अपूरणीय दृष्टि की हानि या एक हाथ या पैर के उपयोग की हानि की स्थिति में **1 लाख रुपये का बीमा कवरेज** प्रदान किया जाता है।
	• **अन्य प्रमुख विशेषताएं**
	  ○ **प्राकृतिक आपदाएं** भी PMSBY के अंतर्गत **कवर** की गई हैं।
	  ○ जो व्यक्ति किसी भी समय योजना से **बाहर निकल** जाता है, वह भविष्य में फिर से वार्षिक प्रीमियम देकर योजना में **शामिल** हो सकता है।
	• **ऑनलाइन जन सुरक्षा पोर्टल:** इसके माध्यम से नामांकन और दावा प्रक्रिया का डिजिटलीकरण एवं सरलीकरण किया गया है।
	• **प्रभाव:** योजना की शुरुआत से अब तक **44 करोड़ से अधिक लोगों ने नामांकन** किया है।
	  ○ **प्रमुख लाभार्थी: 50.16% महिलाएं और 72.24% ग्रामीण** क्षेत्रों से।

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION SANDHAN
Vision IAS की ओर से पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज

10.4. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) के उन्नयन के लिए राष्ट्रीय योजना {National Scheme for Upgradation of Industrial Training Institutes (ITIs)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कैबिनेट ने **"औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) के उन्नयन और कौशल विकास हेतु पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय योजना"** को मंजूरी दी। बजट 2024-25 के तहत घोषित इस योजना को **केंद्र प्रायोजित योजना** के रूप में लागू किया जाएगा।

उद्देश्य	विशेषताएं

• **व्यावसायिक प्रशिक्षण को भारत की औद्योगिक और आर्थिक संवृद्धि का केंद्रीय स्तंभ** बनाना, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्रों में।
• कुशल कार्यबल की बढ़ती मांग को पूरा करना।
• **ITI प्रशिक्षकों के ज्ञान और कौशल में वृद्धि** करना, पाठ्यक्रम विकास व क्षमता निर्माण को मजबूत करना आदि।
	• **मंत्रालय:** कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय।
	• **प्रकार:** केंद्र प्रायोजित योजना।
	• **वित्त पोषण:**
	  ○ इस योजना के तहत **पांच वर्षों में 60,000 करोड़ रुपये** खर्च किए जाएंगे। इसमें केंद्रीय हिस्सेदारी: 30,000 करोड़ रुपये, राज्यों की हिस्सेदारी: 20,000 करोड़ रुपये और उद्योग जगत का खर्च: 10,000 करोड़ रुपये शामिल है।
	  ○ **एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक** द्वारा समान रूप से केंद्रीय हिस्से के **50%** की सीमा तक का सह-वित्तपोषण किया जाएगा।
	योजना की अन्य मुख्य विशेषताएं:
	• **पुनरुद्धार:** राज्य सरकारों और उद्योग जगत के सहयोग से, मौजूदा ITIs को सरकारी स्वामित्व वाले व उद्योग जगत प्रबंधित **कौशल के आकांक्षी संस्थान** के रूप में फिर से स्थापित करना। इनमें ऐसे पुनर्निर्धारित पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे, जो आधुनिक उद्योगों की बदलती कौशल आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।
	    ○ इस योजना में **1,000 सरकारी ITIs का हब-एंड-स्पोक मॉडल के तहत उन्नयन** किया जाएगा, ताकि उन्हें उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके। **पांच राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (NSTIs) की क्षमता में वृद्धि** की जाएगी। ये संस्थान **भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना** में स्थित हैं।
	    ○ इन NSTIs में **नए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र** भी स्थापित किए जाएंगे।
	• **वित्तीय सहायता:** वित्तीय समस्याओं से निपटने के लिए प्रस्तावित योजना के अंतर्गत **आवश्यकता-आधारित निवेश** का प्रावधान रखा गया है। इससे प्रत्येक संस्थान की विशिष्ट अवसंरचना, क्षमता और व्यापार-संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर **निधि आवंटन में लचीलापन** रहेगा।
	• **कौशल अंतराल को खत्म करना:** योजना को प्रभावी बनाने के लिए यह **उद्योग-नेतृत्व वाले स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) मॉडल** को अपनाएगी, जो पहले के सरकारी-केवल दृष्टिकोणों से एक बड़ा बदलाव है।
	  ○ इससे **पाठ्यक्रम नियोजन, बुनियादी ढांचे के उन्नयन और सतत प्रबंधन में ITIs तथा उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग** संभव हो सकेगा।
	• **संतुलन सुनिश्चित करना:** स्थानीय कार्यबल की उपलब्धता और उद्योगों की मांग के बीच तालमेल बनाना, ताकि MSMEs समेत सभी उद्योगों को काम करने के लिए तैयार श्रमिक आसानी से मिल सकें।
	• **प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (ToT) पर विशेष ध्यान देना:** NSTIs में अवसंरचना का उन्नयन करके तथा सेवा-पूर्व और सेवा-कालीन प्रशिक्षण प्रदान करके पूरे देश में व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता एवं एकरूपता में सुधार किया जाएगा।
	• **'विकसित भारत' विज़न:** यह योजना समावेशी विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2047 तक 'विकसित भारत' के साथ संरेखित है।

	ITIs के बारे में • राज्य सरकारों के अधीन संचालित, ITIs 1950 के दशक से भारत में **व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (VET)** की नींव रहे हैं। **उत्कृष्टता केंद्रों के बारे में:** • ये ऐसे निकाय होते हैं, जो विशिष्ट क्षेत्रक/ क्षेत्रकों के लिए नेतृत्व, सर्वोत्तम पद्धतियां, अनुसंधान, सहायता, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

10.5. स्टार्ट-अप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (CGSS) {Credit Guarantee Scheme for Startups (CGSS)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने स्टार्ट-अप्स के लिए **पूंजी जुटाने को बढ़ाने के उद्देश्य से क्रेडिट गारंटी योजना (CGSS) के विस्तार** को अधिसूचित किया है।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• यह योजना सदस्य संस्थानों (MI) द्वारा पात्र स्टार्ट-अप्स को दिए गए कर्ज पर **एक तय सीमा तक गारंटी** प्रदान करती है।
• इसका उद्देश्य **स्टार्ट-अप्स को बिना किसी ज़मानत के ऋण सुविधा** उपलब्ध कराना है।
	• **नोडल मंत्रालय:** वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
	• **उद्देश्य:** पात्र स्टार्ट-अप्स को दिए गए **ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान** करना।
	• **ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी की प्रक्रिया:** यह योजना प्रत्यक्ष रूप से **स्टार्ट-अप्स** को **ऋणों की गारंटी नहीं** देती है।
	  ○ इसके बजाय, **नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC)** उन **सदस्य संस्थानों** (MIs)[59] को गारंटी कवर प्रदान करती है जो स्टार्ट-अप्स को ऋण देते हैं।
	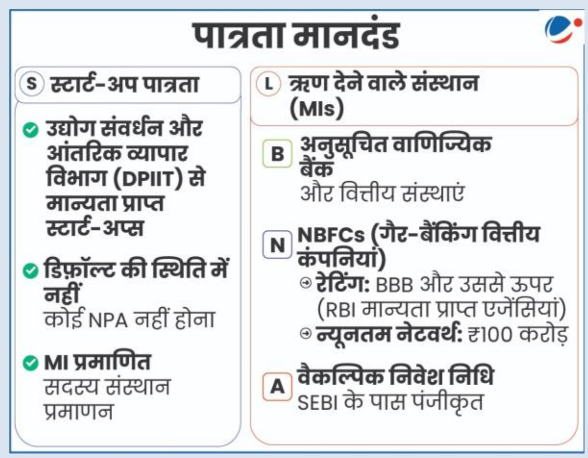
	
	• **गारंटी कवर की अधिकतम सीमा:**
	  ○ प्रति उधारकर्ता अधिकतम गारंटी कवर **20 करोड़ रुपये से अधिक नहीं** होगा।
	  ○ जिस ऋण सुविधा पर गारंटी दी जा रही है, **वह किसी अन्य गारंटी योजना के तहत पहले से शामिल नहीं** होनी चाहिए।
	  ○ यदि किसी ऋण सुविधा का **कुछ हिस्सा जमानत से सुरक्षित है** और बाकी हिस्सा बिना जमानत के है, तो **बिना जमानत वाला हिस्सा** इस योजना के तहत **गारंटी कवर** में शामिल होगा।
	• **सहायता के साधन:** उद्यम ऋण, कार्यशील पूंजी, अधीनस्थ ऋण/ मेजेनाइन ऋण (कम प्राथमिकता वाले ऋण), डिबेंचर, वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय ऋण और अन्य सभी **फंड आधारित और नॉन-फंड आधारित ऋण सुविधाएं**, जो **ऋण देनदारी** के रूप में मानी जाती हैं।

[59] Member Institutions

10.6. शक्ति/ SHAKTI (भारत में पारदर्शी तरीके से कोयला दोहन व आवंटन करने की योजना) नीति {SHAKTI (Scheme for Harnessing and Allocating Koyala Transparently in India) Policy}

सुर्ख़ियों में क्यों?

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विद्युत क्षेत्र को कोयला आवंटन के लिए संशोधित शक्ति नीति को मंजूरी दे दी है।

उद्देश्य	विशेषताएं
• एक **निष्पक्ष एवं पारदर्शी कोयला आवंटन तंत्र** के माध्यम से सभी ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले की **उपलब्धता सुनिश्चित करना**। • **उत्पादन लागत में कमी लाने के लिए** उत्पादकों को सस्ती दर पर कोयला प्राप्त करने में मदद करना। • लिंकेज कोयले के **लाभों को** अंतिम उपभोक्ताओं तक **पहुंचाना**। • **आयातित कोयले पर निर्भरता कम करना** तथा घरेलू कोयला उद्योग को बढ़ावा देना।	**शक्ति (SHAKTI) नीति के बारे में:** • **शुरुआत:** वर्ष 2017 • **मंत्रालय:** कोयला मंत्रालय • **कार्यान्वित:** कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (SCCL) • ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति पहले **नई कोयला वितरण नीति (NCDP)[60], 2007** के तहत की जाती थी। ○ इन नीतियों के तहत, कोयले की आपूर्ति कोयला कंपनियों और विद्युत संयंत्रों के बीच हुए **ईंधन आपूर्ति समझौते** (FSA)[61] के वाणिज्यिक नियमों और शर्तों के अनुसार की जाती थी। • विद्युत क्षेत्रक के लिए NCDP के कोयला लिंकेज के प्रावधानों को **शक्ति नीति, 2017** द्वारा बदल दिया गया है। ○ शक्ति नीति, 2017 का उद्देश्य पूर्ववर्ती **लेटर ऑफ एश्योरेंस (LoA) - FSA व्यवस्था** को चरणबद्ध तरीके से खत्म करना है। ○ शक्ति के तहत, कोयला आवंटन तंत्र को नामांकन-आधारित प्रणाली से हटाकर पारदर्शी नीलामी/ टैरिफ-आधारित बोली प्रक्रिया के माध्यम से कोयला लिंकेज के आवंटन में बदल दिया गया है। **संशोधित शक्ति नीति की मुख्य विशेषताएं** • **सरलीकृत आवंटन ढांचा:** इस नीति ने **कोयला आवंटन** को सुव्यवस्थित किया है। पहले की 8 श्रेणियों को अब 2 सरल तंत्रों में समेकित किया गया है, जिससे विद्युत क्षेत्रक में **व्यापार करने में आसानी** बढ़ेगी। ○ **विंडो-I: केंद्र और राज्य सरकारों** के स्वामित्व वाले ताप विद्युत संयंत्रों, जिनमें उनके संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियां शामिल हैं, को **अधिसूचित कीमतों** पर कोयला लिंकेज मिलना जारी रहेगा। ○ **विंडो-II:** घरेलू या आयातित कोयले का उपयोग करने वाले उत्पादकों सहित सभी ताप विद्युत उत्पादक **अब अधिसूचित मूल्य से अधिक प्रीमियम का भुगतान करके नीलामी प्रक्रिया के माध्यम** से कोयला खरीद सकते हैं। • **अनिवार्य PPAs (पॉवर परचेज एग्रीमेंट्स) को समाप्त करना:** विंडो-II के लिए, **PPAs की आवश्यकता को समाप्त** कर दिया गया है। इससे **निजी क्षेत्रक की भागीदारी** को बढ़ावा मिलेगा। • **विद्युत क्षेत्रक की गतिशील कोयला मांगों को पूरा करना:** नीलामी प्रक्रिया के तहत कोयला **12 महीने से लेकर 25 वर्षों** तक के लिए खरीदा जा सकता है। • **'पिटहेड' विद्युत संयंत्रों को प्राथमिकता:** यह नीति मुख्य रूप से पिटहेड स्थलों यानी कोयला स्रोत के नजदीक **ग्रीनफील्ड ताप विद्युत संयंत्र स्थापित** करने को बढ़ावा देगी। • **राज्यों के लिए पावर एग्रीगेशन:** राज्यों का एक समूह नामित एजेंसियों के माध्यम से टैरिफ-आधारित बोली प्रक्रिया के तहत सामूहिक रूप से विद्युत खरीद सकता है।

[60] New Coal Distribution Policy

[61] Fuel Supply Agreement

	• **आयात प्रतिस्थापन:** आयातित **कोयला-आधारित संयंत्रों** को विंडो-II के तहत घरेलू कोयले का उपयोग करने की अनुमति दी गई, जिससे कोयले के आयात पर निर्भरता कम होगी।
	• **लिंकेज का युक्तिकरण:** इसका उद्देश्य कोयले की वितरण लागत और रेलवे पर भार कम करना है। इसके चलते उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर बिजली प्राप्त होगी।
	• **शक्तियों का प्रत्यायोजन:**
	  ○ छोटे-मोटे नीतिगत बदलाव करने का अधिकार **कोयला मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय** को सौंप दिया गया है।
	  ○ परिचालन संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया गया है।
	• **मौजूदा ईंधन आपूर्ति समझौते (FSA) धारकों के लिए लचीलापन:** मौजूदा FSA धारक विंडो-II के तहत **100% वार्षिक अनुबंधित मात्रा (ACQ) से अधिक** कोयले की खरीद कर सकते हैं। पुराने लिंकेज की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें संशोधित नीति के तहत नई आवेदन प्रक्रिया की अनुमति दी गई है।
	• **बिना मांग वाली अधिशेष बिजली की बिक्री:** जो विद्युत संयंत्र अपनी **अतिरिक्त बिजली** नहीं बेच पाते थे, अब वे उसे **विद्युत बाजारों में बेच सकते हैं**। इससे **विद्युत बाजार का विस्तार होगा** और **उसकी कार्यक्षमता में सुधार** होगा।
	• **प्रमुख लाभार्थी:**
	  ○ विद्युत कंपनियां (कोयले की सुनिश्चित आपूर्ति मिलेगी)
	  ○ उपभोक्ता (सस्ती बिजली मिलेगी)
	  ○ घरेलू कोयला क्षेत्रक (आयातित कोयले पर निर्भरता घटेगी)
	  ○ बैंकिंग क्षेत्रक (बिजली कंपनियों का NPA कम होगा)
	  ○ राज्य सरकारें
	  ○ रेलवे

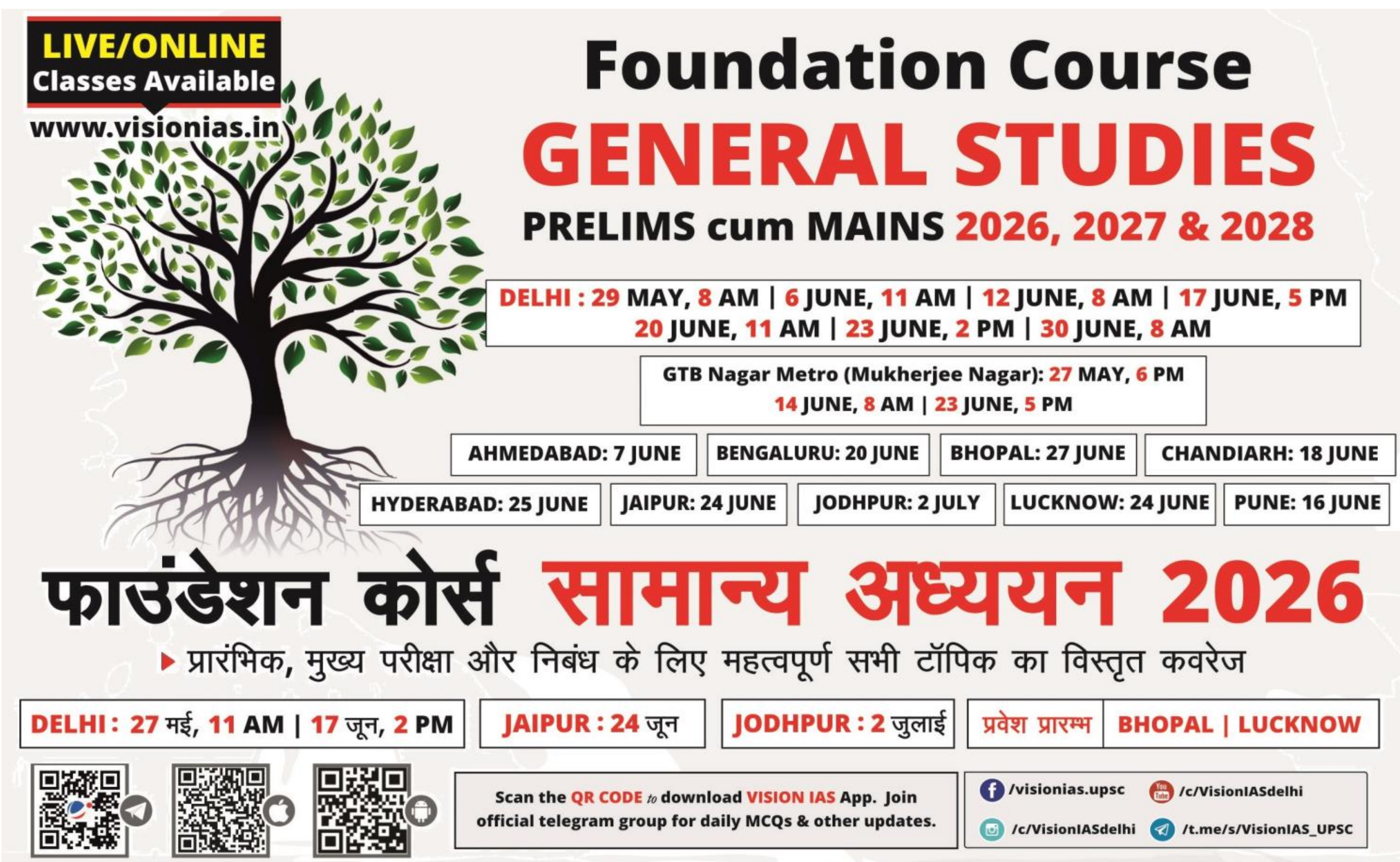

11. सुर्ख़ियों में रहे स्थल (Places in News)

भारत

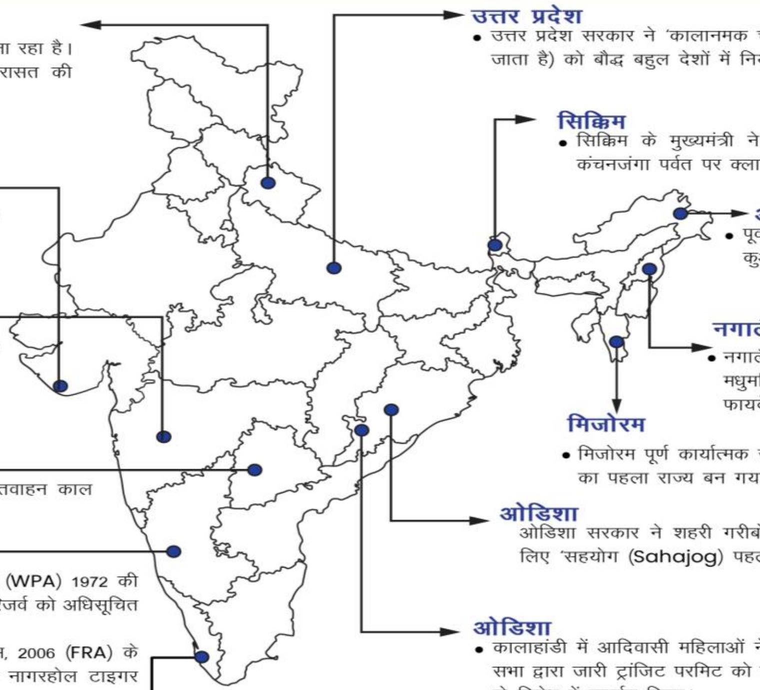

उत्तराखंड
- रम्माण उत्सव वर्तमान में उत्तराखंड में मनाया जा रहा है। यह उत्सव यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल है।

दीव
- पहले 'खेलो इंडिया बीच गेम्स' दीव में आयोजित किए गए।

महाराष्ट्र
- सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वी विदर्भ क्षेत्र में पाए जाने वाले झुडपी जंगलों को वन भूमि घोषित किया।

तेलंगाना
- तेलंगाना में पाए गए गुंडारम शिलालेखों से सातवाहन काल के नए तथ्य सामने आए हैं।

कर्नाटक
- कर्नाटक सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA) 1972 की धारा 36A के तहत हेसरघट्टा घासभूमि संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है।
- जेनु कुरुबा जनजाति ने वन अधिकार अधिनियम, 2006 (FRA) के तहत अपने अधिकारों का दावा करने के लिए नागरहोल टाइगर रिजर्व की भूमि पर कब्जा कर लिया है।

केरल
- केरल के कासरगोड में एशियन जायंट सॉफ्टशेल टर्टल को बचाने पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री ने दादासाहेब फाल्के पुरस्कार जीता।

उत्तर प्रदेश
- उत्तर प्रदेश सरकार ने 'कालानमक चावल' (जिसे 'बुद्ध चावल' भी कहा जाता है) को बौद्ध बहुल देशों में निर्यात करने की योजना बनाई है।

सिक्किम
- सिक्किम के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से मांग की है कि कंचनजंगा पर्वत पर क्लाइम्बिंग पर रोक लगाई जाए।

अरुणाचल प्रदेश
- पूर्वोत्तर का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं सफलतापूर्वक खोदा गया।

नगालैंड
- नगालैंड में पाई गई दो देशी बिना डंक वाली मधुमक्खियों की किस्में किसानों के लिए फायदेमंद पाई गई हैं।

मिजोरम
- मिजोरम पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया।

ओडिशा
ओडिशा सरकार ने शहरी गरीबों को त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए 'सहयोग (Sahajog) पहल' शुरू की।

ओडिशा
- कालाहांडी में आदिवासी महिलाओं ने केन्दु पत्ता ले जाने के लिए ग्राम सभा द्वारा जारी ट्रांजिट परमिट को वन विभाग के अस्वीकार किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया।

विश्व

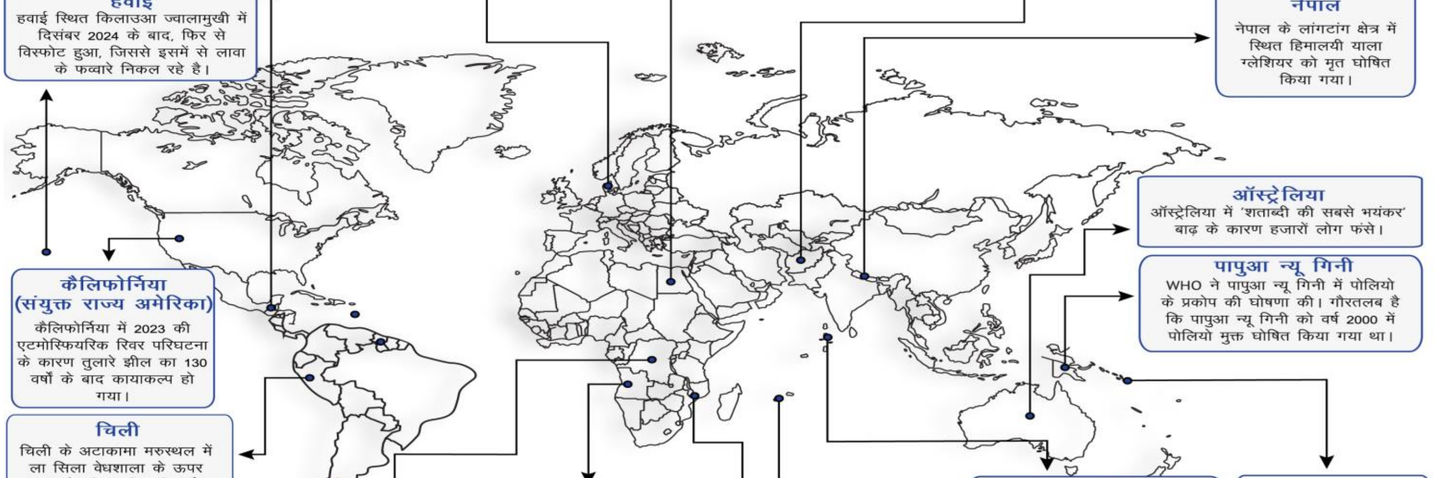

पनामा
पनामा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया।

डेनमार्क
दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई–मेथनॉल संयंत्र डेनमार्क में शुरू हुआ।

मिस्र
भारत और मिस्र ने संयुक्त कार्य समूह की चौथी बैठक में आतंकवाद विरोधी सहयोग को नई दिशा दी।

अफगानिस्तान
चीन और पाकिस्तान ने 'चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC)' के अफगानिस्तान तक विस्तार पर सहमति जताई।

हवाई
हवाई स्थित किलाउआ ज्वालामुखी में दिसंबर 2024 के बाद, फिर से विस्फोट हुआ, जिससे इसमें से लावा के फव्वारे निकल रहे है।

नेपाल
नेपाल के लांगटांग क्षेत्र में स्थित हिमालयी याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया।

ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया में 'शताब्दी की सबसे भयंकर' बाढ़ के कारण हजारों लोग फंसे।

पापुआ न्यू गिनी
WHO ने पापुआ न्यू गिनी में पोलियो के प्रकोप की घोषणा की। गौरतलब है कि पापुआ न्यू गिनी को वर्ष 2000 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया था।

कैलिफोर्निया (संयुक्त राज्य अमेरिका)
कैलिफोर्निया में 2023 की एटमोस्फियरिक रिवर परिघटना के कारण तुलारे झील का 130 वर्षों के बाद कायाकल्प हो गया।

चिली
चिली के अटाकामा मरुस्थल में ला सिला वेधशाला के ऊपर एयरग्लो की तस्वीर ली गई।

अर्जेंटीना
अर्जेंटीना के "लॉस ग्लेशियर्स नेशनल पार्क" में स्थित 'व्हाइट जायंट' कहे जाने वाले पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर का क्षेत्र हिमखंड के टूटने से कम हो रहा है।

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC)
DRC के पूर्वी भाग में टांगानिका झील के तट के पास विनाशकारी बाढ़ आई।

अंगोला
भारत ने अंगोला को 200 मिलियन डॉलर का रक्षा क्रेडिट लाइन प्रदान करने की घोषणा की है।

मोजाम्बिक
सशस्त्र संघर्ष, बार–बार होने वाली चरम मौसमी घटनाएं और चुनाव के बाद फैली अशांति के तिहरे संकट के कारण हजारों लोग पलायन कर चुके हैं।

मॉरीशस
यूनाइटेड किंगडम (UK) ने चागोस द्वीपसमूह की संप्रभुता मॉरीशस को सौंप दी।

मालदीव
- INS शारदा मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) अभ्यास में भाग लेने के लिए मालदीव के माफ़ीलाफुशी पहुंचा।
- भारत ने एक वर्ष की अवधि के लिए मालदीव को 50 मिलियन डॉलर के ट्रेजरी बिल रोलओवर के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की।

न्यू कैलेडोनिया
निर्वाचन मतदाता सूची में बदलाव और राजनीतिक वार्ताओं के विफल होने के बाद न्यू कैलेडोनिया क्षेत्र में फिर से अशांति भड़क उठी है। इससे पहले मई 2024 में वहां दंगे हुए थे।

12. सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व (Personalities in News)

व्यक्तित्व	परिचय	नैतिक मूल्य
 आदि शंकराचार्य (8वीं शताब्दी ई.)	**आदि शंकराचार्य** आदि शंकराचार्य की **चार पंचधातु (पंचलोह) की प्रतिमाएं उत्तराखंड के केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तरमान्य (ज्योतिर्मठ)** में स्थापित की जाएंगी। **आदि शंकराचार्य के बारे में** • **जन्म:** कलाडी, **केरल** में हुआ था। • उन्होंने **अद्वैतवाद (गैर–द्वैतवाद) दर्शन** का प्रतिपादन किया था। ▸ यह दर्शन **ब्रह्म की अद्वैत** प्रकृति पर जोर देता है। ब्रह्म **परम, निराकार वास्तविकता** है। इसके अनुसार **आत्मा (आत्मन) ब्रह्म से अलग नहीं** है। ▸ शंकराचार्य के अनुसार, दुनिया में जो भिन्नता (द्वैत) दिखाई देती है, वह **माया (भ्रम)** है तथा **मोक्ष (मुक्ति)** तब मिलता है, जब व्यक्ति आत्मा और ब्रह्म की एकता को पहचान लेता है। • उन्होंने आध्यात्मिक साधना में **भक्ति** को भी महत्व दिया। • **उन्होंने देश की चार दिशाओं में चार मठ– श्रृंगेरी** (दक्षिण), द्वारका (पश्चिम), **पुरी** (पूर्व) और **बद्रीनाथ** (उत्तर) स्थापित किए थे। • **साहित्यिक कृतियां:** भज गोविंदम, आत्म शतकम्, सौंदर्य लहरी, ब्रह्म सूत्र भाष्य, आदि।	**शिक्षा एवं ज्ञान का सम्मान और स्वयं पर विश्वास** • उन्होंने भारतीय चिंतन में वाद–विवाद और तर्क–वितर्क की परंपरा की नींव रखी। • उन्होंने योग से प्राप्त मन की शुद्धता और स्थिरता को मोक्ष के लिए सहायक माना।
 महाराणा प्रताप (1540 –1597)	प्रधान मंत्री ने **महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।** **महाराणा प्रताप के बारे में** • वे एक प्रसिद्ध **राजपूत योद्धा और राजस्थान के मेवाड़ के शासक थे।** • उनका जन्म **कुंभलगढ़ किले में जयवंता बाई और उदय सिंह द्वितीय** के घर हुआ था। • उन्होंने (अकबर के शासनकाल के दौरान) **मुगलों के अधीन होने से इनकार** कर दिया था। ▸ इसके परिणामस्वरूप, **हल्दीघाटी का युद्ध (1576)** हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व **आसफ खान और मान सिंह** कर रहे थे। • **उत्तराधिकारी:** महाराणा अमर सिंह प्रथम	**साहस और महिलाओं के प्रति सम्मान** • उन्होंने अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली शत्रु का साहसपूर्वक सामना किया और बिना किसी समझौते के युद्ध किया। • उन्होंने बंदी बनाए गए लोगों में कभी भी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की अनुमति नहीं दी।
 विनायक दामोदर सावरकर (1883 – 1966)	हाल ही में प्रधान मंत्री ने श्री विनायक दामोदर सावरकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। **वीर सावरकर के बारे में** • इनका जन्म **महाराष्ट्र के नासिक** के पास स्थित **भागूर गांव** में हुआ था। **प्रमुख योगदान** • **क्रांतिकारी राष्ट्रवाद:** उन्होंने **1904 में अभिनव भारत सोसायटी** की स्थापना की और भारत की स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष का समर्थन किया। • **प्रवासी भारतीयों को संगठित करना:** 1906 में विदेशों में भारतीय छात्रों को संगठित करने के लिए लंदन में **फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की।**	**देशभक्ति और आत्मनिर्भरता** • उनकी राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए उन्हें कठोर दंड की सजा सुनाई गई। • उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया।

	• **साहित्यिक कृतिः** उन्होंने 1857 की क्रान्ति पर **" प्रथम स्वतंत्रता संग्राम "** **की रचना की।** • **कारावास और बलिदानः 1910 में** बम्बई में उन पर **राजद्रोह का मुकदमा** चलाया गया और उन्हें दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जो कुल मिलाकर लगभग 50 वर्ष का कठोर कारावास था। • **सामाजिक सुधारः** उन्होंने अस्पृश्यता का सक्रिय रूप से विरोध किया। ▸ उन्होंने **पतित–पावन मंदिर का निर्माण कराया,** जहां दलितों को पुजारी नियुक्त किया गया। • **राष्ट्रीय एकता का समर्थनः** हिंदू महासभा के अध्यक्ष (1937–1944) के रूप में, उन्होंने **क्रिप्स मिशन** और **वेवेल योजना** के दौरान ब्रिटिश सरकार से राजनीतिक वार्ता में भाग लिया।	
 करतार सिंह सराभा **(1896 – 1915)**	प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी करतार सिंह सराभा को उनकी जयंती (24 मई) पर देश ने याद किया। **करतार सिंह सराभा के बारे में** • उनका जन्म लुधियाना (पंजाब) के सराभा गांव में हुआ था। वे एक अग्रणी **भारतीय क्रांतिकारी** थे। **प्रमुख योगदान** • उन्होंने मात्र **15 वर्ष की आयु में ही ग़दर पार्टी** की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। वे इसके सबसे सक्रिय सदस्यों में से एक थे। ग़दर पार्टी की स्थापना 1913 में ओरेगन (अमेरिका) में ब्रिटिश शासन को खत्म करने के उद्देश्य से की गई थी। ▸ उन्होंने **ग़दर न्यूज़पेपर का पंजाबी संस्करण** निकाला। • भारत लौटने के बाद उन्होंने **भारतीय सैनिकों को विद्रोह के लिए संगठित** करने पर ध्यान केंद्रित किया और **लुधियाना में एक छोटे स्तर की हथियार निर्माण इकाई** शुरू की। • उन्हें **लाहौर षडयंत्र केस में राजद्रोह का आरोपी** बनाकर, **1915 में विष्णु गणेश पिंगले** के साथ **फांसी** दे दी गई।	**बलिदान और क्रांतिकारी उत्साह** • भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान करने की उनकी इच्छा, अपने उद्देश्य के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक थी। • गदर पार्टी में उनकी सक्रिय भागीदारी और विद्रोह को भड़काने के प्रयासों ने उनकी प्रबल क्रांतिकारी भावना को उजागर किया।
 फखरुद्दीन अली अहमद **(1905–1977)**	राष्ट्रपति ने **पूर्व राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि** अर्पित की। **फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में** • वे एक प्रतिष्ठित **वकील, राजनीतिज्ञ और भारत के 5वें राष्ट्रपति (1974 से 1977** में अपनी मृत्यु तक) थे। **प्रमुख योगदान** • **भारतीय स्वतंत्रता संग्रामः** वे **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस** में शामिल हुए थे। वे **महात्मा गांधी के कट्टर** अनुयायी थे। उन्होंने **व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन** में भाग लिया था, जिसके चलते उन्हें **1942** में गिरफ्तार कर लिया गया था। • **स्वतंत्रता के बादः 1952** में राज्य सभा और 1967 में लोक सभा के लिए चुने गए थे। ▸ **खाद्य व कृषि, सहकारिता, शिक्षा, औद्योगिक विकास और कंपनी कानून** जैसे पोर्टफोलियो का कार्यभार संभाला था। • **राष्ट्रपति के रूप में: 1975** में तत्कालीन प्रधान मंत्री की सलाह पर आपातकाल की घोषणा करने के फैसले के लिए जाने जाते हैं।	**लोकतंत्र और संवैधानिक अखंडता के प्रति समर्पण** • उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर और बाद में विभिन्न संवैधानिक पदों पर अपनी सेवा देकर लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखा। • उनका कार्यकाल संविधान और शासन के मानदंडों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सुखदेव थापर
(1907 – 1931)
	भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रख्यात क्रांतिकारी शहीद सुखदेव थापर को उनकी जयंती **(15 मई)** पर देश ने याद किया।
	सुखदेव थापर के बारे में
	• **जन्मः लुधियाना, पंजाब** में हुआ था।
	• वे **हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA)** के सदस्य थे।
	मुख्य योगदान
	• **पंजाब और उत्तरी भारत** के अन्य हिस्सों में क्रांतिकारी गुटों का गठन किया था।
	• स्वतंत्रता संग्राम में युवाओं को जोड़ने के लिए **1926 में लाहौर में 'नौजवान भारत सभा'** की स्थापना की थी।
	• **सुखदेव कई क्रांतिकारी गतिविधियों में अग्रणी रहेः**
	  ▸ **जेल भूख हड़ताल (1929)**: जेल में कैदियों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार के विरोध में भूख हड़ताल की थी।
	  ▸ **लाहौर षड्यंत्र केस (1928)**: सुखदेव, शिवराम राजगुरु और भगत सिंह ने **लाला लाजपत राय की मौत के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी जेम्स ए. स्कॉट** की हत्या की योजना बनाई थी, लेकिन गलती से **उप पुलिस अधीक्षक जे.पी. सॉन्डर्स** को मार दिया था
	• बाद में, **23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में** शहीद भगत सिंह और शिवराम राजगुरु के साथ उन्हें भी **फांसी दे दी** गई थी। यह दिन **'शहीद दिवस'** के रूप में मनाया जाता है।
		देशभक्ति और युवा नेतृत्व
		• भारत की स्वतंत्रता के प्रति उनकी निष्ठा उनके क्रांतिकारी कार्यों और दिए गए सर्वोच्च बलिदान में स्पष्ट रूप से झलकती है।
		• उन्होंने अनेक युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने और अपने अधिकारों हेतु संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया।

मालूर रामास्वामी श्रीनिवासन
(1930–2025)
	हाल ही में, **डॉ. एम.आर. श्रीनिवासन का निधन** हो गया।
	डॉ. एम. आर. श्रीनिवासन के बारे में
	• वे एक **भारतीय परमाणु वैज्ञानिक और मैकेनिकल इंजीनियर** थे।
	• उन्होंने **परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष** के रूप में कार्य किया था।
	• इसके अतिरिक्त, वे **न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) के संस्थापक अध्यक्ष** भी थे।
	• **प्रमुख योगदानः**
	  ▸ उन्होंने **होमी जहाँगीर भाभा के साथ मिलकर भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम और प्रेशराइज्ड हैवी वॉटर रिएक्टर (PHWR) के विकास** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
	  ▸ वे देश के पहले **परमाणु अनुसंधान रिएक्टर, अप्सरा** के निर्माण में शामिल थे।
	• **रचनाएंः** फ्रॉम फिशन टू फ्यूजनः द स्टोरी ऑफ इंडियाज एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम आदि।
		वैज्ञानिक दृष्टिकोण और राष्ट्रीय विकास
		• उन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का नेतृत्व किया, जिसमें सुरक्षा और नवाचार पर ज़ोर दिया गया।
		• उनका नेतृत्व राष्ट्र की ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए वैज्ञानिक क्षमताओं को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

 प्रोफेसर जयंत नार्लीकर **(1938–2025)**	हाल ही में, **खगोल वैज्ञानिक** प्रोफेसर जयंत नार्लीकर का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने **बिग बैंग सिद्धांत का एक वैकल्पिक सिद्धांत** प्रस्तुत किया था। **जयंत नार्लीकर के बारे में** • इनका **जन्म 1938 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर** में हुआ था। • इन्होंने **1957 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से B.Sc. की डिग्री प्राप्त की** थी।	**बौद्धिक जिज्ञासा और वैज्ञानिक उन्नति के प्रति समर्पण** • ब्रह्मांड विज्ञान में उनके नवाचारी योगदान ने यह दर्शाया कि वे पारंपरिक सिद्धांतों को नए दृष्टिकोणों से परखने का साहस रखते थे।

	• **वैज्ञानिक योगदान** ▹ **ब्रह्मांड–विज्ञान में उनके प्रमुख योगदानों में शामिल हैं:** ◦ **हॉयल– नार्लीकर सिद्धांत,** जो बिग बैंग मॉडल का एक वैकल्पिक सिद्धांत है। ▹ **टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) में थ्योरिटिकल एस्ट्रोफिजिक्स ग्रुप को विस्तार** देने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। ▹ ये **इंटर–यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स (IUCAA) के संस्थापक निदेशक** भी रहे थे। • **पुरस्कार** ▹ यूनेस्को का कलिंग पुरस्कार; तथा ▹ पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार।	• उन्होंने ऐसे शोध संस्थानों की स्थापना की जो सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देते हैं, जो विज्ञान की परिवर्तनकारी क्षमता में उनके गहरे विश्वास का प्रतीक है।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
अपनी तैयारी से जुड़े रहिए
सोशल मीडिया पर फॉलो करें
http://bit.ly/3ueP7T7
VisionIASHindi
/VisionIAS_UPSC
vision_ias_hindi
/Vision_IAS
/visionias.upsc
www.visionias.in

लाइव / ऑनलाइन
कक्षाएं भी उपलब्ध

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स 2026

प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों

दिल्ली

17 जून, 2 PM

अवधि – 12 महीने

VisionIAS ऐप को डाउनलोड करने के लिए दिए गए **QR कोड को स्कैन कीजिए**

निःशुल्क काउंसिलिंग के लिए **QR** कोड को स्कैन कीजिए

डेली MCQs और अन्य अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल **टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए**

- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स में GS मेन्स के सभी चारों पेपर, GS प्रीलिम्स, CSAT और निबंध के सिलेबस को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अभ्यर्थियों के ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल पर लाइव एवं ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि वे किसी भी समय, कहीं से भी लेक्चर और स्टडी मटेरियल तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें।
- इस कोर्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शामिल है।
- 2025 के प्रोग्राम की अवधिः 12 महीने
- प्रत्येक कक्षा की अवधिः 3–4 घंटे, सप्ताह में 5–6 दिन (आवश्यकता पड़ने पर रविवार को भी कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं)

नोटः अभ्यर्थी फाउंडेशन कोर्स की लाइव वीडियो कक्षाएं घर बैठे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। साथ ही, अभ्यर्थी लाइव चैट के जरिए कक्षा के दौरान अपने डाउट्स और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा, वे अपने डाउट्स और प्रश्न को नोट कर दिल्ली सेंटर पर हमारे क्लासरूम मेंटर को बता सकते हैं, जिसके बाद फोन/ मेल के जरिए अभ्यर्थियों के प्रश्नों का समाधान किया जाता है।

GS फाउंडेशन कोर्स की अन्य मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मूल्यांकन

अभ्यर्थियों को नियमित ट्यूटोरियल, मिनी टेस्ट एवं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के माध्यम से व्यक्तिगत व अभ्यर्थी के अनुरूप और ठोस फीडबैक दिया जाता है

सभी द्वारा पढ़ी जाने वाली एवं सभी द्वारा अनुशंसित

विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम द्वारा तैयार की गई मासिक समसामयिकी मैगजीन, PT 365 और Mains 365 डॉक्यूमेंट्स तथा न्यूज़ टुडे जैसी प्रासंगिक एवं अपडेटेड अध्ययन सामग्री

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन

इस कोर्स के तहत अभ्यर्थियों के डाउट्स दूर करने और उन्हें प्रेरित रखने के लिए नियमित रूप से फोन/ ईमेल/ लाइव चैट के माध्यम से "वन–टू–वन" मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़

प्रत्येक 3 सफल उम्मीदवारों में से 2 Vision IAS की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को चुनते हैं। Vision IAS के पोस्ट टेस्ट एनालिसिस के तहत टेस्ट पेपर में स्टूडेंट्स के प्रदर्शन का विस्तार से विश्लेषण एवं समीक्षा की जाती है। यह अपनी गलतियों को जानने एवं उसमें सुधार करने हेतु काफी महत्वपूर्ण है।

कोई क्लास मिस ना करें

प्रत्येक अभ्यर्थी को एक व्यक्तिगत "स्टूडेंट पोर्टल" उपलब्ध कराया जाता है। इस पोर्टल के जरिए अभ्यर्थी किसी भी पुराने क्लास या छूटे हुए सेशन और विभिन्न रिसोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं एवं अपने प्रदर्शन का सापेक्ष एवं निरपेक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं।

बाधा रहित तैयारी

अभ्यर्थी VisionIAS के क्लासरूम लेक्चर्स एवं विभिन्न रिसोर्सेज़ को कहीं से भी तथा कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और वे इन्हें अपनी जरुरत के अनुसार ऑर्गनाईज कर सकते हैं।

/c/VisionIASdelhi /vision_ias /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC

Heartiest
Congratulations
to all Successful Candidates
10
in TOP 10 Selections in CSE 2024
from various programs of Vision IAS
1 AIR
Shakti Dubey
2 AIR
Harshita Goyal
GS Foundation Classroom Student
3 AIR
Dongre Archit Parag
GS Foundation Classroom Student
4 AIR
Shah Margi Chirag
5 AIR
Aakash Garg
6 AIR
Komal Punia
7 AIR
Aayushi Bansal
8 AIR
Raj Krishna Jha
9 AIR
Aditya Vikram Agarwal
10 AIR
Mayank Tripathi
हिंदी माध्यम में 30+ चयन CSE 2024 में
137 AIR
Ankita Kanti
182 AIR
Ravi Raaz
438 AIR
Mamata
448 AIR
Sukh Ram
509 AIR
Amit Kumar Yadav
DELHI
HEAD OFFICE
33, Pusa Road, Near Karol Bagh Metro Station, Opposite Pillar No. 113, Delhi - 110005
MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar
GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009
FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call: +91 8468022022, +91 9019066066
enquiry@visionias.in
/@visioniashindi
/visionias.upsc
/vision_ias_hindi/
/hindi_visionias
अहमदाबाद
बेंगलूरु
भोपाल
चंडीगढ
दिल्ली
गुवाहाटी
हैदराबाद
जयपुर
जोधपुर
लखनऊ
प्रयागराज
पुणे
रांची